राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

: 2] दसवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का पन्द्रहवां दिवस [संख्या : 11

बुधवार,
9 मार्च, 1994

राजस्थान विधान सभा की बैठक .00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में म्भ हुई।

(... हरिशंकर भाभड़ा, अध्यक्ष, पदासीन।)

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्द सिंह। श्री न्द्र मीणा।

नुसूचित जाति के व्यक्तियों के विवाह समय घोड़ी पर न बैठने देने सम्बन्धी प्रकरण

4. **महेन्द्र मीणा** (सिकराय) एवं **गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को के विवाह के समय घोड़ी पर न बैठने व ढोल व बैण्ड न बजाने देने की कितनी एं राज्य में विगत 1 मार्च, 1990 से 12-93 तक घटित हुई ? सूची सदन ज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा इस प्रकार की घट- ो रोकने के लिए क्या कार्यवाही की

(3) क्या किसी अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में असफल होने के कारण दण्डित किया गया ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) दिनांक 1 मार्च, 1990 से 31-12-93 तक राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके विवाह के समय घोड़ी पर न बैठने देने व ढोल व बैण्ड न बजने देने की कुल 49 घटनाएं घटित हुई हैं। सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) इन घटनाओं को रोकने के लिए राज्य में 'अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989' लागू किया गया है तथा इन प्रकरणों को निपटाने हेतु जिलों में विशिष्ट न्यायालय की स्थापना की गयी। परिशिष्ट "ब" संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में असफल होने बाबत कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया और ना ही दण्डित किया गया।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

Page No.2

श्री महेन्द्र मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे कितने मामले हैं जिनमें मुस्तगीस से शिकायत थाने में दर्ज नहीं की गयी तथा बड़े पुलिस अधिकारियों या सामाजिक कार्यकर्ताओं के दबाव में रिपोर्ट दर्ज की गयी ? दर्ज न करने पर उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? पहला क्वेश्चन।

दूसरा यह कि क्या ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार और कुछ प्रबन्ध करने पर विचार कर रही है ? 49 घटनाएं घट चुकी लेकिन किसी भी अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया। ऐसी भयंकर घटनाएं घट चुकीं उसके बाद भी यह सिलसिला गलत है कि कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। तो मेरा निवेदन है कि उनके खिलाफ सरकार कुछ करे और जांच कराने का विचार रखें।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जितनी शिकायतें दर्ज हुईं उन सबमें अन्वेषण होकर चालान पेश किये गये। केवल चार प्रकरण ऐसे थे जिनमें एफ.आर. दी गयी और उन चारों प्रकरणों की पत्रावलियां मैंने देखी हैं. चारों एफ. आर. की राइटस मैंने देखी है, कुछ में तो समझौते हो गये, कुछ में केस झूठे पाये गये। तीन में समझौते हुए, एक केस झूठा पाया और एक अभी अन्वेषणाधीन है, 44 में चालान पेश कर दिये गये हैं और उन चालानों के आधार पर किसी को दोषी नहीं पाया गया है। क्योंकि यह एक्ट ही ऐसा है इसमें कोई अधिकारी गड़बड़ कर नहीं सकता, इसमें दफा 4 इस तरह की लगी हुई है।

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से... —

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये, आ[पको] किसने बुलाया। अभी तो उनके दो स[वाल] होंगे।

श्री महेन्द्र मीणा : इसमें समझौ[ते का] कोई कानून नहीं है। माननीय मंत्री [महो]दय, जिन थानों के अन्दर रिपोर्ट दर्ज नहीं करते, सामाजिक कार्यकर्ता जाते हैं, हम पुलिस अधिकारियों के पास पहुंचते हैं उसके बाद में वह रिपोर्ट दर्ज की जाती है। त[ो] क्या ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आपने कोई जांच के बारे मे विचार रखा है ?

श्री अध्यक्ष : आप पूछिये। परसादीलाल मीणा, आप पूछ रहे थे, आप पूछ लीजिये।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसो[ट]) : मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, जब 49 घटनाएं घटी हैं तो कहीं न कहीं पु[लिस] की या प्रशासन की नेग्लीजेंस है, क्या भविष्य में ऐसी व्यवस्था करेंगे या ऐसा एक कन्ट्रोल हम स्थापित करें [कि] एस.सी. के लोगों को आज घोड़ी पर [भी] में नहीं बैठने देते हैं, यह सही बात है। [य]े आप भरतपुर की तरफ चले जाओ, [च]ले अलवर चले जाओ....

श्री अध्यक्ष : हो गया।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं यह पू[छना] चाहता हूं, इसमें आप क्या व्यवस्था क[रना] चाहते हैं जिससे आये दिन इस तरह [की] घटनाएं नहीं घटें।

श्री अध्यक्ष : श्री जोशी। आप [पूछ] रहे थे, क्या पूछ रहे थे ?

श्री शैलेन्द्र जोशी (बांदीकुई) : अ[ध्यक्ष] महोदय, यह अपराध जो आपने घटि[त]...

Page No.3

शैलेन्द्र जोशी)

ा है, इनकी जिलेवार क्या स्थिति है ? से जिले में ज्यादा प्रकरण होते हैं ? इसके अलावा जो आपने कहा राजीनामा भी करा दिया है, तो मैं जहां तक समझता मैंने देखा है कानून, इसमें कोई राजीनामे का प्रावधान है ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में जबकि रिपोर्ट हुई और चालान पेश नहीं हुआ, ऐसी वहां कौन सी स्थितियां थीं, विसंगतियां थीं जिसमें राजीनामा कर दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : अध्यक्ष), मंत्री महोदय ने सवाल के खण्ड में यह जवाब दिया है कि इन घटनाओं ने के लिए राज्य में अनुसूचित जाति, में अत्याचार निवारण अधिनियम, लागू किया गया है और जिलेवार शिष्ट ब' में इसका ब्योरा दिया गया आपको उदाहरण के तौर पर कहना कि अजमेर में 134 में से एक में ई और 16 में बरी हुए। इसी तरह जलों का है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि आपकी सरकार क्या नती है कि इसमें ज्यादातर लोग रहे हैं वह पुलिस की लापरवाही से या यह झूठे मुकदमे बनाये जा रहे के कारण से इसमें असंगति है ? और सरकार क्या कदम उठाना मैं यह जानना चाहूंगा।

ध्यक्ष : सवाल हो गया। श्री । रामनारायण चौधरी, आप रहे थे ?

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति के 49 व्यक्तियों को विवाह के समय घोड़ी पर न बैठने देने व ढोल व बैण्ड न बजाने देने की जो घटनाएं हुई हैं, इनमें से आपने कितने लोगों को यह सुविधा प्रदान करने में सहयोग दिया है और कितनों में आप कामयाब हुए हैं ?

श्री अध्यक्ष : श्री सुन्दरलालजी।

श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या मंत्री महोदय इस पर ठोस कदम उठाने का विचार रखते हैं कि रोज-रोज यह घटना नहीं घटे ?

श्री अध्यक्ष : हां, आप बैठिये। माननीय मंत्रीजी। अब कोई सप्लीमेंट्री नहीं होगा।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मूल कानून में राजीनामे का कोई प्रावधान नहीं है। मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, हमको आशंका है यह-यह लोग घोड़ी पर बैठेंगे तो झगड़ा कर सकते हैं, ऐसी सूचनाएं आयीं और वहां पुलिस पहुंच गयी तीन मामलों में, और उन्होंने किसी तरह का कोई व्यवधान घोड़ी पर चढ़ने का नहीं डाला। ऐसी स्थिति में वह केस नहीं बना था। इसी तरह से वह केस है। मेरी यह मान्यता कि इसमें कोई किसी तरह का नहीं है, क्योंकि हमारा आर्टिकल 17 बहुत साफ है कि "Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. "That is Article 17."

(श्री कैलाश मेघवाल)

enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with law."

यह कांस्टीट्यूशनल गारंटी है और इसके अन्तर्गत कानून बने हुए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो यह पूछा गया है, घटनाएं घटी हैं, राजीनामे की स्थिति मैंने आपको बता दी। इसी तरह की घटनाओं में हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं और मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री शेखावत के नेतृत्व वाला जो मंत्रिमंडल है, सब जगह इस बात की गारंटी देना चाहता है कि इस तरह की कोई आशंका होने पर कलक्टर और एस.पी. को जिम्मेदार बनाया जाएगा और वह देखे कि जातिवाद दुराग्रह के आधार पर सामाजिक स्वाभिमान को किसी भी तरह चोट नहीं पहुंचने दी जाए। यह हमारी चिन्ता का विषय है और मैं सदन के सभी सदस्यों को विदित करना चाहता हूं इस मामले में, क्योंकि यह राष्ट्रीय कर्तव्य है, कांस्टीट्यूशनल गारंटी है, सबसे पहले समझाइश से, सोच से उस वातावरण को ठीक करने की कोशिश करें और ठीक नहीं होते तो फिर कानून ही अपना काम करेगा और सख्ती से इस मामले में कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क। एक मिनट।

मुख्य मंत्री (श्री भैरोंसिंह शेखावत) : पहले घोड़ी पर चढ़कर निकलना, यह आसान बात नहीं थी। न तो चढ़ने वाला स... करता था और चढ़ जाए तो लोग उ... सहन नहीं करते थे। आजादी के बाद ... धीरे लोगों को अपने अधिकार का ज्ञान ... और उस ज्ञान के साथ ही इस प्रकार ... प्रयास किये जा रहे हैं। कई जगह झग... हुए, झगड़ों के कारण से आतंक की स्थि... बनी, लेकिन 1989 में इस एक्ट के ला... होने के बाद लोगों को कम से कम इस बा... की सुरक्षा मिली कि यदि हमारे इन अधिकारों पर कोई अतिक्रमण करेगा तो इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के लिए कानून बन गया है। यह उसी का नतीजा है कि इतने केस रजिस्टर्ड हुए और इतने लोगों का चालान हुआ। अगर आप एट... ग्लांस देखेंगे, तो जब से कानून लागू हुआ है और मुकदमे बनने लगे हैं, धीरे-... संख्या कम होती जा रही है। मेरा विश्... है कि इस कानून को सख्ती से लागू करने के बाद कहीं कोई छुटपुट घटनाएं हो ...एं तो मैं कह नहीं सकता, सामूहिक रूप र... वों तय करके इन चीजों का विरोध किया ... हैं, वह उस बात को भूल गये और उन्हों... इसको मान लिया है कि यह इनका अ... है और इस अधिकार को हम रोक... सकते। तो सदन को यह ही आश्वस्त ... चाहता हूं कि यदि आपको इस ... की कोई जानकारी मिले तो आप जा... सम्बन्धित अधिकारियों को दें औ... कार्यवाही नहीं करेंगे तो सरकार ... रूप में उनके खिलाफ कार्यवाही ... इनके अधिकार की हम सुरक्षा कर... कोई भी सख्ती से कार्यवाही करनी ... इसमें कोई संकोच नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम ...

श्री रामनारायण चौधरी : कितने आदमियों को घोड़ी पर चढ़ाया ?

श्री अध्यक्ष : अब आप तो घोड़ी पर चढ़ोगें नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : प्रश्न यह है कि घोड़ी पर चढ़ाने की बात हो तो गृह मंत्री जी को बताओ। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : यह काम विपक्ष कर ले। हमारी प्रार्थना है कि यह काम विपक्ष करे।

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीराम बुरड़क।

विद्युत वितरण में छीजत

275. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) देश के विभिन्न राज्यों में विद्युत् वितरण में छीजत का प्रतिशत क्या है ? गत पांच वर्षों की छीजत का राज्य का तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) छीजत अधिक व कम होने के क्या-क्या कारण हैं तथा राज्य में छीजत की कमी के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये गये तथा क्या-क्या उठाये जा रहे हैं ?

(3) क्या विद्युत चोरी को भी छीजत में शामिल माना जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसे सम्मिलित करने से वास्तविक छीजत का आकलन सही रूप से हो सकता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) : (1) देश के विभिन्न राज्य विद्युत मण्डलों में विद्युत प्रसारण एवं वितरण में छीजत का 5 वर्षों; वर्ष 1987–88 से वर्ष 1991–92 तक का प्रतिशत बताते हुए तालिका "अ" सदन के पटल पर रख दी गयी है। विभिन्न राज्य विद्युत मण्डलों का वर्ष 1992–93 में क्षति का विवरण उपलब्ध नहीं है लेकिन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की राज्य के अन्दर वह क्षति वर्ष 1992–93 की अवधि में 22 प्रतिशत सम्भावित है।

(2) विद्युत लाइन में विद्युत छीजत लाइन पर विद्युत भार, पावर–फैक्टर, लाइन की लम्बाई व लाइन के कण्डक्टर पर निर्भर है। विद्युत तंत्र में छीजत विभिन्न लाइनों की छीजत पर निर्भर रहती है। लम्बी प्रसारण एवं वितरण लाइनों में छीजत ज्यादा होती है। कई बार मल्टीपल ट्रान्सफार्मेशन अर्थात् 400 के.वी. से 200 के.वी., 200 के.वी. से 132 के.वी., 132 के.वी. से 33 के.वी., 33 के.वी. से 11 के.वी. एवं 11 के.वी. से 400 वोल्ट्स के कारण भी क्षति में बढ़ोतरी होती हैं। कृषि के उपयोग में काम आने वाली मोटरों एवं छोटी औद्योगिक इकाइयों के काम आने वाली मोटरों के कारण विद्युत तंत्र का पावर फैक्टर कम हो जाता है और यह भी छीजत में बढ़ोतरी का कारण है।

विद्युत तंत्र में छीजत कम करने के विभिन्न प्रयास किये गये हैं और किये जा रहे हैं जो निम्नलिखित हैं :—

1. विद्युत वितरण लाइनों का उच्च क्षमता में परिवर्तन व उप–प्रसारण तंत्र का विकास करना।

2. उचित भार केन्द्रों पर शंट कैपेसीटर स्थापित करना।

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

3. बन्द और क्षतिग्रस्त मीटरों की उपभोक्ताओं के परिसर में जांच करना एवं बदलना और छेड़-छाड़ रहित (टेम्पर प्रूफ) मीटर बक्सों का प्रावधान करना।

4. विद्युत चोरी की रोकथाम करना आदि।

(3) विद्युत तंत्र में छीजत का आंकलन मण्डल द्वारा विद्युत ऊर्जा के सकल उत्पादन/क्रय और उपभोक्ताओं को ऊर्जा के सकल विक्रय से निकाला जाता है और इस कारण दोषपूर्ण मीटरिंग विद्युत चोरी भी इसमें स्वतः ही सम्मिलित हो जाती है। वास्तविक छीजत का आंकलन संभव नहीं है।

(तालिका के लिए परिशिष्ट–1 देखें।)

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय, से यह कहना चाहूंगा, पहले तो आपने यह कहा है कि 92–93 की अवधि में 22 परसेंट छीजत संभावित है, जब आपका छीजत निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है कि कितनी आपने पैदा की, कितनी परचेज की और कितनी का आपने बिलिंग किया, इसमें एक साल बाद भी आप अगर यह कहें कि यह सम्भावित है तो यह कोई बात समझ में आने वाली नहीं है। आपको सिर्फ यही देखना है कि कितनी पैदा की और कितनी आपने डिस्ट्रीब्यूट की जिसका बिल बनाया। छीजत का आकलन आप सिर्फ इस एक ही आधार पर करते हैं, जैसा कि आपने उत्तर दिया है। दूसरा, मेरा यह कहना है कि आपने जो यह 22 परसेंट का आंकड़ा दिया है, यह भी आंकड़ा मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि इस पीरियड में आपने बिजली पैदा की है 1381 करोड़ यूनिट और आपने सेल की है 906.75 करोड़ यूनिट। इसका अन्तर आता है 474.25 करोड़ यूनिट और इसका पर्सेण्टेज होता है 34.34 इसलिए आप इसमें स्पष्ट बतायें कि इस पीरियड में आपने कितनी पैदा की, कितनी आपने परचेज की और कितनी का आपने बिलिंग किया और जैसा कि मैं समझ पाया हूं यह दूसरी इनकम जो आपकी होती है मीटर किराया आदि उसको शामिल करके आप यह 22 परसेण्ट की बात कह रहे हैं, यह कतई गलत है इसलिए आप इसका स्पष्ट उत्तर दें।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैंने इसको अच्छी तरह से देखा है और संभावित मैंने केवल इसलिए लिख दिया है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। इसकी फिर से जांच करवायी गयी है और यदि यह सच नहीं है तो मैं उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा जिन्होंने ठीक से आंकड़े नहीं दिये हैं। मैं, माननीय सदस्य, आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि इसमें कुछ भ[ी] गड़बड़ हुई तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, मैंने आंकड़े पूछे थे। वह तो आपके पास होंगे ही कि आपने कितनी पैदा की, कितनी परचेज की और कितनी का आपने बिलिंग किया, वह आंकड़े तो आपके पास हैं। यह सही हैं या गलत हैं ?

श्री अध्यक्ष : आपको बता दिया

श्री हरजीराम बुरड़क : दूसरा, मेरा प्रश्न यह था, आपने यह जो तालिका दी है विभिन्न राज्यों की, आपने इसमें देखा होगा कि पंजाब में सिर्फ एक साल में 19 से 10 छीजत में कमी की गयी है, 19 पर्सेण्ट से 10 पर्सेण्ट लाये हैं तो आप इसका कोई अध्ययन करायेंगे कि वहां किस तरह से इसको एकदम कम किया और आपने जो प्रयत्न करने की बात कही है, यह आप लगातार वही बातें कह रहे हैं, लाइनों में ज्यादा लोड हैं वहां हम लाइन सुधार करेंगे, यह करेंगे वह करेंगे। वही बातें आज आप कह रहे हैं। आपने पी.यू.सी. की रिपोर्ट में भी यही बात कही थी लेकिन उसका असर इस छीजत को कम करने में नहीं हुआ।

दूसरा मेरा यह था कि आपके पास यह भी आंकड़े होंगे कि यह जो हाईटेंशन की लाइनें हैं उनमें छीजत पर्सेण्टेज है या एल.टी. लाइनों में ज्यादा है, यह भी आप बतायें।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : मैंने यह जो कारण बताये हैं, हमेशा कारण ये ही हैं, ये ही कारण हैं और यदि छीजत कम ...का, जिसमें चोरी भी शामिल है माननीय सदस्य कोई सुझाव देंगे तो उनको क्रियान्वित करने का पूरा–पूरा प्रयास किया जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : मैंने तो यह ...था है कि छीजत हाईटेंशन लाइनों में ज्यादा हो रहा है पर्सेण्टेज के हिसाब से या एल.टी. लाइनों में ज्यादा हो रहा है ? आपने सुधार की जो बात कही थी वह बड़ी–बड़ी लाइनों की सुधार की कही है। बड़े–बड़े आपने सब–स्टेशन बनाये हैं 133 के, 220 के, 400 के, तो मेरा सवाल यह था कि मेरे हिसाब से लासेज एल.टी. लाइनों में ज्यादा हो रहा है बनिस्बत हाईटेंशन लाइनों के।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : तो इसमें माननीय सदस्य से, आप सब से यह निवेदन करना चाहूंगा कि छीजत में कारण चोरी का भी है। मैंने कई माननीय सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया है और मैं माननीय सदस्य बुरड़कजी से भी निवेदन करूंगा कि इस छीजत को कम करने के सम्बन्ध में जो सुझाव आप देंगे उनको क्रियान्वित करने का पूरा–पूरा प्रयत्न करूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है कि एल.टी. लाइनों में ज्यादा पर्सेन्टेज लासेज का है या हाईटेंशन लाइनों में ज्यादा है। मेरा तो यह पूछना था, सीधा–सा सवाल है ताकि आपको इसमें सुविधा हो कि आपकी कौनसी लाइनों का लोड कम करना है।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तो ऐसा है मंत्री जी....

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्यमंत्री) : हाईटेंशन में ज्यादा लासेज होते हैं, लो में कम होते हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : नहीं, यह भी गलत है, साहब। ऐसा है, आपने छीजत में चोरी को शामिल किया। चोरी का जहां तक सवाल है, वह एल. टी. लाइन में ही होती है, हाईटेंशन लाइनों में चोरी होती ही नहीं है। कहीं कोई इक्का–दुक्का होती

(श्री हरजीराम बुरड़क)

है, पर्सेण्टेज के मामले में बहुत कम है ! इसलिए मेरा यह मानना है कि एल.टी. लाइनों में ज्यादा लासेज हो रहा है चोरी को मिला करके।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एल.टी. लाइन में चोरी शामिल नहीं है और लो-टेंशन लाइन में चोरी शामिल है।

श्री हीरालाल इन्दौरा (केसरीसिंहपुर) : नहीं, चोरी कितनी पर्सेण्ट है अनुमानित छीजत में ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : अलग से चोरी निकाली नहीं जा सकती।

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय मंत्रीजी, चोरी कितने पर्सेण्ट है छीजत में अन्दाजन ?

श्री रघुवीरसिंह कौशल : चोरी को अलग से निकाला नहीं जा सकता।

श्री हीरालाल इन्दौरा : फिर भी आप बताइये अन्दाजन।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : मैं अन्दाज कैसे बता सकता हूं। यदि मुझे चोरी का मालूम हो तो उसको पकड़ नहीं लें।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट, मैं पूछना चाहता हूं। जो मैंने आपको बताया एल.टी. लाइन का अगर आपका अलग से मीटरिंग सिस्टम हो तो उसमें चोरी का भी पता लग जायेगा क्योंकि अधिकतर चोरी एल.टी. लाइनों में ही होती है। इसलिए 11 के.वी. से जब एल.टी. लाइन ट्रान्सफर करते हैं वहां पर आप मीटर की व्यवस्था करेंगे तो चोरी का भी अपने आप पता लग जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री गुलाबसिंह जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : जो छीजत में बिजली की चोरी का एक कारण आपने माना है। क्या बिजली बोर्ड की गलत नीतियों के कारण इस चोरी को बढ़ावा मिल रहा है ? जैसा सर्विस लाइन कनेक्शन, वन पोल कनेक्शन पहले मिलते थे तब चोरी नहीं होती थी, आज सर्विस लाइन कनेक्शन बिजली बोर्ड ने बन्द कर दिया तो आदमी अपने सामने बिजली की मोटर चलाता है और उतनी ही बिजली का उपयोग कर रहा है तो वह चोरी में शामिल हो रही है। तो क्या सरकार इस पर विचार करके सर्विस लाइन कनेक्शन और वन पोल कनेक्शन को प्राथमिकता देगी जिससे चोरी रुक सके ?

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मण सिंह। मन्त्री जी आप बिराजिये, पहले यह सवाल पूछ रहे हैं।

श्री किशनाराम नाई (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक क्वेश्चन के पीछे कितने सप्लीमेंट्री पूछेंगे ? नियम तो बने नहीं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : अध्यक्ष महोदय, हमारी तो बारी ही नहीं आती है।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो सम्भावित लॉस बताया इस वर्ष का, पिछले वर्ष का 1992-93 का वह 22 प्रतिशत

(श्री लक्ष्मण सिंह)

बताया है। मेरे विचार में जो फार्मूला बना हुआ है उसके विचार से यह सम्भावित लास 34.3 प्रतिशत होना चाहिए। क्योंकि 22 प्रतिशत के हिसाब से अगर केलकूलेट करें तो कैश रिसीट जो पिछले वर्ष बोर्ड ने ली है। 1992-93 में वह 1227 करोड़ बोर्ड के पास आया है। अगर यह 22 प्रतिशत हो तब तो यह कैश रिसीट 1390.57 करोड़ होनी चाहिए क्योंकि यह 34 प्रतिशत छीजत है इसलिए कैश रिसीट कम है। अगर छीजत 22 प्रतिशत ही है तो यह कैश रिसीट ज्यादा होनी चाहिए। तो मंत्री महोदय, यह बताने का कष्ट करें कि आपके 1390.57 करोड़ की जगह 1227 करोड़ का ही कलेक्शन क्यों हुआ अगर आपकी सिर्फ 22 प्रतिशत ही छीजत है ?

श्री अध्यक्ष : श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानकारी चाहूंगा। यह बात सही है जैसा गुलाबसिंह जी ने कहा है कि सर्विस लाइन और वन पोल कनेक्शन आप दो या मत दो, यह बिजली का उपभोग कर रहे हैं वह चोरी भी इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वह पैसा किसान दे रहे हैं। लेकिन वह बजाय आपके खजाने में जमा होने के आपके ए.ई.एन., जे.ई.एन. और लाइनमैन की जेब में जाता है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिजली की चोरी को रोकना है तो सर्विस लाइन और वन पोल के कनेक्शन अगर तुरन्त दे दिये जाएं तो बिजली की छीजत में आंकड़ा जो 34 का और 22 का बता रहे हैं वह भी कम होगा और इसमें बिजली बोर्ड का पैसा भी बढ़ जाएगा। क्या माननीय मंत्री महोदय छीजत को रोकने के लिए इस पर विचार करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : श्री रमाकान्त जी ! आप जितने भी सजेशन आ रहे हैं यह नोट कर लीजिये।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि जो छीजत है वह करंट पर आधारित है। लाइन में जितना ज्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ही ज्यादा छीजत होगी क्योंकि वह गर्मी में परिवर्तित हो जाता है वोल्टेज के प्रपोर्शन के अन्दर। जो लो-टेन्शन लाइन है उसके अन्दर वोल्टेज के प्रपोर्शन के अन्दर करंट ज्यादा होता है, हाईटेन्शन के अन्दर वोल्टेज के प्रपोर्शन के अन्दर करंट कम होता है इसलिए जो छीजत होती है बहुत ज्यादा, वह लो टेन्शन में होती है।

अब मेरा प्रश्न यह है, मंत्री महोदय, कि राजस्थान के अन्दर 80-80 किलोमीटर तक लो टेन्शन 400 या 380 की लाइन डाली हुई है, मेरे क्षेत्र के अन्दर 30-30, 40-40 किलोमीटर लाइन डाली हुई है और उनसे छीजत हो रही है, क्या विद्युत बोर्ड में कोई इस प्रकार का प्रस्ताव है कि इतनी लम्बी-लम्बी जो लो टेन्शन लाइनें हैं उनको हाई टेन्शन में 11 में या 33 में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि यह छीजत कम हो जाए ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, अब आप बोलिये।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : यह सर्विस कनेक्शन और वन पोल के कारण चोरी

(श्री रघुवीरसिंह कौशल)

रुकेगी इस विचार से मैं सहमत हूं और बोर्ड ने भी इस पर गम्भीरता से विचार किया है और अभी सभी जगह यह आदेश दिये गये हैं कि अधिक से अधिक दे दें। पांच हजार कनेक्शन देने के बोर्ड ने आदेश दिये हैं और इस समय लग रहे हैं और यह आदेश भी दे दिये गये हैं कि इससे ज्यादा लगाये जा सकते हैं तो लगाये जाएं। आगामी वर्ष के लिए इसके लक्ष्य और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। यह बात सच है कि इसमें चोरी हो रही है और उनकी भी कुछ मजबूरी है इसलिए बोर्ड का इस विषय में यही मत है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गोपीराम जाट।

श्री टीकमचन्द कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह जी.एस.एस. जब तक ज्यादा मात्रा में नहीं लगायेंगे तब तक ठीक नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : मुझे अभी दस सवाल लेने हैं। दो सवाल हैं, 25 मिनट हो गये हैं। आपके सुझाव आ गये। श्री गोपीराम जाट।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की मरम्मत पर व्यय

276. **श्री गोपीराम जाट** (आमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जयपुर से दूदू सड़क पर 216 कि.मी. से मध्य सड़क की मरम्मत 1993 में हुई है? यदि हां, तो इस पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि इस सड़क में घटिया एवं कम मात्रा की सामग्री का प्रयोग करने के कारण यह सड़क प्रथम वर्ष में ही उखड़ गयी और जगह–जगह खड्डे हो गये? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि इस सडक के बारे में दिनांक 8.7.93 को शिकायत हुई थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई? यदि नहीं तो क्यों?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री ललित किशोर चतुर्वेदी) : (1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 का कि.मी. 216 से कि.मी. 220 का भाग जयपुर–दूदू सड़क में स्थित नहीं है।

(2) उपरोक्त बिन्दु को ध्यान में रखते हुए उत्तर सम्भव नहीं है।

(3) इस सड़क के बारे में 8.7.93 को शिकायत प्राप्त हुई थी तथा यह पाया गया कि कि.मी. 216 से 220 के भाग में कोई कार्य वर्ष 1993 में नहीं कराया गया न ही इस भाग में वर्षा के दौरान कोई खड्डे पड़े।

श्री गोपीराम जाट: अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि गिदाणी से दूदू के बीच में माह जून–जुलाई, 1993 में डामरीकरण का कार्य किया गया था? इसमें कितनी लागत आयी? फिर पहली बरसात में यह सड़क खराब हो जाने की वजह से इसमें पुनः डामरीकरण किया गया? मुझे तो

(श्री गोपीराम जाट)

इस बात का खेद है कि मंत्री महोदय स्वयं मेरे साथ उस क्षेत्र का दौरा कर चुके हैं और फिर भी विभाग के इस उत्तर को पढ़ रहे हैं। कृपया इसका जवाब दिलवायें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने इस 216 से 220 कि. मी. की चर्चा की है। दिल्ली से वह यहां इस तरफ आमेर से आगे स्थित क्षेत्र में आता है। अब इसमें जयपुर से दूदू मार्ग कौनसा आ गया यह बात मुझे स्पष्ट समझ में नहीं आयी। फिर भी मैं माननीय सदस्य के प्रश्न को ठीक करता हूं कि यह 316 से 320 के बीच स्थित क्षेत्र की बात है। तो मैं उस बारे में अपनी तरफ से कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जो 316 से 320 कि.मी. का है यह जयपुर दूदू मार्ग पर स्थित है। रिन्यूअल प्रोग्राम वर्ष 92–93 में जयपुर–अजमेर मार्ग के कि.मी. 310 से 320 तक के लिए भूतल परिवहन मन्त्रालय के जयपुर स्थित क्षेत्रीय अधिकारी ने अपने पत्र संख्या आर.डब्ल्यू.जे.ए.आई. आर.जे.आर.बी. 92–93 दिनांक 26.12.92 के द्वारा 70 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की। इसके अन्तर्गत दस कि.मी. में तीन काम प्रस्तावित थे। पहला काम बिलन बिटूमेन मेकेडम लेवलिंग कोर्स चालीस मिली मीटर मोटा, 37 डामर के साथ, दूसरा काम ओपन ग्रेडेड फ्री मिक्स कारपेट, तीसरा काम लिक्विड स्रील कोट। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्यपाल के शासन में एक जानकारी मुझे कहीं से किसी ने दी कि 316 से 320 कि. मी. के बीच में जो काम हुआ है वह ठीक नहीं हुआ है, होने के साथ ही उसमें खड्डे पड़ने शुरू हो गये हैं। तो मैं और माननीय सदस्य दोनों मिलकर राज्यपाल शासन में, जब मंत्री नहीं था तब, उस क्षेत्र में दौरा करने के लिए गये। दौरा करने के बाद मुझे भी यह लगा कि सचमुच में इस क्षेत्र में दो कि.मी. के एरिया में खड्डे हो गये हैं नयी सड़क रिन्यूअल होने के साथ ही। मैंने उस समय भी जानकारी की। ए.के. जैन उस समय चीफ इन्जीनियर थे, उनसे इस बात की जानकारी की और राज में आने के बाद दुबारा इसकी पूरी जांच करायी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : यह क्वेश्चन आपने ही कराया है क्या? (व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : नहीं, मैंने नहीं कराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं ···(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप राज्यपाल के शासन में जो हुआ वह भी तो सुनिये, ऐसी क्या बात है।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : अध्यक्ष महोदय, जब इसकी जांच की गयी तो जो तीन काम थे उसमें पहला काम बिलन बिटूमेन मेकेडम लेवलिंग कोर्स 40 मिली मीटर वाला कान्ट्रेक्टर ने कर दिया। उसी समय बरसात आ गयी और आगे के जो दो काम करने थे वे सम्भव नहीं हुए। एक इस कारण से दोनों काम जो आखिर में करने थे वह नहीं हुए। इस कारण से दो किलोमीटर रोड़ में खड्डे पड़ गये। फिर इस बात की भी जानकारी की गयी कि जो डामर प्रयोग में आया था वह कैसा था। उसको मालवीया रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में एक्जामिनेशन के लिए भेजा गया, यह जान-

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

कारी मिली कि जिस डामर का प्रयोग किया गया वह मथुरा रिफाइनरी से आया था और डामर ठीक नहीं था। यही नहीं, जहां जहां डामर गया वहां वहां डामर ठीक नहीं था जिसके दुष्परिणाम हुए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि इस काम में ग्रिड जो सप्लाई की गयी था उसमें भी कुछ दोष था। उस पर जुर्माना लगेगा 10 प्रतिशत। उससे वसूली कर ली गयी है। इसके प्रयत्न किये जा रहे हैं कि डामर खराब था उसका पेमेन्ट मथुरा रिफाइनरी से करवाया जाए। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि गुणवत्ता की दृष्टि से सड़क के जिस भाग में जिस प्रकार रिन्यूअल का कार्य हो उनका विवरण और उसके परफारमेंस की अवधि सार्वजनिक रूप से दर्शा दी जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि परफारमेंस की अवधि तक सड़क पर दुबारा रिन्यूअल करने की आवश्यकता न हो। ठेकेदार द्वारा समय पर गुणवत्ता के मापदण्ड के अनुसार कार्य निश्चित करने हेतु एग्रीमेंट में पांच प्रतिशत परफारमेंस गारण्टी का प्रावधान कर दिया है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

राज्य कर्मियों की बीमा व जी.पी. एफ. की राशि

277. **श्री खेतसिंह राठौड़ (शेरगढ़)** : क्या बीमा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य कर्मचारियों के वेतन से राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. की कटौती आवश्यक रूप से की जाती है ? क्या प्रत्येक राज्य कर्मचारी को उनके सेवानिवृत्त होने पर या उनकी मृत्यु हो जाने पर वेतन से काटी गयी राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. की सम्पूर्ण राशि मय ब्याज के भुगतान समय पर कर दिया जाता है ? यदि हां, तो इसमें कितना समय लग जाता है ? वर्तमान में कितने प्रकरण विचाराधीन हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य बीमा एवं जी.पी.एफ. की कितनी राशि सस्पेन्स खाते में पड़ी है ? दिसम्बर, 1993 की स्थिति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है जिससे राज्य बीमा एवं जी.पी. एफ. की राशि उसकी मृत्यु या सेवानिवृत्ति से एक माह में उनको या उनके आश्रित को भुगतान कर दी जावे ? यदि नहीं तो क्यों ?

राज्य मंत्री, बीमा (श्री जसवन्त सिंह विश्नोई) : (1) जी हां, राज्य कर्मचारियों के वेतन से बीमा तथा जी.पी.एफ. की कटौती आवश्यक रूप से की जाती है। राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु होने के फलस्वरूप बीमा मय बोनस तथा जी.पी.एफ. मय ब्याज के राशि का भुगतान किया जाता है। राज्य कर्मचारियों से अथवा मृत्यु होने की स्थिति में नामांकित व्यक्ति से क्लेम फार्म प्राप्त होने के 3 माह की अवधि में भुगतान हो जाता है। दिनांक 1.4.93 से 1.1.94 तक बीमा एवं जी.पी.एफ. के कुल 19,667 मामलों में 18,312 मामले निपटाये तथा अब 1355 मामले बकाया हैं। माह जनवरी, 94 के अन्त में बीमा के

(श्री जसवन्तसिंह विश्नोई)

तीन प्रकार के क्लेम, मैच्योरिटी क्लेम, डेथ क्लेम, सरेण्डर क्लेम तथा जी.पी.एफ. के क्लेम की स्थिति संलग्न चार्ट में सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) माह दिसम्बर, 1993 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। परन्तु अनिवार्य बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991–92 के अन्त में राशि 80,61,257/– रुपये थी।

(3) जी हां। ऐसी व्यवस्था की जा रही है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट (2 देखें।)

श्री खेतसिंह राठौड़ : माननीय मंत्री महोदय, एक तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जितनी भी स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं, जैसे लोकल बाड़ीज हैं इनके एम्प्लाइज को आप समय पर अनुदान नहीं देते इसलिये उनका जो जी.पी.एफ. कटता है या इंश्योरेंस कटता है यह पैसा वापस लेकर तनख्वाह में ही बांट देते हैं, इस प्रकार से इनका यह पैसा जमा ही नहीं होता। फिर जब यह रिटायरमेंट पर आते हैं तो कहते हैं कि आपका पैसा जमा ही नहीं हुआ है। 3–3, 4–4 साल इसमें लग जाते हैं और वह भटकते फिरते हैं। इसलिये आप क्या यह आश्वासन दे सकने की हैसियत में हैं और क्या आप यह कर सकेंगे कि यह अनुदान बिल्कुल समय पर माहवार बराबर किश्तों के हिसाब से चुकाया जाएगा। जिससे उनकी बीमा की राशि भी जमा होती रहे और जी.पी.एफ. भी उनका समय पर जमा होता रहे, एक प्रश्न।

दूसरा मेरा प्रश्न है, खण्ड 2 पर आपने यह कहा कि इतना रुपया सस्पेन्स अकाउण्ट में पड़ा है, क्यों पड़ा है उस खाते के अन्दर, इसके क्या कारण हैं? अब आप सस्पेन्स अकाउण्ट कब क्लियर कर देंगे? इसकी भी आप कृपया मुझे जानकारी दें।

तीसरी बात में आपने कहा है कि ऐसी व्यवस्था की जा रही है। खण्ड 3 के बारे में पूछ रहा हूं। खण्ड 3 के बारे में यह कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा था अभी बजट पर कि हम अवकाश प्राप्त होने से पूर्व ही हर कर्मचारी के लिए उनके पूरे कागजात बनवा देंगे, ज्यों.ही वह रिटायर होगा उस रोज ही उनको पूरा पेमेन्ट हो जाएगा। आपका तो है यह फरमाना है और यह तो कहते हैं कि हम इसके लिये व्यवस्था करने की सोच रहे हैं। तो आप सही हो या मंत्रीजी ने जवाब दिया है वह सही है?

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था की जा रही है। सोच नहीं रहे हैं, की जा रही है। मंत्री जी आश्वासन दे दीजिये जो पूछा है इन्होंने।

श्री जसवन्त सिंह विश्नोई : माननीय अध्यक्ष जी, यह सस्पेन्स खाते में तीन तरह के मामले जाते हैं। एक तो है कटौती पत्रों में कर्मचारियों की पालिसी, जी.पी.एफ. खाते गलत अंकित हो जाते हैं इस वजह से जाते हैं। दूसरा उसमें कारण है, विभाग द्वारा कटौती राशि जमा करवाने के बाद कटौती विवरण पत्र पेश नहीं होते हैं इस वजह से सस्पेन्स अकाउण्ट में पैसे जाते हैं और तीसरा कोष कार्यालय द्वारा राशि का गलत वर्गीकरण हो जाता है इस वजह से सस्पेन्स अकाउण्ट में जाते हैं। कर्मचारी के रिटायर होते ही तो आज के दिन भी 93

Page No.14

(श्री जसवन्त सिंह विश्नोई)

प्रतिशत क्लेम पेश होते हैं और उसी समय उनको दे दिये जाते हैं कोई पेंडिंग नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनका गलत वर्गीकरण हो जाता है और एक अकाउण्ट से दूसरे खाते में चले जाते हैं। फिर भी हम उनको दे देते हैं। उसके लिये फार्म नं. जी ए 55–ए भर कर पेश कर सकते हैं उसके आधार पर हम उसका क्लेम डिसाइड कर देते हैं। अभी माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है उसमें यह आया है कि अगर यह है तो जो कर्मचारी रिटायर हुआ उसके 6 महीने पहले पहले उसका केस निर्णीत कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : हो गया नेक्स्ट।

श्री खेतसिंह राठौड़ : क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि 1986–87 से 2 करोड़ और इतने रुपये....

श्री अध्यक्ष : आप समझे नहीं बात। यह कह रहे हैं कि सस्पेन्स अकाउण्ट में पड़ा है उसका असर पेन्शन वाले पर नहीं पड़ता। उसको तो पेमेन्ट कर देते हैं और कहीं एडजस्टमेंट में गड़बड़ी होती है तो ठीक करते रहते हैं। उनको इस वजह से पैसा नहीं मिलता ऐसा नहीं है। उसको तो पेमेन्ट कर देंगे। सस्पेन्स अकाउण्ट में जाने के इन्होंने कारण बताये हैं कि कभी एडजस्टमेंट गलत हो जाता है इस प्रकार से तो पैसा चला जाता है, उसका पेमेन्ट हो जाता है, बाद में एडजस्ट कर लेते हैं।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नहीं–नहीं, अभी भी हजारों कर्मचारियों के अकाउण्ट पेंडिंग पड़े हैं।

श्री अध्यक्ष : बता दिया ना 1100 कर्मचारियों के हैं। उसका रीजन भी बता दिया उन्होंने। 1100 ही हैं, बाकी सब हो गये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं खेतसिंहजी की जानकारी के लिये बता दूं, सस्पेन्स अकाउण्ट का मामला इस विधान सभा में कई वर्षों से आता रहा है। आपको तो वित्त विभाग से कोई सम्बन्ध नहीं रहा इसलिये आपको पता नहीं कि सस्पेन्स अकाउण्ट क्या होता है और उसको मेन्टेन किस प्रकार से किया जाता है। जी.पी.एफ. क्या होता है इसकी आपको जानकारी नहीं है। आपको जिसने ब्रीफ किया है, अधूरा किया है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सस्पेन्स अकाउण्ट के मामले में पहले भी काफी अटेम्प्ट्स किये हैं, पीछे का हिसाब पड़ा है। अभी मेरी जानकारी में, आई एम सब्जेक्ट टू करेक्शन, 1987 के अकाउण्ट क्लियर हुए हैं। 1987 के बाद के अकाउण्ट्स क्लियर नहीं हुए। हम विशेष व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, मन में तो यह है कि इस वर्ष के अन्त तक यह सारे सस्पेन्स अकाउण्ट के मामले क्लियर हो जाएं, लेकिन इनका जिस तरह से कैटेगेराइजेशन हुआ है उसमें रिकन्सीलेशन में इतना टाइम लगता है। कोशिश हम निश्चित तौर से करेंगे कि इस साल के अन्त तक इस सस्पेन्स अकाउण्ट के सारे मामले क्लियर हो जाएं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नाथूराम अहारी।

श्री शिवनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय....

Page No.15

श्री अध्यक्ष : अब हो गया। सस्पेन्स में रहने दीजिये उसको। नैक्स्ट।

डूंगरपुर में जिला रसद अधिकारी का रिक्त पद

278. **श्री दयाराम परमार** (खेरवाड़ा) : (श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) के स्थान पर) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर में पिछले दो साल से जिला रसद अधिकारी का पद रिक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार इस रिक्त पद को भरना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त रिक्त पद पर बाल विकास परियोजना निदेशक डूंगरपुर को पदस्थापित कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या एक ही अधिकारी के दोनों विभागों का काम करने से दोनों विभागों के काम में गतिरोध आता है ?

राज्य मंत्री, खाद्य एवं आपूर्ति (डॉ. रामप्रताप) : (1) डूंगरपुर में जिला रसद अधिकारी का पद दिनांक 28.10.92 से राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण रिक्त है।

(2) जी, हां। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध करा दिये हैं, जिन्हें हरिशचन्द्र माथुर लोक प्रशासन प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पदस्थापित कर दिया जाएगा।

(3) जिला कलक्टर, डूंगरपुर द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक, बाल विकास परियोजना अधिकारी, डूंगरपुर को अपने कार्य के साथ–साथ जिला रसद अधिकारी, डूंगरपुर का कार्य भी करने हेतु अधिकृत किया गया था।

(4) जी, नहीं।

श्री दयाराम परमार : अध्यक्ष महोदय, पिछले डेढ़ साल से जिला रसद अधिकारी की पोस्ट खाली है और उसका कार्यभार जिला बाल विकास परियोजना अधिकारी....

श्री अध्यक्ष : अच्छा तो यह है कि आप सीधा प्रश्न पूछिये कि पदस्थापन कब हो जाएगा, हरिशचन्द्र संस्थान की ट्रेनिंग कब हो जाएगी। आपके सवाल का मतलब एक ही है। यह तो मान लिया है उन्होंने कि इस वजह से पद खाली है।

श्री दयाराम परमार : माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि और कितना समय लगेगा इसमें ?

डा. रामप्रताप : अध्यक्ष महोदय, 14.10.91 को मैं डी.ओ.पी.....

श्री अध्यक्ष : ट्रेनिंग कब शुरू हुई, कब समाप्त होगी, बता दीजिये।

डा. रामप्रताप : ट्रेनिंग 7–3–1994 से शुरू हुई है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : हां, समाप्त कब हुई ?

डा. रामप्रताप : 21 मार्च, 1994 को वह प्रशिक्षण प्राप्त करके आ जाएंगे।

श्री अध्यक्ष : बस उस दिन से पदस्थापित हो जाएगा, डेट आ गयी है।

प्रश्न संख्या 279

नैक्स्ट, श्री अर्जुनदास मदान।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखें)

प्रश्न संख्या 280

श्री कुबेर सिंह।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री महादेव सिंह।

थाना खण्डेला (सीकर) में दर्ज प्रकरण

281: **श्री महादेव सिंह** (खण्डेला) क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सीकर जिले के खण्डेला थानान्तर्गत पिछले वर्ष (1992-93) के दौरान चोरियों की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है तथा कितनी शेष हैं व उन पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(2) क्या उक्त थाने में 8 जनवरी, 1994 को भी कोई चोरी की रिपोर्ट दर्ज हुई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? अब तक हुई चोरियों में से कितने की बरामदगी की जा चुकी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

गृह मन्त्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) सीकर जिले के खण्डेला थाने में वर्ष 1992 व 1993 में चोरी के क्रमश: 30 एव 23 अभियोग पंजीबद्ध किये गये । समस्त अभियोगों का निपटारा किया जा चुका है।

(2) जी हां। दिनांक 8.1.94 को श्री नागरमल पुत्र श्री भैराराम सैनी, निवासी दायरा की ओर से थाना खण्डेला पर चोरी की तहरीरी रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभियोग संख्या 7/94 धारा 380 भा. दं. सं. पंजीबद्ध कर अन्वेषण प्रारम्भ किया गया। उक्त अभियोग में 1500/- रुपये का माल चोरी गया है जिसकी बरामदगी के प्रयास किये जा रहे हैं। अन्वेषण लम्बित है। उक्त 54 अपराधों में कुल 2, 92, 150/- रूपये के माल की चोरी हुई है तथा अब तक 19 अपराधों में 1,74,300/-रूपये के माल की बरामदगी हुई।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट्। श्रीमती तारा भण्डारी।

क्लोजर एवं प्लाण्टेशन नियम

282. **श्रीमती तारा भण्डारी** (सिरोही) क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वन विभाग द्वारा क्लोजर बनाने अथवा प्लाण्टेशन करने एवं उनको सुरक्षित रखने के क्या नियम/व्यवस्थाएं हैं ?

(2) विभाग द्वारा बनाये गये क्लोजर एवं प्लाण्टेशन (नर्सरी) को पशु चराई हेतु खोलने के क्या नियम हैं ?

(3) सिरोही जिले में कितने क्लोजर एवं प्लाण्टेशन (नर्सरी) को बनाये हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया ? स्थान सहित वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

वन मंत्री (श्री रघुवीर सिंह कौशल) :

(1) वन विभाग द्वारा क्लोजर एवं प्लाण्टेशन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्र की उपयुक्तानुसार सृजित किये जाते है। सामान्यत: सभी क्लोजर व वृक्षारोपण स्थल सुरक्षा हेतु 10 वर्ष तक या जब तक पौधे पशुओं द्वारा नुकसान करने की सीमा से ऊपर ऊंचाई के नहीं हो जाते, बन्द रखे जाते हैं।

(श्री रघुवीर सिंह कौशल)

(2) सामान्यतः क्लोजर व वृक्षारोपण 10 वर्ष पश्चात अथवा पौधों के पशुओं द्वारा नुकसान की सीमा से ऊपर पहुंच जाने के पश्चात चराई हेतु खोल दिये जाते हैं।

(3) सूची परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहती हूं, क्या यह सही है कि सिरोही जिले के पशुपालकों द्वारा अकाल वर्ष होने के कारण वन विभाग सिरोही में पशु चराई हेतु क्लोजर खोलने का आवेदन किया गया? दूसरा प्रश्न है, क्या यह सही है कि वन विभाग सिरोही द्वारा एक ही क्षेत्र में बार-बार वृक्षारोपण किया गया तथा बनाये गये क्लोजरों में से कुछ तो चराई के लिए खोल दिये और कुछ बन्द हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : जो प्लाण्टेशन है वह चराई के लिए 10 वर्ष तक कानून के अनुसार नहीं खोला जा सकता। उसमें से घास काट कर ले जाने की अनुमति है। यदि प्रार्थना पत्र किसानों ने चराई के लिये दिये हैं तो भी पौधों की रक्षा के लिये उसमें पशु चराई की इजाजत नहीं दी जा सकती। वैसे माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना क्षेत्र वन क्षेत्र है सिरोही जिले में उसका 93 प्रतिशत खुला हुआ है केवल 7 प्रतिशत ही क्लोजर है।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब यह नहीं है। मैंने तो यह पूछा है कि क्या वहां के पशुपालकों ने चराई हेतु क्लोजर खोलने के कुछ आवेदन किये हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि एक ही वर्ष में जैसे वर्ष 1985 में 10 क्लोजर बनाये तो उसमें से कितने चराई के लिए खुले और कितने बंद हैं? मेरे इन प्रश्नों में से एक का भी जवाब नहीं है।

श्री पूनमचन्द बिश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : हाँ, पहले इनका। मेरे पास पांच-सात सदस्यों के आ गये हैं। हां, बोलिये, मंत्रीजी, जवाब दीजिये उनका।

श्री रघुवीरसिंह कौशल : यह प्रार्थना पत्र एक माह पूर्व आये हैं। पेड़ों की सुरक्षा के लिए एक भी क्लोजर नहीं खोला गया है जो 10 साल से कम के हैं और पेड़ों की सुरक्षा के लिये नहीं खोले जाएंगे। जो सोशल फारेस्ट्री के हैं वह पांच वर्ष में पंचायत खोल सकती है। क्योंकि वन विभाग में यह नियम है कि वह 10 वर्ष तक नहीं खुलेंगे और 10 वर्ष से भी अधिक हो सकता है यदि पौधे छोटे रह गये हैं तो।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया कि आवेदन आये एक माह पूर्व। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस वर्ष राजस्थान में भारी अकाल है....

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप भाषण मत दीजिये, सवाल पूछिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, सवाल ही पूछ रही हूं मैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने मना कर दिया है कि वह खोलेंगे नहीं। नहीं, आप सवाल पूछिये। देखिये, इसमें आठ–दस माननीय सदस्य पूछने वाले हैं।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनें। अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो मंत्री महोदय ने विभाग से जवाब आया वह+++जवाब दे दिया, 10 वर्ष तक नहीं खोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, सिरोही ....(व्यवधान)....यह क्या बात है, कहने दो न। क्या है ? (व्यवधान)....क्या आप पशु नहीं चराने देना चाहते ? (व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष : अब आप बैठिये। सवाल नहीं पूछ रहीं हैं। ताराजी, बैठिये फिर आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मैं बैठ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : हां, पूछिये फिर आप।

श्रीमती तारा भण्डारी : मैं आपको एक उदाहरण देकर बैठ जाऊंगी।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप सवाल पूछिये, उदाहरण नहीं।

श्रीमती तारा भण्डारी : सवाल है, सवाल का ही जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : नहीं आया न ?

श्रीमती तारा भण्डारी : हां।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। बैठिये फिर आप। टीकम चंदजी, पूछिये। अभी आ जाएगा।

श्री टीकम चंद कान्त (सिवाना) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या कोई योजना पहले बनाते है कि इतने भाग या इतने क्षेत्र की हमको तारबंदी करनी है या उसको रोकना है ? क्योंकि सिवाना के आस-पास के क्षेत्र में पशुओं को खड़े रहने तक की जगह नहीं मिलती।

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप सवाल पूछिये।

श्री टीकमचंद कान्त : इसी कारण से अब उसका क्या होगा ? बिना योजना के अगर तारबंदी होती है तो कैसे चरायेंगे ?

श्री अध्यक्ष : हो गया, ठीक है। माधवसिंह जी।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, पहली बार हमारा सवाल लगा है।

श्री अध्यक्ष : आ रहा है। आपका ही सवाल चल रहा है, कोई बदला थोड़े ही है।

श्रीमती तारा भण्डारी : पहली बार लगा है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : आप ही का चल रहा है।

श्री माधव सिंह दीवान (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है, जैसा मंत्रीजी ने बताया, 10 साल क्लोजर रखने का प्रावधान है पर जैसे ही बाऊण्ड्री वाल बनती है साल भर के अन्दर-अन्दर ही पशु-

---

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री माधव सिंह दीवान)

पालक उसको तोड़ देते हैं ? 10 साल का तो नाम मात्र का होता है बाकी उसके अन्दर गैर कानूनी चराई तो लगातार ही रहती है। इसको रोकने का क्या कार्यक्रम है ?

श्री अध्यक्ष : विश्नोई जी। सब मेरे ध्यान में है।

श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलोदी) : अध्यक्ष महोदय, यह वन विभाग वाले सभी प्रकार के पशुओं को अन्दर जाने से रोकते हैं। यह बिल्कुल गलत नीति है। वृक्षारोपण को नुकसान पहुंचाती है बकरी और ऊंट। भेड़, गाय और भैंस वृक्षारोपण को कोई नुकसान नहीं पहुंचातीं, यह आपके ध्यान में है क्या ?

श्री अध्यक्ष : हरजीरामजी। (व्यवधान) अब आप नोट करते जाइये यह सवाल।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग वाले गांव में जो सार्वजनिक चराई की जमीन होती है वह कहीं गोचर होती है रिकार्ड में दर्ज और कहीं आंगोर होती है, तो वह अपनी मर्जी से चाहे जहां तारबंदी कर देते हैं, मेरा निवेदन है कि तारबंदी करने से पहले गांव वालों की सलाह लें, गांव वालों से बात कर लें। दूसरा यह है कि एक साल में एक जमीन ले ली, उसी गांव की दूसरे साल और ले ली, तीसरे साल और ले ली, गांव वालों के पास जमीन बचती नहीं। तो आयन्दा जो भी आप जमीन लेंगे वह गांव वालों से या जनप्रतिनिधियों से बात करके, गांव वालों को इकट्ठा करके उनसे सलाह करके लें, मेरा यह सुझाव है।

श्री अध्यक्ष : पिंडवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, पूछिये आप। मैं अभी बुला रहा हूं, सब मेरे ध्यान में हैं, मैं सबको बुला लूंगा। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरे मूल प्रश्न का जवाब भी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : अब जल्दी बढ़ाना मेरे हाथ में नहीं है। हां, सवाल पूछिये आप।

श्री प्रभुराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, वन विभाग ने यह खड्डे ही खोदे हैं। उसमें न तो कोई पौधे लगाये गये, सिर्फ खड्ढे ही खोदे जाते हैं, न मवेशी के चरने के लिए इजाजत दे रहे हैं। उसमें सिर्फ खड्ढे ही खोदे जाते हैं और दूसरा कुछ नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष : बिराजिये। श्री भंवर सिंहजी।

श्री प्रभुराम गरासिया : ना तो उसमें पौधे लगाये जाते हैं....

श्री अध्यक्ष : हो गया आपका सवाल। भंवर सिंहजी।

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं फलोदी से आने वाले माननीय सदस्य से सहमत होता हुआ यह निवेदन करूंगा कि भेड़ों का पश्चिमी राजस्थान से पूरे राजस्थान में निष्क्रमण होता है। इनसे चराई के पैसे वन विभाग द्वारा वसूल किये जाते हैं और तीस-तीस साल

(श्री भंवर सिंह चौधरी)

पुराने फारेस्ट में उनको जाने नहीं दिया जाता इसी कारण से भेड़पालकों और वहां के निवासियों के आपस में हर वर्ष झगड़े होते हैं। पिछले साल पांच व्यक्तियों की मौत हुई हैं। मेरी प्रार्थना यह है कि कृपया इस पर विचार करें। इन जंगलात में चराई लेते हैं आप उसके बावजूद भेड़ों को नहीं जाने देते। निष्क्रमण का नाम लेकर चराई लेते हैं। यह अनुमति दी जाए, यह मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री हरिसिंह।

श्री हरिसिंह (महुआ) : अध्यक्ष महोदय, कुछ जगह राज्य सरकार ने चरागाह वन विभाग को सुपुर्द कर दिये और उनमें शर्त यह है कि पांच साल बाद में सरकार उनको वापस पंचायत को दे देगी। अध्यक्ष महोदय, अनुभव यह रहा है कि जैसे पंचायत के कब्जे में जाते हैं उन पेड़ों की फिर कटाई हो जाती है और उसका परपज़ खतम हो जाता है। तो मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वन विभाग उन चारागाहों को पंचायतों को नहीं देकर निरन्तर अपनी निगरानी में रखने की व्यवस्था करेगा ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री रघुवीर सिंह कौशल : अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय विश्नोईजी ने बताया है कि भैंसे नुकसान नहीं करती हैं। भैंसे तो खाने को छोड़ उसका पैर पड़ जाएगा वो पेड़ टूट जाएगा। इसलिए वो बकरी के तो फिर भी नहीं आये.... (व्यवधान) इसलिए क्लोजर खोलना मुमकिन नहीं है पेड़ों की सुरक्षा की दृष्टि से। अब गांव वालों से पूछकर फारेस्ट की जमीन जब फारेस्ट डिपार्टमेंट के पास आ जाती है और फारेस्ट की बाउण्ड्री बनाते हैं तब गांव वालों की सुविधा का सामान्यत: ध्यान रखा जाता है। अभी पंचायतों वाली बात है कि पंचायत पेड़ काट देती है। तो जमीन पंचायत की होती है, फारेस्ट डिपार्टमेंट पांच साल तक पौधों को तैयार करके फिर पंचायत को हैण्ड-ओवर कर देता है, अब पंचायत को देने के बाद वो पेड़ सुरक्षित रहते हैं या नहीं रहते हैं, यह देखने का काम पंचायत का है क्योंकि इसी शर्त पर पंचायत से जमीन ली जाती है। (व्यवधान)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय,....

श्री भंवर सिंह : आश्वासन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये तो सही। आप भी बैठिये।

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब भी नहीं आया। मेरी बात तो कहने देते नहीं आप।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। तीन सवाल रह गये। एक तो माधवसिंह जी का था कि यह 10 साल की बात काल्पनिक है, साल भर में वन विभाग चराई शुरू कर देता है, क्लोजर खोल देते हैं। एक इनका था कि पेड़ लग ही नहीं रहे, खाली खड्ढे खोद रहे हैं। और एक भंवरसिंह जी का था कि भेड़ों को चराने में क्या आपत्ति है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, पेड़ लगाने के पहले खड्ढे

(श्री भैरोंसिह शेखावत)

निश्चित रूप से खोदे जाते हैं। बिना खड्ढों के पेड़ नहीं लगते हैं। इसलिए यदि प्रारम्भिक काल में इन्होंने खड्ढे देख लिए और पेड़ नहीं देखे तो उन खड्ढों में पेड़ लगने के बाद आपको पेड़ दिखने लगेंगे।

मेड़ता से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है वह सही है कि भेड़ों का माईग्रेशन होता है। फारेस्ट डिपार्टमेंट में जो उनकी एरिया दिया जाता है वहां पर झगड़ा इस बात का नहीं होगा कि वो चराई करने के लिए जा रहा है। सरकार ने एक कमेटी बना रखी है, वह कमेटी भेड़ों की संख्या तय करती है कि अमुक क्षेत्र में इतनी संख्या में भेड़ें चरने जाएंगी। एक्चुअली होता यह है कि जितनी संख्या की अनुमति दी गयी है उससे ज्यादा भेड़ें जब ले जाते हैं तब जाकर झगड़ा शुरू होता है। इस झगड़े को खत्म करने के लिए पहले भी कई बार प्रयास किये गये हैं और अब भी निरन्तर इसकी निगरानी रख रहे हैं कि ज्यादा भेड़ें उस एरिया में नहीं जाएं ताकि वहां की लोकल पापूलेशन को किसी प्रकार का ईरिटेशन खड़ा नहीं हो।

जहां तक दीवान साहब ने कहा, इनका तो अनुभव है, कई बार पेड़ लगाने के एक वर्ष में पेड़ खा जाएं यह भी इनकी काल्पनिक बात है, एक वर्ष में पेड़ लगते नहीं हैं, खाने का क्या....(व्यवधान) मैं आपकी बात कह रहा हूं, यह सही है, हमने भी कई जगह आंखों से देखा है कि क्लोजर तोड़ दिये जाते हैं, उनको रोकने की कोशिश की जाए।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामगोपाल बैरवा।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आप तो जानते हो चन्द्रलोक में भेड़, गाय और भैंस कौनसे वृक्ष खाती हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं आपको इतना बता देऊं कि छोटे वृक्ष बड़े वृक्ष हों तो वो तो नहीं टूटेंगे। (व्यवधान)

श्री पूनमचन्द विश्नोई : नहीं, खाते ही नहीं हैं।

श्री भैरोंसिह शेखावत : खाओ चाहे मत खाओ लेकिन पेड़ नष्ट हो जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रामगोपाल बैरवा।

(प्रश्न संख्या 283)

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्रीमती तारा भण्डारी : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात कहने दीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल इन्दौरा।

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 1 मार्च, 1994)

श्रीगंगानगर एवं सादुलशहर थाना क्षेत्रों में दर्ज प्रकरण

103. **श्री हीरालाल इन्दौरा** (केसरीसिंहपुरा) : एवं श्री पूनमचन्द विश्नोई (फलौदी) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) तहसील श्रीगंगानगर व सादुलशहर में वर्ष 1993 में कितनी हत्या, लूट-पाट व आगजनी की घटनाएँ किस-किस

(श्री हीरालाल इन्दौरा)

थाना क्षेत्रों में हुई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त घटनाओं में से किस-किस मामले में पुलिस द्वारा एफ.आर. लगा दी गयी व कितने मामलों में चालान पेश किये गये ?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम दुलपुरा तहसील सादुलशहर के थाना गांव के लालगढ़ जाटान में दिनांक 16 जून, 1993 को हत्या से सम्बन्धित प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई है ? यदि हां, तो किस के द्वारा व उसे पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति मय मेडिकल रिपोर्ट के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट की तफ्तीश के दौरान मृतक के परिवारजनों द्वारा मुल्जिमान के नाम भी बताये गये थे ? यदि हां, तो किन-किन व्यक्तियों के एवं उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस सम्बन्ध में मृतक के परिवारजनों द्वारा जांच के दौरान दिये गये बयानों की प्रति भी सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार उक्त मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर मुल्जिमान के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या व कब तथा नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री कैलाश मेघवाल) : (1) वांछित सूचना परिशिष्ट "अ" सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "ब" सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(3) जी हां। श्री पृथ्वीराज पुत्र बनवारी लाल विश्नोई निवासी दुलपुरा द्वारा अपने पिता श्री बनवारी लाल की हत्या अज्ञात अभियुक्तों द्वारा की जाने की लिखित रिपोर्ट पर थाना लालगढ़ जाटान में दिनांक 16.6.92 को अभियोग संख्या 107/93 धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता में पंजीबद्ध किया गया था। इस प्रकरण में अन्वेषण के पश्चात् अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 31.12.93 को अदम पता मुल्जिमान में दी गयी थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट व मेडिकल रिपोर्ट की छाया प्रति सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(4) यह सही है कि अन्वेषण के दौरान मृतक के परिवारजनों सर्वश्री पृथ्वीराज, महावीरप्रसाद, श्रीमती फिरोजी, श्रीमती शारदा, श्रीमती निर्मला ने खाले के नाके के पूर्व के झगड़ों के आधार पर श्री सुरजाराम पुत्र हरीराम विश्नोई व श्री सोहनलाल पुत्र श्री बल्लूराम विश्नोई, श्री ढोली राम पुत्र बुद्धराम जाति विश्नोई, निवासी दुलपुरा पर अपने बयानों में शक जाहिर किया था। परन्तु अन्वेषण के आधार पर उक्त व्यक्तियों के विरुद्ध ठोस सबूत नहीं मिलने के कारण उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी थी। किन्तु इस प्रकरण को पुनः खुलवाया जाकर पुलिस सी.आई.डी. से जांच करवायी जा रही है। परिवारजन के बयानों की प्रतियां सदन के पटल पर रख दी गयी हैं।

(5) जी नहीं। चूंकि अनुसंधान से कथित अपराध का किसी के द्वारा करने का सन्तोषजनक एवं ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं

(श्री कैलाश मेघवाल)

हुआ है और न ही अनुसंधान के विरुद्ध कोई असंतोष/शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त हुई है, अतः उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

(विवरण एवं एत्र प्रतियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री हीरालाल इन्दौरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब यह प्रश्न स्थगित करवाया गया था उस समय भी माननीय गृह मंत्री महोदय ने बताया था कि मैं इस तफ्तीश से सन्तुष्ट नहीं हूं। वह सन्तुष्ट नहीं थे तभी उन्होंने स्थगित करवाया और यह केस भी उन्होंने अब सी.आई.डी. को दे दिया है। तो क्या उन सम्बन्धित अधिकारियों के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेंगे ? एक तो यह था। दूसरा यह था, इस सम्बन्ध में सम्बन्धित जिला कलक्टर ने भी कोई आदेश दिये थे मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के लिए, क्या यह सही है ? तीसरा यह है कि मृतक की पत्नी फिरोजी ने अपने बयान में कहा है कि सोहनलाल, सुरजाराम और उसका देवर ढोलीराम ने मिलकर उसके पति की हत्या खेत में की।

श्री कैलाश मेघवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इन प्रकरण में एफ.आर. दे दी गयी थी। पिछली बार मैं जब सवाल की तैयारी कर रहा था तब जो जवाब आया था उससे सन्तुष्ट नहीं था। क्योंकि कलक्टर महोदय का आदेश था 27.12.93 को मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया और तफ्तीश डायरी में भी यह लिखा हुआ था कि इसमें तफ्तीश करना बाकी है, इसके बाद अचानक 31.12.93 को एफ.आर. दे दी गयी। यह तथ्य मेरे सामने आने के बाद में मैंने इस पर आदेश दे दिये थे कि एफ.आर. विथड्रा करके फिर से इसकी जांच करवायी जाए। और चूंकि इसमें कलक्टर महोदय ने आदेश किस आधार पर दिया, कैसे दिया, क्या परिस्थिति रही और अन्वेषण पूरा होने के पहले क्यों एफ.आर. दे दी गयी। तो मैं इस सारे प्रकरण की जांच, डी.आई.जी. स्तर के व्यक्ति से करवा लूंगा, यह माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं।

श्री हीरालाल इन्दौरा : क्या यही सही है कि जिन लोगों पर शक किया गया था उन्हें थाने में कभी नहीं बुलाया गया तफ्तीश के दौरान ?

श्री कैलाश मेघवाल : अब यह एक ऐसा प्रश्न है कि अभी मैं इसका जवाब नहीं दूं तो उचित रहेगा। क्योंकि सारी तफ्तीश ही जब मैं डी.आई.जी. स्तर के व्यक्ति को दे रहा हूं तो वह यह सारे मुद्दे निकाल लेगा इसमें कहां कमी रही और कहां कमी नहीं रही। और कमी रही है इसलिए मैंने एफ.आर. विथड्रा करके फिर से अनुसन्धान करने के आदेश दिये हैं। मेरा मानना है कि माननीय सदस्य इससे सन्तुष्ट होंगे।

श्री हीरालाल इन्दौरा : जब आप खुद ही असन्तुष्ट हैं तो अधिकारियों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : वो आपके फायदे में है। वो असन्तुष्ट हैं तो आपका ही काम कर रहे हैं।

श्री चुन्नीलाल गरासिया।

आश्रम छात्रावास के कर्मियों पर व्यय

284. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जनजाति क्षेत्र में विभाग द्वारा कहां-कहां आश्रम छात्रावास चलाये जा रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या छात्रवासों में कार्यरत कर्मचारियों में कुछ अस्थायी कर्मचारी भी है ? यदि हां, तो कितने कर्मचारी और कहां-कहां कब से कार्यरत हैं तथा प्रतिदिन प्रति कर्मचारी कितना भुगतान किया जाता है ?

(3) क्या सरकार अस्थायी कर्मचारी को स्थायी करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जनजाति उपयोजना क्षेत्र में कुल 63 आश्रम छात्रावास चलाये जा रहे हैं। "परिशिष्ट एक" के अनुसार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। आश्रम छात्रावासों में कुल 211 कर्मचारी अस्थायी हैं। अस्थायी कर्मचारियों की संख्या एवं स्थान "परिशिष्ट दो" में उपलब्ध है। प्रतिदिन प्रति कर्मचारी 22 रुपये का भुगतान किया जाता है।

(3) जी नहीं। क्योंकि पद ही अस्थायी (अनुबन्ध पर) हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, यह आश्रम छात्रावास अस्थायी हैं या स्थायी हैं ? क्या इन छात्रवासों में कार्यरत कर्मचारी अधिकतर जनजाति कर्मचारी हैं ? यदि हां, तो कितने ? क्या मंत्री महोदय ललित किशोर कमेटी के तहत वर्कचार्ज कर्मचारियों को समाप्त करने की सिफारिश के तहत इन कर्मचारियों को लेकर सहानुभूतिपूर्वक नियमितीकरण का विचार रखते हैं ? क्या मंत्री महोदय यह भी बतायेंगे कि सर्किट हाउसेज में भी रसोइयों के पद हैं उनके वेतन में और जनजाति क्षेत्र में काम करने वाले जो रसोइयें हैं उनके वेतन में क्या अन्तर है ?

श्री नन्दलाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है कि जो रसोइये विभिन्न आश्रमों में कार्यरत हैं वो शिडयूल्ड ट्राइब्स के हैं या शिड्यूल्ड कास्ट के। सवाल में इन्होंने इस प्रकार की सूचना नहीं चाही थी। फिर भी मैं यह अवश्य बता सकता हूं, चित्तौड़गढ़ जिले में 17 रसोइयों के पद हैं और सिरोही जिले में 22 हैं

(12.00)

उदयपुर जिले में 49, डूंगरपुर जिले में 52 और बांसवाड़ा में 6 हैं। जहां तक इनके न्यूनतम का सवाल है, डेली वेजेज पर लगाये हुए हैं उनको 26 दिन का मासिक में भुगतान किया जाता है और एग्रीमेंट के आधार पर होता है। कांट्रेक्ट इनके साथ दस महीने का है उसके आधार पर किया जाता है। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं कि समाज कल्याण विभाग भी छात्रावास

(श्री नन्दलाल मीणा)

चलाता है और भी स्थानों पर छात्रावास चलाये जाते हैं उन छात्रवासों में जो भी व्यवस्था दैनिक भुगतान या रसोइये के पद पर काम कर रहे हैं और वहां पर जो भी व्यवस्था होगी इन आश्रमों में भी काम करने वाले रसोइये को उसी व्यवस्था में सम्मिलित कर लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट–3 देखें।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

जिला आयुर्वेद अधिकारी (अ-क्षेत्र) जयपुर कार्यालय में गबन का प्रकरण

279. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला आयुर्वेद अधिकारी (अ–क्षेत्र) जयपुर, के कार्यालय में सन् 1985 से 1988 तक की अवधि में पचास हजार रुपए से ऊपर की राशि का गबन हुआ है ? यदि हां, तो किसके द्वारा ?

(2) क्या विभाग द्वारा उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच होने के पश्चात् दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कोई पुलिस कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) अब कब तक सरकार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा प्रारम्भिक जांच की कार्यवाही चल रही हैं, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि किस अवधि में, कितनी धनराशि का गबन किसके द्वारा किया गया।

(2) विभाग द्वारा की जा रही प्रारम्भिक जांच का परिणाम प्राप्त होने के उपरान्त ही आगे नियमानुसार कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही दोषी पाये गए अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

जयपुर–कानोड, बांसवाड़ा-उदयपुर बस सेवा

280. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य पथ परिवहन निगम बांसवाड़ा से उदयपुर वाया डूंगरपुर, खैरवाड़ा, बाबलवाड़ा सोम, फलासिया, झाडोल मार्ग पर परमिट लेकर बस संचालित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि जयपुर से कानोड़ (उदयपुर) तक निगम की पूर्व में बस संचालित थी ? यदि हां, तो इसको कब से बन्द कर दिया गया तथा क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

Page No.26

(श्री कुबेर सिंह)

(3) क्या निगम ने औसत आय नहीं होने के आधार पर उक्त बस का संचालन बंद किया ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त मार्ग पर चलने वाली बस में पूर्ण यात्री–भार था ? यदि नहीं, तो निगम ने क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई ? यदि हां, तो जांच की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि यात्री भार पूर्ण होते हुए भी औसत आय पूर्ण नहीं होने का कारण इस बस में यात्रियों का बिना टिकिट यात्रा करना भी था ? यदि नहीं, तो क्या निगम ने कभी इस बस की चैकिंग की थी ? यदि हां, तो कब ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) यदि हां, तो क्या निगम अन्य मार्ग या इसी मार्ग से पुनः यह बस सेवा संचालित करने का विचार रखता है ? यदि हां, तो कब तक एवं किस मार्ग द्वारा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं, इस मार्ग का खैरवाड़ा से बावलवाड़ा–सोम तक का भाग वर्तमान में राष्ट्रीयकृत नहीं है। इस मार्ग पर निजी वाहनें संचालित हैं जिनकी प्रतिस्पर्धा में निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका है।

(2) जी हां, इन बस सेवा का संचालन दिनांक 14–10–89 से संचालन लागत से भी कम आय आने के कारण बन्द कर दिया गया। संचालन अवधि में इस सेवा को प्राप्त औसत यात्रीभार एवं औसत आय प्रति कि.मी. का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ठ–1)

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। संचालन अवधि में उक्त सेवा का समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण कराया गया था लेकिन बिना टिकट यात्री पाये जाने का कोई मामला नहीं पकड़ा गया था। क्योंकि बिना टिकट यात्री नहीं पाये गये थे अतः बस निरीक्षण प्रतिवेदन बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) जी नहीं, तथापि इस मार्ग का भीलवाड़ा से कपासन तक 86 कि.मी. एवं भोपालसागर से भिण्डर तक 29 कि.मी. तक का भाग राष्ट्रीयकृत न होने एवं उस पर निजी वाहनों की प्रतिस्पर्धा में निगम वाहन का संचालन होने से पर्याप्त मात्रा में यात्री भार उपलब्ध नहीं होता था। संचालन अवधि में समय–समय पर निरीक्षण दलों द्वारा इस सेवा का भी निरीक्षण किया गया था लेकिन बिना टिकिट यात्री पाये जाने का कोई मामला नहीं पाया गया। अतः बस निरीक्षण प्रतिवेदन बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

(6) जी नहीं। कानोड़ से जयपुर के लिये पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध न होने के कारण निगम वाहन का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका है।

चम्बल नदी पुलिया निर्माण

283. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा): **क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(1) क्या सरकार के पास ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन है जिसमें गेता, माखीदा के सामने खेडली गांव में चम्बल नदी पर पुलिया का निर्माण कराया जाकर पीपल्दा विधान सभा क्षेत्र को सैन्ट्रल रेल्वे से जोड़ा जावे ?

(2) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई तथा नहीं, तो सरकार का क्या विचार है ?

उत्तर

(1) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

(2) वर्तमान नीति के अनुसार वर्णित कार्य सम्भव नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रदेश में वाहनों की चोरी

352. **श्री रामेश्वर भारद्वाज** (किशनपोल) : **क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(1) प्रदेश में वाहनों के चोरी जाने के संबंध में विभिन्न थानों में दर्ज कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं।

(2) क्या विभिन्न पुलिस थानों द्वारा वाहन के चोरी की बरामदगी की सूचना वाहन मालिकों को दी जाती है ? यदि हां, तो किस प्रकार व नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उक्त व्यवस्था प्रारम्भ करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से व नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्रदेश के विभिन्न थानों में वाहनों की चोरी से सम्बन्धित कुल 115 प्रकरण लम्बित हैं। विस्तृत विवरण परिशिष्ट (क) पर अंकित है।

(2) जी हां। वैधानिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित थाना अधिकारी द्वारा तत्परता से वाहन मालिक को सूचना दी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गयी।)

सरकारी एवं निजी महाविद्यालयों/विद्यालयों के छात्रावासो में तैनात पुलिस

353. **श्री अमराराम (धोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–**

(1) राजस्थान के सरकारी एवं गैर सरकारी महाविद्यालयों तथा विद्यालयों के कितने छात्रावासों पर पुलिस को लगा रखा है ? डीडवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कितने वर्षों से पुलिस तैनात है व क्यों ?

(2) क्या सरकार इन छात्रावासों से पुलिस को हटाकर छात्रों के रहने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान में केवल राजकीय श्री करण नरेन्द्र कृषि महाविद्यालय जोबनेर के

(गृह मंत्री)

प्रशासनिक भवन में एन.सी.सी. के हथियारों की सुरक्षा हेतु एवं डीडवाना उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्रावासों मे 1989 से साम्प्रदायिक दंगों के बाद से सुरक्षा हेतु पुलिस को लगा रखा है।

(2) डीडवाना के उच्च माध्यमिक विद्यालय से माह अप्रेल, 1994 तक पुलिस को छात्रावास से अन्यत्र स्थान पर स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है।

जोधपुर जिले के थानों में दर्ज चोरी के प्रकरण

354. **श्री राजेन्द्र गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जोधपुर जिले में पिछले 5 वर्षों में कितनी चोरियों की शिकायतें दर्ज की गई ? उनमें से कितनी शिकायतों का निपटारा कर दिया गया ? कितनी का निपटारा किया जाना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शेष शिकायतों के निपटारे एवं इस प्रकार की बढ़ती हुई अपराधिक प्रवृत्ति को रोकने हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में कुल 4741 चोरियों को शिकायतें दर्ज की गई थीं जिनमें से 4723 का निपटारा किया जा चुका है। 18 का निपटारा पुलिस द्वारा किया जाना शेष है। विवरण परिशिष्ट "अ" में अंकित हैं, जो सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) शेष प्रकरणों में अभियुक्तों व चोरी गये माल की तलाश की जा रही है। वर्ष 1992 की अपेक्षा वर्ष 1993 में चोरी के अपराधों में कमी आई है। फिर भी इस अपराधिक प्रवृत्ति को रोकने हेतु संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ, बदमाशों पर निगरानी, दिनरात पेंट्रोलिंग व नाकाबन्दी व इन्सदादी कार्यवाही कर नियंत्रण के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें।)

पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति

355. **श्री एमादुद्दीन अहमद खां** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नवम्बर, 1993 के बाद से नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों की सूची मय उनकी शैक्षणिक योग्यता व आयु के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पद पर कम योग्यता वाले व्यक्तियों को नियुक्ति दी गयी है जबकि उनसे अधिक योग्यता वाले व्यक्ति उपलब्ध थे।

उत्तर

(1) वांछित सूची परिशिष्ठ "अ" संलग्न है, जो सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं। प्रयोगशाला सहायकों

(गृह मंत्री)

की नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता हायर सैकण्डरी साइन्स विषय में सफल अभ्यार्थी है। चयन समिति द्वारा निर्धारित योग्यता धारियों की सूची बनायी जाकर उन्हें योग्यता क्रम में नियुक्ति दी गई है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट-6 देखें।)

तहसील बस्सी (जयपुर) के ग्रामों में हुई चोरी के प्रकरण

356. **श्री कुबेर सिंह** (फलासिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बस्सी तहसील के ग्राम रोजवाड़ी, राजपुर एवं टेकचंदपुरा में एक ही रात्री को चोरियां हुई है ? यदि हां, तो किस-किस का क्या-क्या माल चोरी गया ?

(2) उक्त वारदातों से प्रभावित व्यक्तियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें। पुलिस प्रशासन ने इन चोरियों का पता लगाने के लिए अब तक क्या प्रयास किये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 13 व 14.2.94 के मध्य एक ही रात में तीन चोरियां हुई जिनमें (अ) श्री बजरंग लाल पुत्र कल्याण सहाय ब्राह्मण निवासी रोजवाड़ी के 8000/- रुपये नगद, दो जोड़े पायजेब चांदी के, एक अंगूठी सोने की, 10 बेस, चार चूड़ी व एक नथ, एक टीका, सोने के टोप्स, गले की चेन सोने की व एक सटका चांदी का व सीताराम जी के मंदिर से भगवान का चांदी का मुकुट चोरी गया।

(ब) श्री कजोड़ मल पुत्र जगनाथ हरियाणा ब्राह्मण निवासी राजपुरा का 3 बोरला चांदी के, एक नथ सोने की, 2 जोधपुरी जोड़ चांदी का, एक माला चांदी की, 3 अंगूठी चांदी की चोरी गई।

(स) श्री ओमप्रकाश पुत्र शिवनाथ हरियाणा ब्राह्मण निवासी टेकचन्दपुरा की 4 एटलस साईकिल चोरी गई।

(2) प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उक्त वारदातों की रिपोर्ट (परिशिष्ट 'अ') संलग्न है। तफ्तीश पर तीनों घटनाऐं एक ही गैंग द्वारा करना प्रतीत हुआ। मौके पर खोज उठाने लायक नहीं पाये गये। विभिन्न पुलिस पार्टियां गठित कर तलाश माल मुल्जिमान करवाई गई। समस्त थाना जिला जयपुर शहर व ग्रामीण में पतारसी हेतु मुस्तहरिया करवाई एवं पतारसी माल मुल्जिमान जारी है। विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' में अंकित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया)।

भारत बंद के दौरान ब्यावर नगर में पुलिस गोली काण्ड

357. **श्री उगमराज मेहता** (ब्यावर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या 24 अक्टूबर, 1990 को भारत बंद के दिन ब्यावर नगर में पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गयी थीं ? यदि हां,

(श्री उगमराज मेहता)

तो उस गोली काण्ड में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई व कितने घायल हुए थे ?

(2) क्या घायल व्यक्तियों में एक अध्यापक श्री मदन मोहन जोशी भी था जिसे 5000/– रुपये की सरकार की तरफ से सहायता राशि दी गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह राशि पर्याप्त थी ? क्या इसी बंद के दौरान घायल पुलिस कर्मचारी को 20,000/– रुपये की सहायता दी गयी थी ? यदि हां, तो श्री जोशी जो स्वयं राज्य कर्मचारी हैं उनको पुलिस कर्मचारी की तुलना में कम राशि क्यों दी गई ? क्या जोशी को और सहायता राशि देने का वादा किया गया था ? यदि हां, तो अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं, तथा अब कब तक शेष राशि देने का सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। पुलिस द्वारा राइफल से दो व रिवाल्वार से चार हवाई गोलियां चलाई गई थी। इस गोली काण्ड में किसी भी व्यक्ति की न तो मृत्यु हुई और ना ही कोई घायल हुआ। यद्यपि आपसी पथराव में कुछ व्यक्ति आहत हुए थे।

(2) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 1/9 (6) गृह–5/90 दिनांक 30.10.90 के अनुसार घायलों को सहायता देने के प्रावधानानुसार एक व्यक्ति श्री राजेन्द्र कुमार कांस्टेबल को 20,000/– हजार रुपये स्थायी रूप से विकलांग होने से स्वीकृत किए गए हैं जबकि श्री मदनमोहन जोशी को अस्थाई विकलांग रूप में विकलांग होने से 5 हजार रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार के आदेश के अन्तर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार ही सहायता राशि स्वीकृत की गई थी तथा और सहायता राशि देने का न तो कोई वायदा किया गया है और न ही निर्धारित मानदण्डों के अनुसार सम्भव है।

बजरंग कालेज, डीग

358. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) डीग बजरंग महाविद्यालय में कुल कितने छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं ?

(2) डीग बजरंग बी.एड. कालेज में कुल कितने छात्र–छात्रायें अध्ययनरत हैं ?

(3) उक्त कालेज में किन–किन विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है और कितने–कितने शिक्षक व कर्मचारी कार्यरत हैं ? इन पर कितना-कितना व्यय किया जाता है वर्षवार खर्च की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस कालेज में कितने–कितने छात्र-छात्राओं को रहने के लिए आवास की सुविधा है तथा कितनी–कितनी राशि छात्रावास सुविधा हेतु ली जाती है ? वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) डीग बजरंग महाविद्यालय के नाम से कोई महाविद्यालय डीग में नहीं चल रहा है। वहां महिलाओं का एक महाविद्यालय श्री बांके विहारी कन्हैयालाल महिला

(उच्च शिक्षा मंत्री)

महाविद्यालय के नाम से चल रहा है जिसका संचालन बजरंग विद्यालय समिति द्वारा होता है। वर्तमान में इस महाविद्यालय में 97 छात्रायें अध्ययनरत हैं और महिला महाविद्यालय होने के कारण छात्रों की संख्या शून्य है।

(2) बी.एड. कालेज में 96 छात्र एवं 19 छात्रायें अध्ययनरत हैं।

(3) श्री बांके बिहारी कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय डीग में अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, लोक प्रशासन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र एवं समाज शास्त्र विषयों में अध्ययन की व्यवस्था है।

(4) इस महाविद्यालय में 14 शिक्षक एवं 6 कर्मचारी कार्यरत हैं जिन पर लगभग 2.5 लाख रुपये वार्षिक खर्च आता है।

श्री बजरंग शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय डीग में कला एवं विज्ञान दो सकायों में प्रशिक्षण की व्यवस्था है और वहां पर लगभग 6 लाख रु. वार्षिक खर्चा आता है।

श्री बांके बिहारी कन्हैया लाल महिला महाविद्यालय में छात्रावासों सुविधा उपलब्ध है।

श्री बजरंग शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डीग पूर्ण रूप से आवासीय हैं। इसमें छात्रावास की राशि प्रति छात्र रु. 850/– शुल्क वार्षिक लिया जाता है जिसमें रु. 200/– काशनमनी के होते हैं जो सत्र समाप्ति पर लौटा दिये जाते हैं।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार

359. श्री अर्जुनदास मदान (लाडपुरा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे गुणात्मक सुधार लाने के लिए आमूल–चूल परिवर्तन की आवश्यकता है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या-क्या कदम उठाये हैं ?

(2) क्या शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये अथवा नहीं ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठा रही है ?

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अगले वर्षों में राज्य में उच्च शिक्षा के विस्तार और गुणात्मक सुधार के लिये क्या कदम उठाये जावेंगे ? वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समय–समय पर राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार लाने की आवश्यकता महसूस की जाती रही है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का विवरण परिशिष्ट 'अ' में अंकित है।

(2) जी हां। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके लिए राज्य सरकार प्रयत्नशील है। राज्य में व्यवसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने का कार्य तकनीकी संस्थायें कर रही है। राज्य के 17 राजकीय महाविद्यालयों में व्यवसायिक विषय चल रहे हैं

(उच्च शिक्षा मंत्री)

जैसे डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस, गारमेंट प्रोडक्शन एण्ड एक्सपोर्ट मैनेजमेन्ट, टैक्सटाइल एण्ड डाईंग प्रिंटिंग, डिप्लोमा इन एन्टीप्रन्योरशिप टैक्सटाइल केमेन्ट्री, बी. एस सी. (गृह विज्ञान) आदि विषय।

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक समिति का गठन किया था। समिति की अनुशंषा के के आधार पर आयोग द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में व्यवसायिक शिक्षा को सम्मिलित किये जाने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई है।

(3) आठवीं पंचवर्षीय योजना के अगले वर्षों 1994-95, 1995-96 एवं 1996-97 में उच्च शिक्षा के विस्तार एवं गुणात्मक सुधार के लिए कार्यक्रमों का संक्षिप्त विरण निम्न प्रकार है:-

(क) विस्तार की दृष्टि से निम्न कार्य प्रस्तावित है:-

1-नये विषय आरम्भ करना।

2-नये महाविद्यालय आरम्भ करना

3-महाविद्यालयों में आधारभूत सुविधाऐं जैसे प्रयोगशाला, प्रायोगिक उपकरण, सेमिनार हाल की व्यवस्था, नये पाठ्यक्रमों की पुस्तकें।

4-महिला महाविद्यालयों को क्रमोन्नत करना

5-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के छात्रों में शिक्षा के प्रोत्साहनार्थ निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करना।

(ख) गुणात्मक सुधार के लिए निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

1-प्राध्यापकों को विषय की नवीनतम जानकारी प्रदान करने हेतु ओरिएन्टेशन एवं रिफ्रेशर प्रशिक्षण आयोजित करना।

2-प्राचार्य एवं उप प्राचार्यों द्वारा उत्तम शैक्षणिक नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

3-रोजगारोन्मुखी विषयों को प्राथमिकता प्रदान करना।

4-शैक्षणिक सत्र को नियमित करना।

5-विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए खेलकूद, विषय गोष्ठी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना।

6-विस्तार भाषण-माला का आयोजन।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें।)

विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के पंचायत मुख्यालयों को सड़कों से जोड़ने सम्बन्धी प्रकरण

360. **श्री महादेव सिंह (खण्डेला)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खण्डेला में कौन-कौन से पंचायत मुख्यालय सड़कों से जुड़े हुए नहीं हैं? अब उन्हें कब तक सड़कों से जोड़ दिया जायेगा?

(2) पंचायत मुख्यालयों के सड़क से

(श्री महादेव सिंह)

जोड़ने का तात्पर्य कच्ची सड़क से है या पक्की सड़क से ?

उत्तर

(1) खण्डेला विधान सभा क्षेत्र में आठ पंचायत मुख्यालय सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं जिनकी सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है। इन ग्राम पंचायत में से जिनकी आबादी 1971 के आधार पर 1000 से अधिक है उन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर की सड़क से जोड़ना प्रस्तावित है। इसके अलावा पंचायत मुख्यालय बासड़ी खुर्द को जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है तथा वर्ष 94–95 में जुड़ने की सम्भावना है।

(2) पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ने का तात्पर्य न्यूनतम ग्रेवल सड़क से जोड़ना है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–8 देखें।)

राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर–8 पर दुर्घटनाएं

361. **श्री अजय** (नोहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर–8 पर जल महल घाटी (जयसिंहपुरा खोर), जयपुर में ढलान ज्यादा होने के कारण आये दिन दुर्घटनाएं होती है ?

(2) यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि उक्त घाटी को सड़वा मोड़ से समतल करने व चौड़ा करने की योजना कई वर्षों से अधूरी पड़ी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब जनहित में उक्त घाटी को कब तक चौड़ा व समतल करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही है कि राष्ट्रीय राजकीय उच्च मार्ग नं. 8 पर जयसिंहपुरा खोर (जयपुर) से जलमहल बांध की घाटी पर एक सीधी पहाड़ी चढ़ाई है व अत्यधिक यातायात होने के कारण दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें रहती हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि पहाड़ी की चढ़ाई को समतल एवं चौड़ा करने हेतु एक तकमीना भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार को रुपये 44,85,000/– का भिजवाया गया है। मगर तकमीने की स्वीकृति भूतल एवं परिवहन मंत्रालय से अपेक्षित है। इसकी स्वीकृति प्राप्त करने पर कार्य को शुरू करने की कार्यवाही संभव हो सकेगी।

(3) कार्य की औचित्य एवं स्वीकृति प्रदान करने का कार्य क्षेत्र भूतल परिवहन मंत्रालय भारत सरकार है, स्वीकृति आने के उपरान्त ही कार्य कराया जाना सम्भव है।

विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने संबंधी प्रकरण

362. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;—

(श्री रघुवीर सिंह)

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के कुल कितने ग्राम है, तथा इनमें से कितने ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया है तथा कितने ग्रामों को कच्ची सड़कों से जोड़ा गया हैं ? सूची ब्यौरा सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इस क्षेत्र के प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय को पक्की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सराडा में 174 गांव हैं, जिसमें 59 गांव डामर की सड़क से 2 गांव मिट्टी सड़क से एवं 23 गांव ग्रेवल रोड से जुडे हुए है तथा 90 गांव किसी भी प्रकार की सड़क से जुड़े हुए नहीं है। नाम सहित सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-I)

(2) जी नहीं। जिन पंचायत मुख्यालयों की जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से ज्यादा है उनको आठवीं पंचवर्षीय योजना में डामर सड़क से जोड़ने हेतु शामिल किया गया है। इन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को डामर की सडक से जोड़ना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चाकसू दौसा वाया कोट खावदा ढूंढ नदी पर पुल निर्माण

363. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि चाकसू से दौसा रोड़ वाया कोट खावदा पर ढूंढ नदी पर पुलिया बनाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो क्या इस हेतु निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई हैं ? यदि नहीं, तो यह कब तक कर ली जावेगी व कब तक कार्य चालू हो जावेगा ?

(2) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 में सड़कों एवं पुलियाओं के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा स्वीकृत राशि में से किस मद में कितनी-कितनी राशि अब तक व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरकार चाकसू से दौसा रोड वाया कोटखावदा पर ढूढ नदी पर पुलिया बनाने का विचार रखती है इसकी निविदाएं आमन्त्रित कर ली गई है। सम्भवतया कार्य वित्तीय वर्ष 94-95 के प्रथम तिमाही में आरम्भ कर दिया जायेगा।

(2) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में 92-93 से तथा 93-94 में सड़कों एवं पुलियाओं के निर्माण में क्रमश: 9.81 लाख एवं 7.00 लाख रुपये की राशि स्वीकृत हुई थी। इस स्वीकृत राशि में से वर्ष 92-93 में बजट मद 5054 (एम.एन.पी.) में 9.43 लाख रुपये एवं वर्ष 93-94 में इसी मद में माह जनवरी, 94 तक 4.72 लाख रुपये खर्च हो चुके है।

विश्व बैंक कार्यक्रमान्तर्गत गांवों को सड़क से जोड़ना

364. **श्री राकेश मेघवाल** (परबतसर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विश्व बैंक सड़क कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1971 की जनगणना व 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ने के कार्यक्रम एवं अन्य प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के अन्तर्गत कमिटमेन्ट के कारण परबतसर सब डिविजन के विधान सभा क्षेत्रों में कौन-कौन सी सड़कें बनाई जानी प्रस्तावित हैं तथा इनका निर्माण कब तक करा दिया जावेगा ?

(2) चालू वर्ष 1993–94 में परबतसर डिवीजन में सड़क निर्माण हेतु कितनी राशि का प्रावधान रखा गया था व कितनी राशि कहां-कहां खर्च की जा चुकी है ? कौन-कौनसी सड़क अधूरी है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है एवं धन उपलब्धता के अनुरूप कार्य सम्पन्न किये जायेंगे।

(2) चालू वर्ष 1993–94 के लिए राजस्व उपखण्ड परबतसर के कार्य क्षेत्र में आने वाले विधानसभा क्षेत्र परबतसर, मकराना एवं नावा में सड़कों के निर्माण हेतु रु. 73.65 लाख का प्रावधान था इसके तहत माह जनवरी, 1994 तक रु. 33.65 लाख का व्यय स्वीकृत कार्यों पर किया जा चुका है जिसका विधान सभा क्षेत्र एवं योजनावार विवरण संलग्न परिशिष्ट "क" के अनुसार है। एवं कार्यों के पूर्ण होने अथवा प्रगति पर होने का विवरण भी परिशिष्ट "क" के अन्तिम कालम के अनुसार है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–9 देखें।)

कोथून रोड जमात से श्यामपुरा सड़क की स्वीकृति

365. **श्री परसादी लाल** (लालसोट) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कोथून रोड जमात से श्यामपुरा सड़क स्वीकृति कब एवं कितनी लागत की थी ?

(2) उक्त सड़क का कार्य समय पर क्यों नहीं किया गया ? अब उक्त सड़क के निर्माण में कितनी अतिरिक्त धन राशि की आवश्यकता है ?

(3) क्या सरकार अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध करवाकर उक्त सड़क के निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) कोथून रोड जमात से श्यामपुरा सड़क निर्माण की स्वीकृति 14.6.84 को 16.50 लाख रु. की जारी की गई थी।

(2) संवेदक द्वारा समय पर कार्य नहीं करने के कारण तथा शास्ती लगाने पर

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

कोर्ट द्वारा निषेधाज्ञा प्राप्त हो जाने के कारण कार्य समय पर नहीं हो पाया। इस कार्य को सम्पूर्ण करने हेतु रु. 16.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी।

(3) उक्त सड़क पर निरझना गांव जिसकी आबादी 1971 की जनगणना के अनुसार 1749 है की डामर सड़क से जोड़ दिया जायेगा किन्तु धन के अभाव में शेष कार्य का निर्माण संभव नहीं है।

बिजोलिया स्थित मन्दाकिनी मन्दिर को सड़क से जोड़ना

366. **श्री बद्री प्रसाद गुरुजी** (माण्डलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग ऐतिहासिक, धार्मिक, पुरातत्व के महत्व के स्थानों को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार कर रहा है ?

(2) क्या बिजोलिया में स्थित मन्दाकिनी के मन्दिर जो एक किलोमीटर की दूरी पर है, व 800 वर्ष पुराने हैं धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व का स्थान है ? जहां प्रति वर्ष हजारों देशी व विदेशी पर्यटक आते हैं ? यदि हां, तो क्या इसको डामर की सड़क से जोड़ने के प्रस्ताव भेजे गये हैं ? यदि हां, तो सरकार यहां कब तक डामरीकरण का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। बिजोलिया में स्थित मन्दाकिनी मन्दिर जो एक किमी. की दूरी पर है एक पुराना धार्मिक स्थान है जहां पर प्रतिवर्ष पर्यटक दर्शनार्थ आते हैं। विभागीय मानदण्डों में नहीं आने के कारण प्रस्ताव नहीं भेजे गये और न डामरीकरण का कोई विचार है।

कर्मचारियों द्वारा रिक्त किये गये सरकारी आवास के अदेयता प्रमाण-पत्र

367. **श्री विश्वेन्द्र सिंह** (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जयपुर शहर में गत पांच वर्षों में कितने राज्य कर्मचारियों ने राजकीय आवास रिक्त किये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उपरोक्त सभी को अदेयता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो इनमें बकाया किराया राशि व अवधि सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि इन सभी से उनके आहरण-वितरण अधिकारी कार्यालय द्वारा वेतन से कटोती पत्र के आधार पर की जाती रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो सार्वजनिक निर्माण विभाग के किराया वसूली अधिकारी कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष के अंत में उक्त किराये की वसूली के लिये लुप्त कटोतियों के समायोजन के लिये कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

(4) इस प्रकार कितनी राशि ऐसी है जिसमें किराया वसूली होने पर भी संबंधित

(श्री . विश्वेन्द्रसिंह)

लेखों में प्रविष्टि नहीं होने से उसे उचंत खाते में रखा गया है व कब से ? इसके समायोजन में कितनी अवधि लगेगी ?

(5) पीडित कर्मचारियों को अदेयता प्रमाण-पत्र अब कब तक जारी कर दिये जावेगें ?

उत्तर

(1) जी हां । गत 5 वर्षों में राजकीय कर्मचारियों द्वारा राजकीय आवास रिक्त किए जाने वाले कर्मचारियों की सूची संलग्न है ।

(2) जी नहीं । बकाया किराया राशि व अवधि सहित सूची संलग्न है ।

(3) जी हां, आहरण एवं वितरण अधिकारों से आवास किराया कटौती के शिड्यूल/सूचना प्राप्त होने पर राशि का समायोजन कर सूचना संबंधित को भिजवाई जाती रही है । लुप्त कटौतियों की राशि वेतन से कटौती कर कटौती पत्र भेजने हेतु समय समय पर संबंधित को लिखा जाता रहा है ।

(4) जी हां, उचंत खाता नाम से इस विभाग में कोई खाता संधारित किये जाने का प्रावधान नहीं है, बकाया राशि की कटौती की सूचना संबंधित आहरण वितरण अधिकारियों से प्राप्त होने पर अथवा कर्मचारियों द्वारा नगद जमा कराने पर यथावत राशि का समायोजन कर दिया जाता है यह प्रक्रिया निरन्तर चलती है ।

(5) कर्मचारियों द्वारा बकाया राशि का नगद भुगतान करने पर अथवा वेतन से की गई कटौती की सूचना आहरण वितरण अधिकारी/ट्रेजरी से प्राप्त होने पर समायोजन कर अदेयता प्रमाण-पत्र जारी कर दिये जावेंगे ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

सोरसन वाइल्ड लाइफ संरक्षित क्षेत्र

368. **भरतसिंह** (खानपुर) :—क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले को सोरसन वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में कितने खतरनाक जाति के वन्यप्राणी मिलने लगे हैं और उनकी अलग-अलग कितनी संख्या आंकी गई है ?

(2) क्या हाडोती वन संरक्षित स्थानों में सोरसन ही ऐसा स्थान है, जहां विभिन्न वन्य प्राणियों की तादाद बढ़ रही है ? यदि हां, तो इनकी सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

(3) क्या सोरसन वन संरक्षित क्षेत्र के विकास व रख-रखाव के लिये चम्बल फर्टिलाइजर व केमिकल की ओर से 50 लाख रुपये की धनराशि उपलब्ध करवाई हुई है ? यदि हां, तो कब ?

(4) अब तक उपरोक्त राशि का उपयोग नहीं हो सकने के क्या कारण हैं और अब यह राशि कब तक और कैसे काम में ली जावेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र में खतरनाक जाति के वन्य प्राणी नहीं

(वन मंत्री)

है। इस शिकार निषिद्ध क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाये जाने वाले वन्य प्राणियों की आंकी गई संख्या निम्न प्रकार है।

क. सं.	नाम वन्य प्राणी	आंकी गई संख्या
1-	गोडावन	11
2-	काला हिरण	247
3-	चिंकारा	186
4-	सारस	82
5-	लोमड़ी	54
6-	नेवला	14
7-	जंगली बिल्ली	13
8-	बिज्जू	3

(2) जी नहीं। सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त हाडोती क्षेत्र के अधिकांश अभयारण्यों में भी सामान्यत: वन्य प्राणियों की तादाद बढ रही है।

सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र के वन्य प्राणियों की सुरक्षा एवं विकास कार्यों हेतु एक क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा तीन वन-रक्षक लगाये हुए हैं। एक वन चौकी का निर्माण किया हुआ है जहां वायरलैस सेट लगाया गया है जिसका सीधा सम्पर्क कोटा कन्ट्रोल से है।

(3) जी हां। चम्बल फर्टिलाईजर एवं केमिकल्स गडेपान कोटा द्वारा 50 लाख रुपये की धनराशि सोरसन शिकार निषिद्ध क्षेत्र के वन विकास एवं रख रखाव के लिए जिला कलक्टर बारां को उपलब्ध करवाई हुई है। यह राशि दिनांक 1-12-92 को दी गयी है।

(4) यह राशि जिला कलक्टर बारां द्वारा फिक्स डिपोजिट में जमा कराई गई है इस राशि के उपयोग हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है जिसकी मीटिंग में लिये गये निर्णय अनुसार इस फिक्स डिपोजिट राशि से प्रति वर्ष प्राप्त होने वाले ब्याज से सोरसन क्षेत्र का रख रखाव व विकास कार्य किये जाते हैं। ब्याज की इस राशि के उपयोग के लिए वन विभाग द्वारा एक पांच वर्षीय योजना तैयार की गई थी जिस पर दिनांक 9.2.94 को उक्त कमेटी की बैठक में विचार विमर्श किया गया तथा बनाई गई योजना में कुछ संशोधन कर निम्न कार्य करवाने का निर्णय लिया गया:-क्षेत्र की बाहरी सीमा पर अतिक्रमण रोकने के लिऐ सड़क निर्माण, वाटर होल्स का निमार्ण एवं ग्रासलैण्ड क्लोजर्स की मरम्मत, जन सहयोग से सुरक्षा एवं वाच एण्ड वार्ड, चौकी का निर्माण, प्रजनन क्षेत्रों की पहचान, सुरक्षा एवं रिसर्च व मोनिटरिंग कार्य। उपरोक्त कार्यों के प्राक्कलन के प्रस्ताव शीघ्र ही बनाकर वित्तीय वर्ष 94-95 में इसका उपयोग किया जावेगा।

पुष्कर की पहाड़ियों में वृक्षारोपण कार्यक्रम

369. **श्री विष्णु मोदी (पुष्कर)** : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुष्कर की पहाडियों एवं सरोवर के आस पास के टिब्बों तथा अन्य राजस्व भूमि पर वन विभाग ने वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्ष लगाये हैं यदि हां, तो गत पांच वर्षो

(श्री विष्णु मोदी)

में उक्त वृक्षारोपण कार्यों के अंतर्गत कहां-कहां कितने वृक्ष लगाये गए तथा कार्यों पर कितनी–कितनी राशि प्रत्येक वर्ष में व्यय की गई ?

(2) उपरोक्त वर्षों में लगाये गए वृक्षों से क्या–क्या लाभ किस-किस रूप में प्राप्त हुए है ?

(3) उपरोक्त वर्षों में कुल लगाये गये वृक्षों में से आज कितने वृक्ष जीवित हैं ? क्या इसका कोई भौतिक मूल्यांकन सरकार द्वारा करवाया गया है ? यदि हां, तो कब-कब करवाया गया और तत्संबंधी रिपोर्ट क्या है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत पांच वर्षों में लगाये गये वृक्षों की संख्या का स्थल वार विवरण मय व्यय की गई राशि के सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" के अनुसार रख दिया गया है।

(2) उक्त क्षेत्र में लगाये गये वृक्षों से प्राप्त लाभों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "ख" के अनुसार रख दी गई है।

(3) उपरोक्त वर्षों में कुल लगाये गये वृक्षों में से लगभग 62% (प्रतिशत) पौधे जीवित हैं। वन मण्डल स्तर पर प्रतिवर्ष माह नवम्बर एवं जून में प्रत्येक वृक्षारोपण का मूल्यांकन करवाया गया है, जिसके आधार पर जीवित पौधों की संख्या परिशिष्ट "क" के अनुसार है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

ग्राम फतेहपुर (बून्दी) की वन विभाग की भूमि

370. श्री रामनारायण (नैनवां)–क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि ग्राम फतेहपुर तहसील बून्दी में वन विभाग की भूमि है ? यदि हां, तो कितनी तथा किस-किस खसरा नम्बर की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि को वन विभाग में सम्मिलित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन किये गये हैं ? यदि हां, तो कब-कब तथा कितनी-कितनी भूमि बाबत ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वन तथा राजस्व विभाग के नक्शों में असमानता है ? यदि हां, तो किस-किस खसरा नम्बर की कितनी-कितनी भूमि बाबत ? नक्शे सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां, ग्राम फतेहपुर तहसील बूंदी में वन विभाग की 1797 बीघा 4 बिस्वा भूमि है। खसरा नम्बरवार क्षेत्रफल का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट–क के अनुसार रख दिया गया है।

(2) जी हां। वन खण्ड घोरेला–गरड़ढा की 19157 बीघा भूमि को वन विभाग में सम्मिलित किये जाने बाबत गजट नोटिफिकेशन क्रमांक 34 (18) रे. वे.आई. आई. 54 दिनांक 28.6.55 को जारी किया गया है, जिसमें ग्राम फतेहपुर की उक्त भूमि भी सम्मिलित है। गजट नोटि–

(वन मंत्री)

फिकेशन की प्रति परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। वन विभाग एवं राजस्व विभाग में असामनता बाबत परिशिष्ट 'ग' के अनुसार खसरा नम्बर वार सूची मय नक्शे के सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

बांसवाड़ा में प्लान्टेशन कार्यक्रम

371. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे;-

(1) बांसवाड़ा जिले में वन विभाग की ओर से वर्ष 1985 से अब तक कितने हैक्टेयर में प्लान्टेशन लगाये गये ? रेन्जवार व स्थानों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्लानटेशनों में अब तक कितने पौधे जीवित रहे ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि रख-रखाव व पानी के अभाव में पौधे सूख गये ? क्या राज्य सरकार पौधों को पानी देने के हिसाब से पहाड़ियों में स्टाप डेम बनाने का विचार रखती है, ताकि बरसात का पानी रुके व पौधे नमी के कारण जिन्दा रह सकें ?

(4) क्या वन विभाग के कार्यों में हुये भ्रष्टाचार की सरकार जांच करायेगी, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) बांसवाड़ा जिले में विभाग द्वारा वर्ष 1985 से अब तक 27634 है. क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। रेन्जवार स्थल-वार सूची परिशिष्ट-क के अनुसार सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जीवित पौधों की संख्या परि-शिष्ट-क में दर्शा दी गई है।

(3) जी नहीं। विभाग द्वारा जल एवं भू-संरक्षण की दृष्टि से कन्टूर ट्रेन्च, चैक-डेम, कन्टूर डाइक्स इत्यादि का कार्य पूर्व से ही कराया जाता है।

(4) भ्रष्टाचार का मामला सामने आने पर जांच कराकर नियमान्तर्गत आव-श्यक कार्यवाही की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

जयपुर शहर में पर्यावरण सुधार

372. श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगर व जिले में पर्यावरण सुधार के लिए क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ? वायु, अग्नि, जल व ध्वनि प्रदूषण के निवारणार्थ उठाये गये कदमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वन की कटाई रोके जाने व पर्यावरण सुधार के सम्बन्ध में पुनः टी.पी. जारी करने हेतु सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) जयपुर शहर में वाहनों से निक-लने वाले धुआं से होने वाले प्रदूषण को

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर व जिले में पर्यावरण सुधार के लिए विभिन्न विभागों द्वारा निम्न प्रकार से कार्यवाही की जा रही है:-

(1) **राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल:-**

1–जल प्रदूषण नियंत्रण एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अन्तर्गत जल एवं वायु प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने के लिये बाध्य किया जाता है।

2–अधिक प्रदूषण करने वाले नये उद्योगों से सम्भाव्य प्रदूषण को रोकने के लिये प्रदूषण की दृष्टि से "स्थल चयन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र' एवं "प्रदूषण नियंत्रण उपायों की उपयुक्तता" का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

3–प्रदूषण नियंत्रण करने में असफल रहने पर या कानून के प्रावधानों का अवहेलना करने पर अधिनियमों की संबंधित धाराओं के अन्तर्गत उद्योगों पर मुकदमें दायर किये जाते हैं।

4–जयपुर शहर की एम्बियन्ट एयर की जांच करने के लिये विभिन्न स्थानों पर परीवीक्षण बिन्दु बनाने का सुझाव है, ताकि वायु मंडल प्रदूषक तत्वों का स्तर नापा जा सकें।

5–प्रदूषण की रोकथाम के बारे में जन चेतना जगाने हेतु विभिन्न डॉक्यूमेन्ट्स/पम्पलेट्स आदि प्रकाशित किये जाते हैं।

6–उद्योगपतियों एवं जन साधारण को प्रदूषण के विभिन्न पहलुओं की जानकारी देने के लिए सेमिनार आदि का आयोजन किये जाते हैं।

(2) वन विभाग द्वारा:–वन विभाग द्वारा इस वर्ष जयपुर नगर व जिले में पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत उपर्युक्त स्थानों पर वृक्षारोपण कार्य कराया जाता है। इस वर्ष जयपुर जिले में पर्यावरण सुधार हेतु वन विभाग द्वारा 3202 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य करवाया गया है तथा 30.89 लाख पौधे वृक्षारोपण हेतु वितरित किये गये हैं।

(3) परिवहन विभाग द्वारा:– परिवहन विभाग द्वारा केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम 1988 के अन्तर्गत वाहनों से जनित होने वाले प्रदूषण होने से नियंत्रण हेतु कार्यवाही की जाती है। विभाग द्वारा इसके लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर को 7 स्मोक मीटर, 4 गैस एनेलाईजर, चार जीपें और कुछ स्टॉफ उपलब्ध कराया गया है। जिनका प्रयोग परिवहन वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व किया जाता है। इन यंत्रों से यह ज्ञात किया जाता है कि वाहनों

Page No.42

(पर्यावरण मंत्री)

द्वारा सीमा से अधिक प्रदूषण तो नहीं फैलाया जा रहा है।

वाहनों में ध्वनि प्रदूषण के संबंध में केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 119 में अधिक ऊंची आवाज वाले हार्न के उपयोग पर पाबन्दी का प्रावधान है।

(4) नीरी नागपुर, जयपुर द्वारा :– भारत सरकार का संस्थान "नीरी" नागपुर जो पर्यावरण अभियांत्रिकी से संबंधित है द्वारा जयपुर शहर में वायु की गुणवत्ता की जांच की जाती है। उनके द्वारा वर्ष 1991 में प्रकाशित जानकारी के अनुसार 1990 में जयपुर से संबंधित तीन स्थानों में तीन बिन्दुओं पर सूचनाएं प्रकाशित की गई।

(5) पर्यावरण सुधार में जनभागीदारी करने हेतु विभिन्न प्रकार से जन–चेतना हेतु कार्यक्रम वर्ष भर आयोजित किये जाते हैं जैसे:—

छात्र-छात्राओं में विभिन्न प्रकार की जिला स्तर व राज्य स्तर पर प्रतियोगिताऐं शहरों, कस्बों, दूर–दराज के ग्रामीण अंचलों में चार दिवसीय पारिस्थितिक विकास शिविर, वर्कशाप, सेमीनार, माहवारी पर्यावरण वर्ग पहेली, कठपुतली, फिल्म प्रदर्शन, नाटक प्रदर्शन व प्रदर्शनियां लगाकर, निःशुल्क पर्यावरण संबंधी प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण करना आदि।

(6) जिला प्रशासन द्वारा:-(1) जिला प्रशासन जयपुर द्वारा ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1963 के अन्तर्गत ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कार्यवाही की गई है।

(2) टी.पी. जारी करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत आदेश, दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं (परिशिष्ट 'अ') जिनके अनुरूप नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(3) प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, जयपुर को इस हेतु 7 स्मोक मीटर 4 गैस एनेलाईजर आवंटित है जिनके द्वारा वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करते समय यह जांच की जाती है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से फैलने वाला प्रदूषण निर्धारित सीमा से अधिक तो नहीं है अन्यथा वाहन स्वामी को इंजन आदि का कार्य करवाकर वाहन की पुनः जांच करवाने हेतु हिदायत दी जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

रिद्धि ग्रेनाइट फैक्ट्री, जयपुर का विद्युत प्रकरण

373. **श्री गोपीराम जाट (आमेर)** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अजमेर रोड जयपुर में रिद्धि ग्रेनाइट फैक्ट्री को विद्युत कनेक्शन दिया गया है ? यदि हां, कब ?

(2) क्या यह सही है कि यह फैक्ट्री राजकीय भूमि पर बनी हुई है फिर भी फैक्ट्री को कनेक्शन दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि इस फैक्ट्री

(श्री गोपीराम जाट)

को कनेक्शन देने हेतु बोर्ड ने अपनी तरफ से पोल एवं लाइन खींच कर कनेक्शन जारी किया एवं फैक्ट्री मालिक से इसकी राशि नहीं ली गई ? इस कनेक्शन पर बोर्ड की कितनी राशि व्यय हुई एवं कितनी राशि फैक्ट्री से प्राप्त की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ?

(4) क्या यह सही है कि फैक्ट्री मालिका को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से बोर्ड के नियमों की अवहेलना कर, सवाई चक, चरागाह भूमि पर बनी फैक्ट्री को कनेक्शन दिया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं, अजमेर रोड जयपुर में रिद्धि ग्रेनाइट फैक्ट्री को कोई विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है, किन्तु सिद्धि स्टोन्स एण्ड ग्रेनाइट लिमिटेड नाम की फैक्ट्री को दिनांक 28.6.1993 को विद्युत कनेक्शन दिया गया है।

(2) अजमेर रोड जयपुर में जो सिद्धि स्टोन्स एण्ड ग्रेनाइट लि. को कनेक्शन दिया गया है उस जमीन को उप पंजीयक, सांगानेर ने दिनांक 27.12.91 को पुस्तक संख्या 2, जिल्द संख्या 136, क्र.स. 1413 पृष्ट संख्या 39 से 40 तक एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या भाग संख्या 151 पृष्ठ संख्या 108 से 116 तक मै. सिद्धि स्टोन्स एण्ड ग्रेनाइट लि. के हक में पंजीबद्ध करके 20 हजार रुपये के स्टाम्प पर 99 वर्ष के लिये एक लीज डीड जारी की है। उसके पश्चात ही कनेक्शन दिया गया है।

(3) यह सही नहीं है। सिद्धि स्टोन्स एण्ड ग्रेनाइट लि. द्वारा मण्डल द्वारा जारी मांग पत्र की राशि 1,35,218/ रुपये जमा कराने के पश्चात ही लाइन पर कार्य किया गया था।

अतः मण्डल द्वारा इस फैक्ट्री को कनेक्शन देने हेतु अपनी तरफ से पोल एवं लाइन खींचकर कनेक्शन जारी नहीं किया गया।

(4) जी नहीं, मण्डल द्वारा फैक्ट्री मालिक को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किसी प्रकार से मण्डल नियमों की अवहेलना नहीं की गई है एवं पंजीयक, सांगानेर द्वारा आवंटित भूमि पर ही कनेक्शन दिया गया है।

नागौर जिले में 33 के.वी. विद्युत सब स्टेशन लाइनें

374. **श्री हबीबुर्रहमान** (मूण्डवा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) नागौर जिले में वर्ष 1993–94 में कुल कितनी 33 के.वी. लाइनें नयी बिछाने व 33/11 के.वी. के कितने स्टेशन बनाने का लक्ष्य विद्युत मण्डल ने रखा था और अब तक कितनी लाइनें व सब स्टेशनों का कितना कार्य हुआ है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या शेष कार्य 31 मार्च, 1994 तक पूर्ण कर लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) नागौर जिले में वर्ष 1993-94 के

(ऊर्जा मंत्री)

दौरान 33 के.वी. की 13 लाइनें जिनकी लम्बाई 229.0 कि.मी. है तथा 33/11 के.वी. के 16 नये सब-स्टेशन बनाना तथा 2 सब स्टेशनों की क्षमता बदलनी है, जिससे कुल क्षमता 45.17 एम.वी.ए. बढ़ाने का लक्ष्य है। दिनांक 28.2.1994 तक 33 के.वी. की 13 लाइनों में से 5 लाइनें जिनकी लम्बाई 53 कि.मी. है, खेंची जा चुकी हैं, जबकि शेष लाइनों का काम प्रगति पर है। इनमें से 110 कि.मी. के खम्बे खड़े किये जा चुके हैं। साथ ही 7 कि.मी. के तार भी खींचे जा चुके हैं। 33 के.वी. के 16 नये तथा 2 क्षमता बदलने वाले सब स्टेशनों में से 13.57 एम.वी.ए. के चार नये तथा एक क्षमता बढाने वाले सब स्टेशनों का कार्य पूर्ण कर चालू किये जा चुके हैं। शेष में से 6 सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 6 सब स्टेशनों का कार्य प्रगति पर है।

(2) शेष कार्यों में से इस वर्ष जिन लाइनों व सब स्टेशनों का कार्य प्रगति पर हैं, उन सभी का कार्य उपलब्ध संसाधनों एवं मेचिंग सामान की उपलब्धि के अनुरूप पूर्ण करने के प्रयास किये जायेंगे।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में विद्युतीकरण योजना

375. **श्री कन्हैयालाल मीणा** (बस्सी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में तुरन्त प्राथमिक योजना के अन्तर्गत कितने कृषकों द्वारा आवेदन दिये गये ?

(2) उक्त कृषकों में से क्या सभी आवेदनकर्ताओं को कनेक्शन दिए जा चुके हैं, यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या जिन गांवों में तुरन्त प्राथमिक योजना के तहत विद्युत कनेक्शन हो चुके हैं ? उन गांवों को विद्युतीकृत मानकर आगे भी कनेक्शन दिए जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) विधान सभा क्षेत्र बस्सी में कुल कितने कृषक वन पोल स्कीम के तहत विद्युत कनेक्शन पाने के अन्तर्गत आते हैं ? सूची ग्रामवार सदन की मेज पर रखें।

(5) वर्ष 1990 से अब तक विद्युत मण्डल ने वर्षवार कुल कितना लक्ष्य निर्धारित कर कितने कनेक्शन स्वीकृत किये ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखें। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति व सामान्य व्यक्तियों हेतु वर्ष 1990 में अब तक कितना-कितना लक्ष्य था और कितनों को आवंटन किया गया ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में तुरन्त प्राथमिक योजना के तहत कुल 746 कृषकों के आवेदन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये हैं।

(2) जी नहीं। उक्त 746 कृषकों में से 626 उपभोक्ताओं को कनेक्शन दिये जा चुके हैं तथा शेष 118 उपभोक्ताओं द्वारा मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराने के कारण प्रार्थना पत्र रद्द (कैंसिल) कर दिये गये। शेष दो कनेक्शन दूसरे काश्तकारों द्वारा लाइन खड़ी नहीं करने देने के कारण बकाया हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी नहीं, क्योंकि यह गांव विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत नहीं है तथा इनमें कनेक्शन तुरन्त प्राथमिकता योजना के अधीन ही दिये गये थे।

(4) विद्युत लाइनों व कनेक्शनों की स्थिति में निरंतर परिवर्तन होता रहता है एवं साल में एक बार लक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसलिये किसी भी उपखण्ड में एक साथ सर्वे करवा भी लिया जाता है तो विद्युत लाइनों के विस्तार के कारण स्थिति बदल जाती हैं।

अतः जब लक्ष्य प्राप्त होते हैं उसी वर्ष बकाया प्रार्थना पत्रों में से जो एक पोल स्कीम में आते हैं उन सभी का सर्वे कर कनेक्शन दे दिये जाते हैं इसलिये वन पोल की परिधि में आने वालों की गांव वार सूची देना संभव नहीं है।

(5) बस्सी विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1990 से वर्ष 1993-94 तक जो लक्ष्य निर्धारित किये गये है एवं जो कनेक्शन जारी किये हैं उनकी सूचना प्रपत्र "अ" में संलग्न है। वर्ष 1990-91 में मण्डल द्वारा अलग से कोई लक्ष्य नहीं दिया गया था परन्तु अनुसूचित जाति एवं जन जाति के वर्ष 1985 एवं सामान्य श्रेणी के वर्ष 1982 तक के बकाया सभी कृषकों को कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिनमें से 1990-91 में तकनीकी साध्यता के अनुसार कनेक्शन दिये हैं—

वर्ष	अ.जा.	अज.जा.	सामान्य	तुरन्त प्राथमिकता योजना के तहत	एक पोल स्कीम के कनेक्शन	योग
1990-91	31	74	68	175	2	350

वर्ष 1991-92 से 1993-94 में जो लक्ष्य प्राप्त हुये हैं उनके अनुरूप तकनीकी साध्यता के तहत जो कनेक्शन दिये गये हैं उनका विवरण निम्न प्रकार से है :

वर्ष	अ.जा		अ.ज.जा.		सामान्य		तुरन्त प्राथमिकता योजना		एक पोल कनेक्शन		कुल योग	
	लक्ष्य	कने.	लक्ष्य	कने.	लक्ष्य	कने.	लक्ष्य	कने.	लक्ष्य	कने.	लक्ष्य	कने.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1991-92	37	4	89	23	302	352	—	—	—	—	428	379
1992-93	57	30	85	47	161	95	—	—	—	—	303	172
1993-94	54	14	81	44	111	115	—	—	25	—	271	173

नोट :—1. उपरोक्त दर्शाये लक्ष्यों में तुरन्त प्राथमिकता योजना के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित न होने के कारण सामान्य श्रेणी में शामिल हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

2. वर्ष 1993–94 में शेष रहे लक्ष्यों को पूर्ण करने हेतु सम्बन्धित आवेदकों के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

3. वर्ष 1991–92 व 1992–93 के आंकडे टेनटेटिव हैं तथा वास्तविक उपलब्धि दर्शाये गये आंकडों से अधिक होने की संभावना है क्योंकि इससे सम्बन्धित कुछ रेकार्ड समय पर उपलब्ध नहीं हो पाने के कारण गांववार उपलब्धि के सारे आंकडे दिया जाना संभव नहीं हो पाया।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया।)

कच्ची बस्ती उदयपुर के अवैध विद्युत् कनेक्शन

376. **श्री शिव किशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) उदयपुर स्थित कच्ची बस्तियों में गत एक वर्ष की अवधि में कितने अवैध कनेक्शन काटे गये और उनके स्थान पर मीटर दिये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि काम्पलैक्स के लिये अलग से ट्रान्सफार्मर कामगर लगाना और स्वयं की लाइन खिचवाना जरूरी है ? यदि हां, तो उदयपुर में वर्तमान में ऐसे कितने काम्पलैक्स हैं तथा उनमें स्वयं के ट्रान्सफार्मर और लाइनें है ?

उत्तर

(1) उदयपुर स्थित कच्ची बस्तियों में गत एक वर्ष (1992–93) के दौरान 87 अवैध विद्युत सम्बन्ध काटे गये एवं 78 कनेक्शन मीटर देकर जारी किये गये।

(2) जी हां, मण्डल नियमानुसार काम्पलैक्स के लिये अलग से ट्रान्सफार्मर एवं स्वयं की लाइन खिचवाना आवश्यक है। वर्तमान में उदयपुर में मैं. हंसा बिल्डर्स व मै. गेलेक्सी अपार्टमेन्ट काम्पलेक्सों पर उपभोक्ता से पैसा लेकर मण्डल ने ट्रान्सफार्मर लगाये हैं।

मै. सर्किल व्यू, सुखाडिया सर्किल व श्री निकेतन आयड काम्पलेक्सों में उपभोक्ता ने स्वयं के ट्रान्सफार्मर लगाये है।

रूप नगर, सिविल लाइन्स (जयपुर) की विद्युत लाइनें

377. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडा–भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हरि मार्ग, सिविल लाइन्स, जयपुर स्थित रूपनगर कालोनी में विद्युत् लाइन के खुले तार मकानों/प्लाट्स के ऊपर से जा रहे हैं, जिससे दुर्घटना घटित होने की संभावना बनी रहती है ? यदि हां, तो जनहित में इन्हें अब कब तक हटा दिया जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रूपनगर स्थित मंदिर परिसर से विद्युत् लाइन जा रही है ? यदि हां, तो जनहित में इसे कब तक हटा दिया जावेगा ?

(3) क्या यह सही है कि रूपनगर स्थित कालोनी में विद्युत् दबाव की कमी

(श्री रामस्वरूप मीणा)

के कारण ट्यूब लाइटें एवं अन्य उपकरण सही रूप में काम नहीं कर पा रहे हैं ? यदि हां, तो इस लाइन को कब तक ठीक कर दिया जावेगा ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त कालोनी के निवासियों ने कम दबाव बाबत समय-समय पर शिकायतें की हैं ? यदि हां तो कब-कब और सरकार द्वारा इस बाबत अब तक क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस कालोनी में मकान के ऊपर से कोई खुले तार नहीं जा रहे हैं। केवल एक मन्दिर का पिछले कुछ दिनों से निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर लाइन जा रही है। तथा पास में खुला मैदान है, जिसकी कोई शिकायत नहीं है।

(2) मैदान में कुछ दिनों से मन्दिर का निर्माण कार्य चल रहा है। इस संबंध में यदि विद्युत लाइन हटाने के लिये आवेदन किया जाता है और एस्टीमेटस के अनुसार खर्चे की राशि जमा कराई जाती है तो लाइन हटाने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

(3) इस कालोनी में वर्तमान में विद्युत दबाव की समस्या नहीं है तथा समय-समय पर उपभोक्ता द्वारा विद्युत दबाव की शिकायत प्राप्त होने पर उसका निवारण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(4) इस बारे में कालोनी निवासियों की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और यदि कोई शिकायत प्राप्त होगी तो तुरन्त कार्यवाही की जावेगी।

सीकर जिले के किसानों को विद्युत् आपूर्ति

378. श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1992-93 में सीकर जिले में विद्युत् कनेक्शन हेतु कितने कृषकों के डिमाण्ड नोटिस जमा किए गये ? डिमाण्ड नोटिस जमाकर्ता कृषकों को कितने कनेक्शन दिये जा चुके हैं व कितने कनेक्शन विचाराधीन है ? आज तक शेष कनेक्शन क्यों नहीं दिये गये व समस्त कनेक्शन (जमा डिमाण्ट नोटिस धारियों को) कब तक दे दिये जायेंगे ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) पिछले पांच वर्षों के दरम्यान खण्डेला क्षेत्र में कितने कृषकों मे विद्युत् कनेक्शन हेतु आवेदन-पत्र प्राप्त हुए ? उनमें से कितने कनेक्शन दे दिये गये व कितने प्रस्तावित हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सीकर जिले के कृषकों को कितनी अवधि विद्युत् सप्लाई की जा रही है ? क्या यह सप्लाई पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो सरकार की इस संबंध में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1992-93 में सीकर जिले में 943 कृषि आवेदकों से मांग पत्र की राशि जमा की गई थी। इनमें से 930

(ऊर्जा मंत्री)

आवेदकों को कनेक्शन दिये गये तथा शेष 13 आवेदकों के एल फार्म प्रस्तुत नहीं करने एवं आपसी विवाद न्यायालय में विचाराधीन होने के फलस्वरूप कनेक्शन नहीं दिये जा सके।

(2) गत पांच वर्षों में खण्डेला क्षेत्र के लगभग 1280 कृषि आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं। इनमें से 338 कृषि कनेक्शन दिये जा चुके हैं। वर्ष 1993-94 में उक्त क्षेत्र में 151 कृषि कनेक्शन दिये जाने का लक्ष्य प्रस्तावित है जिसमें से फरवरी, 1994 तक 105 कनेक्शन दिये जा चुके हैं। लक्ष्यों के शेष बचे हुये कनेक्शन दिये जाने की कार्यवाही जारी है और इसी वर्ष आवेदकों द्वारा औपचारिकताएँ नियमानुसार पूर्ण करने पर दिये जा सकेंगे।

(3) सीकर जिले में वर्तमान में कृषि कार्य हेतु कृषकों को प्रतिदिन 8 घन्टे दो ब्लाक्स में विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

सांजू और बुटाटी (नागौर) में विद्युत आपूर्ति

379. श्री रिछपाल सिंह (डेगाना) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सांजू और बुटाटी (नागौर) में विद्युत् आपूर्ति रात्रि में केवल आधे गांव में ही रहती है तथा आधा गांव बिल्कुल अन्धेरे में रहता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार ग्रामीण जनता की इस समस्या को दूर करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो, क्यों ?

(3) क्या सरकार इस सम्बन्ध में दोषी विद्युत् विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि सांजू (नागौर) और बुटाटी (नागौर) में विद्युत आपूर्ति रात्रि में केवल आधे गांव में ही रहती है तथा आधा ग्राम अंधेरे में ही रहता है। तकनीकी अवरोध व कटौती के अलावा एक साथ ग्राम में विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(2) उपरोक्त बिन्दु संख्या-1 में दिये हुये विवरण के अनुसार विद्युत आपूर्ति की जाती है।

(3) प्रदेश के अन्य भागों की भांति ही इस ग्राम को भी विद्युत आपूर्ति सामान्य तरीके से की जा रही है। अत: किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

डूंगरपुर जिले के ग्रामों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

380. श्री शंकर लाल अहारी (चौरासी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डूंगरपुर जिले में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों के घरों में विद्युत कनेक्शन देकर लाभान्वित किया गया है ?

(श्री शंकर लाल अहारी)

(2) क्या राज्य सरकार उक्त जिले के ग्राम (1) वाणिया तालाब (2) नया गांव (3) पालीसोड़ा (4) गेड़ (5) बोर का पानी (6) पुनरावाड़ा (7) मोर डूंगरा सेमलिया (8) पीयापुर (9) नयागांव चुण्डावाड़ा (10) फला नयागांव रास्तापाल में उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत सुविधायें उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत वर्ष 1993–94 में 1009 विद्युत कनेक्शन जारी करने का लक्ष्य है जिनके सापेक्ष 627 परिवारों को घरों के विद्युत कनेक्शन दिये गये है ।

(2) कुटीर ज्योति योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों का चयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किया जाता है । उनसे चयनित परिवारों की सूची प्राप्त होने पर तकनीकी दृष्टि से साध्य पाये जाने वाले परिवारों के घरों में उक्त योजना के अन्तर्गत विद्युत सम्बन्ध दिये जायेंगे । ग्राम वाणिया तालाब, नयागांव, पालीसोडा, बेड, बोर का पानी, पुनरावाड़ा इत्यादि गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है । अतः एल. टी. एवं 11 के.वी. लाइन नहीं होने से इन गांवों में कनेक्शन देना सम्भव नहीं है ।

सांगोद तहसील क्षेत्र में कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय

381. **श्री भरत सिंह** (खानपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सांगोद तहसील क्षेत्र में नये कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय खोलने प्रस्तावित हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ?

(2) क्या इन पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ? कब तक यह कार्यालय कार्य प्रारम्भ कर देंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, सांगोद तहसील क्षेत्र में एक नया 33/11 के.वी. सब स्टेशन कुन्दनपुर में वर्ष 1993–94 के 33 के.वी. कार्यक्रम में स्वीकृत है ।

(2) जी नहीं । 33 के.वी. लाइन सांगोद-कुन्दनपुर (14 कि.मी. लम्बाई) वर्ष 1993–94 के 33 के.वी. कार्यक्रम में स्वीकृत हैं । इस 33 के.वी. लाइन का कार्य उपलब्ध वित्तीय संस्थानों एवं सामान की उपलब्धि अनुसार आगामी वर्ष में पूर्ण करने का प्रयास किया जावेगा । लाइन का कार्य पूरा होने के पश्चात 33/11 के.वी. सब-स्टेशन कुन्दनपुर का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा ।

डायरेक्ट फीडरों पर विद्युत कनेक्शन

382. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विद्युत मण्डल द्वारा जोधपुर जिले में जलदाय विभाग से कहां–कहां पर डायरेक्ट फीडर लिए हुए हैं ।

(2) क्या इन डायरेक्ट फीडरों पर अन्य को पावर कनेक्शन दिए हुए हैं ? यदि

(श्री राजेन्द्र चौधरी)

हां, तो किन-किन को एवं किस प्रावधान के अन्तर्गत ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या इन पावर कनेक्शनों को हटाने का सरकार विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले के अन्तर्गत जलदाय विभाग के 22 डाईरेक्ट फीडर हैं :-

1. लालसागर
2. दईजर
3. मानकलाप
4. मनाई
5. नारवा
6. केनाल पम्पिग स्टेशन
7. बिलाडा पिचियाक
8. खारीयां भ्रांक
9. रणसी गांव
10. लटियासली नाडी रुणकिया
11. हरिया ढाणा
12. बोरुन्दा
13. ग्रासोप
14. भोपालगढ़
15. अरटिया खुर्द
16. पीपाड़ शहर
17. 11 के.वी. रामपुरा माणकलाव तक इस क्षेत्र में है।
18. रामपुरा क्षेत्र में अलग-अलग पम्प हाऊस तक।
19. 11 के.वी. फीडर बालरवा क्षेत्र में अलग-अलग पम्प हाऊस तक।
20. 132 के.वी. जी.एस.एस.पी.एस. 5 से 33 के.वी. फीडर पी.एस. 6 तक।
21. 11 के.वी. फीडर जोधपुर केनाल के 33/11 के.वी. जी.एस.एस. भीमजी का गांव से पम्प स्टेशन 1,2,3 के लिये।
22. 33/11 के.वी. जी.एस.एस. केतु से अलग-अलग 11 के.वी. फीडर केतु में लगे पम्प हाऊस तक।

(2) उक्त डाईरेक्ट फीडरों में से बोरुन्दा एवं पीपाड़ शहर फीडरों से निम्न उद्योगों को कनेक्शन दिये गये हैं:-

1. बोरुन्दा फीडर ए-ए.के. सीमेन्ट
   बी-सुराना सीमेन्ट
   सी-तारा मिनरल्स
2. पीपाड़ शहर गंगा केमिकल्स
3. रामपुरा क्षेत्र में 11 के.वी. रूरल फीडर पास-पास एवं क्रासिंग किये हुये होने के कारण इस फीडर पर रामपुरा ग्राम के घरलू/अघरेलू एवं लघु उद्योगों एवं कुये जुड़े हुए हैं।

(3) मण्डल ने जलदाय विभाग की डायरेक्ट लाइनों पर दिये गये कनेक्शनों को हटाने के आदेश प्रसारित कर रखे बोरुन्दा एवं पीपाड़ शहर फीडरों बड़े उद्योगों को कनेक्शन दर्शाये गये हैं उन्हें शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा रही है तथा रामपुरा फीडर पर दिये गये कनेक्शनों को शिफ्ट करने हेतु अलग से ट्रान्सफार्मर स्वीकृत कर हटाने की प्रक्रिया चालू है और कुछ कनेक्शन हटा भी दिये गये हैं।

कोटड़ा एवं गोगुन्दा तहसीलों (उदयपुर) में विद्युत आपूर्ति

383. **श्री महावीर भगोरा** (गोगुन्दा) क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे–

(1) क्या यह सही है कि उदयपुर जिले की कोटड़ा व गोगुन्दा तहसीलों में विद्युत आपूर्ति हेतु बिजली के खम्बे गाड़ दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन–किन पंचायतों में एवं कब से खम्बे गाड़े गये हैं ?

(2) क्या इन तहसीलों में विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा है, यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो अब तक विद्युत लाइन क्यों नहीं खींची जाकर विद्युत आपूर्ति की गई है ?

उत्तर

(1) उदयपुर जिले की गोगुन्दा तहसील में बिजली आपूर्ति हेतु बिजली के खम्बे किसी ग्राम में नहीं खड़े हैं। उदयपुर की कोटड़ा तहसील में विद्युत आपूर्ति हेतु 55 गांवों में खम्बे खड़े हैं। इन 55 गांवों में खम्बे खड़े होने की सूची संलग्न है।

(2) इन गांवों में से 49 गांवों में कोई भी आवेदन नहीं आने के कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके। आवेदन प्राप्त न होने के कारण तारों की चोरी के भय से तार उतार लिये गये। बचे हुए 6 गांवों का विद्युतीकरण 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन गुगरोद में बनने पर निर्भर था। 33 के.वी. सब-स्टेशन गुगरोद बनने के लिये 35 किलो मीटर लाइन गोगुन्दा से गुगरोद तक खेंची जानी थी। 33 के.वी लाइन का कार्य प्रारम्भ करके 12 किलो मीटर लाइन का कार्य पूरा कर लिया गया। तत्पश्चात वन विभाग ने पेड़ काटने की अनुमति नहीं दी। जिसके कारण 33 के.वी. लाइन का कार्य रोकना पड़ा। इसलिये इन 6 गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया गया, सिर्फ खम्बे खड़े किये गये।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट–11 देखें।)

वर्ष 1990 से 1993 तक कन्डक्टर वायर की खरीद

384. **श्री राजेन्द्र चौधरी** (बिलाड़ा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्ष 1990–91 व 1992–93 में पावर स्टेशन के लिए कितने कि.मी. कन्डक्टर वायर खरीदा गया और उस पर कितनी लागत आयी ?

(2) वर्ष 1990–91, 1992–93 में पावर स्टेशन बनवाने में कितने कि.मी. कन्डक्टर वायर लगाया गया ? गांव व शहर-वार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1990–91 में 44375 कि.मी. व 1992–93 में 42940 कि.मी. कण्डक्टर खरीदा गया जिसकी लागत क्रमशः 2661.69 व 4233.97 लाख रुपये आई।

(2) वर्ष 1990–91 व 1992–93 में विभिन्न क्षमता का क्रमशः 49866 व 43501 कि.मी. कण्डक्टर ग्रामीण विद्युतीकरण, नये 33 के.वी. एवं 11 के.वी. सब स्टेशनों, नयी 33 तथा 11 के.वी लाइन आदि कार्य हेतु विभिन्न वृत्तों को उपलब्ध करवाया गया है। ग्रामवार, शहरवार सूचना अलग से संकलित नहीं की जाती है।

(ऊर्जा मंत्री)

वृत वार कण्डक्टर उपलब्ध करवाया गया का विवरण निम्नानुसार है:—

वृत	कंडक्टर उपलब्ध कराया वर्ष 1990-91	वर्ष 1992-93
अजमेर	1207	1113
अलवर	3810	2406
भरतपुर		620
भीलवाड़ा	2984	3700
बीकानेर	1330	2542
हनुमानगढ़	2815	2378
जयपुर सिटी	245	175
जयपुर जिला	6979	3996
जोधपुर सिटी	4448	1306
जोधपुर जिला	—	4576
पाली	4229	1434
झुंझुनूं	2296	1819
कोटा	5465	6302
नागौर	5875	3645
सवाईमाधोपुर	2115	2431
सीकर	3553	1551
उदयपुर	2517	3507
योग कि.मी.	49866	43501

कामां क्षेत्र के किसानों को विद्युत आपूर्ति

385. **श्री तंयब हुसैन** (कामां) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सही है कि कामां क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को 24 घण्टे बिजली दिये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

कामां क्षेत्र के किसानों को कृषि कार्य हेतु राज्य के अन्य क्षेत्रों की भांति निर्धारित 8 घन्टे प्रतिदिन ब्लाक्स (दिन व रात्रि की पारी) में विद्युत आपूर्ति की जा रही है। राज्य में विद्युत की मांग उपलब्धि की तुलना में अधिक होने के कारण किसानों को कृषि कार्य हेतु 24 घण्टे विद्युत उपलब्ध करना वर्तमान में संभव नहीं है।

राज्य के विद्युत विहीन ग्राम

386. **रामेश्वरलाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) राज्य में ऐसे कितने ग्राम है जो विद्युतीकृत नहीं है ?

(2) विद्युतीकरण के संबंध में राज्य सरकार की क्या नीति है ?

(3) विद्युत विहिन ग्रामों का कब तक विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) वर्ष 1981 की जनगणना पु[illegible] कानुसार राज्य में कुल 37124 ग्राम हैं जिनमें से माह जनवरी, 1994 तक 29789 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा राज्य में 7335 ग्रामों का विद्युतीकरण करना शेष है।

Page No.53

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

(2) प्रतिवर्ष नये गांवों का विद्युतीकरण के लिये राज्य सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण नीति निर्धारित करती है। इस नीति के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत समिति में उनके विद्युतीकरण स्तर के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। जिन पंचायत समितियों का विद्युतीकरण स्तर बहुत कम होता है उनमें ज्यादा ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा जाता है।

वर्ष 1993–94 के दौरान राज्य सरकार द्वारा घोषित ग्रामीण विद्युतीकरण नीति के अनुसार 750 ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित है इसके सापेक्ष प्रत्येक पंचायत समिति में उनके विद्युतीकरण स्तर के आधार पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(3) सभी ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में समयावधि बताना संभव नहीं है। योजना मद में ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आवंटित वित्त एवं घोषित वार्षिक लक्ष्यानुसार शनैः शनैः शेष ग्रामों का विद्युतीकरण आगामी वर्षों में वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार किया जा सकेगा।

विद्युत मण्डल को सरकार की ओर से जारी आदेश

387. **श्री विष्णु मोदी** (पुष्कर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(1) क्या राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल को गत तीन वर्षों में कोई डाइरेक्टिव्ज, आदेश तथा निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो किस-किस विषय में ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मण्डल ने सरकार द्वारा दिये गये डाइरेक्टिव्ज, आदेश एवं निर्देशों का पालन किया है ? यदि हां, तो किस-किस रूप में ? यदि नहीं, तो किस-किस डाइरेक्टिव्ज, आदेश अथवा निर्देश का पालन नहीं किया है और क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल द्वारा उक्त डाइरेक्टिव्ज, आदेश/निर्देशों की पालना नहीं किये जाने के सन्दर्भ में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) जी नहीं, राज्य सरकार ने विद्युत मण्डल को गत तीन वर्षों में (जनवरी, 1991 से अब तक) विद्युत (प्रदाय) अधिनियम की धारा 78–ए के अधीन कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किये हैं, हालांकि राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति 1990 से संबधित आदेश दिनांक 29.1.1991 को को तथा कृषि कनेक्शन नीति सम्बन्धित आदेश दिनांक 27.1.93, 4.6.93, 12.8.93, 23.11.93 को प्रसारित किये हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा दिये गये उक्त आदेशों की अनुपालना उन्हें मण्डल में लागू करके कर दी गई है।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

जयपुर के विभिन्न मार्गों पर संचालित निगम की बस सेवा

388. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की विद्याधर नगर से किन-किन मार्गों पर बसें संचालित की जाती हैं ? प्रत्येक मार्ग पर उपलब्ध बसों की संख्या एवं समय सारिणी मय स्टोपेज के विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि वर्तमान में उपरोक्त मार्गों पर संचालित बसों की संख्या यात्रियों के अनुपात में अपर्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार कालोनी वासियों की सुविधा के लिए बसों की व मार्गों की संख्या जिनमें मार्ग आमेर से विद्याधर नगर तथा विद्याधर नगर से गलता गेट आदि नये मार्ग सम्मिलित करते हुए वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या वर्तमान में संचालित बसों को जो कि विद्याधर नगर थाने तक ही चलती हैं को विद्याधर नगर के अंदरूनी क्षेत्रों में स्थित सभी सैक्टरों तक जनता की सुविधार्थ बसों के संचालन का विचार रखती है ? यदि हां तो कब तक ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा विद्याधर नगर से निम्न मार्गों पर नगरीय बस सेवाओं का संचालन किया जाता है :-

1. विद्याधर नगर से सांगानेर वाया शास्त्रीनगर पीतल फैक्ट्री-चांदपोल-छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़-सांगानेरी गेट-अजमेरी गेट-एस. एम. एस. हास्पिटल रामबाग सर्किल-टौंक फाटक-गूजर की थड़ी-मान सरोवर।

2. मुरलीपुरा से जगतपुरा वाया विद्याधरनगर-शास्त्री नगर-पीतलफैक्ट्री-चांदपोल-सिन्धी केम्प-पोलो विक्ट्री-जी. पी. ओ. अजमेरी गेट-रामबाग सर्किल-बिड़ला-मन्दिर--विश्वविद्यालय-सरस डेयरी-मालवीय नगर सैक्टर नं. 1, 2, 3.

3. मुरलीपुरा से मालवीय नगर वाया मथा खेडा--अम्बाबाडी--पानी पेच-पीतल-फैक्ट्री--चांदपोल-सिन्धी केम्प--पोलो-विक्ट्री-जी.पी.ओ.-अजमेरी गेट राम-बाग सर्किल बिड़ला मन्दिर-विश्वविद्यालय---सरस डेयरी--मालवीय नगर सैक्टर नं. 1 2. 3.

मार्गवार उपलब्ध बसों की संख्या, समय-सारिणी एवं ठहराव स्थल दर्शाते हुये विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-"अ, ब, एवं स")

(2) जी नहीं। वर्तमान में विद्याधर नगर से उपरोक्त तीनों मार्गों पर संचालित की जा रही बस सेवाओं को क्रमश: 55 प्रतिशत, 42 प्रतिशत एवं 47 प्रतिशत यात्री भार उपलब्ध हो रहा है जिससे स्पष्ट है कि यात्रियों की उपलब्धता के अनुरूप इन मार्गों पर संचालित बसों की संख्या पर्याप्त है। जहां तक आमेर एवं गलतागेट के लिये बसों के चलाये जाने का प्रश्न है, विद्याधर नगर से आमेर एवं गलता गेट जाने वाले यात्री निगम द्वारा संचालित रेलवे स्टेशन

(यातायात मन्त्री)

से आमेर एवं रेलवे स्टेशन से गलता गेट की बसों का उपयोग चांदपोल से कर रहे हैं।

(3) इस सम्बन्ध में परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त वाहनों की उपलब्धता को दृष्टि में रखते हुये बस सेवा उपलब्ध कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

मुरलीपुरा से मालवीय नगर, जयपुर तक निगम की बस सेवा

389. श्री रामेश्वर भारद्वाज (किशनपोल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बस मुरलीपुरा से मालवीया नगर (अम्बाबाड़ी-नयाखेडा होती हुई) हेतु वर्तमान में चलाई जा रही है ? यदि समय सारिणी सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उपरोक्त मार्ग पर चलाई जा रही बसों की संख्या अपर्याप्त है ? यदि हां, तो इस मार्ग पर सरकार का और कितनी बसें कब से चलाने का विचार है ?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा मुरलीपुरा से मालवीय नगर वाया नया खेड़ा-अम्बाबाडी होते हुये 4 वाहनें चलाई जा रही हैं जिनके द्वारा दैनिक 44 परिचक्र संचालित किये जा रहे हैं। इन परिचक्रों की समय सारिणी दर्शाते हुये विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ठ-"अ")

(2) जी नहीं। इस मार्ग पर चल रही निगम की बस सेवाओं को औसत यात्री भार 47 प्रतिशत उपलब्ध हो रहा है। अत: उपलब्ध हो रहे यात्री भार को देखते हुये इस मार्ग पर अतिरिक्त बसें चलाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें।)

बांदीकुई से टोडाभीम तक चलने वाली बिना परमिट व खस्ता हालत बसें

390. श्री अजय (नोहर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बांदीकुई से वाया बालाजी मोड़ होकर टोडाभीम के लिये प्राइवेट बसें चलती है ? यदि हां, तो कितनी ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें यातायात विभाग ने रूट परमिट जारी किये हुये है ? यदि हां, तो किस-किस वर्ष में कितने परमिट जारी किये गये व इनका क्या आधार रहा ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि इन बसों के परमिट्स को समय-समय पर चैक किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(श्री अजय)

(4) क्या यह भी सही है कि जिस आधार पर इन निजी बसों को रूट परमिट जारी किये जाते हैं वे उसी हालत में चल रही है ? यदि नहीं, तो उनके परमिट जब्त क्यों नहीं किये गये ?

(5) ऐसी बसें जो सही हालत में नहीं है व जिनके पास रूट परमिट भी नहीं है क्या सरकार उन बसों को जब्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। इस मार्ग पर 9 प्राइवेट बसों को परमिट जारी किए हुए हैं। किन्तु वर्तमान में केवल एक बस संचालित है, शेष बसों के न चलने के संबंध में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिए गए हैं। संचालित बस का नम्बर आर. एन. ई. 3475 है।

(2) जी हां। इन बसों को रूट परमिट जारी किये हुए हैं। वर्ष 1983 में 1, 1992 में 3, तथा 1993 में 5 परमिट जारी किये गये हैं। परमिट जारी करने का आधार जनहित में परिवहन सेवा उपलब्ध कराना है।

(3) जी हां।

(4) बाणगंगा नदी में अधिक रेतीली मिट्टी आ जाने के कारण वर्तमान में मार्ग पर केवल एक बस संचालित है। शेष बसें जो नहीं चल रही हैं, उनके विरुद्ध मोटर-वाहन अधिनियम की धारा 86 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

(5) वर्तमान में मार्ग पर एक ही बस संचालित है, जिसकी दशा सही पाई गई एवं उसका परमिट भी वैध है। चैकिंग के दौरान इस मार्ग पर बिना परमिट कोई वाहन चलती नहीं पाई गयी है।

उदयपुर से चलने वाली लग्जरी बसें

391. **श्री शिवकिशोर सनाढ्य** (उदयपुर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) उदयपुर से अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा, नडियाद की ओर जाने वाली बसों में कितनी बसें लग्जरी हैं और उनके उदयपुर से प्रस्थान के लिए समय क्या-क्या है ?

(2) क्या यह सही है कि उदयपुर से अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत आदि की ओर जाने वाली रात्रि कालीन बसों में यात्रियों को सुविधापूर्ण ढंग से यात्रा करने की सुविधा नहीं है, और बसों का रखरखाव भी उपयुक्त ढंग से नहीं होने से यात्रियों को बड़ी परेशानी हो रही है ?

(3) उदयपुर से बम्बई, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद की ओर कितनी वीडियो बसें अवैध रूप से चल रही हैं ? ये बसें किन-किन ट्रैवल्स एजेन्सीज की हैं ?

(4) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में पर्याप्त सुविधा लग्जरी बसों के समान नहीं होने से आम जनता निगम की बसों में यात्रा नहीं कर रही हैं ? यदि हां, तो इसके लिए परिवहन विभाग की क्या योजना है और ऐसी लग्जरी बसें कब तक चालू करने का विचार है ?

(श्री शिवकिशोर सनाढ्य)

(5) क्या यह सही है कि उदयपुर से बीकानेर, जैसलमेर को जाने वाली बसें सुविधायुक्त नहीं होने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है यदि हां, तो इसके निराकरण के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) परिवहन निगम द्वारा उदयपुर से अहमदाबाद सूरत, बड़ौदा, नडियाद के लिये कोई लग्जरी वाहनें संचालित नहीं की जा रही हैं। निगम द्वारा इन मार्गों पर द्रुतगामी वाहने संचालित की जा रही है, जिनका उदयपुर से प्रस्थान समय दर्शाते हुए मार्गवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 1 में अंकितानुसार है।

(2) निगम द्वारा इन मार्गों पर रात्रि में द्रुतगामी सेवाओं का संचालन किया जा रहा है, जो सभी वर्ष 1990 के माडल के पश्चात् की वाहनें है, जिनकी सीटें एवं बाडी आदि की स्थिति ठीक है। निगम की बसों के असुविधाजनक होने बाबत कोई जन परिवाद भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) इन बसों की संख्या निश्चित नहीं है तथा उदयपुर में ट्रेवल्स एजेन्सीज के नाम से बसें पंजीकृत नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। निगम द्वारा उदयपुर से बीकानेर जैसलमेर के लिये वर्ष 1991 से 1993 माडल के बीच की नई वाहनें संचालित की जा रही हैं जिनके असुविधाजनक होने के सम्बन्ध में कोई जन परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 13 देखें।)

निगम की शहरी परिवहन व्यवस्था

392. श्री कुबेर सिंह (फलासिया): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि मानसरोवर से बड़ी चौपड़ वाया अजमेरी गेट के लिए राज्य पथ परिवहन निगम की बसें संचालित की जाती हैं? यदि हां, तो बसों की संख्या, समय सारणी किराया तालिका सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मानसरोवर से शहर की दूरी को देखते हुए क्या राज्य सरकार इन बसों के परिचालन में सुधार करने के लिये एवं एक बस से दूसरी बस के समय में कमी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार क्षेत्रीय जनता की सुविधार्थ इन बसों को अग्रवाल फार्म से वाया मानसरोवर चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बसों की संख्या, समय सारणी एवं किराया तालिका सहित विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है (परिशिष्ट 1 व 2)

(यातायात मंत्री)

(2) जी नहीं। वर्तमान में इस मार्ग की बस सेवाओं का औसत यात्रीभार 55 प्रतिशत एवं औसत आय प्रति कि.मी. 4.56 रु. है। अत: वर्तमान में उपलब्ध हो रहे यात्री भार को देखते हुये इस मार्ग पर बसों की संख्या और बढ़ाने का कोई विचार नहीं है। इस मार्ग पर यात्री भार बढ़ाने की स्थिति में सेवाओं में और वृद्धि की जा सकती है।

(3) जी हां, इस मार्ग की सभी बसें मानसरोवर रेल्वे क्रांसिग से रीको औद्योगिक क्षेत्र, अग्रवाल फार्म होती हुई संचालित हो रही हैं। इन बसों के अतिरिक्त मानसरोवर कालोनी अग्रवाल फार्म की आबादी होकर सांगानेर से गलता गेट एवं सांगानेर से राजापार्क मार्ग की बसें भी संचालित है। इस प्रकार अग्रवाल फार्म सहित पूरी मानसरोवर कालोनी नगरीय बस सेवाओं से पूर्णतया लाभान्वित हो रही है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखा गया।)

नये बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण

393. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार का नये बस मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने का इरादा है? यदि हां, तो कौन-कौन से मार्गों का, कब-कब से?

(2) क्या नये मार्गों का राष्ट्रीयकरण करने की योजनाएं राज-पत्र में प्रकाशित कर रखी हैं? यदि हां, तो उसका अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किये जाने के क्या कारण हैं? तथा ऐसे कौन-कौन से मार्ग हैं, जिनकी योजनाएं राज-पत्र में लाया की और कब-कब?

(3) क्या सरकार ने कुछ योजनाओं को राज-पत्र में लाया होने के बाद खारिज किया है? यदि हां, तो कौन-कौन सी योजनाएं, कब-कब खारिज की तथा क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किये जाने के कारण दर्शाते हुये मार्गवार प्रकाशित योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रकाशन दिनांक	कारण
1	2	3	4
1.	घड़साना-रावला विजयनगर-रजियासर श्री करणपुरर-रायसिंहनगर अर्जु नसर-पल्लू रायसिंहनगर-जैतसर	25.7.86	योजना एक वर्ष का समय पूर्ण हो जाने जा कारण लेप्स हो चुकी है, लेकिन अभी निर्णय नहीं दिया है।

Page No.59

-(यातायात राज्य मंत्री)

1	2	3	4
2.	ब्यावर-भीलवाड़ा भीलवाड़ा-देवली ब्यावर-करेड़ा भीलवाड़ा-शाहपुरा शाहपुरा-देवली जहाजपुर-देवली	16.7.91	योजना एक वर्ष का समय पूर्ण हो जाने के कारण लेप्स हो चुकी है, लेकिन अभी निर्णय नहीं दिया है।
3.	जयपुर-दांतारामगढ़ जयपुर हिंगोनिया हिंगोनिया-जोबनेर	13.6.79	योजना पर स्थगन आदेश होने के कारण सुनवाई में चल रही हैं।
4.	उदयपुर-केलवाड़ा	12.8.87	,, ,,
5.	चित्तौड़गढ़-बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़-सांवरियाजी चित्तौड़गढ़-चिकरडा	1.8.88	,, ,,

(3) जी हां, ऐसी योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क.सं.	योजना का नाम	मो.वा. की धारा 68-सी में प्रकाशन की दिनाक	खारिज/लेप्स होने की दिनाक	विवरण
1	2	3	4	5
1.	केकड़ी-कादेड़ा, केकड़ी-शाहपुरा श्री नगर-नसीराबाद खरवा-मसूदा	16.11.87	--	दिनांक 22.1.93 को योजना का अनुमोदन कर दिया गया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रकाशन नहीं किया गया है।

Page No.60

(यातायात राज्य मंत्री)

1	2	3	4	5
2.	कोलायत रणजीतपुरा	25.7.86	—	दि. 16.8.93 को योजना का अनुमोदन कर दिया गया है लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रकाशन नहीं किया गया है।
3.	कडगांव–सपोटरा	14.12.87	—	दि. 26.3.93 को योजना का अनुमोदन कर दिया गया था लेकिन राज्य सरकार द्वारा प्रकाशन नहीं किया गया है।
4.	मावली–भटेवर–मंगलवाड़–निम्बाहेडा	13.4.79	22.9.87	—
5.	धरियावद–सलूम्बर	13.4.79	15.10.87	—
6.	प्रतापगढ़–राजपुरिया–प्रतापगढ़–जालन्धरखेड़ा–प्रतापगड़–अरनोद	13.4.79	15.10.87	—
7.	छोटीसादड़ी–प्रतापगढ़–बांसवाड़ा–प्रतापगढ़	12.8.87	30.11.90	—
8.	बांसवाड़ा–नरवाली–बांसवाड़ा–धरियावद–बासवाड़ा–बान्सी–प्रतापगढ़–धरियावद–धरियावद–बान्सी	13.4.79	15.10.87	—
9.	ओसिया–सोयला–चांडी–ओसिया	16.11.87	15.12.88	—
10.	धोरीमन्ना–चौहटन–फलौदी–सोलिया	25.11.87	5.6.89	खारिज
11.	सांडेराव–तखतगढ़ केनपुरा–देसूरी पाली–भादेडी	16.11.87	16.5.89	निगम द्वारा रिट संख्या 313/90 कर रखी है।

Page No.61

(यातायात राज्य मंत्री)

1	2	3	4	5
12.	केनपुरा–चाणोद	21.12.87	8.5.89	—
13.	चौमूं–खेजरोली, चौमूं–अजीतगढ़ बांदीकुई–गुढाकटला	29.6.87	30.6.89	
14.	जयपुर–गोमेर	14.12.87	4.6.90	निगम द्वारा रिट संख्या 4821/90 दि. 18.12.90 (खारिज)
15.	धौलपुरा–बसईनबाब, बाड़ी–बसईनबाव	25.7.87	18.11.90	
16.	रींगस–दांतारामगढ़	7.12.87	18.11.90	
17.	धौलपुर–करौली	25.7.87	18.11.90	
18.	भरतपुर–रारह	25.7.87	20.11.90	
19.	धौलपुर–केसरी, धौलपुर, सिरोही भरतपुर–घाटोली	25.7.87	27.11.90	
20.	सलूम्बर–केसरियाजी, पलोदरा–केसरियाजी, केसरियाजी–जयसमन्द	7.12.87	4.12.90	
21.	उदयपुर–नाथद्वारा	11.12.87	4.12.90	
22.	अजमेर–डेगाना वाया पुष्कर अजमेर–डेगाना वाया नटवर, बोरून्दा–परबतसर, डेगाना–तरनाऊ	29.6.77	16.4.91	
23.	अजमेर–अराई, डबरेला–सरवाड़ अजमेर–रामगढ़–किशननढ़–सरवाड़	30.11.87	23.4.91	
24.	रातडी–मेड़ता	12.6.89	1.7.90	
25.	कोटडी–जहाजपुर, शाहपुरा कोटडी	12.8.88	29.6.92	
26.	दौसा–बोंली, निवाई–बोंली	9.11.87	3.7.92	
27.	भीलवाड़ा–देवगढ़, गोरखिया–भीलवाड़ा	11.6.90	18.6.92/ 19.6.92	

Page No.62

(यातायात राज्य मंत्री)

1	2	3	4	5
28.	चौमूं–रेनवाल, चौमूं–कालाडेरा	12.8.87	8.12.92	
29.	ब्यावर–पीसांगन	30.11.87	17.9.92	
30.	श्रीगंगानगर–साधुवाली, गंगानगर–सादुंलशहर, सादुंलशहर–सांगरिया	25.7.86	6.12.92	
31.	गंगानगर–हिन्दूमलकोट, राजगढ़–बासरा (राज.सीमा), लूणकरणसर–सरदारशहर, राजगढ़–गोठिया, डूंगरगढ़–बीदासर	25.7.86	17.8.93	
32.	हनुमानगढ़–थालड़का, हनुमानगढ़–राजपुरिया रावतसर–टी बाढ़	25.7.86	14.11.92	
33.	भादरा–जासल (राज. सीमा) भादरा–बालसमन्द (राज. सीमा) नोहर–जासल (राज. सीमा)	25.7.88	14.12.91	
34.	दौसा सवाई माधोपुर	4.8.86	31.10.92	
35.	ब्यावर–भीलवाड़ा, भीलवाड़ा–देवली, ब्यावर करेडा भीलवाड़ा–शाहपुरा, शाहपुरा–देवली, जहाजपुर–देवली	18.9.91	17.9.92	
36.	ब्यावर–शाहपुरा	16.5.88	5.10.92	

ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बस सेवा से जोड़ना

394. श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : क्या यातायात राज्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार यातायात सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए ग्राम पंचायत मुख्यालयों को बसों की सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है ?

(2) पंचायत समिति लालसोट के जिन ग्राम पंचायत मुख्यालयों को पक्की सड़कों से जोड़ने के बाद बस सुविधा से नहीं जोड़ा गया है क्या उनका सर्वे करवाया गया है ? यदि हां, तो किन-किन ग्राम पंचायत मुख्यालयों का ?

(3) क्या सरकार खटवा, श्रीमा, महरिया, कालूवास, श्यामपुरा, तलागांव को

(श्री परसादी लाल मीणा)

शीघ्र बस सुविधा से जोड़ने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) वर्तमान में ऐसी कोई योजना विभाग के विचाराधीन नहीं है।

(2) पंचायत समिति लालसोट के श्रीया व खटवा दो ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय हैं, जिन्हें पक्की सड़कों से जुड़े होने के बाद बस सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन गांवों को बस सेवा से जोड़ने हेतु सर्वे करवा लिया गया है।

(3) ग्राम खटवा व श्रीमा को बस सेवा से जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। महारिया को दो सेवाएं लालसोट, गंगापुर वाया बगड़ी निजी मार्ग से उपलब्ध है। कालूवास को चार सेवाएं जयपुर–राहूवास व तूंगा-लालसोट निजी मार्ग से उपलब्ध है। श्यामपुरा को तीन सेवाएं लालसोट कोटखावदा निजी मार्ग से उपलब्ध है। तानाचग्राम कच्चा मार्ग होने से सेवाएं उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

सवाई माधोपुर जिले को जनजातीय क्षेत्र घोषित करना

395. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार सवाईमाधोपुर जिले को जन जातीय क्षेत्र घोषित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या जन जाति विकास क्षेत्र घोषित करने के लिए कोई शर्तें हैं ? यदि हां, तो क्या क्या ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। वर्तमान में सवाई–माधोपुर जिले को जनजाति उपयोजना क्षेत्र घोषित करने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(2) जी हां। सरकार द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र स्वीकृत करने हेतु शर्तें (मानदण्ड) निर्धारित हैं। इन मानदण्डों के अनुसार (अ) जिले की कुल जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भाग जनजाति जनसंख्या का हो।

(ब) वे तहसीलें जिनकी 50 प्रतिशत या इससे अधिक जनसंख्या जनजातियों की हो (स) वे खण्ड जिनकी कुल जनसंख्या का कम से कम 50 प्रतिशत भाग जनजाति जनसंख्या का हो, को जनजाति उपयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत लिया जा सकता है।

कृषि भूमि सुधार कार्यक्रम, डूंगरपुर

396. **श्री शंकरलाल अहारी** (चौरासी) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले में सिडा प्रोग्राम के माध्यम से बन्जर, पड़त व कृषि भूमि में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों में कुल कितनी हैक्टर भूमि पर यह कार्य चल रहा है ? तहसील व पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य किन-किन संस्थाओं के मार्फत किन–किन क्षेत्रों या गांवों में चलाये जा रहे हैं ? नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No.64

उत्तर

(1) डूंगरपुर जिले में खण्ड डूंगरपुर में 34 गांवों में बंजर, पड़त एवं कृषि भूमि पर भूमि सुधार के 255.62 हैक्टर भूमि पर कार्य करा लिये गये हैं। तथा 230.00 हैक्टेयर भूमि पर कार्य प्रगति पर है तथा बिछिवाड़ा खण्ड में 27 गांवों में 195.36 हैक्टेयर भूमि पर कार्य पूर्ण करा लिये गये हैं एवं 1060 हैक्टेयर भूमि पर कार्य प्रगति पर हैं। ग्रासपुर खण्ड में अभी भूमि सुधार संबंधी कार्य प्रारम्भ नहीं हुए हैं। इस माह में 10 गांवों में कार्य प्रारम्भ कराये जायेंगे। इस प्रकार जिले में कुल 61 गांवों में 450.98 हैक्टेयर भूमि पर कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 1290 हैक्टेयर भूमि पर कार्य प्रगति पर हैं। तहसील एवं पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) परियोजना द्वारा जन-सहभागिता के माध्यम से कार्य कराये जा रहे हैं। गांवों की सूची संलग्न है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट–14 देखें।)

जयपुर शहर में रसोई गैस कनेक्शन

397. **श्री चुन्नीलाल गरासिया** (उदयपुर ग्रामीण) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जयपुर शहर में रसोई गैस कनेक्शन हेतु आवेदन–पत्र विभाग द्वारा कब आमंत्रित किये गये तथा प्रत्येक जोन में कितने–कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने आवेदकों को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये गये? शेष को कब तक जारी कर दिये जायेंगे? जोनवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में रसोई गैस कनेक्शन हेतु आवेदन–पत्र जिला कलक्टर द्वारा दिनांक 10.2.88 से 25.2.88 की अवधि में आमंत्रित किये गये थे। जोनवार प्राप्त आवेदन–पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :–

जोन संख्या	कुल प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या
प्रथम	16091
द्वितीय	29200
तृतीय	18499
चतुर्थ	19767
कुल योग :–	83557

(2) प्राप्त आवेदकों में से 33120 को गैस कनेक्शन प्रदान कर दिये गये हैं। केन्द्र सरकार से कनेक्शनों का आवंटन जैसे–जैसे प्राप्त होगा, शेष आवेदकों को कनेक्शन जारी कर दिये जावेंगे। जारी किये गये कनेक्शनों का जोनवार विवरण निम्न प्रकार है :–

जोन संख्या	कुल जारी किये गये कनेक्शनों की संख्या
1	2
प्रथम	7675

Page No.65

(खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री)

द्वितीय	12430
तृतीय	6115
चतुर्थ	6900
कुल योग :	33120

सराड़ा (उदयपुर) में उचित मूल्य की दुकानें

398. **श्री रघुवीर सिंह** (सराड़ा) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सराड़ा जिला उदयपुर में कितनी उचित मूल्य की दुकानें कहां-कहां स्थित हैं ? नामजद सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सराड़ा क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं ? यदि हां, तो वहां जिले का कितना प्रतिशत अनाज इन दुकानों को आवंटित किया जा रहा है ? क्या सरकार इस क्षेत्र में अनाज का आवंटन बढ़ाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और कब तक ?

(3) क्या यह सही है कि अनाज आदि का जो आवंटन किया जा रहा है, वह 1981 की जनसंख्या के आधार पर किया जा रहा है ? यदि हां तो क्या सरकार 1991 की जनगणना के आधार पर क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानों को राशन आवंटित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) विधानसभा क्षेत्र, सराड़ा, जिला उदयपुर में कुल 113 उचित मूल्य की दुकानें है, जिनमें से 100 उचित मूल्य की दुकानें सराड़ा तहसील में है और 13 गिर्वा तहसील में हैं। नामजद सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां, सराड़ा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। सराडा विधानसभा क्षेत्र को जिले के आवंटन का लगभग 16.94 प्रतिशत अनाज उचित मूल्य की दुकानों को आवंटित किया जा रहा है। इस क्षेत्र की अतिरिक्त मांग प्राप्त होने पर उपलब्धि के आधार पर राज्य सरकार आवंटन बढ़ाने पर विचार किया जायेगा।

(3) जी, नहीं। अनाज का आवंटन मांग एवं उपलब्धि के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार से अनाज का जो आवंटन प्राप्त होता है, वह भी 1991 की जनगणना के अनुसार न होने के कारण 1991 की जनगणना के आधार पर उचित मूल्य की दुकानों को राशन आवंटन किया जा पाना संभव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

डीग जिला भरतपुर में संचालित औषधालय

399. **श्री अरुण सिंह** (डीग) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र डीग में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने औषधालय हैं तथा उनमें किस-किस श्रेणी के कितने चिकित्सक कार्यरत हैं ?

Page No.66

(श्री अरुण सिंह)

(2) क्या सरकार ने नये औषधालय खोलने के संबंध में कोई मानदण्ड निर्धारित कर रखे हैं ? यदि हां, तो उक्त क्षेत्र में नये औषधालय खोलने के लिए किन-किन शर्तों की पूर्ति वांछनीय है ?

(3) पृथक्-पृथक् श्रेणी के औषधालयों में चिकित्सकों के पदस्थापन के संबंध में क्या राज्य सरकार की कोई नीति निर्धारित है ? यदि हां, तो क्या ?

उत्तर

(1) भरतपुर जिले के डीग विधान सभा क्षेत्र में 3 "अ" श्रेणी एवं 4 "बी" श्रेणी के आयुर्वेद औषधालय स्वीकृत/संचालित हैं। इनमें वर्तमान में 7 आयुर्वेद चिकित्सक पदस्थापित हैं।

(2) नवीन आयुर्वेद औषधालय खोलने हेतु राज्य सरकार की ओर से कोई मापदण्ड निर्धारित किया हुआ नहीं है। नवीन औषधालय खोलते समय स्थानों का चयन सामान्यतः निम्न बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये किया जाता है :—

1. बजट प्रावधान उपलब्ध होना।
2. ग्रामीण क्षेत्र में अन्य राजकीय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं होना।
3. ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क भवन व्यवस्था का उपलब्ध होना।
4. औषधालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त होना
5. नवीन खुलने वाले औषधालय से लाभान्वित होने वाली जनसंख्या लगभग 2000 होना।

(3) चिकित्सकों के पदस्थापन के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था है :—

1. आयुर्वेद पोस्ट ग्रेज्यूएट चिकित्सकों की नियुक्ति यथा सम्भव "अ" श्रेणी चिकित्सालयों में करने के निर्देश हैं।
2. रसायनशालाओं में रस शास्त्र, औषधि नियंत्रण संगठन में द्रव्य–गुण अथवा रस शास्त्र, नर्सिंग प्रशिक्षण केन्द्र में विषय विशेष के स्नातकोत्तर उपाधिकारी, अजमेर भ्रमणशील शल्य चिकित्सालयों में शल्य एवं अन्य चल चिकित्सा इकाइयों में क्लिनीकल विषयों के स्नातकोत्तर उपाधिकारी चिकित्सकों को यथासम्भव पदस्थापित करने के निर्देश हैं।

राज्य में निजी स्तर पर संचालित नर्स/कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्र

400. **श्री अर्जुनदास मदान** (लाडपुरा) : क्या आयुर्वेद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य में निजी स्तर पर चलने वाले नर्स एवं कम्पाउण्डर प्रशिक्षण केन्द्रों के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अयोग्य शैक्षणिक स्टाफ, अपर्याप्त प्रायोगिक सुविधायें तथा छात्रों से फीस के नाम पर धन की वसूली, आदि की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं ?

(2) क्या सरकार इन निजी संस्थाओं की मान्यता समाप्त कर छात्रों को शोषण से मुक्ति दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) इन निजी संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने के लिए राजस्थान विश्व-विद्यालय को लिखा गया है । इस सम्बन्ध में विश्व विद्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है ।

अनुपस्थित के लिए अनुमति

श्रीमती उजला अरोड़ा, सदस्य विधान सभा को दिनांक 8 मार्च से 22 मार्च 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि डाक्टर उजला अरोड़ा, सदस्या, विधान सभा ने शारीरिक अस्व-स्थता के कारण दिनांक 8 मार्च, 1994 से 22 मार्च, 1994 तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है ।

क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) श्री गोविन्द सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से राजस्थान में विश्व बैंक की मदद से संचालित सामाजिक वानिकी योजना को 28 फरवरी, 1994 से समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव पर राज्य सर-कार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा ।

(2) श्री रामनारायण चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से झुंझनूं जिले के गांवों में सिंचाई हेतु 8 घंटे बिजली देने की घोषणा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

राज्य सरकार का जवाब प्राप्त हो गया है, इस स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने में असमर्थ हूं । इस पर माननीय सद-स्य दो मिनट बोल सकेंगे ।

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

(1) श्री रघुवीर सिंह मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र सराड़ा के काश्तकारों की भूमि को अमीनों द्वारा सिवाय चक घोषित करने के सम्बन्ध में ।

(2) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य, विधान सभा की ओर से जोधपुर शहर में पेयजल की समुचित एवं नियमित व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में ।

(3) श्री भीखा भाई, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सागवाडा में महाविद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में ।

(4) श्री फूलचन्द मीणा, सदस्य, विधान सभा की ओर से उदयपुर स्थित अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत खण्ड मुख्यालय

(श्री अध्यक्ष)

को सलूम्बर में स्थापित करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जितेन्द्र नीनामा, सदस्य, विधान सभा की ओर से माही परियोजना बांसवाड़ा की नहरों को पक्की कराने तथा कमाण्ड एरिया घोषित गांवों में नहरों का निर्माण कार्य शुरू करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री रामपाल उपाध्यक्ष, सदस्य, विधान सभा की ओर से भीलवाड़ा जिले के गंगापुर व रायपुर कस्बों की जलदाय योजनाओं में सुधार करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री उदयलाल आंजना, सदस्य, विधान सभा की ओर से निम्बाहेड़ा के छोटी सादड़ी क्षेत्र के कतिपय गांवों में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

(8) श्री बाबूलाल वछेर, सदस्य, विधान सभा की ओर से विधान सभा क्षेत्र दूदू की विद्युतीकरण एवं विद्युत आपूर्ति की भीषण समस्या के सम्बन्ध में।

(9) श्री ओमप्रकाश शर्मा, सदस्य, विधान सभा की ओर से बूंदी जिले के गरडदा बांध की स्वीकृति तुरन्त केन्द्रीय जल आयोग से करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भंवरसिंह चौधरी, सदस्य, विधान सभा की ओर से राज्य के नागौर जोधपुर एवं चूरू जिलों में पेयजल की गंभीर समस्या के सम्बन्ध में।

(11) श्री रामचन्द्र रावत, सदस्य, विधान सभा की ओर से कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र की कतिपय लाइन स्टोन खानों में अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री राजेन्द्र गहलोत, सदस्य, विधान सभा की ओर से बिलाड़ा सीमेण्ट फैक्ट्री, पिचियाक को विद्युत कनेक्शन जारी करने में हुई अनियमितता की जांच रिपोर्टों पर कार्यवाही नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री बद्री प्रसाद गुरुजी, सदस्य, विधान सभा की ओर से कृषि उपज मण्डी समिति माण्डलगढ़ व भीलवाड़ा की कतिपय अधूरी व नयी प्रस्तावित सड़कों की स्वीकृति प्रदान कर राहत दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से ब्यावर क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण के सम्बन्ध में।

(15) श्री शांतिकुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से हिण्डोली तहसील में विभिन्न विकास योजनाओं के तहत किये गये निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(16) श्री दयाराम परमार, सदस्य, विधान सभा की ओर से सिंचाई उप खण्ड खैरवाड़ा का कार्यालय खैरवाड़ा से ऋषभदेव स्थानान्तरित कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(17) श्री राकेश मेघवाल, सदस्य, विधान सभा की ओर से परबतसर विधान सभा क्षेत्र में बिजली की समस्या के स्थायी समाधान हेतु नागौर में 132/33 के. वी.

(श्री अध्यक्ष)

जी. एस. एस. की स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

(18) श्री महादेव सिंह, सदस्य, विधान सभा की ओर से विजयपुरा फीडर में विद्युत सप्लाई में बरती जा रही अनियमितताओं के कारण ग्रामीणों में भयंकर रोष व्याप्त होने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना को पढने की अनुमति होगी।

श्री रामनारायण चौधरी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन है।

दो तारीख को मैंने 295 के तहत....

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, हमारे 295 के गत सत्र के जवाब ही नहीं आये।

श्री मोहनलाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं दो-तीन दफा निवेदन कर चुका हूं। मैंने 2-3-95 को विशेष उल्लेख के जरिये एक प्रस्ताव दिया था....

श्री अध्यक्ष : आपके विशेष उल्लेख को मैं रोटेशन से बराबर सबके लगा रहा हूं।

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, दो तारीख का दिया हुआ है।

श्री अध्यक्ष : दो तारीख का दिया हुआ है तो मैं देख कर बता सकूंगा। या तो लगा है या अनुपस्थित रहे होंगे।

श्री मोहनलाल मोदी : मैं तो बराबर उपस्थित रहता हूं।

श्री अध्यक्ष : तो फिर निश्चित रूप से, या तो आप आकर देख लीजिये। आप कितनी बार बोल चुके हैं ?

श्री मोहनलाल मोदी : दो दफा।

श्री अध्यक्ष : दो दफा बोल गये ना।

श्री मोहनलाल मोदी : हां।

श्री अध्यक्ष : हां, तो आपका नम्बर आ जाएगा। अभी जो एक बार बोले हैं उनका और जो नये आये हैं उनको शामिल किया है। आप दो बार बोल चुके हैं, आपका नेक्स्ट में आ जाएगा।

श्री परसराम मोरदिया (लक्ष्मणगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी एक कल दिया था, 295 के तहत आर. ए. एस. एग्जाम में........

श्री अध्यक्ष : वह कल आपका लैप्स हो गया, आज आपने........

श्री परसराम मोरदिया : कल तो हो-हल्ला में मैं क्या बोलता।

श्री अध्यक्ष : हां, तो मैं दुबारा दूंगा। देखिये मैं रोज 12 लगाता हूं आज 18 लिये हैं, अब इससे ज्यादा नहीं लगा सकते।

श्री परसराम मोरदिया : मामला गम्भीर है।

श्री अध्यक्ष : हां, मैं दे दूंगा। आज नहीं, कल लैप्स नहीं होगा।

श्री रामनारायण (नैनवां) : प्रश्न यह है कि एक सप्ताह में एक आप हमारे...

श्री वीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्रीमाधोपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनट चाहता हूं। मेरा एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको दिया था और उस पर आपने व्यवस्था दी थी। अध्यक्ष महोदय, 122 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में आरोप साबित हो गये और उसकी चालान की स्वीकृति नहीं दिये जाने के विरोध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आपको दिया था। आपने उसको बड़ी कृपा करके सरकार को भेज दिया। इतना ही निवेदन है कि सरकार उसकी रिपोर्ट सदन को दें, उसकी तारीख तो आप निश्चित कर दें।

श्री अध्यक्ष : हां, कर दूंगा।

श्री वीपेन्द्र सिंह शेखावत : वरना वह इस सदन में नहीं आने वाली है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री वीपेन्द्र सिंह शेखावत : आप तिथि निश्चित करवा दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : मेरी तरफ से जब जवाब होगा उस दिन आपको जवाब दे दूंगा....

श्री वीपेन्द्र सिंह शेखावत : तारीख तय करवा दीजिये।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी तरफ से जवाब होगा, उसमें इस पाइंट को भी मैं देख लूंगा और जवाब दे दूंगा। आज भी आप चाहो तो जवाब मेरे पास है।

श्री परसराम मोरदिया : अध्यक्ष महोदय, काफी गम्भीर मसला है।

श्री अध्यक्ष : हां, गम्भीर है, मुझे पता है, वह जरूर लगेगा, आप चिन्ता मत कीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था। झुंझुनूं जिले में राज्य सरकार द्वारा आठ घन्टे की बिजली काश्तकारों को नियमित रूप से नहीं देने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति जिसमें देहात के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए रोशनी मिलने में, पूरे जिले में 700 गांवों पर उसका यह प्रभाव पड़ा कि शाम को 6 बजे से रात के 11 बजे तक और सुबह 8 बजे तक बिजली बिलकुल बन्द कर दी गयी, काट दी गयी जिसका परिणाम यह हुआ, मान्यवर, कि स्कूलों के बच्चे जिनकी परीक्षाएं नजदीक हैं, बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं आ रही हैं, इसके अलावा रोजमर्रा का होम वर्क विद्यार्थियों का गांवों में केरोसिन तेल की कोई व्यवस्था नहीं है और कहीं से लाते भी हैं तो पुराने जमाने की चिमनी और लालटेन अब गांवों प्रयोग में लिया जाना करीब करीब बन्द सा हो गया है। तो लड़कों के ऊपर, इनकी पढाई के ऊपर विपरीत असर पड़ रहा है। मैंने ध्यान आकर्षित किया स्थगन प्रस्ताव के द्वारा कि इस बिजली की रिशिड्यूलिंग इस तारीके से किया जाए कि छात्रों को पढने के लिए बिजली की व्यवस्था हो सके। शाम को 5 बजे से लेकर 11 बजे तक और सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे तक बिजली की व्यवस्था छात्रों के लिए पूरे झुंझुनूं जिले के अन्दर होनी चाहिए। यह मैंने आपसे मांग की थी।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। मंत्रीजी ध्यान देंगे। श्री रघुवीर सिंह मीणा (अनुपस्थित) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। 29 पढ़िये।

श्री रामनारायण वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : मैंने....

श्री अध्यक्ष : नहीं, नहीं बैठिये। मैंने इजाजत नहीं दी। मैंने आपको इजाजत दी नहीं और दूंगा नहीं। इसलिये आप बैठ जाइये।

श्री रामनारायण वर्मा : आपने एक प्रोसीजर....

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाइये। रामनारायण जी का कुछ भी अंकित नहीं हो। आप विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। आपका कोई रिकार्ड में नहीं आ रहा है।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : आप प्लीज टेक योअर सीट।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : प्लीज माननीय सदस्य महोदय कृपा करके, मेहरबानी करके सहयोग करें। बैठें। कृपया सहयोग करें। बैठें।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : बजट की बहस पर बहुत से लोग बोलने वाले हैं। कल भी लोगों को टाइम मिला नहीं। आप मेहरबानी करके विराजें। आप विराजिये।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : प्लीज सिट डाउन।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : Please sit down. I say sit down.

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : Sargeant, take him.

निकालिये बाहर इनको....(व्यवधान) निकालिये बाहर इनको। +++इनको .. (व्यवधान) बाहर+++दीजिये चाहे.... (व्यवधान) उनको बाहर+++दीजिये। यह क्या तमाशा लगा रखा है आपने। हर बार ही यह होता है। यह आप नहीं.... (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (मुख्य मंत्री) : माफ कर दीजिये इनको।

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य खड़ा होकर के सारे सदन को अपने गिरवी रख लेगा। मैंने जब आपको कह दिया है कि आज समय बहुत कम है। मैं अधिक से

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री अध्यक्ष)

अधिक बजट पर बुलाना चाहता हूं। 18 मैंने स्पेशल मेंशन दिये हैं, 3 कॉल अटेन्शन लगे हुए हैं और आप समय खराब कर रहे हैं....

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये। प्लीज सिट डाउन।

श्री रामनारायण वर्मा : ×××

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। चलिये.... (व्यवधान) हां हां जरूरी है। आप करेंगे तो आपके लिए भी जरूरी है It is for you also, for all of you. (व्यवधान) मैं सबको निकलवा दूंगा आज आप इस तरीके से करेंगे तो। श्रीमती सूर्यकान्ता... (व्यवधान) बैठिये। प्लीज सिट डाउन.... (व्यवधान) प्लीज सिट डाउन। बैठ जाइये। हां सूर्यकान्ता जी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख जोधपुर में पेयजल की समुचित व नियमित व्यवस्था

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर शहर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा पेयजल की समुचित एवं नियमित व्यवस्था न करने पर नियम प्रक्रिया 295 के अन्तर्गत.... (व्यवस्था)

श्री अध्यक्ष : आप बोलिये मत। शान्त रहिये। सुनिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : विशेष उल्लेख के जरिये ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

जोधपुर शहर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। पेयजल जीवन के लिए अति-महत्वपूर्ण आवश्यकता है। परन्तु जोधपुर शहर की जनता पानी की बूंद-बूंद के लिए तरस रही है। जोधपुर शहर के लिए उपलब्ध पानी की मात्रा सीमित है, यह बात तो समझ से आती है। परन्तु विभाग की अव्यवस्था एवं अधिकारियों की उदासीनता एवं लापरवाही की वजह से उपलब्ध पानी का वितरण भी नागरिकों को उचित मात्रा व उचित दबाव से नहीं हो पा रहा है। विशेषकर जोधपुर शहर विधान सभा के भीतरी क्षेत्र में जैसे कबूतरों का चौक, सिटी पुलिस, हरदेव कालोनी, धांचियों का मोहल्ला, माणक चौक, मोती चौक, गुलाब सागर क्षेत्र, दफ्तरियों का बास, अलियों का बास, हनुमानजी की भाखरी, रावतों का बास, खूंटों की पोल, सुखड़ों की घाटी, भंडारियों की पोल, भइयों की पोल, दीवानों की गली, गांधियों की गली, डोडीदारों का मोहल्ला, खैरातियों का बास, चदवों की गली, सुनारों का बास, पीपली का चौक आदि क्षेत्रों में पेयजल थोड़े समय के लिए है या फिर पानी वितरण का कोई समय निश्चित नहीं है। यह अधिकारियों की लापरवाही से हो रहा है। पिछले दिनों में इस समस्या के निवारण हेतु मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से जोधपुर से टेलीफोन से वार्ता भी की थी। उसके बाद वितरण व्यवस्था में आंशिक सुधार हुआ। परन्तु पुनः फरवरी के अन्तिम सप्ताह से वितरण व्यवस्था गड़बड़ा गयी है व कई क्षेत्रों में पेयजल पांच

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

पांच दिन तक उपलब्ध नहीं होता है। ऐसा लगता है कि जोधपुर की जनता को पानी के लिए ऐसे ही तरसना पड़ेगा। वितरण व्यवस्था के लिए जिम्मेदार विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं ओर न ही समस्या निवारण हेतु उपलब्ध रहते हैं। पिछले कई दिनों से अधिशाषी अभियन्ता मुख्यालय पर नहीं हैं।

(12.15)

(श्री रमाकान्त शर्मा, सभापति, पदासीन।)

क्या विभाग के अधिकारी बताने का कष्ट करेंगे कि शहर की सप्लाई गत छह माह में बाईजी महाराज आश्रम के पास जलाशय (टैंक) से कितने लेवल पर पेयजल वितरण किया गया (वाल्व खोला गया) तथा सप्लाई उचित दबाव से देने के लिए टैंक में कितना लेवल होना आवश्यक है? विभाग द्वारा समय-समय पर वितरित किये गये पेयजल के आंकड़े प्रस्तुत किये जाते हैं, जिनका आपस में तालमेल ही नहीं रहता।

जोधपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराने वाली मुख्य योजना जवाई बांध से नहर द्वारा पानी पहुंचाने की है। इस नहर की आरम्भ में कुल कितना पानी लाने की क्षमता थी एवं वर्तमान में कितनी क्षमता है। इस नहर की समय समय पर क्षमता बढ़ाने हेतु मरम्मत एवं रेलिंग का कार्य कराया जाता है। इस कार्य पर प्रतिवर्ष कितना खर्चा होता है तथा उसमें कितनी क्षमता बढ़ जाती है। यदि हम जोधपुर पहुंचने वाले पानी की मात्रा देखें तो इसमें निरन्तर गिरावट आ रही है ओर वर्तमान में यह मात्रा घटकर 23 क्यूसेक रह गयी है। इसके लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है? फिर भी उपभोक्ताओं के बिल में पानी की राशि पूर्ववत् या उससे भी अधिक ली जा रही है। जैसे कि एक बिल में एवरेज प्रति माह तीस हजार गैलन की राशि वसूल की जाती है, व 30 दिन में पानी पन्द्रह दिन उपलब्ध होता है। यदि दो हजार गैलन पानी जलदाय विभाग के हिसाब से उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता है तो फिर पानी की समस्या ही नहीं है। पिछले तीन वर्षों में विभाग ने कितनी राजस्व प्राप्ति के उपभोक्ताओं को बिल भेजे? उनमें से कितनी राजस्व प्राप्ति की तथा उसके विरुद्ध कितना पानी वितरित किया?

जलदाय विभाग के अनुसार 40 लाख गैलन अन्य स्रोतों से प्राप्त होना बताया, यदि यह पेयजल प्राप्त हो रहा है तो जोधपुर शहरवासियों को पानी समय पर क्यों नहीं मिल रहा है? यदि समय पर पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाये तो गर्मियों में जोधपुर शहर की जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा।

जलदाय विभाग के पास पानी के लीकेज की जांच के उपकरण मौजूद है। इस उपकरण की खरीद व अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु लाखों रुपये खर्च कर दिये गये, परन्तु इस उपकरण को उपयोग में क्यों नहीं लिया गया? यदि समय पर लिया जाता तो व्यर्थ में लीकेज से बहने वाले पानी को रोका जा सकता था। इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सर–

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मेरा माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय से यह अनुरोध है कि जोधपुर शहर की पेयजल आपूर्ति व वितरण व्यवस्था में सुधार करावें व जोधपुर शहर की जनता को क्षमता के अनुरूप पेयजल वितरित किया जाए।

सभापति महोदय, मैं दो मिनट और लेना चाहूंगी। एक और महत्वपूर्ण बात है, वह कहना भूल गयी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि जोधपुर शहर के अन्दर एक दिन छोड़कर एक दिन पानी देते हैं। वह बात भी हम बरदाश्त कर लेंगे मगर समय पर पानी नहीं देना और न उसकी क्षमता बढ़ाना, अभी रमजान का महीना चल रहा है. कई मुस्लिम बहनें मेरे पास आयीं, पानी के लिए त्राहि-त्राहि हो रही है। मैं यह चाहती हूं, जो त्योहार आते हैं, चाहे हिन्दुओं के हों, चाहे मुसलमानों के हों, पानी उपलब्ध करने की व्यवस्था करें। अभी 14 तारीख को....

श्री सभापति : ठीक है। हो गया आपका। धन्यवाद।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : ईद आ रही है। दीवाली, होली और रमजान का महीना....

श्री सभापति : बात हो गयी है। आपने....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : नहीं नहीं मंत्री महोदय से यह तो कहलवाओ कि इन त्योहारों के ऊपर पानी देंगे और ईद के दिन भी पानी दिया जाएगा। यह व्यवस्था तो आप करायें।

श्री सभापति : जरूर करेंगे। श्री भीखा भाई (अनुपस्थित) श्री फूलचन्द (अनुपस्थित)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : सभापति महोदय, इनसे कहिये आप। आप मंत्री महोदय से यह तो कहलवाइये।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र नीनामा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : आज यह तो कहलवाओ साहब।

श्री सभापति : मैं नहीं कह सकता हूं। वह चाहे तो कह सकते हैं। श्री रामलाल उपाध्याय....(व्यवधान) माननीय मंत्री जी।

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : सभापति महोदय, मैं जितेन्द्र नीनामा हाजिर हूं।

श्री सभापति : विराजिये–बिराजिये मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास : हां मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री) : सभापति महोदय, माननीय सदस्या ने जो मांग की है, उस पर मैं निश्चित रूप से अधिकारियों से बातचीत करूंगा और यदि संभव हुआ तो त्योहारों पर पानी देने की व्यवस्था कर दी जाएगी।

श्री सभापति : श्री जितेन्द्र नीनामा।

Page No.75

माही परियोजना, बांसवाड़ा की नहरों को पक्की करने व नहरों का कार्य चालू करने बाबत

श्री जितेन्द्र नीनामा (घाटोल) : माननीय सभापति महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत माही परियोजना, बांसवाड़ा की नहरों को पक्की करने व कमाण्ड घोषित गांवों में सर्वे कराकर नहरों का कार्य चालू करने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

विधान सभा क्षेत्र घाटोल में काफी लम्बे समय से केनालें व मार्टानरें खोद दी गयी हैं व कच्ची केनालों से पानी भी सप्लाई किया जाता है। मगर आज तक नहरें पक्की नहीं की गयी हैं जिससे नहरों का पानी सीपेज होता है।

पानी सीपेज होने से गरीब आदिवासियों की जमीन खराब हो रही है। केनाल पक्की नहीं बनने से व पानी सीपेज होने से पानी अनावश्यक खराब हो जाता है। यही कारण है कि माही का पानी टेल तक नहीं पहुंचता है।

साथ ही मंछ गांवों में न सर्वे किया गया और न ही केनाल खोदी गयी है और कमाण्ड घोषित कर दिया है। जिससे वहां के काश्तकारों को दोनों तरफ नुकसान होता है।

इसलिए, सभापति महोदय, आपके मार्फत सरकार व सिंचाई मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि वर्ष 94–95 में अतिरिक्त वित्तीय सहायता देकर जल्दी से केनाल का कार्य पूर्ण करवाया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री रामपालजी।

गंगापुर, रायपुर कस्बों की जलदाय योजनाएं

श्री रामपाल उपाध्याय (सहाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, प्रकिया के नियम 295 के अन्तर्गत गंगापुर–रायपुर कस्बों की जलदाय योजनाओं को सुधारने के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

(1) गंगापुर नगर में एकाधिक दिनों के अन्तराल से पेयजल उपलब्ध होता है। गंगापुर के साथ सहाड़ा, गुढा, पोटला ग्रामों की लगभग तीस हजार की जनसंख्या इस जलदाय योजना से जुड़ी हुई है। परन्तु अकाल के कारण कुओं के जल स्रोत सूख गये है। लोगों को नहीं के बराबर पानी मिल रहा है। केवल रायथलियास बांध के स्रोत पर्याप्त नहीं हैं। अतः प्रत्येक ग्राम में वैकल्पिक जलस्रोत की व्यवस्था करनी आवश्यक है। गंगापुर सहाड़ा, गुढ़ा और पोटला में पृथक ओपनवेल तथा ट्यूबवैल बनाये जाने चाहिए, जिनके प्रस्ताव विभाग के पास विचाराधीन हैं, उन्हें तुरन्त प्रभाव से स्वीकार किये जाने का अनुरोध है। नगर में पानी के स्रोत को अधिक सफल बनाया जाना चाहिए तथा 5 इंच की पाइप लाइन लगायी जानी चाहिए। पूरे नगर के हैण्ड–पम्प लम्बे समय से खराब पड़े हुए हैं, जिन्हें एक अभियान चलाया जाकर ठीक किया जाना बहुत आवश्यक है। गंगापुर नगर हेतु पेयजल के लिए 22 लाख की एक योजना सरकार के पास विचाराधीन है, जिसे तुरन्त स्वीकार करके कार्य प्रारम्भ किया जावे। गंगापुर नगर के वार्ड संख्या 11, 12, 13 तथा 1, 2, 5, 7 में अधिकांशतः

(श्री रामपाल उपाध्याय)

गरीब लोग रहते हैं जिन्हें भीषण गर्मी में अभी से टैंकरों द्वारा निःशुल्क पानी देने की व्यवस्था की जानी नितान्त आवश्यक है। सूंडा का खेड़ा बस्ती (वार्ड-13) में स्वतन्त्र जल स्रोत कायम किया जाकर पेयजल की व्यवस्था की जानी अत्यन्त आवश्यक है।

(2) रायपुर कस्बे की वर्तमान जलदाय योजना अपर्याप्त है; सन् 1988 से निर्माणाधीन लड़की बांध से पेयजल दिलवाने की योजना अभी तक प्रारम्भ नहीं हो पाती है। इसमें निर्मित कुआ पानी के अभाव में असफल है। परिणामतः निर्मित टंकी, पाइप लाइन सब बिना उपयोग के पड़ी हुई हैं। अतः लड़की बांध के अन्दर इन्टेक वैल बनाया जाकर इस योजना को सफल किया जाना चाहिए। साथ ही रायपुर कस्बे में दो ट्यूब वैल नये बनाये जाकर पेयजल उपलब्ध किया जाना आवश्यक है।

कुल मिलाकर गंगापुर रायपुर कस्बों की पेयजल योजनाओं में पूर्ण सुधार किया जाना नितान्त आवश्यक है।

श्री सभापति : माननीय श्री उदयलाल आंजना।

निम्बाहेड़ा, छोटी सादड़ी में पानी की समस्या

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा) : महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा छोटी सादड़ी में फरवरी माह से ही छोटी सादडी कस्बे में, निम्बाहेडा हुडको कॉलोनी में कारूण्डा, निम्बाहेड़ा में टैंकों द्वारा पानी सप्लाई किया जा रहा है। यहां तक कि एक रुपये में प्रति डिब्बा पानी बिक रहा है जबकि कारूण्डा में ट्यूबवैल है, पानी की टंकी है, बिजली का कनेक्शन है।

केवल पाइप लाइन के अभाव में जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। साथ ही आने वाली गर्मी में जिन गांवों में पानी की समस्या आयेगी, वे गांव इस प्रकार हैं— साठोला, करजू, हड़मतिया जागीर, हड़मतिया कुण्डल, जालोदा जागीर, मालीखेड़ा, कनेड़ा, गुन्टरेल, श्रीपुरा, पीलखेड़ी आजोता लुणखंदा, केली, फलवा, धनोरा, सांड रानीखेड़ा मांगरोल रसूलपुर, बोराखेड़ी, भट कोठड़ी कोटडी बांगेटा अरनोदा, आदि गांव जलदाय विभाग समय रहते इस ओर ध्यान देने का कष्ट करें।

श्री सभापति : माननीय श्री बाबूलाल बछेर।

दूदू विधान सभा क्षेत्र की विद्युत समस्या

श्री बाबूलाल बछेर (दूदू) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया के नियम संख्या 295 के तहत आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री महोदय का ध्यान दूदू विधान सभा क्षेत्र की, विद्युत समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं।

यह कि मेरा विधान सभा क्षेत्र दूदू जयपुर से 36 किलोमीटर ग्राम महला अजमेर रोड से शुरू होता है जो जयपुर जिले का ही हिस्सा है। जो काफी पिछड़ा हुआ है और शुरू से ही उपेक्षित भी रहा है। यहां की सबसे प्रमुख और भीषण समस्या विद्युतिकरण और विद्युत आपूर्ति की हैं जिसके अभाव से यहां के किसान बड़े त्रस्त हैं जिसके दो मुख्य कारण हैं। पहला तो

(श्री बाबूलाल बछेर)

यह कि दूदू क्षेत्र के अधिकारियों की इस सम्बन्ध में लापरवाही रही है।

दूसरा कारण विद्युत की कमी है। दूदू क्षेत्र में बड़ा 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन नहीं होने के कारण से किसानों और जनता को बराबर बिजली उपलब्ध कराने में बिजली विभाग नाकाम रहा है।

सभापति महोदय, यह बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि अधिकारियों ने तो जबरदस्त लूट–खसोट मचा रखी है। नये कनेक्शन की फाइलें जमा करने से लेकर अंतिम कार्यवाही तक सरेआम रिश्वत खाते हैं। किसानों को तो लूटते ही हैं साथ में अनुसूचित जाति के लोगों व अन्य गरीब लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सरकार तुरन्त ऐसे अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर दूदू क्षेत्र के किसानों व जनता को शीघ्र बिजली की व्यवस्था करवाकर राहत दिलवायी जाए ताकि किसानों की फसलें नष्ट होने से बच सकें।

साथ ही सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि आज से एक माह पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र नरैना में एक ट्रान्सफार्मर अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही से जल गया था तथा आज तक दूसरा ट्रान्सफार्मर नहीं लगाया है। मैंने अधिकारियों से और माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से भी निवेदन किया कि मेरे क्षेत्र के किसान बहुत दुखी हो रहे हैं। उनके हरे भरे खेत जल रहे है। आप शीघ्र कार्यवाही कर बिजली की व्यवस्था करें लेकिन अब तक वह ट्रान्सफार्मर नहीं बदला गया है जबकि सरकार घोषणा करती है कि 10 दिन के अन्दर-अन्दर बदल दिया जाएगा। तो मैं मांग करता हूं कि उन दोषी अधिकारियों को शीघ्र दण्डित कर दूदू क्षेत्र में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बनाया जाए जिससे जन मानस को राहत मिलेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री ओमप्रकाश शर्मा।

गरड़दा बांध की स्वीकृति

श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : माननीय सभापति महोदय, बूंदी जिले में बहुत सी नदियां हैं जिनको सरकार भी मानती है कि वास्तव में इन पर बांध बनाये जाने चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार बन्धे बनने से सरकार को लाभ ही है नुकसान नहीं है। बून्दी जिला कृषि की दृष्टि से राजस्थान में दूसरा जिला है।

यह कि ललारिया (गरड़दा) बांध जिसकी कीमत 1977 में 10 करोड़ के लगभग आंकी गयी थी जिसका शिलान्यास दिनांक 18–11–83 को तत्कालीन मुख्य–मंत्री श्री शिवचरणजी माथुर ने किया था। इस बांध का परियोजना प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग को स्वीकृति हेतु भेजा हुआ है। इस गरड़दा बांध से 9215 हैक्टेयर भूमि सिंचित होना विभाग मानता है परन्तु दुःख के साथ निवेदन करना पड़ रहा है कि मुख्य मंत्रीजी बांध स्वीकृत नहीं है जिसकी स्वीकृति के लिए कभी प्रयास ही कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया। आज से 10 वर्ष पूर्व शिलान्यास करवा दिया जिससे वोट प्राप्त

(श्री ओमप्रकाश शर्मा)

कर सक । आज दिल्ली में कांग्रेस की सरकार है तो केन्द्रीय जल आयोग से कांग्रेस के नेता भी इसकी स्वीकृति का प्रयास करें।

यह कि 1992 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री महोदय भी गुढ़ा बांध तहसील हिन्डोली जिला बूंदी का उद्घाटन करने गये तब यह कहा गया था कि मार्च, 1993 में गरडदडा बांध की केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति होकर पंचवर्षीय योजनाओं में ले लिया जाएगा। अतः मेरा सरकार से, खास तौर पर सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि मेरे बूंदी जिले के हित में एवं राष्ट्रहित में इसकी तत्काल मंजूरी करवायी जाए। आज इसकी लागत भी 35 करोड़ से ऊपर हो गयी है। इससे लगभग 43 गांव लाभान्वित होंगे।

यह कि इसी प्रकार बड़फू बांध जो पुराना बना हुआ है उसे जीर्णोद्वार या नया बांध बनाया जाए, यह छोटा बांध है इससे भी जमीनों को पानी मिलेगा एव यह बांध बड़ा बना दिया जाता है तो इसमें आठ गांवों की जमीन सिंचित (लिफ्ट द्वारा) हो सकेगी। साथ ही आसपास की जमीनों में जो कुए, बावड़ी, हैण्डपम्प सूख गये हैं उनका भी जलस्तर ऊपर आयेगा।

इसी प्रकार पलकां, कंवरपुरा के तालाबों की मरम्मत की जाए। बड़वा बांध में पानी की भराव क्षमता कम है एवं पानी सीपेज द्वारा नदी में निकल जाता है इसकी मरम्मत करवायी जाए, इससे लगभग 12 गांवों की जमीन सिंचित होती है। हर बर्ष की भांति इस वर्ष भी बांध में पानी सीपेज के कारण कम रह गया था, पानी सभी गांव वाले लेना चाहते हैं। आपस में गांवों में झगड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से मामला सुलझा है, अतः कृपा करके इस बांध के लिए राज्य सरकार बजट स्वीकृत करे।

बूंदी जिले की नदियों के बारे में विशेष रूप से, मेज नदी पर बांध बनाया जाए तो खटकड़ से लेकर लाखेरी इन्द्रगढ़ तक की जमीन सिंचित हो सकेगी। पूर्व में बी.बी.सी. की योजना का पूर्व सिंचाई मंत्री श्री ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने सर्वे करवाया था जो आज ठण्डे बस्ते में है।

मेरा पुनः राज्य सरकार से अनुरोध है कि गरड़दा बांध की तत्काल केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति करायें तथा बरधा बांध की भराव क्षमता बढ़ाने एवं मरम्मत पर बजट देने की कृपा करें।

श्री सभापति : श्री भंवरसिंह चौधरी।

नागौर, जोधपुर व चूरू में पेयजल की विकट समस्या

श्री भंवर सिंह चौधरी (मेड़ता) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत पेयजल की जिला नागौर, जोधपुर व चूरू की विकट समस्या के बारे में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं इस सदन के सभी मान्यवर सदस्यों एवं जलदाय विभाग के मंत्री महोदय का विशेष तौर पर ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण परम्परागत स्रोत करीब करीब सूख रहे हैं। भूतल स्रोत दिन प्रतिदिन गहरे जा रहे हैं व पिछले दस वर्षों में करीब 100 फीट गहरा चला गया है।

(श्री भंवर सिंह चौधरी)

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सिवाय नहरों से प्राप्त जल के दस वर्ष बाद कहीं भी जल पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा। अभी जो जल पीने को दिया जा रहा है अधिकतर फ्लोराइडयुक्त है। उदाहरणत: मेड़ता शहर में 3.5 पी.पी.एम. है। जे.ई. पार्क व .के. पार्क की पुस्तक Preventive and Soccial Medicine के अनुसार "The normal content of fluoride in water should be below 1 mg/litre (Page 93) and "Manual on water supply and treatment" by the Expert Committee constituted by Govt of India के अनुसार भी 1 mg/litre (पृष्ठ 15) पर उल्लेखित है। यह WHO ने भी माना है। इस मात्रा से अधिक जल पीने को देना जनमानस में ऐसी बीमारियां पैदा करना है जिसका कोई इलाज नहीं है।

मैं Text of Book Preventive & Social Medicine का पृष्ठ 93 पैरा 1 का अंश उद्धृत करता हूं "It is of utmost importance to prevent the development fluorosis as there is no specific treatment. मैं आपको राज्य सरकार के इस आदेश की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें राजस्थान भर की पंचायत समिति "डार्कजोन" घोषित किया है। नागौर जिले की 11 पंचायत समितियों में से 8 पंचायत समितियां 'डार्क-जोन" घोषित हो चुकी हैं। इससे स्पष्ट है कि भूजल सूखता जा रहा है।

मेरी प्रार्थना है कि अस्थायी व्यवस्था के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराकर गांवों व शहरों में पेयजल उपलब्ध करावें। जितनी भी जलदाय विभाग की पेयजल योजनाएं बनती हैं वे बहुत अधिक समय तक स्वीकृति की प्रतीक्षा में पड़ी रहती हैं।

इनकी स्वीकृति पालिसी प्लानिंग कमेटी देती है। इस पी.पी.सी. के सारे सदस्य जयपुर में ही सेवारत हैं। क्या कारण है कि यह स्वीकृतियां देने में वर्षों लग जाते हैं। यदि माननीय मंत्री महोदय उदाहरण चाहें तो मेरे क्षेत्र के ग्राम जूणीयास की छोटी सी योजना क्रमांक 15330 दिनांक 8-11-93 को मुख्य अभियन्ता को भेजी गयी थी, आज तक स्वीकृति नहीं दी गयी। क्या उक्त तिथि के बाद आज तक पी.पी.सी. की बैठक हुई नहीं ? यह ही नहीं प्रक्रिया और भी जटिल है। पी.पी.सी. की स्वीकृति हो जाने के बाद प्रशासनिक तकनीकों व वित्तीय स्वीकृति पुन: योजनाओं के प्रारूप अधिशाषी अभि-यन्ता के स्तर से मंगाये जाकर, इतनी अवधि की जाती है कि मूल योजना जितनी राशि की बनायी जाती है, कार्यरूप देने तक व्यय दुगुना, तिगुना हो जाता है। क्या मंत्री महोदय इसकी योजनाओं के मुख्य अभियंता के मुख्यालयों पर आने के दिन से 30 दिवस में स्वीकृति कराने के आदेश प्रसारित करेंगे और यह भी क्या व्यवस्था करेंगे कि पी.पी.सी. बैठक में ही योजना स्वीकृत करने के साथ–साथ तकनीकी–प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृतियां दी जाएंगी।

इसके अतिरिक्त वर्षा के पानी को पूरा का पूरा संग्रहण करने का माध्यम सिर्फ टांका है। हर ढाणी में सामूहिक टांका व गांवों में कई टांकें बनवाये जाएं। पक्के मकानों की छतों का पानी संग्रह करने को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे मकान मालिकों

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

की अनुग्रह राशि 75 प्रतिशत तक दी जाए।

अब में पश्चिमी राजस्थान की पेयजल के स्थायी समाधान की बात निवेदन करना चाहूंगा। पूर्व में बताये अनुसार दस वर्ष बाद न तो परम्परागत स्रोतों में ही जल उपलब्ध होगा, न ही भूतल से स्वास्थ्यप्रद जल भी उपलब्ध होगा।

मैं श्रीमान मंत्री महोदय को आपके माध्यम से बता दूं कि मुझे मालूम है कि नागौर जिले की पेयजल समस्या निवारण हेतु 1971 में गजनेर (बीकानेर) से उत्थान योजना राजस्थान नहर से पेयजल की बनी थी तत्पश्चात चामू–चराई से जोधपुर ग्रामीण, नागौर व चूरू जिला की पेयजल की योजना बनी थी। मैं निवेदन करूंगा कि क्या इन योजनाओं को राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष में हाथ में लेगी।

मैं यह भी निवेदन करूंगा कि यह सर्व विदित है कि मंहगाई दिन दूनी व रात चौगुनी बढ़ रही है। यदि कई वर्षों बाद यह योजना हाथ में ली तो इस सरकार के पास इतना भी धन नहीं रहेगा कि इन योजनाओं को क्रियान्वित कर पाये। यदि कहीं से ऋण लेकर करने की इच्छा होगी तो इतना अधिक धन लगेगा कि ऋण मिलने पर भी बाधा आयेगी। यही धन संग्रहण की स्थिति रहेगी परन्तु इसके अधिक दिन व दिन बीतते, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जनता को जब तक आप राजस्थान नहर से जल प्रदान करेंगे, इस समय तक अस्थाई व्यवस्था में इतनी धन--राशि खर्च हो जाएगी जितनी से राजस्थान नहर का जल प्राप्त हो सकेगा। आपको एक और उदाहरण पेश कर दूं कि जोधपुर को आज जल जवाई बांध का, रमसी गांव कुओं का व अन्य कई स्रोतों से जल दिया जा रहा है जो राजस्थान नहर योजना से पर्याप्त जल न मिलने के कारण सब जल मिला कर दिया जा रहा है वह भी अपर्याप्त है।

अंत में निवेदन कर दूं कि अब हमें यह सोचना है कि राजस्थान नहर का पानी सिंचाई के लिए अधिक न देकर, पेयजल की आपूर्ति के लिए पश्चिमी राजस्थान की जनता जो आज भी पीने के पानी को तरस रही है, को पेयजल उपलब्ध कराया जाए।

श्री सभापति : नेक्स्ट, माननीय श्री रामचन्द्र रावत।

श्री भंवरसिंह चौधरी : सभापति महोदय, एक शब्द...

श्री सभापति : उत्तर तो उसी का आयेगा जो आपने लिखकर भिजवाया हुआ है।

श्री भंवरसिंह चौधरी : उत्तर नहीं, मैं सूचना की बात करता हूं। राजस्थान पत्रिका दिनांक 4-3-94 की बात करता हूं जिसमें नागौर जिले की योजना की दो लाइन पढ़कर सुनाऊंगा....

श्री सभापति : पढ़ दीजिये बस अब आप।

श्री भंवरसिंह चौधरी : इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से नागौर जिले के गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाएगी। यह स्वीडिश

(श्री भंवरसिंह चौधरी)

अन्तरराष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के सह-योग से होगा। इसे अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। न मालूम कब दिया जाएगा। इस पर 759 करोड़ रुपये लागत की सम्भावना है। हम तो प्रार्थना करते हैं....

श्री सभापति : विराजिये। माननीय श्री रामचन्द्र रावत। (अनुपस्थित) माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत।

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा) : माननीय सभापति जी, नियम 131 के अन्तर्गत नगर विकास मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री सभापति : ध्यानाकर्षण नहीं है, 295 है। बिलाड़ा सीमेण्ट फैक्ट्री, पिचियाक को विद्युत कनेक्शन जारी करने में हुई अनियमितता के बारे में। नहीं लाये, अनुपस्थित।

श्री राजेन्द्र गहलोत : लाया नहीं। पढ़ा हुआ मान लीजिये।

श्री सभापति : ठीक है, पढ़ा हुआ मान लिया गया।

(विशेष उल्लेख के लिए कृपया परि-शिष्ट 15–देखें।)

श्री बद्री प्रसाद गुरूजी।

माण्डलगढ़ व भीलवाडा कृषि उपज मण्डी समिति में सड़कों की स्वीकृति

श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी (माण्डलगढ़) : माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ द्वारा पूर्व में निम्न सड़कों के निर्माण, डामरीकरण की स्वीकृति हेतु योजना बनायी गयी:–

चित्तौड़िया से पदमपुरा, गोविन्दपुरा, खंगार जी का खेड़ा और कृषि उपज मण्डी, माण्डलगढ़, तथा (2) सलावटिया से छोटी बिजोलिया, श्यामपुरा।

उक्त सड़कों पर कृषि उपज मण्डी समिति, माण्डलगढ़ द्वारा सड़क निर्माण का कार्य किया गया। चित्तौड़िया से माण्डलगढ़ सड़क पर पदमपुरा तक डामर हुआ है, गोविन्दपुरा तक मिट्टी रोड बनी है। उससे आगे कोई कार्य सड़क पर नहीं हुआ है। इसी प्रकार सलावटिया से श्यामपुरा सड़क पर भी बीच में करीब आठ किलोमीटर तक कोई कार्य नहीं हुआ है। इससे आम जनता को भयंकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में इनका सम्पर्क शेष संसार से बिल्कुल कट जाता है। कोई बीमार भी हो जाता है तो उसे इलाज के लिए किसी चिकित्सालय में नहीं पहुंचाया जा सकता है। वह इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। अतः उक्त अधूरी सड़कों का निर्माण कराने व खाचरोल से माकड़िया, सुरडिया, सरदारजी का खेड़ा, पीपल्दा, दोलपुरा, हाडी का खेड़ा तथा महुआ नयी सड़क की स्वीकृति प्रदान करें जिससे आस-पास के 40 गांवों के व्यक्तियों को नारकीय जीवन से मुक्ति मिले तथा वे भी महसूस कर सकें कि देश आजाद हो गया है। उक्त सड़क पर अकाल राहत के तहत ग्रेवल रोड का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा द्वारा (1) आकोला से गेगा का खेड़ा (दोनों पंचायत मुख्यालय) तथा (2) सवाईपुर से सोपुरा, दोनों सड़कों

(श्री बद्रीप्रसाद गुरुजी)

के प्रस्ताव स्वीकृति के लिए विभाग को भिजवाये जा चुके हैं। कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा की आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी है। उक्त सड़कों को स्वीकृत कर जनजीवन को राहत प्रदान करें।

श्री सभापति : माननीय श्री लक्ष्मण सिंह।

ब्यावर की पेयजल समस्या का निराकरण

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : माननीय सभापति महोदय, ब्यावर शहर राजस्थान का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है। इस नगर की आबादी एक लाख से ज्यादा है तथा जनसंख्या की दृष्टि से यह प्रदेश का तेरहवां शहर है। इस शहर के निवासी आजकल गम्भीर पेयजल समस्या का सामना कर रहे हैं। वहां के निवासियों को पांच-छह दिनों में सायं एक बार पेयजल वितरित किया जा रहा है। पानी वितरण भी सिर्फ बीस मिनट के लिए होता है तथा पानी का दबाव भी बहुत कम रहता है। कुछ समय पूर्व राज्य सरकार ने कुछ लाख रुपये की एडहाक ग्रान्ट दी थी परन्तु उस राशि का भी सदुपयोग नहीं किया गया। अधिकारियों की अकर्मण्यता तथा निष्क्रियता व ठेकेदारों से मिलीभगत के कारण उक्त राशि का दुरुपयोग किया गया। प्रशासन की संवेदनहीनता की कोई सीमा नहीं रही है तथा इस समस्या के निराकरण के लिए जिला स्तर पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पेयजल मनुष्य की सर्वाधिक आवश्यक चीज है, इसकी पूर्ति करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ब्यावर शहर की गम्भीर पेयजल समस्या के निदान के लिए दीर्घकालीन उपाय बीसलपुर योजना को शीघ्र करे तथा तब तक के लिए उपयुक्त वैकल्पिक उपाय कर ब्यावर के नागरिकों को तुरन्त राहत प्रदान करें।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री शान्तिकुमार धारीवाल।

हिण्डोली में विकास योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों में घटिया सामग्री का उपयोग

श्री शान्तिकुमार धारीवाल (हिण्डोली): सभापति महोदय, हिण्डोली तहसील में विकास योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों में, जवाहर रोजगार योजना में, लाखों रुपये के निर्माण कार्यों में एक ओर जहां घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वहीं कई जगह निर्माण कार्य ठेके पर ही कराये जा रहे हैं। जीवनधारा योजना में भी पुराने कुओं पर ही भुगतान किया जा रहा है। 35 लाख के कार्य घटिया निर्माण सामग्री एवं ठेके पर कार्य कराने के कारण शक के दायरे में हैं। हिण्डोली पंचायत समिति के अन्तर्गत अकलोठ, चेता, बीचड़ी' मेंढी, काछोला, डमरू, पगारा, बासनी, थाना, विजयगढ़, सहसपुरिया, सथक, बडोदिया, नया गांव, ठीकरदा, सोहरण, ताकला, गोठड़ा, रूणिजा, कुम्भरला, रानीपुरा, डाबेरा, विषधारी, धनाव, आलोद, ओवण, बासोली, नेगढ़, खीण्या, पेज की बावड़ी आदि ग्रामों में पक्के निर्माण कार्य जैसे ए.एन.एम. सेण्टर, स्कूल के कमरे, विश्राम भवन आदि विभिन्न कार्यों में घटिया निर्माण सामग्री के कारण

(श्री शान्ति कुमार पारीवाल)

कार्य की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। इन निर्माण कार्यों में 1/3 की जगह 1/6 व 1/8 का मसाला काम में लिया जा रहा है।

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्यों पर गांवों के चयनित परिवारों को ही मस्टरोल पर लगाकर सम्पादित कराने का प्रावधान है परन्तु तालाब गांव, मांगली के निर्माणाधीन तीन लाख रुपये की लागत के मिनी आई.टी.आई. भवन का निर्माण कार्य भी ठेके पर कराया जा रहा है। जीवनधारा में स्वीकृत कुओं के भुगतान आज चार वर्ष में भी नहीं हुए हैं।

श्री सभापति : माननीय श्री दयाराम परमार।

सिचाई खण्ड खैरवाड़ा का कार्यालय ऋषभदेव में स्थानान्तरित करने से उत्पन्न स्थिति

श्री दयाराम परमार (खैरवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करता चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र खैरवाड़ा में सिचाई विभाग का उप खण्ड कार्यालय कई वर्षों से चला आ रहा था। यह कार्यालय तहसील मुख्यालय पर स्थित होने एवं तहसील क्षेत्र के मध्य में स्थित होने से तहसील क्षेत्र की जनता को इस विभाग से सम्पर्क करने एवं कार्य करवाने में अत्यन्त सुविधा रहती है। इसके साथ साथ ही खैरवाड़ा में न केवल तहसील मुख्यालय का कार्यालय है बल्कि अन्य विभागों के कार्यालय जैसे पंचायत समिति कार्यालय, विद्युत विभाग का उप खण्ड कार्यालय, जल प्रदाय विभाग का उपखण्ड कार्यालय, वन विभाग का रेंज आफिस तथा बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय के साथ साथ अन्य कई छोटी–छोटी संस्थाओं के कार्यालय भी खैरवाड़ा में ही हैं, जिससे एक व्यक्ति को एक दिन में एक से अधिक विभागों में एक साथ कार्य करवाने में काफी सुविधा रहती है। लेकिन सिचाई उप खण्ड कार्यालय गत एक वर्ष से खैरवाड़ा से ऋषभदेव केवल विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की सुविधा के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है। इस कार्यालय के ऋषभदेव जाने से जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है, केवल अधिकारियों एव कर्मचारियों को सुविधा है क्योंकि वहां पर सोमकागदर परियोजना का कार्यालय एवं डाक बंगला दोनों साथ साथ हैं। इसलिए वहां पर कार्यालय में काम करने के अलावा कर्मचारियों एवं अधिकारियों को आराम करने को मिलता है। इसलिए उस कार्यालय को खैरवाड़ा से ऋषभदेव अपनी मर्जी से विभाग के अधिकारियों ने स्थानान्तरित करवा लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सिचाई उप खण्ड का कार्यालय कब से खैरवाड़ा में चला आ रहा था और कब उसे ऋषभदेव स्थानान्तरित करने के आदेश हुए? और क्यों किये गये? क्या यह बात सही है कि भौगोलिक दृष्टि से ऋषभदेव एक तरफ बसा हुआ है और तहसील क्षेत्र का दो तिहाई भाग ऊपर की तरफ रह जाता है? इसलिए आम जनता को इस विभाग से सम्पर्क करने एवं कार्य करवाने में बहुत कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। अतः मैं राज्य सरकार एवं माननीय सिचाई मंत्री जी से मांग करता हूं कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र

(श्री दयाराम परमार)

की आम जनता की सुविधा के लिए सिचाई उप खण्ड, खैरवाड़ा का कार्यालय ऋषभदेव से पुन: खैरवाड़ा स्थानान्तरित करने के तत्काल आदेश दिलाने का कष्ट करें।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

बागोरा (नागौर) में 132/33 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विशेष उल्लेख के जरिये परबतसर क्षेत्र में बिजली की समस्या के स्थायी समाधान हेतु बागोर में 132/33 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति के क्रम में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :-

मेरे विधान सभा क्षेत्र परबतसर में 33/11 के.वी. पावर स्टेशन बिजली की आपूर्ति हेतु परबतसर, मंगलाना, बागोट, हरनावा, पीह, पीलवा, बिदीयाद में लगे हुए हैं। फिर भी बिजली की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। इसके निम्न कारण हैं:-

(1) उपरोक्त पावर स्टेशनों को मकराना 132/33 के.वी. जी.एस.एस. में बिजली की आपूर्ति की जा रहा है। मकराना की क्षमता 20/25 मे.वा. की है जबकि बिजली का कुल लोड 41.85 मे.वा. हो जाता है।

(2) 33/11 के.वी. पावर जी.एस.एस. पूरे समय ओवर-लोड रहते हैं।

(3) औद्योगिक क्षेत्र बिदीयाद व बोरावड़ में ही 1500 स्माल स्केल व मिडियम औद्योगिक पावर यूनिटें हैं जिनका लगभग 2,000 मे.वा. लोड हो जाता है जिससे कृषि क्षेत्र में बिजली की सप्लाई को ब्लाकों में वितरित कर निर्धारित समय के लिये पूरी तौर से उपभोक्ताओं को बिजली उपलब्ध कराना मुश्किल ही नहीं, असम्भव है।

(4) 33/11 के.वी. पावर स्टेशनों की दूरी ज्यादा होने से बिजली की लाइनों की लम्बाई ज्यादा होने से वोल्टेज कम मिलता है, उतार-चढ़ाव ज्यादा होने से मोटरें कुओं पर नहीं चल पातीं, रबी की फसल के समय जिससे समस्या दुगुनी हो जाती है।

(5) परबतसर क्षेत्र में दिनांक 30.9.93 तक जितने कृषि एवं औद्योगिक इकाइयों के उपभोक्ताओं के कनेक्शन विचाराधीन हैं, उन सबको कनेक्शन देने पर समस्याओं में में गुणात्मक वृद्धि हो जायेगी।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर व मकराना व बिदीयाद औद्योगिक क्षेत्र के लोड को तथा इस क्षेत्र के किसानों की बिजली आपूर्ति की समस्याओं को मद्‌नजर रखते हुए समस्या के स्थायी समाधान हेतु परबतसर क्षेत्र में 132/11 के.वी. जी.एस.एस. की स्वीकृति बिना किसी विलम्ब के इसी बजट में की जाए। साथ ही मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जिला नागौर में, नागौर, मेड़ता, डीडवाना, कुचामन में 132/33 के.वी. जी.एस.एस. लगा दिये गये हैं जबकि नागौर जिले में सबसे बड़े विश्व विख्यात औद्योगिक क्षेत्र बिदियाद व मकराना क्षेत्र की बिजली की समस्या को अनदेखा क्यों किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र में व्याप्त आक्रोश व असन्तोष के

Page No.85

(श्री राकेश मेघवाल)

मद्देनजर व जनआकांक्षाओं के अनुरूप सुदृढ़ सुनियोजित बिजली की पूर्ण रूप से आपूर्ति हेतु 132/33 के.वी. जी एस.एस. की परबतसर विधान सभा क्षेत्र नागौर में स्वीकृति प्रदान करने से समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। इससे न केवल परबतसर क्षेत्र की समस्याओं का ही समाधान होगा बल्कि मकराना, मेघदा, डेगाना, गच्छीपुरा व मेड़ता के जी.एस.एस. जो ओवर लोड रहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो सकेगा।

श्री सभापति : माननीय श्री महादेव सिंह।

विजयपुरा (श्री माधोपुर) फीडर में विद्युत सप्लाई में बरती जा रही अनियमितताओं से व्याप्त असन्तोष

श्री महादेव सिंह (खण्डेला) : सभापति महोदय, मैं सदन व सरकार के समक्ष राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत अत्यन्त लोक महत्व के तथ्य चर्चा के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं:–

सहायक अभियन्ता, श्री माधोपुर (सीकर) द्वारा विजयपुरा फीडर में की जा रही विद्युत सप्लाई से क्षेत्रीय ग्रामीणों में भयंकर रोष व्याप्त है। इस फीडर को तीन शिफ्टों में विद्युत दी जा रही है, जबकि पड़ौसी अन्य गांवों व अन्य फीडरों में दो शिफ्टों में ही विद्युत सप्लाई की जाती है। विभाग के उच्चाधिकारियों द्वारा मौखिक एवं लिखित में दो शिफ्टों में विद्युत सप्लाई के आदेशों के बावजूद उक्त अभियन्ता द्वारा विजयपुरा फीडर में तीन शिफ्टों में विद्युत सप्लाई कर लापरवाही एवं+++ बरती जा रही है। साथ ही राज्य सरकार के आदेशानुसार आठ घण्टे भी विद्युत सप्लाई नहीं दी जा रही है, बीच-बीच में अनावश्यक रूप से बिजली बन्द कर दी जाती है, जिससे काश्तकारों की विद्युत मोटरें जलती हैं, इससे अनावश्यक आर्थिक नुकसान के साथ फसल भी जलती जा रही है।

(रात्रि के समय सायंकाल से प्रातः तक) दो फेस विद्युत सप्लाई भी नहीं दिये जाने से काश्तकार अपने घरों में प्रकाश भी नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि यह छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है, जिनके इम्तहान होते जा रहे हैं। ऐसे में सम्बन्धित अभियन्ता की लापरवाही एवं +++ पर अविलम्ब ही अकुंश लगाकर नियमित (निर्धारित समयानुसार) विद्युत सप्लाई की व्यवस्था करायी जाए, अन्यथा किसानों का भयंकर रोष उभरकर आने वाला है। साथ ही समय पर सिंचाई नहीं होने से फसल भी नष्ट हो जाती है, जिसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होगी।

महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर सदन में चर्चा कि अनुमति प्रदान कर अनुगृहीत करावें।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत, जोधपुर में नगर सुधार न्यास के द्वारा बहुमंजिले मकान बनाने की स्वीकृति नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में नगरीय विकास

+++ शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री सभापति)

एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। माननीय श्री राजेन्द्र गहलोत। हैं ही नहीं। (अनुपस्थित)

(12.53)

(श्री घनश्याम तिवाड़ी, सभापति, पदासीन)

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमावली के नियम 131 के अन्तर्गत श्री परसादीलाल मीणा/श्री हरिसिंह जी (महुआ)/श्री रामस्वरूप मीणा/श्री रामनारायण जी मीणा, सदस्य, विधान सभा, राज्य में आयुर्वेदिक-औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति में सम्बन्ध में आयुर्वेद राज्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

आयुर्वेद चिकित्सकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सभापति महोदय, मैं नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत माननीय आयुर्वेद मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अचला राम (राज्य मंत्री, आयुर्वेद): सभापति महोदय, निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री परसादीलाल जी मीणा, श्री हरिसिंह जी एवं श्री रामस्वरूप जी मीणा, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा प्रेषित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में सूचना निम्न प्रकार से प्रेषित है:-

(1) आयुर्वेद चिकित्सकों के कुल 59 पद रिक्त थे और इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इन पदों पर पूर्णतया अस्थायी नियुक्ति प्रदान करने हेतु अल्पावधि विज्ञापन दिनांक 15.9.92 के माध्यम से प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये थे। इन 59 पदों में से 9 पद अनुसूचित जाति तथा 7 पद अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित थे। इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना उचित होगा कि निदेशक, आयुर्वेद विभाग को पद स्वीकृति करने का अधिकार नहीं है और न ही उनसे 190 पदों के रिक्त होने की कोई सूचना प्राप्त हुई है।

(2) उक्त अल्पावधि विज्ञापन के जारी किये जाने पर विभाग को 418 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। प्राप्त-आवेदन-पत्रों में से 270 आवेदन पत्र पूर्ण थे। शेष आवेदन पत्र या तो अपूर्ण थे अथवा आवेदनकर्ता पात्रता नहीं रखते थे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित पदों के लिये क्रमशः 4 तथा एक वैध आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

(3) प्राप्त आवेदन पत्रों में से सामान्य श्रेणी के 72 तथा अनुसूचित जाति के 4 एवं अनुसूचित जनजाति के एक आवेदनकर्ता को आवश्यक अस्थायी आधार पर नियुक्ति प्रदान करने के आदेश जारी किये गये थे जिसमें से अनुसूचित जाति के एक अभ्यर्थी ने कार्यग्रहण नहीं किया और शेष आवेदनकर्ताओं की कोई प्रतीक्षा सूची विभाग में नहीं रखी गयी थी।

अल्पावधि विज्ञापन के माध्यम से पूर्णतः अस्थायी आधार पर नियुक्ति हेतु आमंत्रित आवेदन पत्रों के आधार पर

(श्री अचला राम)

बनायी गयी वरीयता सूची सामान्यतः अल्प समय के लिये ही मान्य होती है और इसमें प्रतीक्षा सूची की व्यवस्था नहीं होती है।

(13.00)

आयुर्वेद चिकित्सक का पद राजस्थान लोक सेवा आयोग की परिधि का है। इस पद पर पूर्व में पूर्णतः अस्थायी आधार पर नियुक्त तथा अब नियुक्त किये जाने वाले अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किये जाने वाले चयन में सफल होना होगा।

आयुर्वेद चिकित्सकों के पदों पर अस्थायी आधार पर नियुक्ति हेतु 30-12-1993 को कार्मिक विभाग ने 100 पदों के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 16, 12 तथा 21 पद आरक्षित हैं। इन पदों को पूर्णतः अस्थायी आधार पर भरने के लिए दिनांक 17-2-94 को अल्प अवधि विज्ञापन जारी किया गया है। जारी विज्ञापन में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने इस विभाग के पूर्व अल्प अवधि विज्ञापन दिनांक 15-9-1992 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर दिये थे उन्हें पुन. आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। अतः वर्तमान में रिक्त 100 पदों पर पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति प्रदान करते समय पूर्व में लम्बित आवेदन-पत्रों पर भी नियमानुसार विचार किया जाएगा।

चूंकि दिनांक 15-9-1992 को जारी अल्प अवधि विज्ञापन के माध्यम से तत्समय रिक्त 39 पदों के विरुद्ध कहीं अधिक संख्या में अस्थायी नियुक्तियां प्रदान कर दी गयी हैं तथा वर्तमान में जारी विज्ञापन में भी पुरानी सूची में उपलब्ध अभ्यर्थियों की पात्रता पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया है अतः सभी के हितों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है।

अतः उपरोक्त वर्णित स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को ग्राह्य नहीं करने का अनुरोध करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, विराजिये। आप वरिष्ठ मंत्री हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यह हर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में हो रहा है, जब एक बार यह लिस्ट हो गया है, उसके बाद में बार-बार सरकार द्वारा यहां स्टेटमेंट देना कि यह ग्राह्य करने लायक नहीं है, यह लिखना बिल्कुल गलत बात है। आयन्दा सरकार इसका ध्यान रखे। श्री परसादीलाल मीणा।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से बहुत विनम्र शब्दों में प्रार्थना करना चाहूंगा कि 15-9-1992 को वैद्यों की नियुक्ति के लिए आपने आवेदन-पत्र मांगे थे और आपने उसमें नियुक्तियां भी दे दीं, आपने प्राथमिकता सूची भी बना ली और आप यह भी कह रहे हैं कि हमारी प्राथमिकता सूची हम अल्पावधि के लिए बनाते हैं। पहले तो यह बतायें कि अल्पावधि की सूची आपकी कितने समय तक मान्य रहती है। मैं, माननीय मंत्रीजी,

Page No.88

(श्री परसादीलाल मीणा)

आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि आपने 1990 में 216 पदों की वैकेन्सी निकाली और उस सूची में से जैसे–जैसे आपके पास पद रिक्त होते चले गये, उसी सूची में से 375 वैद्यों को नियुक्तियां दीं। अल्पावधि का आप क्या समय बतायेंगे ? उस सूची को 15 माह तक लगातार माना गया। 1992 में जब फिर पद रिक्त हुए तो आपने फिर निकाली और उसमें से नियु–क्तियां दे दी गयीं। आपने फिर कहा है कि 100 पद डी.ग्रो.पी. से और स्वीकृत हुए हैं वह रिक्त हैं। फिर आपने दुबारा यह विज्ञप्ति क्यों निकाली, जब आपके पास सूची उपलब्ध है ? सभापति महोदय, अस्थाई तौर पर तो आप उनको नियुक्तियां दे रहे हैं, स्थाई नियुक्तियां तो है नहीं। ये भी वैद्य हैं और 4–4, 5–5 साल से ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं। राष्ट्रपति शासन एक साल रहा, मैं उस शासन की भी नहीं कहता कि उन्होंने इनको नियुक्तियां नहीं देकर गलती की है, उनके पीछे–पीछे साल भर तक घूमते रहे, उन्होंने क्या सौदेबाजी की और क्या नहीं की यह सर्व विदित है। उन सौदेबाजियों के पीछे यह लोग घूमते रहे। फिर इन्होंने सोचा कि चुनी हुई सर–कार आयेगी, चाहे किसी भी पक्ष की आये। और यह तो आखिरकार वैद्य थे, समाजसेवी थे उन्होंने अपने प्रयत्न को छोड़ा नहीं और उनको अधिकारी यह कहते रहे, राष्ट्रपति शासन के दौरान भी यह कहते रहे कि आपको नियुक्ति अगले महीने में देंगे, अब देंगे, फला टाइम में देंगे। इन्होंने सरकार आने के बाद फिर कोशिश की। माननीय मंत्रीजी ने भी इनको आश्वस्त किया कि हम आपको नियुक्तियां देंगे। डी.ओ.पी. ने भी माना कि उस सूची में से 100 पदों पर नियुक्तियां दे दी जायं। पर पता नहीं अचानक ऐसी बात हो गई कि जिसके कारण आपने विज्ञप्ति निकाली और उस विज्ञप्ति में भी आपने यह जोड़ दिया कि इनको भी हम कंसीडर करेंगे, दुबारा उनको फार्म भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता नहीं हो तो मैं आपकी विज्ञप्ति आपको पढ़कर भी सुना सकता हूं, पास है मेरे कि इन आवेदनों पर भी हम विचार करेंगे।

श्री सभापति : उसको पढ़िये।

श्री परसादीलाल मीणा : 17.2.94 की विज्ञप्ति है यह। यह लिखा है कि जिन अभ्यर्थियों ने इस विभाग के पूर्व अल्पावधि विज्ञापन दिनांक 15.9.1992 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कर दिये गये थे उन्हें पुनः आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। सभापति महोदय, सवाल यह है कि बहुत पुरानी सूची है, जब इनका मैरिट में नीचे नम्बर रह गया था इसीलिये तो ये लोग प्रतीक्षा की सूची में रहे थे फिर दुबारा जब आपने आवेदन मांग लिये तो फिर दुबारा ज्यादा अंक वाले छात्र इनसे ऊपर रहेंगे और अगर इनकी अलग से सूची नहीं बनायेंगे....

श्री सभापति : मंत्री महोदय का नम्बर तो मेरिट में ऊपर आ गया।

श्री परसादीलाल मीणा : मंत्री महोदय को बहुत ऊपर मानो, कैसे भी मानो पर मैं यह कहना चाहूंगा, सभापति महोदय, अगर इनकी वरिष्ठता सूची अलग से नहीं बनाई गई तो आज ही नहीं आगे 50–100 साल तक भी इन वैद्यों की नियुक्तियां नहीं हो सकती हैं। यह लोग पीछे–पीछे घूमते

(श्री परसादीलाल मीणा)

रहेंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रपति शासन में किस की गलती रही और यह नहीं लगे पर आज सवाल इस बात का है कि फर्स्ट कम-फर्स्ट। यह लोग 5-5 साल से बैठे हुए हैं, 2-2 साल से आवेदन करके बैठे हुए हैं। गत वर्ष की ट्रेनिंग करके जो वैद्य आए हैं हो सकता है उनका नाम वरिष्ठता सूची में ऊपर आये और इनका नम्बर फिर भी नहीं आये। अगर यह वरिष्ठता सूची में ऊपर ही होते तो फिर प्रतीक्षा सूची में क्यों रखे जाते ? आज इनकी हालत देखो किसी को कोई विचार नहीं कि सभापति महोदय, इन लोगों ने 5-6 साल अपनी ट्रेनिंग का किस प्रकार से खर्चा चलाया है....

श्री सभापति : यह आपकी बात आ गयी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आज इनकी हालत यह है कि कई लोगों के फिल एक्सीडेंट हो गये, यह लोग मानसिक रूप से पागल हो गये हैं, 2-2, 5-5, 10-10 हजार रुपये का साल में खर्चा कर दिया। आज इनकी बड़ी दयनीय हालत है। एक्सीडेंट होकर क्या कुछ हो गया पर इन लोगों ने अपने प्रयत्न को छोड़ा नहीं है। मंत्रीजी से और मुख्य मंत्रीजी से भी कई बार मिले हैं, हर रोज एम.एल.ए. से रोज मिलते हैं।

मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मानवीय आधार पर आप इनकी वरिष्ठता सूची अलग से बनायें और नए लोगों की वरिष्ठता सूची अलग से बनायें। ताकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो सिद्धान्त है, सीनियर वैद्य है उसे आप पहले नियुक्ति दीजिए। कालेजेज में क्या होता है यह सब जानते हैं, किस प्रकार ये लोग ट्रेनिंग करके आते हैं, अंकों का कोई महत्व नहीं है, आखिर सब वैद्य हैं, सब लोगों ने आयुर्वेदाचार्य का कोर्स किया है, सारे वैद्य हैं, सीनियर हैं और इन लोगों ने काम किया है।

इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इन्हें आयुर्वेदाचार्य मानते हुए मानवीय आधार पर इनकी वरिष्ठता सूची आप अलग से बनायें और आप इनको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के सिद्धान्त के तहत जो सीनियर हैं उनको सबसे पहले नियुक्ति दें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री सभापति : बिराजिये। श्री हरिसिंहजी (महुआ)। क्या है कि पहले जिन माननीय सदस्य का ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है उनको पुकार रहा हूं।

श्री कालीचरण सराफ : मेरा नाम है।

श्री सभापति : आपका है लेकिन पहले जिन्होंने ध्यानाकर्षण दिया है उनको पुकार रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि अब तक आयुर्वेद में जो अस्थाई पदों पर चयन की प्रक्रिया रही है वह सन् 1982 से लेकर 1990 तक यह रही है कि वह पहले जो विज्ञापित स्थान होते हैं और जिन अभ्यर्थियों के प्रार्थना-पत्र आ जाते हैं वह सूची जब तक सम्पूर्ण रूप से नियोजित नहीं हो जाती, नियोजित नहीं कर लिए जाते हैं तब तक ऐसे अभ्यर्थियों की नई सूची विज्ञापित नहीं की जाती है। यह 90 तक रहा है।

(श्री हरिसिंह)

सभापति महोदय, 1990 में जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि 216 पदों के स्थान रिक्त हुए और उसके अनुसार फिर 375 पद, डी.ओ.पी. के जो आदेश हैं, 19.1.1991 को 191 पद भरे गए, 16.5.1991 को 49 पद भरे गए, 19.8.1991 को 110 पदों पर नियुक्ति दी गई, और 13.9.1991 को 12 पदों पर नियुक्तियां दी गई और इस प्रकार से वह जो सूची उनके पास थी वह जब तक सूची पूरी नहीं हो गई तब तक दूसरे अभ्यर्थियों से विज्ञापन देकर प्रार्थना–पत्र नहीं मांगे गये।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक दूसरा निवेदन करना चाहूंगा कि यहां विधान सभा में एक प्रश्न के उत्तर में अभी मंत्रीजी ने कहा कि इतने पद रिक्त ही नहीं है और आयुर्वेद के डायरेक्टर को पद रिक्त करने के कोई अधिकार भी नहीं है। यह तो इनका घरेलू मामला है, यह जानें। लेकिन एक बात निश्चित रूप से है जो प्रक्रिया सम्बन्धी है सभापति महोदय, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आयुर्वेद का डायरेक्टर ही सक्षम अधिकारी है जो मंत्री जी को बताता है कि हमारे यहां इतने पद रिक्त हैं। यहां सदन में पूछे गये एक प्रश्न के जवाब में तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री श्रीमती विद्या जी पाठक ने कहा था, यह बात 28 फरवरी, 1992 की है, इस सदन में उन्होंने यह कहा था कि वर्तमान में राज्य के 149 आयुर्वेद औषधालयों में आयुर्वेद चिकित्सकों के तथा 4 यूनानी दवाखानों में हकीमों के पद रिक्त हैं।

श्री सभापति : इसके बाद में कोई नयी नियुक्ति नहीं हुई।

श्री हरिसिंह : इसके बाद में सभापति महोदय, फिर उन्होंने अल्पावधि विज्ञप्ति जारी की और उसके तहत अभ्यर्थियों के प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये और उसमें 254 अभ्यर्थियों के प्रार्थना–पत्र सही पाये गये लेकिन उसमें से मात्र 66 व्यक्तियों को ही नियुक्तियां दी गयीं। बीच में मैं आपसे एक और अनुरोध कर दूं। मंत्रीजी, आपको शायद यह आशंका है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति या बैकवर्ड क्लासेज के अभ्यर्थी इसमें रह जायेंगे। आप स्पेशल उनके लिए प्रोग्राम तय करके विज्ञप्ति निकालें और उनके स्थान आप पहले भरें, अगर कोई ऐसी आशंका है आपको। लेकिन हकीकत यह है कि आयुर्वेद में अनुसूचित जाति, जन जाति के जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति करने के लिए अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं तो उनकी जो जगह बनती है उसे चाहे आप आउटस्टेंडिंग रखें, उस पर चाहें आप नियुक्ति न दें, लेकिन 1992 में जिन अभ्यर्थियों ने प्रार्थना पत्र आपके यहां प्रेषित किये हैं और जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिए आपने डी.ओ.पी. से मंजूरी मांगी है, और डी.ओ.पी. ने सौ स्थानों की पूर्ति करने के लिए आपको मंजूरी दी। आप तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। स्पेशली, सभापति महोदय, डी.ओ.पी. ने यह मेंशन किया है कि हमारे यहां जो सूची लम्बित है उनमें से सौ व्यक्तियों का चयन कर लिया जाए। सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब लोगों को आर.पी.एस.सी. फेस करनी पड़ती है। ये तो टेम्परेरी पोस्टिंग दे रहे हैं लेकिन अगर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति न दें तो

(श्री हरिसिंह)

इनमें से अनेकानेक ओवर एज होने जा रहे हैं और जो आर.पी.एस सी. फेस करने का अधिकार है वह उनका समाप्त हो जाता है।

सभापति महोदय, पहले ही हमारे यहां आयुर्वेद की स्थिति अच्छी नहीं है और उसमें भी जो औषधालय खाली पड़े हुए हैं, इनमें सरकार क्यों नहीं उनको नियुक्ति दे रही है और नये अभ्यर्थी जो आये हैं उनके लिए आपने, हकीकत तो यह है मंत्रीजी, आपको प्रेषित इन अभ्यर्थियों ने ही किया है। यह बार–बार आपसे मिलते रहे कि हमें आप नियुक्ति दीजिये और इन्होंने आपसे यह भी कहा कि राष्ट्रपति शासन में हमारे साथ अन्याय हुआ है और यह मैं भी स्वीकार करता हूं कि उनके साथ अन्याय हुआ है। वह शासन चाहे कोई सा भी हो लेकिन अन्याय तो अन्याय ही होता है।

श्री सभापति : शासन तो शासन ही है।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, अगर उस समय इनको नियुक्ति दे दी जाती तो शायद आज मुझे यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव इस सदन में लाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन चूंकि उस समय उनको न्याय नहीं मिला और जब उन्होंने न्याय के लिए आपका दरवाजा खटखटाया तो डी.ओ.पी. के उस लैटर का फायदा उठाने के लिए आपने लेटेस्ट एक और विज्ञप्ति जारी कर दी 17 2 92 को।

श्री सभापति : वह पढ़ दी है।

श्री हरिसिंह : वह आपने पढ़ दी है। मैं, सभापति महोदय, मंत्रीजी को आपकी अगर इजाजत हो तो डी.ओ.पी. के लैटर की कुछ पंक्तियां सुना दूं।

श्री सभापति : आप तो निवेदन करिये कि उनको लगायें।

श्री हरिसिंह : नहीं, उनका हक बनता है सभापति महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा हूं।....(व्यवधान)....

श्री सभापति : यह निवेदन करेंगे। माननीय सदस्य निवेदन करेंगे सरकार से।

श्री हरिसिंह : सभापति महोदय, मैं वह डी.ओ.पी. का जो पत्र है उसकी कुछ पंक्तियां आपकी इजाजत से पढ़ना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह सारे सदन को ध्यान है शायद।

श्री हरिसिंह : सारे सदन को जानकारी है तो मंत्रीजी, आप मानवीय आधार पर नियुक्ति दीजिये और नहीं तो उन अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उनमें से अनेक ऐसे अभ्यर्थी हैं, एक-दो को व्यक्तिगत रूप से मैं भी जानता हूं जो आज दो–दो बच्चों के बाप भी हैं और बेरोजगार घूम रहे हैं। उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी स्वयं की नहीं है तो अपने बच्चों को कहां से लाकर खिलायेंगे और विशेषकर मैं इसलिए और आपसे अनुरोध कर रहा हूं यह सब अभ्यर्थी जितने भी हैं, यह सब अधिकांश आपके विद्यालयों के छात्र हैं जो राजस्थान से पास करके आये हैं। इनको नियोजित करना प्राथमिकता के आधार पर न केवल सरकार का नैतिक दायित्व है बल्कि एक सरकार का धर्म भी है

(श्री हरिसिंह)

कि उनको नियुक्ति देकर बेरोजगारी को दूर करें।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा (टोडाभीम) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बहुत ही गम्भीर मसले के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह मामला इस सदन के अन्दर पहले भी कई बार उठा था और यह जो बेरोजगार आयुर्वेदिज्ञ हैं, लाखों रुपए मां-बाप ने जाने कैसे कर्जा करके इनको पढ़ाया था, लिखाया था, यह डिग्रीयां प्राप्त करवाई थी और उनको वह आशायें थी कि हमारा बेटा आगे जाकर वैद्य बनेगा या चिकित्सक, जो भी कुछ है, बनेगा और ट्रेनिंग भी सब कुछ कर ली इन्होंने और जब इनकी मेरिट-लिस्ट बन गयी तो बड़े दुख: की बात है जब थाली परोस दी गयी तो उस थाली को उनके सामने से उठा लिया गया था।

आज माननीय सभापति महोदय, मेरे ...माध्यम से कुछ पाईण्ट हैं तीन-चार, ...को पढ़कर सुना देता हूं। उनका ... मंत्री महोदय से दिलवा

...तक सम्पूर्ण अभ्य-... के पश्चात् ही ...जा आ रहा

...ति- ...र्ग

सम्पूर्ण अभ्यर्थियों को 375 नियुक्ति दी गई।

1992 में डी.ओ.पी. ने 100 पदों पर नियुक्ति देने की विभाग को स्वीकृति प्रदान की जबकि विभाग ने 5.9.92 को मात्र 59 पदों के लिए ही विज्ञप्ति जारी की। 7 जुलाई, 1993 को प्रथम सूची के माध्यम से 66 पदों पर नियुक्ति विभाग ने प्रदान की। इन 66 पदों में से 11 पदों पर अनियमितताएं की गई जिसके कारण उन्हें 3 माह पश्चात् अर्थात् 9 अक्टूबर, 1993 को नियुक्तियां मिली। अगस्त, 1993 में 18 पदों पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कनिष्ठ स्नातकों के लिए विशेष अभियान के तहत विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें 10 स्नातक उपलब्ध होने के कारण उनको नियुक्ति दी गई। 12 अक्टूबर, 1993 को विभाग द्वारा डी.ओ.पी. (कार्मिक विभाग) से शेष रहे अभ्यर्थियों में से तदर्थ नियुक्ति देने के लिए स्वीकृति मांगी गई थी। तत्पश्चात् डी.ओ.पी. (कार्मिक विभाग) द्वारा 30.12.93 को 100 पदों पर शेष रहे अभ्यर्थियों में से ही नियुक्ति देने की स्वीकृति प्रदान कर विभाग को भेज दी गई है। मंत्रीजी ने अपने जवाब में मात्र 59 पद ही रिक्त माने हैं जबकि 28 फरवरी, 1992 में तत्कालीन आयुर्वेद मंत्री श्रीमती विद्या पाठक ने 149 पदों को रिक्त माना और विधान सभा में स्पष्ट उल्लेख किया था। रिक्त पदों की संख्या का ब्यौरा आयुर्वेद निदेशक द्वारा ही भेजा जाता है जिन पर ही विभाग द्वारा नियुक्ति दी जाती है। आयुर्वेद निदेशक द्वारा स्वीकृत 190 पद पूर्णतया सही हैं। शेष रहे अभ्यर्थियों में से ही नियुक्ति न दी जाने पर अभ्यर्थी अपनी आयु सीमा पार कर रहे हैं उनका भविष्य

(श्री रामस्वरूप मीणा)

पूर्णतया अन्धकार में हो जायेगा जिसका विभाग के पास क्या जवाब है ? माननीय मंत्रीजी भूतकाल से चली आ रही प्रथा का अनुसरण न करके नवीन प्रथा को लागू कर रहे हैं।

इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि हमारे जो बेरोजगार हैं, जो कि बरसों से चिल्ला रहे हैं इनमें कई तो ऐसे हैं जो ओवर एज होने जा रहे हैं, उनकी जिन्दगी का क्या होगा ? जब उनकी आयु बीत जायेगी तो ये कहीं भी नौकरी के लायक नहीं रहेंगे इसलिए इनकी एक मेरिट लिस्ट बनायी जाय, इनको भी नियुक्ति दी जाय और अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों से विशेष प्रेम है आपका, तो आप उनकी भी अलग मेरिट लिस्ट बनाइये, उनको भी दीजिये लेकिन पहले हक इनका बनता है, इनको भी आप नौकरी में लें। यह बड़ी गम्भीर मसला है। इसके बारे में माननीय मंत्री महोदय से मैं पूर्व में भी कई बार निवेदन कर चुका हूं और आज भी सदन के माध्यम से उन बेरोजगारों के दुःख को प्रकट करता हूं सदन के सामने। अगर आपके बच्चे, आपके भाई इसी प्रकार बेरोजगार होते तो क्या आपको दुख नहीं होता। यह इतना संवेदनशील, इतने दुःख का विषय है कि माननीय मंत्री महोदय इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि जिन लोगों की पहले मेरिट बन चुकी है, जो बेरोजगार हैं, उनको रोजगार दिया जाय। अगर आप इनको रोजगार नहीं दोगे तो मैं विधान सभा में धरना देता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। मंत्री जी को जवाब देने दें। माननीय सदस्य बैठ जायं। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : पहले भी जवाब दिया था गोलमाल....(व्यवधान) इस बात के बारे में। पहले भी जवाब दिया था गोलमाल....(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : जवाब तो देने दो। हम बैठ जायेंगे।

श्री रामस्वरूप मीणा : आप पहले घोषणा कराइये इस बात की कि इनको नौकरी दी जावेगी।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय मुख्य सचेतक जी, आपके उप-मुख्य सचेतक को कन्ट्रोल में रखें।

श्री रामस्वरूप मीणा : मैं उप सचेतक हूं। मैं इसलिए नहीं हूं कि उनके अधिकारों का हनन होता रहे। हमारा दायित्व है, यह सचेतक का भी कि हम यहां आकर उनकी आवाज को उठावें।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूपजी, आपने अपने दायित्व का पालन कर लिया। अब आप विराजें।

श्री रामस्वरूप मीणा : तो माननीय मंत्री महोदय को खड़ा करें। मैं विराजूंगा, माननीय मंत्री महोदय को खड़ा करें आप।

श्री सभापति : खड़ा करता हूं अभी। माननीय श्री कालीचरण सराफ।... (व्यवधान)....

श्री कालीचरण सराफ : भाई, आपकी बात को ही....

श्री सभापति : माननीय सदस्य आपका समर्थन कर रहे हैं इसलिए आप सुनें।

श्री कालीचरण सराफ (जोहरी बाजार) : माननीय सभापति महोदय, आयुर्वेद मंत्रीजी ने बड़ा लम्बा-चौड़ा जवाब यहां पर दिया। मैं तो केवल एक दो बातें यहां पर पूछना चाहता हूं कि 1982 से 1990 तक आपके विभाग में परम्परा रही है कि जब तक सम्पूर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति न हो जाय दूसरी विज्ञप्ति नहीं निकाली जाय तो ऐसे क्या कारण हो गये कि आपने उनको तो नियुक्ति दी नहीं और दूसरी विज्ञप्ति निकाली दी यानी यह बात बिल्कुल सही है कि जिनका 1990 में प्रतीक्षा सूची में नाम आ गया, वे ओवर एज हो रहे है, उनको तो आप नियुक्ति नहीं देंगे और नई सूची आप निकाल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण हैं, क्या राज है, यह तो बताओ कम से कम यानि जो विभाग ने लिखकर दिया, वह ही आपने बोल दिया। कम से कम मानवीय आधार पर यह तो सोचिये कि वे ओवर–एज हो जायेंगे, वे क्या करेंगे ? और आप कह रहे हैं कि 59 पद खाली हैं, विद्या पाठक जी जब आयुर्वेद मंत्री थी, उन्होंने इसी सदन में 23 फरवरी को, जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, उन्होंने कहा कि 149 पद खाली हैं यानी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप यह जवाब, जैसा विभाग लिखकर देता है वैसा ही आप पढ़ देते हैं। कोई जानकारी भी करते हैं कि नहीं करते हैं। हमारा कहना तो केवल यही है और पुरजोर शब्दों में मांग करना चाहते हैं कि जिनका 1990 की प्रतीक्षा सूची में नाम है और जो नियुक्तियों से रह गये, पहले उनको नियुक्ति दीजिये और उसके बाद बाकी विज्ञप्ति निकालकर उनको नियुक्ति दीजिये। जब तक इनको नियुक्ति नहीं होगी, दूसरी नियुक्तियों का कोई मतलब नहीं है। ये सब ओवर–एज हो जायेंगे। बेरोजगार इधर से उधर मारे–मारे फिरेंगे। इन्होंने भी इसी प्रोसीजर से डिग्री हासिल की है, इन्होंने कोई अलग से अन्य व्यवस्था से डिग्री हासिल नहीं की है। जितने साल, अभी जो लोग प्रतीक्षा सूची में आयेंगे उतने ही साल इनको लगे हैं, उनका भी उतना ही पैसा लगा है। इन्होंने भी उतने ही साल पढ़ाई की है, फिर इनको तो आप लेंगे नहीं और नयों को लेंगे, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इनके बारे में निश्चित रूप से, स्पष्ट रूप से जवाब दीजिये।

श्री सभापति : आपके सारे पाइंट्स आ गये हैं माननीय सदस्य, बिराजिये। श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, प्रश्न यह है कि प्रतीक्षा सूची में जो लोग आ गये, यह प्रतीक्षा सूची खत्म नहीं हुई, उससे पहले ही दूसरे एडवर्टाइजमेन्ट की आवश्यकता नहीं थी। प्रतीक्षा सूची का मतलब ही यही होता है कि जब तक वह खत्म नहीं हो जाय, तब तक दूसरी नियुक्तियां नहीं की जायं। यह तो सरकार का और सबका ही स्पष्ट निर्णय है और इसके अलावा दूसरा यह है कि जो रह जाते हैं पुराने लोग, उनको किस प्रकार से नियुक्ति दी जाय, इनके लिए भी सरकार को, मुख्य मंत्रीजी को खासतौर से यह सोचना चाहिये कि पुराने, अनुभवी लोग जो एज के हिसाब से, विदिन एज लिमिट हैं, ऐसे लोगों के लिए ग्रेस मार्क्स भी निर्धारित होने चाहिये। एक साल, दो साल, जितने साल वो रहते हैं, नोकरी से बाहर रहते हैं, वेटिंग में रहते हैं, उनको नियुक्ति नहीं होती है, उनका जो पीरियड है, उस

(श्री रामनारायण चौधरी)

पीरियड का प्रतिवर्ष ग्रेस मार्क्स नये लोगों के मुकाबले में दिया जाना चाहिये अन्यथा नये लोग पुराने लोगों के मुकाबले, यह तो माना ही जायेगा, नये लोग निकले हुए हैं, वे वे ताजा हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई का अनुभव ताजा है और दिनों–दिन विज्ञान चेंज हो रहा है और पी.एस.सी. के अन्दर और दूसरी जगह, जहां उनका इन्टरव्यू होता है उसमें वे लोग जो पुराने हैं वे नयों के मुकाबले पिछड़ भी सकते हैं तो सब लोगों को, पहले वाले लोगों को, आप एडजस्ट नहीं करेंगे तो वे लोग कहां जायेंगे। यह तो टेक्नीकल लाइन है, एम.बी.बी.एस. हैं, एम एस. है, भिषगाचार्य है....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, सदन के सामने यह पाइंट उभर कर आ रहा है। जो आप बता रहे हैं। सदन के सामने यह तथ्य उभरकर आ गया है, जिस पाइंट पर आप बता रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री रामस्वरूप मीणा : अब तो मंत्री जी से जवाब दिलवाइये सीधा–सा।

श्री सभापति : मंत्रीजी के जवाब के बाद अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लें। रामस्वरूप जी, अब आप सुन लें।

श्री अचला राम : सभापति महोदय, जहां तक माननीय परसादी लाल जी का प्रश्न है कि यह बार-बार विज्ञप्ति क्यों निकाली गयी? यह 1990 से लेकर 1991 तक बार-बार भर्ती हुई, यह बात सही है और 216 पदों के विरुद्ध 373 पद भरे गये, यह बात सही है। अब किन कारणों से निकाली गयी, वह तो मैं नहीं कह सकता, उसके बाद में 49 पदों के लिए 15.9.1992 को विज्ञप्ति जारी की और उसके विरुद्ध 77 पद भरे गये और उसके बाद में अनुसूचित जाति-जनजाति के लिए और विज्ञप्ति निकाली गयी, विशेष रूप से 20 पद और भरे गये। उच्च न्यायालय के आदेशों से ये 200 आशार्थी लिये गये, इस प्रकार से 490 पद भरे गये। अब मेरे ऊपर और भी बातें लगाई गई कि अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। मैं माननीय राम स्वरूप जी मीणा से निवेदन करना चाह रहा हूं कि आपको यह तो पता ही है कि 100 पद भरने वाले हैं और नियुक्ति देंगे तो मुझे यश मिल जाय, 100 पद निश्चित रूप से भरे जायेंगे और बेरोजगारों के प्रति हमारी सहानुभूति रहेगी। तीसरी बात यह सामने आयी कि इनकी अलग–सूची बनाई जाय। निश्चित रूप से इनकी अलग-अलग सूची बनायी जायगी और इनको वरीयता के आधार पर नियुक्तियां दी जायगी।

एक बात और आई, जैसा माननीय सदस्य ने बताया, इनको प्रतिवर्ष के हिसाब से विशेषांक दिया जाना चाहिये, प्रतिशत के हिसाब से देना चाहिये। तो यह व्यवस्था, जिस वर्ष उत्तीर्ण करता है उसको छोड़कर और जिस वर्ष फार्म भरा जाता है उस वर्ष छोड़कर, बीच वाले अन्तराल में प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत उन्हें विशेषांक देकर उनकी वरीयता को लिया जाता है।

एक मांग और आई कि इनकी अलग-अलग सूचियां तैयार की जाय तो हमने

(श्री अचलाराम)

माननीय सदस्य के स्थगन प्रस्ताव के वक्त में यह आश्वस्त कर दिया था कि उनकी अलग-अलग सूची तैयार करके उनमें समायोजन किया जायेगा और उनकी नियुक्ति की जायेगी। मेरा यह निवेदन है कि मैं पहले भी कह चुका हूं कि अनुसूचित जाति का इसमें जो बैकलोग पहले से पूरा नहीं है और अब भी 1.22 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति का 0.82 प्रतिशत है तथा तीसरी बात 21 प्रतिशत ओ.बी.सी. का लेना है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमें भी कहीं न कहीं से ऐसे लोग प्राप्त हो जायं। मैं स्वयं अनुसूचित जाति का हूं और अनुसूचित जाति के साथ हमदर्दी रखता हूं और विभागीय नियमों को भी ध्यान में रखता हूं। इसीलिये हमने ये विज्ञप्तियां जारी की हैं।

अब मैं आपकी मांग को स्वीकार करता हूं कि दोनों की सूची अलग–अलग बनाई जाय और उनको समायोजित करके उन्हें ले लिया जाय, निश्चित रूप से लेंगे। माननीय रामस्वरूप जी की मांग को मैं मानता हूं कि इन्हें नियुक्ति दी जाय तो मेरे पास में जितने पद रिक्त हैं, दे दूंगा।

श्री सभापति : आप सुन लें एक बार।

श्री अचलाराम : तीसरी बात यह आई कि ओवर एज हो रहे हैं तो वे ओवर एज होंगे ही, मैं क्या करूं। उसका मेरे पास में क्या उत्तर है ?

श्री रामनारायण चौधरी : एज रिलेक्स कर दो। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप सुन लें।

श्री अचला राम : सरकार कहे तो मुझे मान्य है, उससे मैं कैसे मना कर सकता हूं। मेरा यह जो उत्तर है, यह सब माननीय सदस्यों को मेरे ख्याल से आश्वस्त कर देगा, और भी कोई बात होगी तो निश्चित रूप से आपके मानने योग्य सुझावों का स्वागत करूंगा।

श्री सभापति : राजेन्द्र जी पारीक भी पूछ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : मंत्री महोदय ने यह फरमाया कि जितने पद रिक्त होंगे उतनी नियुक्ति दे दी जायेगी। आप पहले तो यह बताने की कृपा करें कि....

श्री अचलाराम : रिक्त पद नहीं, और ओ.बी.सी. की जितनी भी स्वीकृति मिलेगी और उसमें पद रिक्त होंगे और अधिक पद हैं तो उनमें भी नियमानुसार कोशिश करेंगे।

श्री राजेन्द्र पारीक : अगस्त, 1993 में 18 पद अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त थे, इनमें से इनको केवल 10 पद ही मिले थे उस वक्त भी, 10 पद ही भरे गये थे।

श्री सभापति : वह नहीं मिले तो क्या करते ?

श्री राजेन्द्र पारीक : सवाल इस बात का नहीं है। सवाल यह है कि उन्होंने तो कह दिया कि ओवर-एज हो जायेंगे तो मैं क्या करूं, पद रिक्त नहीं हो तो मैं क्या करूं। बार–बार यह सवाल जब सदन में उठता है....

श्री सभापति : विराजिये राजेन्द्र जी ।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय मंत्रीजी बिराजे हुए हैं । यह बड़ा मानवीय प्रश्न है । (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप मीणा : जितने भी बेरोजगार हैं, उनकी मेरिट लिस्ट बनाकर के भर दिया जाय उन स्थानों को ।

श्री सभापति : मंत्री महोदय स्पष्ट कर रहे हैं । आप बिराजिये । मंत्री महोदय, मूल प्रश्न यह उभरकर आया कि जो लोग पहले के अभ्यर्थी हैं, जिनका उस लिस्ट में सलेक्शन हो गया था, वह नई सूची, एक लिस्ट बना दी थी । उस सूची के पूरी खत्म हुए बिना नया इन्टरव्यू लेकर आप नई नियुक्ति नहीं करें, यह प्रश्न है हमारे सामने ।

श्री अचला राम : सभापति महोदय, हमारे पास में प्रतीक्षा सूची नहीं है । हमारे पास में उस समय के लम्बित फार्म हैं, उन पर विचार करेंगे ।

श्री रामस्वरूप मीणा : विचार क्या करेंगे, नियुक्ति देंगे ।

श्री सभापति : हां बताया है ना मंत्री महोदय ने ।

श्री अचलाराम : नियुक्ति के लिए तो पहले ही कह दिया था कि दोनों प्रकार की सूची अलग से बनवा रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति : बात हो गई । बात आ गयी । आप इसको (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नहीं, नहीं, कहां आयी बात, बात आयी कहां है ?

एक माननीय सदस्य : बात आयी नहीं है । (व्यवधान) कुछ भी नहीं आयी बात । (व्यवधान)

श्री सभापति : मैं पूछता हूं । मैं पूछता मंत्री महोदय से ।

श्री अचलाराम : तो माननीय सदस्य इस बात के विरुद्ध में हैं कि ओ.बी.सी. को नहीं लिया जाय, अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति को नहीं लिया जाय । माननीय सदस्य क्या इस बात के विरुद्ध में हैं कि जो ब्रिलिएंट ब्वायज हैं जो अधिक से अधिक प्रतिशत में अंक लेकर आये हैं उनको नहीं लिया जाय । हम यह निवेदन कर रहे हैं कि दोनों ही सूचियां बना कर उससे समायोजित करके हम लेने की कोशिश करेंगे ।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द): सभापति महोदय, मंत्रीजी के जवाब से ऐसा लगता है कि सूचियां तो दोनों की अलग–अलग बनेगी और तीन प्रतिशत बोनस पहले वाली सूची को देकर उसकी मेरिट अब बनेगी और इसकी, दोनों की मेरिट मिला–कर जो एक कॉमन मेरिट बनेगी उसके हिसाब से नियुक्ति देंगे । इससे पहले वाले जो लोग हैं जिन्होंने अपनी डिग्री पहले हासिल की है उसको प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान मंत्री महोदय ने रखा नहीं है । प्रश्न यह उभर आया कि....

श्री सभापति : नहीं रखा है । यही प्रश्न है मंत्री महोदय, इसका आप जवाब दीजिये । माननीय सदस्य, सुनें आप । अब सवाल यह आ गया है कि दो लिस्ट आपने बना ली, लेकिन आप प्रायर्टी किस को देंगे ।

श्री अचला राम : प्रायर्टी दोनों को देंगे। दोनों में से समायोजित करेंगे....

श्री परसादीलाल मीणा : दोनों को कैसे देंगे आप। पहले किसको लेंगे....(व्यवधान)

श्री अचला राम : दोनों को देने का अर्थ यह है कि दोनों को समायोजित करूंगा। उनको तो.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय को सुनें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिन्होंने पहले अप्लाई किया है और जो....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। पहले विराजिए आप।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं एक सवाल पूछ रहा हूं मंत्रीजी से....

श्री सभापति : आप विराजिये पहले। मैं आपको जवाब दिलवाता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपकी इजाजत से एक सवाल पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : मेरी इजाजत पहले मंत्रीजी ने ले ली। आप बिराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : कौन से मंत्रीजी ने, वह तो बैठ गये।

श्री सभापति : आयुर्वेद मंत्री बोलेंगे पहले, फिर आप पूछ लेना।

श्री अचला राम : सभापति महोदय, यह मैं पहले कह चुका हूं कि जो लम्बित फ़ार्म्स हैं हमारे पास, उनको तीन प्रतिशत बोनस अंक दिये जायेंगे, तो आलरेडी यह अपने अंकों को अधिक प्रतिशत में प्राप्त कर लेंगे तो निश्चित रूप से वह आगे तो आयेंगे उनसे और अब जो नये फार्म्स हमारे पास हैं उनको तो हम एक भी बोनस अंक नहीं दे रहे हैं। तो और वे क्या चाहेंगे। और यह फार्म्स, इनको जो अधिकतम बोनस अंक देने का प्रावधान है वह 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है।

श्रीमती तारा भण्डारी : यह प्रायोरिटी ही तो है, और क्या है।

श्री अचला राम : यह प्रायर्टी तो है, और क्या है।

श्री सभापति : श्री परसादी लाल जी मीणा, पूछेंगे ?

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मूल सवाल यह है कि क्या मंत्रीजी ने यह मान लिया कि हम अलग-अलग मेरिट सूची बनायेंगे, उनके फार्म भी आपने मंजूर कर लिये कि इन पर भी हम विचार करेंगे। सवाल इस बात का है कि 17.9.92 को इन्होंने जो विज्ञप्ति निकाल कर फार्म्स लिये थे, यह तो सही है कि यह नियुक्तियां दे रहे हैं, 216 के विरूद्ध 375 तक दी, राष्ट्रपति शासन की वजह से उनको नहीं मिली। आज सरकार के पास 100 पद रिक्त हैं, 150 पद रिक्त हैं, जब आपके पास इतने कन्डीडेट अवेलेबल थे, जो पात्र कण्डीडेट पाये गये, आप स्वयं कह रहे हैं कि 254 प्रत्याशियों को योग्य माना गया फिर आपको विज्ञप्ति निकालने की क्या आवश्यकता थी जब आपके पास कण्डीडेट अवेलेबल थे तो आपने क्यों दूसरी विज्ञप्ति निकाली ? और आप जब इनको नियुक्ति देंगे, मान लो यह मेरिट में स्टैण्ड नहीं करें, ओवर एज

(श्री परसादीलाल मीणा)

हो जायेंगे, यह अभिशाप मंत्रीजी, किसके माथे लगेगा। मैं यह चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या इनको ऐसे पदों, जो आपकी वेकेन्ट पोस्ट है....

श्री अचला राम : मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं।

श्री परसादी लाल मीणा : उनमें से पुरानों को तो हम इतने में देंगे, नयों को हम इतने में देंगे। आप आयुर्वेद कालेजों को बंद कर दीजिए न मंत्रीजी। आप पांच औषधालय इस साल खोल रहे हैं। आयुर्वेद कालेज से जो लड़के आ रहे हैं, यह कहां जायेंगे, सरकार को रोने जायेंगे। कहां जायेंगे राजस्थान के लड़के, पांच औषधालय आयुर्वेद के राजस्थान में आप खोल रहे हैं। इतना बड़ा बेकलॉग है आपके पास, कालेज से निकल कर यह बेरोजगार होंगे। आप इनसे रिक्शा चलवायेंगे, आप इनसे मजदूरी करवायेंगे? आयुर्वेदाचार्यों से मजदूरी करवायेंगे आप.... (व्यवधान)

श्री सभापति : आप बिराजिये।

श्री परसादी लाल मीणा : और आप औषधालय खोलिये, जो पहले के है उनको दें....

श्री रामस्वरूप मीणा : आप ज्यादा से ज्यादा औषधालय खोलें और सबको नौकरी दें।

श्री परसादीलाल मीणा : जो आपकी प्रतीक्षा सूची बनी हुई है उनसे पहले के जो पुराने पद रिक्त हैं उनको भरिये। अगर आपको नयों को लगाना है, नयों के प्रति आपका ज्यादा मोह है तो आप नये औषधालय खोलिये और आप उनको लगाइये। आप पांच औषधालय खोल कर रामजी बनना चाह रहे हैं। या तो यह कालेज बंद करा दीजिये आप, पांच-पांच सौ लड़के हर साल निकलेंगे, राजस्थान का क्या होगा, राजस्थान के आयुर्वेदाचार्य कहां जायेंगे। आज सरकार इस पर मूक बैठी हुई है। मुख्य मंत्रीजी ने पांच औषधालय रखे हैं, कहां जायेंगे राजस्थान के लड़के? भीख मांगेंगे?

श्री सभापति : यह विषय नहीं है।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं कहना चाह रहा हूं सभापति महोदय, यह राजस्थान के आयुर्वेद का सवाल है....

श्री रामस्वरूप मीणा : इसका जवाब दिलवा दें। आप औषधालय और बढ़ावें, जगह और निकालें ताकि सबका नम्बर आये। लेकिन पहले नम्बर उनका लिया जावे, बाद में उनका नम्बर लिया जाय।

श्री परसादीलाल मीणा : आज यह जो आयुर्वेद के पढ़े हुए विद्यार्थी हैं, कहां जायेंगे नौकरी करने, क्या पाकिस्तान जायेंगे, क्या बांग्लादेश जायेंगे? मैं चाह रहा हूं सरकार उन पदों को पहले भरे, जो प्रतीक्षा सूची आपकी बनी हुई है और नयों के प्रति आपका मोह है....

श्री रामस्वरूप मीणा : तो आप निकालिये जगह और भरिये उनको भी।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने, जब यह लड़के आपसे मिले, सभापति महोदय, मैं चार्ज लगाना चाहूंगा मंत्रीजी के ऊपर, क्या इसमें कोई पाली जिले का है, क्या

Page No.100

(श्री परसादीलाल मीणा)

इसमें कोई अनुसूचित जाति का है, मैं नहीं लगाऊंगा, आज राज्य में इस तरह की भावना यदि मंत्री व्यक्त करेंगे तो सभापति महोदय, राजस्थान का क्या होगा। आज कोई जरूरी नहीं है कि एस.सी.,एस.टी. के लड़के आयुर्वेद पढ़ें। नहीं पढ़ेंगे तो सवर्ण वर्ग के आयुर्वेद के पढ़े हुए जो प्रत्याशी आयेंगे उनसे भरनी पड़ेगी। आपके पास कण्डीडेट उपलब्ध नहीं है, क्यों बहाना बना रहे हैं बेकार में ही, आप उन पदों पर नियुक्तियां दीजिये, जो आपकी पहले से वैकेन्ट पड़ी है....

श्री सभापति : समाप्त करिये अब। आपकी बात आ गई हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : अगर नयों को आपकी देनी है तो आप नये औषधालय खोलिये राजस्थान में, नहीं तो जो आयुर्वेद कालेज हैं आपके, उनको बंद करा दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय हरिसिंहजी (महुआ)। रामस्वरूपजी, बिराजिये आप। हरिसिंहजी, आप एक प्रश्न पूछेंगे, हां, बस।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, चूंकि यह सौभाग्य का विषय है कि ऐसे वक्त पर मुख्य मंत्रीजी स्वयं यहां हाजिर हैं....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठे-बैठे बात नहीं।

श्री हरिसिंह (महुआ) : सभापति महोदय, जैसी मुझे जानकारी मिली है कि बेरोजगारों आयुर्वेदाचार्य या भिषगाचार्य के जो अभ्यार्थी हैं जिन्होंने नौकरी के लिए प्रार्थना-पत्र दिये हैं, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी मिले, इनका डेप्युटेशन मिला और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इनके प्रार्थना-पत्र पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने के लिए पत्रावली डी.ओ.पी. से भी मंगवाई है और मुझे यह भी जानकारी मिली है कि डी.ओ.पी. ने 100 पदों को भरे जाने के लिए उस पुरानी लिस्ट में से ही स्वीकृति भी जारी की है। तो फिर यह नई विज्ञप्ति का कहां सवाल आ रहा है, प्रश्न नम्बर एक। नम्बर दो, आयुर्वेद में अब तक की जो परम्परा है वह और एलोपैथी में जो अब तक की परम्परा है यह वह है फर्स्ट कम एण्ड फर्स्ट गेट एम्प्लायमेंट, इन दोनों की अभी परम्परा है। मुख्य मंत्रीजी, अगर आप इस परम्परा को तोड़ कर कोई नई व्यवस्था कायम करना चाहते हैं तो हमें कोई शिकायत नहीं है। आप सक्षम हैं, आप करेंगे ही। नहीं तो मानवीय आधार पर जैसे पिछली बार 216 के विरुद्ध 375 को आपने खुद ने व्यक्तिगत हस्तक्षेप करके पदस्थापित करवाया था, वैसे ही इस बार भी हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि पुरानी जो इनकी सूची है, जो 92 की इनकी विज्ञप्ति है उसके तहत जो प्रार्थना-पत्र 254 हैं उन्हीं में से 100 अभ्यार्थियों के स्थान, इसके लिए डी.ओ.पी. ने स्वीकृति जारी कर दी हैं वह 100 स्थान पुरानी सूची में से भरने की मेहरबानी करें।

श्री सभापति : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री रामस्वरूप मीणा : मेरा तो निवेदन है माननीय मंत्री महोदय....

श्रीमती कमला (बैराठ) : आयुर्वेद विभाग में भर्ती के नियमों का जो प्रावधान है वह अगर मंत्री महोदय पढ़ कर सुना दें तो इस विवाद का हल निकल सकता है।

श्री रामस्वरूप मीणा : सभापति महोदय, मेरा तो निवेदन है, इसके बारे में माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि आप इस बात पर हस्तक्षेप करें और आप इस बात की यहां सदन में घोषणा करें कि वास्तव में जो इनकी पहले से मेरिट बनी है उन्हीं को लिया जायेगा, बाद में और जगह खाली करके अन्य को भी भरा जायेगा। यह मेरा निवेदन है, बहुत ही गम्भीर है, सारे लोग परेशान हो गये।

श्री सभापति : श्रीमान् चतुर्वेदीजी।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह विभाग बदल गया क्या सभापति महोदय।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : कोई बात रखी है तो सुन लीजिये। सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को कुछ बिन्दु निवेदन करना चाहता हूं। अल्प अवधि सूचना जो रहती है उस अल्प अवधि सूचना के पीछे का हेतु यह रहता है कि उस समय जो अविलम्ब आवश्यकता आ गई है उस अविलम्ब आवश्यकता की पूर्ति राज्य सरकार को करनी चाहिए। और इसी हेतु को ध्यान में रख कर अल्प अवधि सूचना प्रसारित की जाती है, फार्म्स मंगाये जाते हैं और उन फार्म्स से जो पद रिक्त होते हैं उनको भरा जाता है और एक आपसे बिन्दु निवेदन करना चाहता हूं कि अल्प अवधि सूचना में कोई भी सलेक्टेड लोग रिजर्व में नहीं रखे जाते हैं। यह बात सच है। मेरी मान्यता माननीय सदस्यों के साथ बिलकुल है कि पहले अल्प अवधि सूचना का प्रयोग करते हुए जैसे-जैसे पद खाली होते गये उनमें से फार्म्स की मेरिट के आधार पर उनको नियुक्तियां दी जाती रही हैं, जो नियम से गलत है। किन्तु मैं इस बात को भी मान लेता हूं कि पुराने जिस नियम को बनाया है, परम्परा डाली है, नियम के विरुद्ध हम उसका पालन करें। एक दूसरा विषय इसमें और आकर खड़ा हो जाता है। जिस समय अल्प सूचना प्रकाशित की गई थी तब तिथि थी 15 दिसम्बर, 1992। दूसरी जो आवश्यकता हुई है, वह तब हुई है, जिसके बाद से ओ.बी.सी. के लोगों को निश्चित रूप से आमंत्रित करना, उनके फार्म मंगाना और उनको नियुक्ति देना आवश्यक हो गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन से यह पूछना चाहता हूं कि जो बाद में रिक्तियां हुई हैं, जिसकी 100 चर्चाएं की गई हैं, डी.ओ.पी. ने मान्यता दी नहीं। यह बात तो सच है उन्होंने कह दिया कि 21 लोग ओ.बी.सी. के लिये जायेंगे, किन्तु मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने पहले फार्म दिये थे, अगर मेरिट में बहुत कम थे और उन्होंने एप्लीकेशन ही नहीं दी कि हम तो आयेंगे ही नहीं, उन ओ.बी.सी. के बंधुओं का क्या होगा ? कोई भी व्यक्ति आज कोर्ट में चला जायेगा, इस स्थिति के बाद तो....
(व्यवधान) पूरी बात कम्पलीट करने दीजिये तो राज्य सरकार की....

श्री परसादीलाल मीणा : एक मिनट आप अनुमति दें।

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : Let me complete it.

श्री सभापति : परसादीलाल जी, आप विराजिये। नहीं, बीच में नहीं।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, आप ओ.बी.सी. की बात कर रहे, हैं। आपकी जो विज्ञप्ति, मैं, सभापति महोदय, मंत्रीजी को सही कर दूं ना....

श्री सभापति : आप सही मत बनायें। आप मामले को खराब कर रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री परसादीलाल मीणा : आप ओ.बी. सी. की बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। आपकी 15-9 की विज्ञप्ति में ओ.बी.सी. के लिए कोई जगह नहीं है, कोई आरक्षण नहीं किया है? देख लीजिये ना।

श्री अचलाराम मेघवाल (राज्य मंत्री, आयुर्वेद) : माननीय सभापति महोदय, 29-2 को वापस संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है।

श्री परसादीलाल मीणा : आपने नहीं निकाली है। यह देख लीजिये। पढ़ लीजिये। आपकी अनुमति हो तो सभापति महोदय, विज्ञप्ति पढ़कर सुनाऊं मैं।

श्री सभापति : आप पहले विराजिये।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं, सदन को गुमराह क्यों कर रहे हैं? मेरे पास विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति में ओ.बी.सी. का नहीं है।

श्री सभापति : आप विराज जायें। परसादीलालजी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप इस समस्या का हल नहीं चाहते हैं।

श्री परसादीलाल मीणा : ओ.बी.सी. को लेकर सदन को गुमराह नहीं करें।

श्री सभापति : आप इस समस्या का हल नहीं चाहते ?

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : माननीय सभापति महोदय, मैं कम्पलीट कर दूं। मेरी बात सुन लीजिये पूरी, इसलिए मेरा निवेदन है कि मेरी बात पूरी हो जाये। माननीय सभापति महोदय, मैं फिर अपनी बात को स्ट्रेस करना चाहता हूं क्योंकि उस कमेटी का अध्यक्ष मैं हूं। 28 सितम्बर, के बाद जो कोई प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें ओ. बी.सी. के लोगों को निश्चित रूप से 20 प्रतिशत लेना होगा। माननीय सभापति महोदय, मैं इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि 15 सितम्बर की विज्ञप्ति जो प्रकाशित की गयी थी, जिसके अनुसार फार्म आये, जिसके अनुसार लोगों ने सप्लाई किया, जिसके अनुसार सलैक्शन हुये, यदि 28 सितम्बर के बाद जो प्रक्रिया दूसरी प्रारम्भ कराने की बात थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर कभी भी इस पुरानी सूची के आधार पर जो कि अल्पावधि में, नियम से, जैसे मैंने कहा परम्परा गलत हो गयी है, यह बात सच है, It will be challenged in the court, और करना सम्भव नहीं होगा। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं इन 100 पदों को जो स्वीकृत किया गया 30-12-1993 को कार्मिक विभाग ने, उन्होंने कहा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित

(श्री ललित किशोर चतुर्वेदी)

जन जाति और पिछड़े वर्ग के 16, 12 और 21 पद आरक्षित हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ओ.बी.सी. के जो लोग बाद में आये हैं, जिनकी मेरिट पहले कम थी या अभी पास करके जो लोग आए हैं उनको वंचित करना उनके साथ कुठाराघात है, न्यायालय में चैलेंजेबल बात है और इसीलिए आपके माध्यम से जो माननीय मंत्री महोदय ने कहा, उसको दोहराना चाहता हूं। पुराने जो लोग हैं, वह फार्म हैं, वह लम्बित फार्म हैं, उन लम्बित फार्मों के साथ नये जो फार्म आयेंगे, इन पुराने फार्मों के अभ्यार्थियों का जो एक्सपीरिएंस है, उसके आधार पर तीन प्रतिशत एक्सग्रेसिया मार्क्स देकर मेरिट सूची बनायी जायेगी और उस मेरिट सूची में से 100 रिक्तियों के आधार पर 16 और 12, 21 यह और बाकी जनरल लोगों को लेने की व्यवस्था की जायेगी। आपके माध्यम से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सदस्य ने यह कहा कि आयुर्वेद कॉलेजेज का क्या होगा? अभी जो बच्चे पास होकर आये हैं, यह कहां से आये हैं, वह उस आयुर्वेद कॉलेज से होकर ही आये हैं, यह भी कण्टेस्टेण्ट है। मैं आपके माध्यम से इसीलिए निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायालय की दृष्टि से, ओ.बी.सी. को सम्मान देने की दृष्टि से माननीय मंत्री महोदय ने जो निर्णय किया है, वह बहुत ठीक है, उसका पालन किया जाना चाहिए।

श्री परसादीलाल मीणा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी इजाजत से जो....(व्यवधान) 17-9-92 को विज्ञप्ति निकाली है....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : निकाली वह विज्ञप्ति गलत थी किन्तु उन्होंने निर्णय ठीक लिया है,, डी.ओ.पी. ने भी वही दिया है।

श्री परसादीलाल मीणा : आप केन्सिल करिये विज्ञप्ति को, मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

श्री हरिसिंह : आप इस विज्ञप्ति को केन्सिल करके एक नयी विज्ञप्ति निकालिये, नई विज्ञप्ति निकालिये। ....(व्यवधान)

श्रीमती कमला : उसके आधार पर.... (व्यवधान)

श्री सभापति : मंत्री महोदय, क्या इस विज्ञप्ति को आप दुबारा निकालेंगे?

श्री परसादीलाल मीणा : केन्सिल करिये, पूरी विज्ञप्ति को।

श्री रामनारायण चौधरी : केन्सिल करो, विथड्रा करो।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, क्या.... (व्यवधान)....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह विज्ञप्ति दुबारा निकले वरना फिर चैलेंज हो जायेगी। अनुसूचित जाति, जन जाति और ओ.बी.सी. के लोगों को करके फिर उसका प्रकाशन करें.... (व्यवधान).... वरना चैलेंज हो जायेगी वह....

श्री अचलाराम : माननीय सभापति महोदय, 28-2-1994 को संशोधित विज्ञप्ति पुनः हमने भेज दी है।.... (व्यवधान)....

Page No.104

श्री सभापति : संशोधन कर दिया है माननीय मंत्री महोदय ने....(व्यवधान)....

श्री परसादीलाल मीणा : मैं आपकी अनुमति से सदन को जो गुमराह किया है, उसके कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं।

श्री सभापति : आप एक बार बिराज जायें।

श्री परसादीलाल मीणा : अल्प अवधि विज्ञापन....

श्री सभापति : परसादीलाल जी, संशोधन हो गया उसमें।

श्री परसादीलाल मीणा : 15-2-1992, आयुर्वेद विभाग....(व्यवधान)...चिकित्सालयों के लिए आयुर्वेद चिकित्सकों के 100 पद और पूर्णतया अस्थाई, अस्थाई प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, इन पदों पर नियुक्तियां अस्थाई उपरोक्त पदों में से....(व्यवधान)

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी : संशोधित कर दी।

श्री विष्णु मोदी : सभापति महोदय, पुनः....(व्यवधान)....

श्री अचलाराम : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह पुनः निवेदन है आपको, मैंने यह निवेदन किया है कि 28-2-1994 को संशोधित विज्ञप्ति जारी कर दी है।

श्री रतनलाल ताम्बी : संशोधित विज्ञप्ति क्या है ? वह सामने रखें।

श्री परसादीलाल मीणा : उपरोक्त पदों....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आप बिराज जाएँ। माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये, बिराजें।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं एक मिनट अपनी बात सुनाऊंगा, फिर बैठ जाऊंगा।

श्री सभापति : आप सुन लो मेरी बात। आप विज्ञप्ति में संशोधन करिये। आप पुराने लोगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें, यही यह चाहते हैं।

श्री अचलाराम : वह तो कर ही रहा हूं।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं विज्ञप्ति पढ़कर सुना रहा हूं, विज्ञप्ति पढ़कर सुनाता हूं।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, जो मंत्रीजी ने सदन को गुमराह किया है। मैं विज्ञप्ति पढ़कर सुना रहा हूं आपको ... (व्यवधान)

श्री सभापति : विज्ञप्ति में संशोधन कर दिया है सरकार ने। चर्चा समाप्त हुई इस पर।

श्री परसादीलाल मीणा : नहीं–नहीं चर्चा कैसे समाप्त होगी।

श्री सभापति : प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री नरपतसिंह राजवी ध्यान आकर्षण करेंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से....

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य। चर्चा समाप्त मैंने कर दी।

श्री परसादीलाल मीणा : चर्चा समाप्त नहीं हुई। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अकाल राहत मंत्री का ध्यान....(व्यवधान) आकर्षित करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, माननीय सदस्य। बिराजें आप : बिराजें।.... (व्यवधान) माननीय सदस्य बिराजिये, बिराजिये, चर्चा समाप्त हुई। अंकित नहीं होगा।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री रामस्वरूप मीणा : ×××

श्री हरिसिंह : ×××

श्री विष्णु मोदी : ×××

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री सभापति : अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, आसन का सहयोग करें, बिराजिये, आप बिराजिये, आसन का सहयोग करें। माननीय राज्य मंत्री जी ने अपना जवाब दे दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : ×××

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : ×××

श्री सभापति : मंत्री महोदय ने आपके ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का जवाब दे दिया है। मैंने यहां पर पर्याप्त चर्चा कर ली है। सरकार का रुख आ गया, आपके विचार आ गये, इसके बाद आसन कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इस पर चर्चा समाप्त कर दी, अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव मैं ले रहा हूं। श्री नरपतसिंहजी राजवी।

श्री परसादीलाल मीणा : ×××

श्री सभापति : मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं आपको। अंकित नहीं होगा इनका।

अकालग्रस्त क्षेत्रों में राहत कार्य

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, राजस्थान में अकाल के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, मैं उस पर माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति : अकाल राहत मंत्रीजी।

श्री सांवरलाल जाट (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : माननीय सभापति महोदय, सम्वत् 2050 में अनियमित वर्षा के फलस्वरूप राज्य के 25 जिलों के 22586 गांवों को नगर पालिका क्षेत्र के 214 ग्राम सम्मिलित करते हुये अधिसूचना दिनांक 31-1-1994 के माध्यम से अकाल राहत के अन्तर्गत घोषित किया।

एक माननीय सदस्य : सुनाई कम आ रहा है साहब।

श्री सभापति : आप थोड़ा, माननीय मंत्री महोदय, धीरे-धीरे और माइक के पास बोलें।

××× अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री सांवरलाल जाट : इनमें 1 फरवरी, 1994 से राहत कार्य प्रारम्भ करवा दिये गये हैं। सभी 25 जिलों में राहत कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं।

राहत कार्यों पर श्रमिकों का नियोजन

फरवरी माह में 25 जिलों में निम्नांकित विभागों द्वारा संचालित कार्यों पर उनके सम्मुख अंकित संख्या में श्रमिक कार्यरत थे जो राहत के अतिरिक्त थे:–

सार्वजनिक निर्माण विभाग	40,964
सिंचाई विभाग	11,510
वन विभाग	1,08,202
भू–संरक्षण विभाग	20,853
डी.आर.डी.ए.	1,47,000

फरवरी माह के लिये राहत कार्यों के लिये 1,53,000 की श्रमिक सीमा निर्धारित की गई। 28.2.94 को विभिन्न जिलों में राहत कार्यों के अन्तर्गत 1,03,634 श्रमिक कार्यरत थे। इसी प्रकार फरवरी माह में लगभग 4,32,000 व्यक्ति रोजगार प्राप्त कर रहे थे। माह मार्च के लिये राहत कार्यों पर लगाये जाने वाले श्रमिकों की संख्या दो लाख सत्तावन हजार कर दी गई है।

जिलों में राहत कार्यों का संचालन

विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार फरवरी माह में निम्नांकित विभागों को उनके सम्मुख अंकित संख्या में कार्य स्वीकृत किये जा चुके हैं:–

सार्वजनिक निर्माण विभाग	718
सिंचाई विभाग	587
वन विभाग	71
भू–संरक्षण विभाग	28
अन्य विभाग	1330

राहत कार्यों के लिये पर्यवेक्षण समितियां

राहत कार्यों के संपादित किये जाने के संबंध में दिनांक 1.2.94 को ही जिला कलक्टर्स को दिशा निर्देश भिजवा दिये गये। इन दिशा निर्देशों में राहत कार्यों के पर्यवेक्षण के लिये जिला स्तर, पंचायत समिति स्तर तथा पंचायत स्तर पर पर्यवेक्षण समितियों के गठन के सम्बन्ध में निर्देश सम्मिलित हैं। जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति में जिले से निर्वाचित सांसद, जिले के समस्त विधायक, पूर्व जिला प्रमुख, जिले में कार्यरत स्वयं सेवी संस्थाओं के 3 से 5 तक प्रतिनिधि, जिले के अन्य सामाजिक कार्यकर्ता अधिक से अधिक पांच और संबंधित अधिकारियों को सदस्य बनाने के निर्देश दिये। इसी प्रकार पंचायत समिति स्तरीय अकाल राहत पर्यवेक्षण समिति, जिसका अध्यक्ष उप खण्ड अधिकारी, पंचायत समिति क्षेत्र के विधायक, पूर्व प्रधान, पंचायत समिति क्षेत्र से सम्बन्धित स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि अधिक से तीन, पंचायत समिति क्षेत्र के पूर्व सरपंचों में से तीन सरपंच (इनका मनोनयन जिला अकाल राहत कमेटी द्वारा किया जावेगा) इसी प्रकार पंचायत स्तर पर तीन से पांच सदस्यों की एक राहत समिति बनाई जायेगी जो पंचायत समिति स्तर की सिफारिश पर उनमें सरकारी और गैर सरकारी सदस्य होंगे।

(श्री सांवरलाल जाट)

सभी प्रभावित जिलों में जिला कलक्टर सहित अन्य अधिकारी पूरी तरह से सक्रिय हैं और राहत कार्यों के संचालन के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाओं को उपलब्ध करवाने में कार्यरत हैं।

राहत कार्यों पर लगने वाले श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान

राहत कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों का भुगतान पाक्षिक किया जाता है और यह भुगतान राजस्व अधिकारियों द्वारा करवाया जा रहा है, चाहे राहत कार्य किसी भी विभाग के माध्यम से उत्पन्न किये जा रहे हों। संबंधित जिला कलक्टर्स को फरवरी माह में राहत कार्यों पर लगाये गये श्रमिकों के भुगतान के लिये 18 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जा चुकी है।

चारा व्यवस्था

चारे की कमी से प्रभावित केवल दस जिले हैं। इनमें से मार्च माह में सात जिलों में ही चारे की आवश्यकता प्रतिपादित की गयी है। इन जिलों को स्वय सेवी संस्थाओं के माध्यम से "न लाभ न हानि" के आधार पर चारा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये जा चुके हैं और चारा परिवहन अनुदान की दर भी निर्धारित कर अवगत कराया जा चुका है। इस कार्य के लिये जिला कलक्टर्स को दो करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवाई। अनुदान हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं को आवश्यकतानुसार ब्याज रहित ऋण उपलब्ध करवाने के लिये भी राशि उपलब्ध करवा दी गयी है।

पेयजल

11 जिलों के 128 विभागीय टेंकर्स की मरम्मत हेतु 16.59 लाख रुपये फरवरी माह क प्रारंभ में ही स्वीकृत कर दिये गये। आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर ट्राली, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी से पेयजल उपलब्ध करवाने के निर्देश जिला कलक्टर्स को दिये जा चुके हैं और इस निमित्त राशि भी उन्हें उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

अनुग्रह राशि

अभावग्रस्त क्षेत्रों में वृद्धों, अपाहिजों व असहाय व्यक्तियों को प्रति व्यक्ति 120/- रुपये प्रति माह तथा बच्चों को 60/- रुपये प्रति माह अनुग्रह राशि सहायता दिये जाने तथा प्रत्येक ग्राम पटवार मुख्यालय पर एक क्विटल गेहूं रिजर्व रखे जाने के निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

राहत कार्यों का चयन

राहत कार्यों के चयन में राज्य सरकार ने जिला कलक्टर्स को नीति निर्देश प्रसारित किये हैं जिनमें स्थायी सम्पदाओं के निर्माण का दृष्टिकोण रखा गया है। सर्वाधिक प्राथमिकता ऐसे कामों को देनी है जो पूर्व के अधूरे हैं। चूंकि पिछले वर्षों के 12,300 कार्य अधूरे पड़े हुये हैं और इस पर लगी राशि का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। अधूरे कार्यों को पूरा कराये जाने को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है और ऐसे कार्य जो 15 जुलाई तक पूरे हो जायें, 1994 तक, अगर नहीं होते हैं तो सम्बन्धित विभागों का दायित्व निर्धारित कर दिया गया कि वह उनको मेन्टेन करेंगे, पूरा करवायेंगे।

(श्री सांवरलाल जाट)

नये कार्यों के चयन में आश्वस्त रोजगार योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप कार्य लिये जाने के निर्देश दिये हैं, वन विकास के कार्य, लघु सिंचाई के तालाबों के कार्य, गंवई तालाब, नहरों का कार्य, सड़कों के निर्माण

(13.55)

(श्री किशन मोटवानी, सभापति, पदासीन)

तथा स्कूलों भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। तत्पश्चात निम्न प्रकार के अतिरिक्त कार्य कराये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं :—

1. राजकीय भवनों की चारदीवारी बनाने का कार्य,
2. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले या लघु व सीमान्त कृषकों के अधूरे रहे कुओं को पूरा कराने का कार्य,
3. मिडिल स्कूल/सैकण्डरी स्कूल/हायर सैकण्डरी स्कूल भवनों का निर्माण,
4. पटवार घर/ग्राम सेवक घर/उचित मूल्य की दुकान/तहसील भवन/अस्पताल भवन/पुलिस चौकी/तथा पुलिस थाना भवन का निर्माण,
5. सामुदायिक कुओं को गहरा कराने का कार्य,
6. सिंचाई विभाग के बन्धों को कच्ची नहरों में डी-सिल्टिंग का कार्य, बशर्ते सिंचाई विभाग डी-सिल्टिंग के पश्चात उनकी लाइनिंग का कार्य स्वयं के बजट से पूर्ण करे।

श्री रामनारायण चौधरी : पुलिस थाना भी है क्या ?

श्री सांवरलाल जाट : हां पुलिस थाना भी है, चौकी भी है। जो भी बिल्डिंग बनायेंगे आप सरकारी उपयोग की, सब बन जायेगी।

7. सड़कों के कार्य के संबंध में निम्न प्राथमिकताएं इंगित की गयी हैं :—

(अ) पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने वाली ग्रेवल सड़क,
(ब) 1971 की जनगणना के आधार पर 1000 की जनसंख्या वाले ग्राम।

राज्य में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सभी पंचायत क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में कार्य संचालित है। वर्ष 1993–94 में रुपये 129 करोड़ की।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी, थोड़ा धीरे धीरे बोलें।

श्री सांवरलाल जाट : मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप सभी पढ़े लिखे बड़े अनुभवी आदमी हैं... (व्यवधान)....आपको जो मुख्य बात पूछनी है तो मैं आंकड़े....

एक माननीय सदस्य : पर्याप्त मात्रा में अकाल राहत के कार्य नहीं खोले गये हैं। (व्यवधान)

श्री सांवरलाल जाट : मैं आपको सारी बात बता दूंगा आप पूछ लेना मेरे को बाद में, 129 करोड़ की राशि इस योजना के अन्तर्गत पंचायतों को उपलब्ध करवाई गई है। राज्य की 237 पंचायत समितियों में से

(श्री सांवरलाल जाट)

122 पंचायत समितियों में भारत सरकार की "आश्वस्त रोजगार योजना" भी प्रचलित है। यह पंचायत समितियां डी डी.पी., डी.पी.ए.पी. तथा जन-जाति बाहुल्य क्षेत्रों में इस वर्ष अभाव की स्थिति भी हैं। इन 122 पंचायत समितियों को प्रत्येक को आश्वस्त रोजगार योजना" के अन्तर्गत तीस-तीस लाख रुपया आवंटित है जिसका उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। इसी प्रकार 34 करोड़ रुपया योजना के अन्तर्गत 122 पंचायत समितियों के पास रोजगार उपलब्ध करवाने वाले कार्यों के लिये मौजूद हैं। विभिन्न विभागों की योजना मदों के कार्य भी जिलों में संचालित हैं। डी.डी.पी योजना के अन्तर्गत 57 करोड़, डी.पी.ए.पी. योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ इन्हीं पंचायत समितियों के पास उपलब्ध रहा है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, सवाई माधोपुर एवं उदयपुर जिलों को जवाहर रोजगार योजना की द्वितीय स्ट्रीम के अन्तर्गत 36 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी आवंटित की गयी है जिसका उपयोग भी इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना है। ऐसी स्थिति में यह तो स्पष्ट है कि प्रभावित 25 जिलों में रोजगार उपलब्ध करवाये जाने वाले कार्यों की कोई कमी नहीं है और न इन कार्यों के लिए धनाभाव ही है। फिर भी जैसे जैसे आवश्यकता होगी, राज्य सरकार प्रभावित क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन की सीमा बढ़ाती रहेगी।

राज्य सरकार द्वारा अभाव स्थिति से प्रभावित जिलों पर पूरी निगाह रखे हुए है और इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि अभाव की स्थिति से प्रभावित लोगों को जहां एक ओर आवश्यकतानुसार रोजगार उपलब्ध कराया जावे, वहीं राज्य में स्थायी उपयोगी सम्पदाओं का निर्माण हो और अभाव स्थिति के दौरान निर्मित सम्पदायें राज्य के लिये वरदान साबित हो सकें।

श्री सभापति : All satisfied ?

श्री नरपतसिंह राजवी : सभापति महोदय, आपके माध्यम से जो सूचना और जो पूरा 3-4 पेज टाइप्ड मंत्री महोदय ने पढ़ा यह तो एक एकेडेमिक एक्सरसाइज थी, यह पूरी हो गयी लेकिन मैं इतना ही पूछना चाहता हूं कि अकाल, ईस्ट इण्डिया कम्पनी से पहले भी अकाल पड़ते थे, तब भी काम होता था, तब से लेकर अब तक अकाल राहत का क्रम निरन्तर चल रहा है। 1850 से 1900 तक बहुत अकाल पड़े और 1900 के बाद में 1947 तक कम्पेरेटिबली कम पड़े, 1947 के बाद तो महाकाल ही पड़ता रहा। प्रश्न यह है कि 1880 में फेमिन कमीशन की स्थापना हुई और उन्होंने उस फेमिन में जो भी आवश्यकताएं थीं वह मूलभूत आवश्यकताएं और मास्टर प्लान जिस प्रकार का बनाया, काफी सराहनीय रहा। वथा सरकार 1952 से लेकर आज तक जितने भी अकाल पड़े हैं उससे जो....

(14.00)

शिक्षा ग्रहण की है, बार-बार अकाल पड़ते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट असेट्स तो आप क्रियेट कर रहे हैं लेकिन वह कैपीटल असेट्स मेनटेन कौन करेगा ? अभी अभी बताया कि साहब डीसिल्टिंग का काम इरिगेशन डिपार्टमेंट कर दे, मान लिया,

(श्री नरपतसिंह राजवी)

लेकिन अगर उसको पक्का भी इरिगेशन डिपार्टमेंट अपने बजट से करेगा तो उसका ओ. एण्ड एम. कोस्ट आगे जाकर कितना पड़ेगा ? ऐसी चीजों को निर्माण करें जिससे पेयजल समस्या का समाधान हो । 7 करोड़ रुपये तो इन्होंने ईयरमार्क किये हैं लेकिन 7 करोड़ में राजस्थान को कितना लाभ हो जाएगा । सदन के सभी सदस्य इसका अन्दाजा लगा सकते हैं । एक कांस्टीट्यूएंसी में 4 हैण्डपम्प से कुछ नहीं होने वाला है, तीन हैण्डपम्प मिलेंगे । प्रश्न यह है, कि जैसे ड्रोट प्रोन अफैक्टेड डिस्ट्रिक्ट मानी है 10, उसमें एनुअल एवरेज रेन फाल अगर आप देखें तो बांसवाड़ा में 950 की एवरेज रेन फाल है और बाड़मेर की एवरेज रेन फाल क्या है उसका अन्दाजा लगा ले । डिफरेंस क्या है । इट इज नाट दी पालीटिकल कैटेगराईजेशन । फेमिन कैटेगराइजेशन डिस्ट्रीक्ट्स में एवरेज रेन फाल का आधार है या नहीं है। यह भी हम पूछना चाहते हैं मंत्रीजी से । अभी फेमिन का काम चल रहा है । अकाल राहत कार्य कुछ जगह खोल दिये, कुछ जगह हीं खोले हैं तो मंत्रीजी शीघ्र खोल देंगे यह मैं आश्वस्त हूं । लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या उन्होंने दिमाग में रखा है। फेमिन कमीशन, क्यों नहीं सरकार इस पर विचार करके फेमिन का एक कमीशन घोषित कर दे। परमानेंट इसका मास्टर प्लान बने । सोइल कंजरवेशन के नाम पर फोरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से खर्च होता है वह नगण्य है और नदियों में डीसिल्टिंग सोइल एरोजिन होने के कारण इतना हो गया कि पांच-पांच छः-छः फीट में सील्ट आ गयी । छोटे वाटर को कन्टेन करने के लिये, फोरेस्ट को कमजोर करने के लिये छोटे एनीकट्स या डेम्स अगर नहीं बनाये तो अकाल तो पूरे राजस्थान में हो जाएगा। फोरेस्ट डिपार्टमेंट कितने पौधे लगाकर कितने पेड़ों को जीवित रख सकते हैं ? अगर नेचर ने साथ दिया और छोटी-छोटी जगहों पर, कैचमेंट पर आपने वाटर को टेप किया वहां पर जितनी भी पहाड़ियों पर पेड़ लगे हुए हैं वह कन्जर्व होंगे। कन्जर्व होने पर एवरेज रेन फाल इनक्रीज होगी और बार-बार अकाल पड़ने की स्थिति में परेशानी खड़ी नहीं होगी । मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि चारे की व्यवस्था कुछ जिलों में की है। चित्तौड़गढ़ से मैं निर्वाचित होकर आया हूं । चित्तौड़गढ़ में चारे की व्यवस्था अभी कुछ भी नहीं की है। कल परसों शायद फैक्स से कोई आदेश जारी कर दिये हों तो उसका मुझे ज्ञान नहीं है । लेकिन कौन-कौन से जिले, चित्तौड़गढ़ जिले के बारे में मेरे को बोलने दीजिये बाकी आप बोल लेना । कौन-कौनसे जिले चारे के अभाव से प्रभावित हैं एक तो यह जानना चाहूंगा । वहां पर रेट्स आपने तय कर दी लेकिन कौनसी एजेन्सी है जिसके माध्यम से आप चारे को मंगवायेंगे । क्या सरकारी एजेन्सी के माध्यम से मंगवायेंगे या पिछली बार बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में मंगवाया था वैसी ही इंडिविजुअल को छूट देंगे। इंडिविजुअल को छूट होगी तो लूट भी मचेगी । ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो इसलिये मंत्रीजी इस पर गम्भीर विचार करें और आपने डिटेल्स जितने दिये हैं वह सभी सदस्यों के सामने रखें ।

राहत कार्यों के चयन के बारे में थोड़ा सा रिजर्वेशन है । वह यह है कि हिली डिस्ट्रिक्टस और डेजर्ट डिस्ट्रिक्टस में जो माप-

(श्री नरपतसिंह राजवी)

दण्ड लागू किये हैं एक हजार की पापुलेशन पर सड़क बनेगी। जैसलमेर में, या कितने एक हजार की पापुलेशन के गांव हैं, देख कर बता दें। माननीय खेतसिंहजी साहब फरमा दें कि शेरगढ़ में कितने हैं ? दो गांव है। उन दो गांवों में आलरेडी सड़क है तो उनके तो अकाल राहत का काम चल ही नहीं सकता। चित्तौड़गढ़ में भी एक हजार की आबादी के आलरेडी वर्ल्ड बैंक स्कीम में काम चल रहे हैं। तो ट्राइबल एरिया में, हिली एरिया में और डेजर्ट में अलग से क्राइटेरिया फिक्स होने चाहिए। स्कूलों के निर्धारण के लिये जैसे डेढ़ सौ आबादी उन्होंने रखी है। उसी प्रकार से उनको रिवाइज करें ताकि वास्तविक आधार पर उन गांवों में जो सहायता सरकार पहुंचाना चाह रही है वह ब्यूरोक्रेटिक चैनल में उलझ कर ना रहे और उनका काम वास्तव में फील्ड में हो। सड़क हम निर्माण कराना चाह रहे हैं लेकिन आबादी उतनी नहीं है। तो कहां से लाकर बसा दें। उस गांव का आदमी, छोटे फेमिन वर्क्स में कहीं माइग्रेट होकर, भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई तब तो माइग्रेट हो जायेगा अदरवाइज माइग्रेट होकर कहीं बाहर नहीं जा सकता। उसके गांव के आस पास छोटा–मोटा काम खोल दिया जाए, वह भी परमानेंट असेट्स के नेचर का। अब थाना आज नहीं बनेगा सरकार 6 महीने बाद बना देगी। लेकिन सरकार ने चालीस वर्षों में सड़क नहीं बनायी और उसमें अगर ट्री गिरोड बन जाए तो मेरे ख्याल से परमानेंट असेट्स को प्रायोरिटी का होना चाहिए और बचे हुए काम किस प्रकार के हैं, कहीं पर चार दीवारी बन रही है, कहीं पर....

(समय–समाप्ति-सूचक-घण्टी)

चार दीवारी पर घंटी बजायी या मेरे बोलने पर बजायी, यह पूछना चाह रहा हूं।

श्री सभापति : सवाल और पूछ लीजिये।

श्री नरपतसिंह राजवी : यह सवाल ही है। माननीय सभापति महोदय, यह अगर जवाब दे दें तो सारे सवाल ही हैं।

I want to know what government intends to do.

इसलिये इन क्राइटेरियाज को क्या सरकार रिवाइज करने का मानस रखती है ? अगर रिवाइज करती है तो उसका आधार क्या होगा, इसको मैं जानना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान) मेरे को कोई एतराज नहीं है। मैं चाहता हूं कि स्पेसिफिक क्वेश्चन पर स्पेसिफिक जवाब आ जाए तो निक्सचर नहीं हो। श्री रमाकान्तजी।

श्री रमाकान्त शर्मा (धानागाजी) : सभापति महोदय, जो अभी अभी बात कही गयी है थोड़ा सा मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हमारे यहां कृषि पर नीति है, शिक्षा पर नीति है, उद्योग पर राजकीय नीति है परन्तु जिस बीमारी से हम बहुत ज्यादा ग्रस्त हैं, जिस बीमार को हम हर साल भुगतते हैं, पिछले दस वर्षों का रिकार्ड देख रहा था कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल के अन्दर शायद, शायद नहीं निश्चित है कि

(श्री रमाकान्त शर्मा)

कोई साल ऐसा नहीं है जिस साल के अन्दर अकाल नहीं पड़ा हो। ऐसी जो स्थिति है तो अकाल से निपटने के लिये भी एक प्रकार से प्लान होना चाहिए, निश्चित अकाल घोषित हुआ वह प्लान आपरेट होना चाहिये। 3411 करोड़ रुपये पिछले दस वर्षों में खर्च कर दिये। परन्तु अकाल पड़ता है तो एक प्रतिशत भी आज इस स्थिति में नहीं हैं हम। जब यह कहते हैं कि पिछली बार जो अकाल से जूझे थे, इस साल अकाल से जूझने में हम थोड़ी सी बैटर स्थिति में है। जब अकाल पड़ते हैं तो क्या दिमाग में बात आती है ? सबसे पहले यह बात आती है कि रोजगार देना चाहिए। वह सब बात तो भूल जाते हैं। दूसरी बात यह आती है कि रोजगार देने के साथ--साथ कहीं ऐसे काम नहीं हो जाएं जो पहले हुआ करते थे कि सड़क पर मिट्टी, धूल डाल दी गयी, बाद में उड़ गयी, बात खत्म हो गयी। अच्छी बात आयी अनुभव के आधार पर, दूसरी बात दिमाग में पैदा होती है कि हम काम जितने करायें वह स्थायी हों उसके अन्दर परिवर्तन भी हुआ है, बहुत अच्छी बात है। पहले मेटेरियल पर खर्चा नहीं हुआ करता था, 40–60 प्रतिशत मेटेरियल की बात आयी। परन्तु प्रत्येक अकाल के अन्दर जब हम सवा सौ डेढ़ सौ करोड़ रुपया खर्च करते हैं और 20 साल के अन्दर 10 हजार करोड़ रुपया खर्च कर चुके हैं तो यह बात अत्यन्त आवश्यक है, प्रत्येक अकाल के अन्दर जो पैसा खर्च हो उससे यह देखा जाए कि अगली बार वर्षा नहीं होने से या वर्षा का स्टाइल गलत हो जाने के बावजूद हमें कम से कम अकाल के अन्दर इतना पैसा और खर्च नहीं करना पड़े। जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं इससे यह सारी समस्या हल हो जाएगी।

सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा। अत्यन्त आवश्यक बात बता रहा हूं मैं आपको। इस राजस्थान की समस्या यह है कि हमारे यहां पर अरावली पर्वत और रेगिस्तान होने की वजह से यद्यपि हिन्दुस्तान के पास कल्टीवेबल लैण्ड चाइना से ज्यादा है, जबकि चाइना, अमेरिका और रशिया का सबका क्षेत्रफल उससे ज्यादा है परन्तु राजस्थान के पास में कल्टीवेबल लैण्ड कम है इनकी वजह से। दूसरी तरफ हमारे पास में कोई पेरोनियल रिवर नहीं है तो ऐसी स्थिति के अन्दर एक ओर तो यह परिस्थिति है। दूसरी परिस्थिति जो राजस्थान की विशेष है वह यह है कि सिंचित और असिंचित का रेश्यो जो है वह बड़ा गड़बड़ है। कुल मिलाकर 24 प्रतिशत, ज्यादा से ज्यादा 30 प्रतिशत कुओं को जोड़ कर मान लें तो। इतना सा सिंचित है और बाकी सारा असिंचित है। तो यही जो असिंचित जमीन है यही अकाल का निश्चित कारण है। बरसात नहीं होती है तो असिंचित वाले अफेक्ट होते हैं और असिंचित में 77 प्रतिशत किसान आधारित रहते हैं इसलिए एकदम 77 प्रतिशत जनता कभी–कभी तो 90 प्रतिशत जनता और इनडायरेक्टली इससे अफेक्टेड हो जाती है तो हम जो पैसा खर्च कर रहे हैं यह सही बात है। ठीक कहा कि सड़क बननी चाहिए, यह भी बन जाना चाहिए, वह भी बन जाना चाहिए परन्तु हमें सबसे ज्यादा जो ध्यान देना चाहिए वह यह देना चाहिए कि एक अकाल के अन्दर कितनी असिंचित जमीन को हम सिंचित कर सकते हैं। इस तरफ यदि ध्यान

(श्री रमाकान्त शर्मा)

दिया गया तो धीरे-धीरे 10-20 साल के अन्दर हम इसका कोई न कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे। इसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। यद्यपि नेशनल वाटर शैड डवलपमेंट प्रोग्राम है उसके साथ साथ राजस्थान के अन्दर भी वाटर शैड डवलपमेंट प्रोग्राम चालू किया है जिसमें 12 करोड़ रुपये का एक्स्ट्रा अगले वर्ष के अन्दर प्रावधान भी किया गया है। परन्तु नेशनल वाटर शैड डवलपमेंट के अन्दर यह आशा की जाती है कि खेत का पानी जितना हो सके खेत के अन्दर रुके, और कटाव ना हो। उसी प्रकार से पूरे गांव के बारे में हमको चिन्ता करनी चाहिए कि गांव का पानी गांव में ही रहे और जितना रह सके उससे एक्स्ट्रा हो तो वह जाए। यह यदि हमारी नीति के अन्दर आ गया तो मैं समझता हूं कि आने वाले समय के अन्दर इस अकाल का कोई स्थाई सोल्यूशन हम निकाल सकेंगे।

माननीय मंत्रीजी ने बताया। बात तो कुछ और भी कहनी थी....

श्री सभापति : सवाल बहुत हो गये हैं। जवाब आने दें तो मैं समझता हूं सार्थकता होगी।

श्री रमाकान्त शर्मा : आधा मिनट। चार लाख लोग लगे हुए हैं....चार लाख रोजगार में आदमी लगे हुए हैं, थानागाजी में कितने लगे हुए हैं, जरा यह बता दें। कल तक तो कोई काम चालू हुआ नहीं और न एक आदमी अभी तक लगा। दूसरा, वहाँ पर लग भी नही सकता। माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मैं कहूंगा कि वहां के प्रोजेक्ट डाइरेक्टर जो हैं वह वन विभाग के हैं वह वन का काम भी भूल गये और तीन वर्ष के अन्दर यहां का काम भी नहीं सीखे इसलिए इस पर थोड़ा-सा विचार कर लें तो मैं समझता हूं काम जल्दी चालू हो जाएगा।

श्री सभापति : श्रीमती तारा भण्डारी। सवाल पूछें. मेरे ख्याल से बहुत सारे सवाल आ गये हैं। रिपीट नहीं करें।

श्रीमती तारा भण्डारी (सिरोही) : सभापति महोदय, सवाल ही पूछ रहे हैं लेकिन अगर परिस्थिति नहीं बतायी जाएगी तो सवाल क्या होगा।

श्री सभापति : हां, बताइये-बताइये।

श्रीमती तारा भण्डारी : सभापति महोदय, यह अकाल जैसे राजस्थान के लिए कोई नियति बन गया है और इसकी विभीषिका हर तीसरे-चौथे साल हमारे पर मंडराती है। अकाल आता है तो बहुत हौवा होता है, हल्ले होते हैं लेकिन उसका कोई स्थायी हल नहीं निकाला जाता। मैं यही ध्यान दिलाना चाहती हूं सदन का कि जहां भी कैचमेंट एरिया बहुत है और जहां थोड़ा-थोड़ा पानी कलेक्ट कर के जमीन के अन्दर जा सकता है या उससे लिफ्ट, सिंचाई या और कोई काम हो सकता है वहां हमें इस प्रकार के स्थायी हल ढूंढने चाहिए। सभापति महोदय, कल मेरा एक प्रश्न लगा हुआ था उसका मैं सदन में डिस्कशन तो नहीं कर सकी पर एक मामूली-सा विवरण दूंगी। सिरोही का कमेरी बांध 1990 में टूटा था, पहली बार भरा, पहली बार ही टूट गया और टूटने के बाद चार वर्ष हो

(श्रीमती तारा भण्डारी)

गये उसकी मरम्मत की कोई व्यवस्था नहीं की और उसके फीडर पर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। सभापति महोदय, बांध टूटा हुआ है उसमें एक बूंद पानी ठहरता नहीं तो उसके फीडर पर पैसा खर्च करने का क्या मतलब है ? जांच हो गयी, जांच में कोई दोषी नहीं है, दोषी तो वह बांध है जो खुद टूट गया। समझ में नहीं आता कि चार वर्ष में उस बांध की मरम्मत की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई। हम अकाल-अकाल चिल्लाते हैं। जीरावल का बांध, सभापति महोदय, उसको बने काफी समय हो गया, एक-दो बार उससे इरिगेशन हुआ और पिछले दो वर्ष से उससे इरिगेशन इसलिए बंद है कि उसकी नहरें टूटी हुई हैं। अब बांध भरा हुआ है दो वर्ष से लबालब लेकिन इनकी नहरें टूटी हुई हैं इसलिए हम सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। कल्दरी का एनीकट जो आदिवासी क्षेत्र है, आप जाकर देखें, सभापति महोदय, लोगों ने वहां पानी लिफ्ट करने के लिए पेड़ों का जो तना होता है उसको पोला करके पानी लिफ्ट किया है। आप देखेंगे कि आदिवासी किस प्रकार से उस पानी को दूसरी जगह ले गये लेकिन 1990 में वह एनीकट टूट गया अब उनका लिफ्ट किया हुआ पानी कोई काम नहीं आता। सभापति महोदय, मैं यही सुझाव देना चाहती हूं कि जो क्षेत्र पहाड़ी एरिया से घिरे हुए हैं, सिरोही की भौगोलिक स्थिति सभी सदन के माननीय सदस्य जानते होंगे कि सिरोही के चारों तरफ पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में छोटे-छोटे एनीकट या खड़ीन या कुछ इस प्रकार से पानी के ठहराव की व्यवस्था करें तो वन भी बढ़ेगा, बरसात भी ज्यादा आने की सम्भावना बनेगी और इरिगेशन भी बढ़ेगा। सभापति महोदय, दूसरा सवाल मेरा यह है कि अकाल में बहुत सारे काम कराते हैं, खड़ीन कराते हैं, एनीकट कराते हैं, सड़क बनाते हैं लेकिन वह सड़क जो बनती है उसके बन जाने के बाद न पी.डब्ल्यू.डी. का उस पर अधिकार है, न ग्राम पंचायत की ताकत है। आज मेरे यहां कितने ही क्षेत्र ऐसे हैं जो पंचायत मुख्यालय से जुड़े हुए बताये हैं वह जुड़े हुए इसलिए हैं कि अकाल में उसमें मुड डालकर कच्ची सड़क बना दी उसके बाद वर्षों तक कोई रख-रखाव नहीं हुआ और आज सड़क का कोई अता-पता नहीं है। गहरे-गहरे खड्डे हैं और पंचायत मुख्यालय से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसके रख-रखाव का कोई धणी-धोरी नहीं है। जो खड़ीन बनाये गये टूट गये, खेत की मेंड़े तोड़ रहे हैं। कृष्णगंज के लोगों के खेत के खेत उस खड़ीन के कारण बह कर जा रहे हैं लेकिन उस खड़ीन की मरम्मत की व्यवस्था नहीं, एनीकट टूट गया, मरम्मत की व्यवस्था नहीं। मेरा सदन को यह सुझाव है कि अकाल में जो भी कार्य लिये जाएं उनकी मरम्मत के लिए भी विभागों को बाउण्ड किया जाए। अगर ऐसा किया जाएगा तो हम जो करोड़ों रुपया अकाल पर खर्च कर रहे हैं उसका सही फल मिलेगा। काम भी स्थायी होंगे। सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी हाई-स्पीड में हमें काम तो गिना दिये, मैं असहमत नहीं हूं काम की स्वीकृति जरूर राज्य सरकार ने दी है, श्रमिकों की सीलिंग भी दी है लेकिन, सभापति महोदय, जिला स्तर पर जाइये तो सही, मेरे यहां 65 काम खुले थे फरवरी माह में और 25 भी शुरू नहीं हो सके। अब यह शुरू क्यों नहीं हुए ? अधिकारी/

(श्रीमती तारा भण्डारी)

कर्मचारी तो अपना दफ्तर छोड़कर बाहर जाना नहीं चाहते, गांवों में जाकर उसकी भौगोलिक स्थिति को देखना नहीं चाहते कि जहां हम काम खोल रहे हैं वहां काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है। तो अकाल में इस बात का भी पूरा ध्यान रखा जाए कि जो भी काम खोला जाए वह स्थायी महत्व का हो। काम खुल जाए और उस गांव के लोगों की जन भावना उस काम से जुड़े तभी निर्माण की विश्वसनीयता बनेगी, नही तो नहीं बनेगी।

सभापति महोदय, मैं एक बात कह कर अपनी बात पूरी करती हूं।

श्री सभापति : नहीं, माननीय सदस्या।

श्रीमती तारा भण्डारी : मेरा एक सुझाव है, सभापति महोदय, ज्यादा नहीं है। अब अकाल के काम खुलेंगे उन पर मेट इत्यादि भी रखे जाएंगे, मेरा सरकार को सुझाव है कि जिस भी गांव में पढ़ा–लिखा विकलांग यदि उपलब्ध है तो उसको ही मेट के स्थान पर रखा जाए।

धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मुझे निवेदन करना है कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर मैं अभी एक-एक को बुलवाता हूं परन्तु मैं निवेदन यह कर रहा हूं या तो इसको पूरी चर्चा का विषय बना लें, पूरा दिन इस पर रख लें अन्यथा आप सवाल पूछ लें। सवाल पूछें भाषण न दें।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह ~~[illegible]~~ (भ्रासीन्द) : मेरा नाम है।

श्री सभापति : आप बैठें, बिराजें, मैं आपका नाम बुलाऊंगा When your name comes, I will call you.

आपका जब समय आएगा। श्री राज–पाल सिंह (अनुपस्थित) श्री शांतिलाल खोई-वाल।

Sorry. I am sorry. I correct myself.

श्री शांतिलाल खोईवाल।

श्री शांतिलाल खोईवाल (राजसमन्द) : सभापति महोदय, अकाल की दृष्टि से राज-स्थान के विभिन्न क्षेत्रों की गहनता की डिग्री भी अलग अलग है। मैं माननीय मंत्री महो-दय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजसमन्द जिले में जो अकाल की स्थिति है वह बड़ी विकट है। वहां पर पूरे जिले में 998 गांव हैं....

श्री सभापति : मैं निवेदन तो वही कर रहा हूं। मेरा सुझाव शायद आपको पसंद नहीं आया।

श्री शांतिलाल खोईवाल : मैं सुझाव समझ रहा हूं। 998 गांव में से 800 गांवों में 75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक खराबा है राजसमन्द जिले में....(व्यवधान)

श्री सभापति : यह तो सब को पता है।

श्री शांतिलाल खोईवाल : नहीं, सभा-पति महोदय, मैं मेरी दूसरी बात कहने जा रहा हूं, अब स्थिति यह है वहां की, कि राजसमंन्द विधान सभा क्षेत्र में 200 गांवों में 75 से 100 प्रतिशत खराबा है। अब मैं बहुत स्पेसिफिक और मैथेमेटिकल

(श्री शान्तिलाल खोईवाल)

प्रश्न पूछना चाहता हूं । क्या माननीय मंत्री महोदय ने मेरे 200 गांवों में दो सौ के दो सौ गांवों में वहां के लोगों को राहत कार्य शुरू करा के रोजगार उपलब्ध करा दिया है ? मेरा कहना यह है इस सम्बन्ध में कि सिर्फ चंद अकाल राहत कार्य के काम प्रारम्भ करा कर इति कर दी कि, हमने इतने लोगों को मजदूरी उपलब्ध करा दी, इतने काम खुलवा दिये लेकिन वहां के सभी लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है इसलिए मेरा एक ही प्रश्न है, बहुत सीधा-सा प्रश्न है कि दो सौ गांवों की स्थिति बहुत विकट है और दो सौ ही गांवों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए रोजगार के साधन मुहैया कराने की कृपा करायें ।

श्री सभापति : माननीय सदस्यों से मेरा एक निवेदन है....

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह : एक प्रश्न मेरा है....

श्री सभापति : कृपया बैठें आप : मेरा निवेदन यह है कि इस बिन्दु पर कोई लाजिस्टिक, कोई सांइटिफिक प्रश्न हों, सुझाव हों जैसे राजवी जी ने दिये हैं उस तरह के कोई सवाल हों तो पूछें अन्यथा आप अपने-अपने क्षेत्रों की बात करते हैं वह तो आप अपने जिला लेवल पर बात कर सकते हैं और आप अपना काम करवा सकते हैं । इसलिए कृपया सवाल थोड़े साइंटिफिक, लाजिस्टिक हों ताकि इस विभीषिका से निपटा जा सकें.... (व्यवधान)....

श्री शांतिकुमार धारीवाल (हिन्डोली) : जिला लेवल पर यह सवाल नहीं आएंगे। वहां पर यही कहा जाता है जब इन बातों को पूछा जाता है कि कितने गांव प्रभावित हैं अकाल से, क्या वहां पर काम खोले गये हैं ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज ।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : तो यह एक निश्चित संख्या बता देते हैं कि सिचाई के इतने काम हैं, सड़क के इतने काम हैं जब तक सरकार के डाइरेक्शन....

श्री सभापति । I will give you an opportunity.

श्री शांतिकुमार धारीवाल : इस बात के नहीं हुए....

श्री सभापति : प्लीज, आपका इसमें ध्यान आकर्षण नहीं है ।

मैं तो सुझाव दे रहा हूं कि इस विभीषिका को और डिस्कस करने के लिए एक दिन का समय निश्चित होना चाहिए किन्तु आज हम सीमित हैं, ध्यान आकर्षण के माध्यम से हम सीमित हैं और सीमित ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं । श्री मांगीलाल मेघवाल ।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : सभापति महोदय, मैं दो स्पेसिफिक प्रश्न पूछना चाहता हूं ।

श्री सभापति : I will give you an opportunity.

श्री मांगीलाल मेघवाल (केशवराय-पाटन) : सम्मानीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से दो बातें मंत्री महोदय की जानकारी में लाऊंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में 30 दिसम्बर, 1993 को भारी ओलावृष्टि हुई और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान सरकार और माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने निर्धारित एक हजार रुपया प्रत्येक किसान को दिया है। मैं मांग करूंगा कि उन किसानों के जिनके मकान नष्ट हुए हैं, वहां केलू हैं कच्चे थे नष्ट हो गये और उन लोगों को विशेष रूप से कैम्प लगा कर हमने दूसरे गांवों में रखा है और जिनके इने-गिने पक्के मकान थे उनमें रखा है तो उनको भी कुछ सहायता दी जाए ऐसी मेरी मांग है और हमने जिला स्तर पर कलक्टर के माध्यम से भी मांग की है...

श्री सभापति : माननीय श्री अर्जुनलालजी।

श्री मांगीलाल मेघवाल : दूसरा, मेरे विधान सभा क्षेत्र में केवल 3 गांव अभावग्रस्त हैं और तीनों अलग-अलग पंचायतों में हैं। तो क्या इस तरह की परिस्थिति में राहत कार्य खोलने पर सरकार विचार करेगी ? उन पर विशेष ध्यान दें।

श्री सभापति : फिर वही बात, आपने मेरी राय तो मानी नहीं।

श्री मांगीलाल मेघवाल : क्योंकि बिल्कुल पहाड़ों पर बसे हुए गांव हैं तीनों गांव अलग-अलग पंचायतों में।

श्री सभापति : श्री अर्जुनलालजी।

श्री अर्जुनलाल जीनगर (गंगरार) : मेरे विधान सभा क्षेत्र की सीट रिजर्व है और विकास की दृष्टि से भी रिजर्व रखा गया है। वहां 247 गांवों में अकाल पड़ा हुआ है और वहां पर पूरे अकाल राहत कार्य चालू नहीं किये गये हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि सभी गांवों में अकाल राहत कार्यों को खोला जाए, ताकि वहां से पलायन कर रहे पशु और जनता को राहत मिल सके। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री प्रतापसिंह जी। सिंघवी। चलिये उनकी जगह आप बोलिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : मेरे दो स्पेसिफिक प्रश्न हैं....(व्यवधान) क्या सरकार की यह नीति रहेगी कि जो एनीकट इतने सालों तक बनाते आये हैं इससे आगे जो पानी जाता है और तालाब के अन्दर पानी नहीं पहुंच पाता है, बांध में पानी नहीं पहुंच पाता है तो यह एनीकट बनाने की जो नीति है, रहेगी या नहीं ? और रहेगी तो इसमें कोई मापदण्ड बनेंगे कि आगे का पानी तालाब में, बांध में जो रुकावट आ रही है इसके लिए, मैं कुछ नीति का प्रश्न पूछना चाहता हूं। दूसरा अभी आपने....

श्री सभापति : यह पूछ लीजिये। फिर दूसरा बाद में पूछिये।

श्री विजयेन्द्रपाल सिंह : दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि अब आप कहते हैं अपने एरिया की बात नहीं करें। मैं एरिया की बात नहीं कर रहा हूं। आसीन्द तहसील के अन्दर कोई रेनशैडो ऐसा है कि 10-12 साल से पर्याप्त रेन फाल नहीं हो रही है और उसके लिए मैंने भी लिखकर, मुख्य मंत्रीजी को भी लिखा है कि वहां पर जो

(श्री विजयेन्द्रपाल सिंह)

पहाड़ी का अरावली रेन्ज है। वो डिस्ट्रिक्स के अन्दर भीलवाड़ा को नहीं लिया गया है क्योंकि बहुत छोटा–सा क्षेत्र है अरावली का, और वो बदनौर से लगा हुआ है। अगर उसको ले लें तो थोड़ा मानवता भी ले लेंगे उसी में। तो उसके अन्दर यह जो रेनशैडो की स्थिति आ रही है इसमें और बरसात अच्छी हो जाएगी तो हमारे बहुत फायदे होंगे।

श्री सभापति : श्री गुलाब सिंह। विभाजन संख्या पैंतीस।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (वल्लभनगर) : मुझे भी मौका दीजिये (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह (जैसलमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि जो अकाल–ग्रस्त क्षेत्र में अकाल राहत कार्य खोले जा रहे हैं उसमें जैसलमेर जिले के लिए जो सीलिंग निर्धारित की गयी है उससे पूरा नहीं पड़ रहा है। इसलिए क्या सीलिंग बढ़ायी जाएगी ?

दूसरा यह है कि हमारे जिले में सन् 1920 से लेकर 1950 तक करीब पांच जमाने हुए हैं, बाकी सब अकाल ही पड़े हैं, उन जमानों में वसूलियों ने जनता को इतना दबोचा कि वो भी हमारे अकाल से महा–काल बने हुए हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि सरकार हमारे जिले के लिए जितने भी पानी वाले बैल्ट है जैसे आजयसछर, छायरवर–झाना, चांदन उसमें परमानेंट सोल्यूशन कुओं की वजह से हो सकता है। वो कुएं खोदने के लिए सरकार पैसा दे या 30 साल के लीज पर वो पैसा काश्तकारों को दिया जाए जिससे वो कुएं खोदकर दें और काश्तकार 30 साल में अपना पैसा जमा करवा दें। यह सुविधा हमारे जिले में अवश्य प्रदान करावें। दूसरी बात यह है कि इस अकाल में पशुधन जिला होने के नाते सन् 1977–78 से पहले ऊंटों में एक महामारी आयी थी जिसको तिबरसा कहते थे। इससे हमारे ऊंट सब खत्म हो गये। पूरे के पूरे टोले खत्म हो गये। अब गायों की बारी आयी है। गायें बहुत सी खत्म हो गयी हैं, लेकिन 30 प्रतिशत जो गायें और भेड़ें रही है उनके लिए दवा का पूरा बन्दोबस्त कर–वाया जाए और जो भेड़ें माइग्रेट हुई हैं वो वापस हमारे जिले में जब आयेंगी तो उनके जहां–जहां सेण्टर रखे हुए हैं, वहां पर पूरी दवा उपलब्ध करवायी जाए नहीं तो हमारी भेड़ें जैसे ही हमारे इलाके में पहुंची हैं, हरा खाते ही उनमें एक ऐसी बीमारी पैदा होती है कि धड़ाधड़ उस भेड़पालन की 15–15 20–20 भेड़ें एक साथ मरती है और 10–15 दिनों में कई तो लाठी लेकर रहते हैं, भेड़ें पूरी मर जाती हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

श्री सभापति : समाप्त करें, प्लीज।

श्री गुलाब सिंह : गायों के लिये, ढाले के लिए पौष्टिक आहार के लिए मैं निवेदन करूंगा कि हमारी गायों के लिए पौष्टिक आहार शुरू किया जाए। दूसरा यह है कि इन अकालों के अन्दर जो वन विभाग का काम शुरू किया गया था, उनमें बार-बार एक तो पानी नहीं दिया गया। दूसरा बरसात नहीं मिली। इसलिए जो एरियाज लिये गये थे वो आज भी उतने ही शून्य पड़े हुए हैं। उनमें वापस कार्य कराने के लिए सरकार इजाजत दे क्योंकि एक बार जो

(श्री गुलाब सिंह)

पूरा बता दिया जाता है उसके ऊपर दुबारा पैसा नहीं लगाया जाता। लेकिन वह वैसे के वैसे बंजर पड़े हुए हैं। इसलिए उनको वापस शुरूआत में लिया जाए और नए सिरे से उन पर काम किया जाए।

दूसरा, मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर बीस और तीस किलोमीटर के फासले पर हवा की ऐसी लहर चलती है जिस जगह पर हार्स शू टाइप, फौज की तरह से वह टीले बढ़ते हैं। उन टीलों को रोकने के लिए वन विभाग, चाहे वो एग्रीकल्चर का खेत है, चाहे वो पड़त जगह है। जैसलमेर से लेकर बाड़मेर तक उसकी लाइनिंग होगी। उस लाइन को रोकने के लिए वन विभाग ज्यादा से ज्यादा काम करे। धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री ओम प्रकाश शर्मा।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (बून्दी) : अध्यक्ष महोदय, बून्दी जिले में जो अकाल राहत कार्य खोले गये, बिलकुल राजनैतिक आधार पर अकाल राहत कार्य खोले गये हैं। पूर्व में वहां पर जो विधायिका थी, उन्होंने अपने प्रभाव में आकर केवल एक तहसील को लिया है जबकि जिले भर के अन्दर और बून्दी तहसील में पूर्व में जो अकाल राहत कार्य चलते थे और अभी भी एस.सी., एस.टी. के गांव हैं जैसे करजूना, आमली, मंडावर, मंडावरी ओलासपुरा, अनोपपुरा, इन गांवों के अन्दर पूर्व में भी अकाल राहत कार्य चलते रहे हैं अभी भी वहां पर अकाल राहत कार्य खोले जाएं। इसी प्रकार जलोती, कछोलिया, पलका, यह सारे के सारे इलाके आदिवासी और मीणों के हैं। वहां पर गरीब लोग रहते हैं, शिड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं। उनकी जो जमीन है वह सिंचित नहीं है और उनके पास कोई दूसरा साधन नहीं है इसलिए वहां अकाल राहत कार्य खोले जाएं।

श्री सभापति : श्री शिवकिशोर सनाढ्य। (अनुपस्थित) श्रीमती मीना अग्रवाल। (अनुपस्थित) श्री कन्हैयालाल पाटीदार। (अनुपस्थित) श्री चुन्नीलाल गरासिया। बोलिए हां। बोलिए।

श्री चुन्नीलाल गरासिया (उदयपुर ग्रामीण) : मैं सजेशन दूंगा।

श्री सभापति : संक्षेप में कहिये।....
(व्यवधान)

श्री चुन्नीलाल गरासिया : माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मजदूरों की सीलिंग तो एक तारीख से बढ़ायी है लेकिन क्षेत्रों में कार्यों की पहचान न होने के कारण उन मजदूरों को कहां रोजगार मिले, यह जिला प्रशासन के सामने एक प्रश्न चिह्न है क्योंकि एक तो सरकार ने आदेश दिया है, एनीकट को नहीं बनाना। ट्राइबल क्षेत्र ऐसा है जो अरावली क्षेत्र से घिरा हुआ है अगर एनीकट को और प्राथमिकता देंगे तो वहां के कुओं में जल स्तर बढ़ेगा, वहां जो खेती है, ट्राइबल के पास, जिसका एन्क्रोचमेंट तीन बीघा, पांच–छह बीघा से ज्यादा नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर आदिवासियों को हम भू-संरक्षण के माध्यम से मेड़बन्दी को प्राथमिकता देंगे अकाल राहत के तहत हम वृक्षारोपण, ट्राइबल के पास, वनवासी के पास जो छोटे मगरिया हैं, उनको खड्डे

(श्री चुन्नीलाल गरासिया)

खुदवाने के लिए आने वाली वर्षा ऋतु में वृक्षारोपण हो सके, इसको प्राथमिकता देंगे तो उससे वहां के वनवासियों को रोजगार भी मिलेगा और हमारा एक निश्चित कार्यक्रम जो हम चाहते हैं सरकार से, वो भी पूरा हो पायेगा। साथ ही साथ वनवासी क्षेत्र में वनवासियों के पास जो पशुधन है, वह लिमिटेड हैं लेकिन उनके स्वयं के पास खाने को नहीं है और चारा भी अगर उनको पैसे से सरकार चुकायेगी तो चारा भी उपलब्ध नहीं करा पायेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा उसमें भी हमको रियायत दी जाए।

धन्यवाद।

(समय–समाप्ति–सूचक–घण्टी)

श्री सभापति : श्री अमरचन्द मिढ्ढा। (अनुपस्थित)

श्री पूराराम चौधरी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल) : सभापति महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बात कही कि एक फरवरी से अकाल राहत कार्य शुरू कर दिये गये हैं। लेकिन जब मैं 27 फरवरी को हमारे गांव से आया, तब तक वहां कार्य चालू नहीं हुए हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी कार्य चालू करवायें।

श्री सभापति : श्री राकेश मेघवाल।

श्री राकेश मेघवाल (परवतसर) : सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक अनुरोध करता हूं कि मेरे नागौर जिले में, नागौर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें ना पहले लग जाता है कोई गौर नहीं करता है।

आज से नहीं सदियों से, 45 सालों से हर क्षेत्र में, खाली अकाल राहत कार्य में नहीं, किसी भी विकास कार्य में चाहे पानी, बिजली, सड़क कोई भी कार्य हो, स्कूल के हों उस क्षेत्र में ना लगा दिया गया। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इस नागौर पर गौर करें और आपसे यह आशा करता हूं कि इस सदन में मुझे आश्वासन दें कि इस पर गौर किया जाएगा।

श्री सभापति : श्री प्रभूराम गरासिया।

श्री प्रभूराम गरासिया (पिंडवाड़ा) : मेरा विधान सभा क्षेत्र टोटली आदिवासी क्षेत्र है। वहां जो खेत हैं वे सब ढालू पर हैं। वहां मेड़बन्दी का कार्य उन खेतों में कराया जाए। वहां पर सारे ही मौजूद हैं। वहां पर कम मजदूरी चलने से लोग दूसरी जगह पलायन करते हैं। इसलिए मेरा आपसे यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे 50 घरों की ढाणी है वहां कोई सड़क नहीं है। तो इस तरह से उन छोटे छोटे गांवों को सड़क से अगर जोड़ा जाए तो कम से कम उनको आने में राहत मिलेगी। इसके अलावा जो पक्के नाले हैं जैसे सड़क के बीच के पक्के नाले बन जाए तो कम से कम प्राइवेट बसें भी जा सकती हैं, प्राइवेट कोई भी साधन जा सकता है। तो इस तरह के कोई काम वहां करवायें।

श्री सभापति : श्री हरिसिंह सोढ़ा। (अनुपस्थित)

श्री शिवनाथ सिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय सभापतिजी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से और सरकार से कि क्या जो गाइड लाइन्स आपने दी है अकाल राहत कार्य चालू करने के लिए उनमें पुनर्विचार करने का आपका मन है और क्यों ? इसलिए कि आपने गाइड लाइन्स दी हैं उसमें ऐसा आभास होता है कि स्थायी सम्पत्ति का आप निर्माण करने जा रहे हैं। मेरा निवेदन यह है कि अकाल राहत कार्य जिनमें पहले काइटेरिया होना चाहिए। लोग जो अकाल से पीड़ित हैं उनको राहत मिलें। उसमें दृष्टिकोण यह रहे कि अकाल राहत कार्य उनको मिलते रहे और स्थायी कार्यों का निर्माण हो। तो आपने जो गाइड लाइन्दी हैं उनमें एक काइटेरिया यह कि प्राइमरी स्कूल के दो कमरे वहां हैं वहां आप कमरे नहीं बना पायेंगे। माननीय सभापति जी, ऐसे इलाके हैं जहां लिटरेसी, जहां एजुकेशन बढ़ा है और जहां स्कूलों में 4-4, 5-5 कमरों की आवश्यकता है और अध्यापक हैं और दो कमरों से अधिक आप नहीं बनाना चाहते हैं, एक तो यह है। दूसरा माननीय सभापतिजी, सवाल यह है कि आपने गाइड लाइन्स दे दी कि जो विभाग अकाल राहत राहत कार्य खोलने के लिए प्रस्ताव भेजेगा उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि जुलाई, अगस्त तक उस कार्य को पूरा करे। यह बहुत बड़ो हिंडरेंस है उन विभागों के ऊपर कि वह किसी भी काम खोलने के लिए आगे नहीं आते, प्रस्ताव नहीं करते हैं। तो जहां तक संभव हो, उन अकाल राहत कार्यों को जुलाई तक पूरा कर पायें लेकिन जो कार्य पूरे नहीं हो पायेंगे उनके लिए विभाग की जिम्मेदारी होगी, इसको आप हटाने की चेष्टा करें।

माननीय सभापतिजी, एक प्रश्न यह पूछना चाहता हूं कि जो अकालग्रस्त गांव हैं। क्या सरकार यह आश्वस्त करना चाहती है कि हर गांव में चाहे छोटा या बड़ा हो कोई न कोई काम खोला जाएगा। आज जो व्यवस्था है उसमें मुश्किल से 5 पर्सेण्ट गांवों में राहत कार्य खोले जा रहे हैं। तो उन समस्त ग्रामों में चाहे छोटे या बड़े काम हो उसमें हर गांव में एक कार्य खोला जायगा इस प्रकार का क्या सरकार सोचती है।

आखिर प्रश्न मेरा यह है कि जो आपने काइटेरिया लेबर का तय कर दिया है। वह लेबर का काइटेरिया पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो। ऐसे जिले हैं, मैं झुंझुनूं जिले का उदाहरण देना चाहूंगा कि वहां आज के दिन एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इस बात को भी आप ध्यान रखें कि जो काइटेरिया आपने तय कर दिया कम या ज्यादा, ज्यादा लोगों को वहां पर काम मिलें। इस प्रकार की व्यवस्था करायें।

माननीय मंत्री महोदय ने एक तारीख को मेरे प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया था कि कार्ड बनाने पर प्रतिबन्ध है, वह हमने हटा दिया। मैंने उस वक्त भी यह कहा था कि आपने यहां कह दिया होगा लेकिन जिलों में ऐसे आदेश नहीं गये हैं। एक तारीख के जवाब के बाद में, माननीय सभापतिजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि 6 तारीख तक का तो मुझे पता नहीं, मैं 6 तारीख को वहां था, 6 तारीख तक सरकार की तरफ से कोई आदेश जिला कलक्टर को इस बात के नहीं गये हैं कि कार्ड बनाने की व्यवस्था समाप्त कर दी है और बिना कार्ड के लोगों को

(श्री शिवनाथ सिंह)

कार्य पर लिया जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आपके पास फैक्स है, टेलीफोन है, इतनी सुविधाएं हैं, इस प्रकार के आदेश तुरन्त वहां पहुंचाते जिससे लोगों को कार्य मिलता।

श्री सभापति : श्री हरजीराम बुरडक।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि मैंने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था अकालग्रस्त घोषित करने के सम्बन्ध में, उसको अध्यक्ष महोदय ने इसमें शामिल कर दिया। तो मैं इसमें छोटा सा यह निवेदन करना चाहूंगा कि अकाल घोषित करने की जो प्रक्रिया है वह डिफेक्टिव है। जैसा कि इस प्रस्ताव पर शुरूआत करने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही थी कि नागौर जिले में, डीडवाना सब डिविजन में वंचित कर दिया और बाकी पूरे जिले को अकालग्रस्त घोषित किया लेकिन लाडनूं और डीडवाना इन दो-तीन जिलों को छोड़ दिया। हो सकता है टेक्नीकल कारणों से यह बात हो गयी हो, क्योंकि बरसात के औसत का जहां तक सवाल है और एक बार में ज्यादा बरसात हो गयी तो उस हिसाब से छोड़ दिया होगा। लेकिन वहां पर फसल नहीं हुई है। फसल को तो बार बार जब जरूरत हो उस समय बरसात हो, एक बार ज्यादा बारिश हो गयी उससे काम नहीं चलता। तो गिरदावरी के समय यह डिफेक्ट रहा होगा। चारा तो वहां खूब पैदा हो गया लेकिन अनाज नहीं हुआ। आज मेरा निवेदन करना यह है कि अगर आप टेक्नीकल कारणों से अकालग्रस्त घोषित नहीं कर सके तो कोई बात नहीं लेकिन जहां लोगों को मजदूरी की आवश्यकता है वहां आप मजदूरी के काम खोलने पर विचार करें और साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था में जैसा कि आप अकालग्रस्त क्षेत्रों में व्यवस्था कर रहे हैं, उसी हिसाब से पानी की और मजदूरी की व्यवस्था करें। तो मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो भी आप जांच करें या कहीं से रिपोर्ट मंगवानी चाहें तो मंगवायें। मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दें।

श्री सभापति : श्री किशनगोपाल कोगटा।

श्री किशनगोपाल कोगटा (मसूदा) : माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से दो नीतिगत बात कहूंगा। एक तो यह है कि अभावग्रस्त गांव घोषित किये जा रहे हैं जिसकी वजह यह है कि वहां बारिश नहीं हुई, वहां रोजगार की आवश्यकता है। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि अजमेर जिले में जवाजा और मसूदा जहां चार सेन्टीमीटर भी बरसात नहीं हुई और सारा क्षेत्र अभावग्रस्त है। वहां पर रोजगार की दृष्टि से जो कार्य खुलने चाहिए वह नहीं खुल पाये हैं। जहां ढाणी और गांव में ठेठ गांव तक यह स्थिति है कि रोजगार के लिए वहां के नागरिक इधर उधर भटक रहे हैं। तो जो रोजगार खोले जा रहे हैं अभावग्रस्त क्षेत्रों में वह गांव और ढाणी तक होने चाहिए। यह बात सही है कि कार्य पक्के होने चाहिए और स्थायी होने चाहिए लेकिन मूल उद्देश्य यह है कि अभावग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार सुलभ करायें और उसी

(श्री किशनगोपाल कोगटा)

के माध्यम से ज्यादा पक्के काम हों। लेकिन केवल पक्के काम अगर नहीं होंगे, पक्के काम अगर अवेलेबल नहीं है या कोई योजना नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उन गांवों में काम नहीं खुले। मेरा मंत्री महोदय से यह कहना है, खासकर के जवाजा और ममूदा, जो अजमेर जिले में दो ही ऐसी पंचायत समिति है वहां पर काम खोलें उसमें रोजगार के साधन मुहैया करायें। वहां के लोग बहुत परेशान हैं। अन्य स्थानों पर जाते हैं। जहां पर काम स्वीकृत हो चुके हैं लेकिन वहां पर अभी तक काम प्रारम्भ नहीं हुए हैं। अजमेर जिले की जो सीलिंग है, जो टार्गेट है वह तो पूरे हो गये हैं लेकिन काम नहीं खुले। इसका फिजिकली वेरीफिकेशन करके जहां आवश्यकता ज्यादा है वहां सीलिंग बढ़ायी जाए और सीलिंग बढ़ाने के माध्यम से उस क्षेत्र में लोगों को राहत दें।

दूसरा यह है कि बरसात बहुत कम हुई है जिसके कारण से हैण्डपम्पों का पानी सूख गया है और दो–तीन राड बढ़ाने के बाद भी, बड़ी मेहनत करने के बाद भी पानी नहीं आया। तो उस दृष्टि से नये हैण्डपम्प खुदवाने की राहत कार्यों के माध्यम से व्यवस्था हो जाए तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही अजमेर जिले में अकाल के समय जो टैंकर की व्यवस्था होती है....

श्री सभापति : सिटी में तो आप बैठते हो और सुझाव आपके ही चलते हैं जिले में। आप किस पर बोल रहे हो ?... (व्यवधान) Gulab Singh Shaktawat, do you want to say anything ? कुछ कहना है, आपको।

श्री किशनगोपाल कोगटा : समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामनारायण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : सभापति महोदय, मेरे जिले में 650 गांव गांव अकाल में हैं और मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 135 गांव अकाल में हैं। मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। 135 गांवों में खारा पानी है। सबसे बड़ा काम वहां पानी की व्यवस्था करने का है और 135 गांवों में सिर्फ पांच पाइंट्स के ऊपर काम खोले गये हैं।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या 135 गांवों के लिए पांच पाइंट्स के ऊपर काम करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है उनमें सिर्फ दो पाइंट्स के ऊपर काम चालू हुए हैं ? सभापति महोदय, मारवाड़ी में, राजस्थानी में एक कहावत है कि लम्बा हेला ओछी बीख। बीख है चाल का नाम। ओछी का मतलब धीरे। लम्बा हेला, आवाज जोर से लगाओ, जोर से बोलो, तेज आवाज से बोलो। तो लम्बा हेला ओछी बीख। यह राजस्थान सरकार की नीति में और कार्यक्रम में है। मुझे सन्देह नहीं, मुझे पूरा विश्वास है आज माननीय सदस्यों की बात सुनने के बाद। वरना मैं तो यह सोचता था कि हम ही इससे प्रभावित हैं। राजस्थान सरकार की इच्छा है और उनका पूरा प्रोग्राम है। मंत्री महोदय ने पूरा प्रोग्राम दे रखा है लेकिन सरकार की मंशा यह नहीं है कि काम खोले

(श्री रामनारायण चौधरी)

जाएं और लोगों को तत्परता से काम दिये जाएं। सरकार की जब तक यह मंशा नहीं होगी। कागजी कार्यवाही से, मंत्री महोदय के तेज रफ्तार से पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने पूरा फैमिन कोड पढ़ दिया। फैमिन कोड के तहत क्या–क्या होना चाहिये, वह सारा लिख दिया लेकिन अमली रूप उसके अन्दर एक पर्सेंट भी नहीं है।

श्री सभापति : श्री रतनलाल जी।

श्री रामनारायण चौधरी : तो क्या मंत्रीजी ने जिस तरीके से, रफ्तार से पढ़ा है, उसी रफ्तार से काम की गति को भी फैमिन वर्क खुलवाने में, उनको चालू करवाने में, लोगों को रोजगार दिलवाने में, पानी की व्यवस्था करवाने में तत्परता बरतेंगे ?

श्री सभापति : श्री रतन लाल जी।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर) : सभापति महोदय, मेरे दो–तीन सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि आपने जो निर्देश जारी किये हैं, मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि विद्यालय एवं पंचायतों की जो कृषि भूमि होती है उसमें कृषि का कुआ खोदने का भी उसमें जोड़ा जाए। पंचायतों और विद्यालयों की जो कृषि भूमि है उसमें एक कुआ खोदने का प्रावधान भी इस योजना में किया जाए।

दूसरा, निवेदन यह है कि आश्वासित रोजगार योजना में 150 समितियां चयन करने की आपने अभी बात कही है। उसमें रेगिस्तानी इलाकों की, माडा की, ट्राइबल की आपने उनमें पंचायत चयनित की हैं। मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि माडा योजना की जो पंचायत समितियां हैं उनमें बड़ी तादाद में जनजाति के लोग रहते हैं। उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाए ताकि सौ दिन का आश्वासित रोजगार उनको भी सुलभ हो सके।

तीसरा, मेरा निवेदन यह है कि जो आपने दिशा निर्देश जारी किये हैं उसमें आपने यह कहा है कि अधूरे काम लिये जाएं। तो अधूरे कामों में वह काम जो कि बड़ी सिंचाई विभाग की योजनाएं थीं, प्रोजेक्ट्स थे, उस समय स्वीकृत किये गये थे, आज आप आगे बजट में प्रावधान नहीं कर सकते हैं ऐसा विभाग वाले कह कर उन प्रोजेक्ट्स को नहीं ले रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि जो काम पर, प्रोजेक्ट्स पर लाखों रुपया लग चुका हैं उन कामों को आप हाथ में लें और विभाग को निर्देश दें कि अगले कार्यक्रम में उनका बजट में प्राव• धान किया जाए।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी उत्तर दें। मंत्रीजी।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक एनीकट का मामला था....

श्री सभापति : प्लीज।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक एनीकट वाला मामला।

श्री सभापति : प्लीज। माननीय सदस्य सहयोग करें.... (व्यवधान)

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : सभापति महोदय, एक बात पूछनी है कि क्या आपने जिलाधीशों को, जिला कलक्टर्स को यह निर्देश दिये हैं कि....

Page No.125

श्री रतन लाल ताम्बी : मेरी बात पूरी नहीं हुई।

श्री सभापति : ताम्बी जी आप बैठें आपने बहुत पूछ लिया।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक सवाल है साहब।

श्री विष्णु मोदी : कि भारतीय जनता पार्टी के जितने उम्मीदवार हार गये हैं उनको जिला स्तरीय समिति के अन्दर सदस्य मनोनीत किया जाए।

श्री रतन लाल ताम्बी : एक सवाल और है। पूरी नहीं हुई मेरी बात।

श्री सभापति : प्लीज आप बैठें। जवाब आने दीजिए। जवाब तो आये। Let you be satisfied first.

श्री कन्हैयालाल मीणा (बस्सी) : सभापति महोदय, मैंने नाम दिया था। मेरा नाम आया नहीं। मेरा एक सुझाव था....

श्री सभापति : कृपया सहयोग करें।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जो पक्के काम दिये गये हैं उन पक्के कामों से आपने जो दर दी है....

श्री सभापति : आप लिखकर भेज दीजियेगा, मंत्री जी को आपको जवाब मिल जाएगा।

श्री कन्हैयालाल मीणा : वह कारीगर की रेट भी अब 22 रुपये है....

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री कन्हैयालाल मीणा : जो 22 रुपये रखे गये हैं, मैं मंत्री महोदय को आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि कारीगर 22 रुपये में आता नहीं है। यह जो 22 रुपये रखे हैं...

श्री सभापति : मंत्री जी आप शुरू करिये। आप तो एक्सपर्ट हैं जवाब देने में।

श्री सांवरलाल (राज्य मंत्री, सहायता एवं पुनर्वास) : 25 जिले में 22 हजार 586 गांव प्रभावित हैं....

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री सांवरलाल : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ...

श्री भीमराज : सभापति महोदय, अकाल से पीड़ित इंसानों की पैरवी तो सब कर रहे हैं लेकिन मैं उन मूक पशुओं की पैरवी करना चाहता हूं जिनको अकाल की वजह से....

श्री सभापति : प्लीज जवाब आने दीजिये। जवाब आने दीजिये।

श्री भीमराज (पाली) : सभा महोदय, मूक पशुओं की पैरवी करना चाहता हूं जिनकी इस अकाल की भीषण विभीषिका के कारण....

श्री सभापति : आप किसी अन्य तरीके से कहियेगा।

श्री भीमराज : पीने के पानी की समस्या खड़ी हो जाएगी।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री सांवरलाल : सभापति महोदय, राजस्थान आपदा कोष में प्रतिवर्ष 93

(श्री सांवरलाल)

करोड़ रुपये भारत सरकार और 31 करोड़ रुपये राजस्थान सरकार देती है और यह फंड चलता रहता है। जब तक आवश्यकता होती है, उस पर खर्च होता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, सहायता विभाग लोगों को रोजगार मुहैया करवाने में, बाढ़ से क्षतिग्रस्त तालाबों को ठीक करवाने में, टूटी हुई सड़कें ठीक करवाने में, पेयजल के लिए पैसा उपलब्ध करवाने में कभी भी पीछे नहीं रहा है। मैं निवेदन करूं, 3 मार्च, 1994 को लगभग 53 करोड़ रुपये हमने सिंचाई, पी.डब्ल्यू.डी., पी.एच.ई.डी. को दिये हैं। इसके अलावा सात करोड़ रुपये इसमें और सम्मिलित हैं जो पी.एच.ई.डी. को दिये हैं और इन पैसों से भी रोजगार जनरेट होगा। अब माननीय सदस्य ने एक सवाल किया था कि काम शुरू नहीं हुआ। जिला कलक्टर्स की रिपोर्ट मेरे पास है कब कब यह सैंक्शन हुआ, कब चालू हुआ और मैं निवेदन करना चाहूंगा शायद यह पहला अब मौका होगा जब राजस्थान सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किये गये हैं कि सम्बन्धित जिला कलक्टर्स कार्य स्वीकृत कर दें तो सम्बन्धित विभाग का दायित्व होगा कि तत्काल उसको शुरू करें। अगर शुरू नहीं होता कोई कारण से, मजदूर नहीं मिले और परिस्थिति है तो बर्दाश्त किया जाएगा अन्य परिस्थितियों में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह पहला मौका है। इसके अलावा माननीय सदस्य ने कहा है कि परिचय पत्र मांग रहे हैं। मैं यह निर्देश दे रहा हूं उनको अगर ऐसी कोई स्थिति हुई हो मुझे पर्टिकूलर जानकारी दें, निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। 9.2.94 का यह आदेश है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं झुंझनूं जिले का पर्टिकूलर नाम ले रहा हूं। पहले भी लिया था, आज भी ले रहा हूं।

श्री सांवरलाल : आप मुझे पर्टिकूलर जगह बताइये कि कहां पर है? मैं बता रहा हूं कि 9.2.94 का यह आदेश है। राजस्थान सरकार की तरफ से यह निर्देश जारी किये गये कि राहत कार्य के ऊपर परिचय पत्र की आवश्यकता नहीं है...

श्री सभापति : बैठें आप। प्लीज।

श्री शिवनाथ सिंह : उसका पालन नहीं हो रहा है।

श्री सांवरलाल : पालन नहीं हो रहा है तो आप बताइये। मैं निश्चित रूप से कार्यवाही करूंगा। चारे के सम्बन्ध में जिन जिलों के लिए आवश्यकता जतायी गयी जिला कलक्टर्स के द्वारा उनमें अजमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जालोर, जोधपुर, राजसमन्द, उदयपुर। इन सब जिलों के अन्दर हमने चारा अनुदान की राशि और इसके अलावा इनके फाइनेंस के लिए बिना ब्याज का ऋण भी उपलब्ध करवा दिया है। माननीय सदस्यों के कई बेहतरीन सुझाव भी आये हैं। इसमें से एक तो एनीकट्स के बारे में राज्य सरकार ने जो निर्देश जारी किये हैं उसमें यह था कि सिंचाई विभाग एनीकट के निर्माण का कार्य हाथ में नहीं लेगा। उसके बाद चूंकि कुछ एनीकट्स टूटे हुए थे, कुछ एनीकट्स अधूरे थे तो रिवाइज्ड निर्देश हमने जारी कर दिये कि अधूरे एनीकट्स, टूटे हुए एनीकट्स सिंचाई विभाग ले सकता है या एन.ओ.सी. देकर दूसरा विभाग ले सकता है। परन्तु इसमें यह कहीं

(श्री सांवर लाल)

नहीं लिखा हुआ है कि दूसरे विभाग एनीकट्स का निर्माण कार्य लेंगे या नहीं लेंगे। यहां पर किसी इरिगेशन टैंकर के ऊपर इफैक्ट नहीं होता है तो दूसरी एजेंसीज के माध्यम से जैसे पहाड़ी एरिया है, दूसरा एरिया है। वहां पर अगर दूसरी एजेंसीज से एनीकट्स का निर्माण करायें तो निश्चित रूप से सरकार के निर्देशों में इसका कोई विरोध नहीं है। अभी माननीय सदस्य का एक सवाल था कि अकाल औसत वर्षा से होता है, या किससे होता है। औसत वर्षा से नहीं होता। औसत वर्षा से प्रभावित जरूर होता है। पर पटवारी जो रिपोर्ट देता है.... (व्यवधान) आप पूरा सुन लीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (चित्तौड़गढ़) : ड्राट प्रोन डिस्ट्रिक्ट कौनसा है ? वह निर्धारण आप कैसे करते हैं ?

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन यह है कि औसत वर्षा का ज्यादा ताल्लुक तो अकाल से यूं नहीं होता कि फसल खराबा मानकर पटवारी रिपोर्ट देता है कि वास्तव में फसल खराबा हुआ, कि नहीं। कई बार बाढ़ आ जाती है परन्तु फसल नहीं होती है। वर्षा तो सौ सेन्टीमीटर....

श्री नरपत सिंह राजवी : मंत्री महोदय ड्राट प्रोन डिस्ट्रिक्ट का कह रहा हूं, आप अकाल का फरमा रहे हैं। ड्राट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है।

एक माननीय सदस्य : वह क्या होता है, पता नहीं।

श्री विष्णु मोदी : ड्राट प्रोन डिस्ट्रिक्ट का पूछ रहे हैं।

श्री सांवर लाल : हां, वह भी बता दूंगा। मैं यह भी बता दूं। तो बरसात ज्यादा होते हुए भी अकाल पड़ सकता है और कम बरसात में भी अच्छी फसल हो सकती है। अब राजस्थान की स्थिति तो ऐसी हो गयी है....

श्री विष्णु मोदी : ड्राट प्रोन का पूछ रहे हैं।

श्री सांवर लाल : आप जिस जिस जिले का पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं। जहां बाढ़ नहीं आती थी, वहां बाढ़ आ जाती है तो इसलिए मुझे आप यह पूछ लें कि कौनसे जिले में बाढ़ आती है। कभी बाड़मेर, जैसलमेर में बाढ़ आयी क्या ?

श्री नरपत सिंह राजवी : सूखा सम्भावित जिले का निर्धारण, जो यह दस जिले हैं तो उसका कोई मापदण्ड होगा।

श्री सांवर लाल : सूखा सम्भावित जिले के मापदण्ड हैं निश्चित रूप से। विशिष्ट योजना संगठन मंत्रीजी बता देंगे। बाकी जहां पर बरसात कम होती है वह सूखा सम्भावित क्षेत्र कहलाता है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि राहत का मतलब यही है कि लोगों को रोजगार मिले जहां पर आवश्यकता हो, लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। इसके लिए राजस्थान सरकार के पास 270 करोड़ रुपये आगामी तीन महीनों में खर्च करने के लिए विशिष्ट योजना संगठन के पास हैं। उनसे भी रोजगार जनरेट होगा। पचास करोड़ रुपये हमने भी

(श्री सांवर लाल)

दिया पी.डब्ल्यू.डी. को और इरिगेशन को। उससे भी रोजगार जनरेट होगा और जहां जहां आवश्यकता होगी, रोजगार खोले जाएंगे।

मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने, यह कहा, तेज गति से चले हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इतनी धीमी गति से चले कि पांच काम हमने स्वीकृत किये और आप के एरिया में दो पर ही लोगों को लगा पाये। अगर आपके यहां पर अकाल की गम्भीरता है तो पांच काम तो शुरू होते। इसलिए जहां जहां पर आवश्यकता होगी मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि अधिकारियों की लापरवाही से अगर काम शुरू नहीं हुए तो आप सरकार को कह सकते हो, बाकी लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं यह दावा नहीं करता हूं कि हर गांव के अन्दर काम खोल दिया जाएगा, पर जहां पर आवश्यकता होगी, कम से कम यह निर्देश हमने-जारी कर रखे हैं कि हर पंचायत के अन्दर किसी न किसी योजना के तहत लोगों को रोजगार मिले। यह जो रिपोर्ट है, एक लाख 53 हजार हमने फरवरी के अन्दर दिये उनमें एक लाख और कुछ लगे। कुछ जिलों में जहां आवश्यकता बतायी गयी, जैसे भीलवाड़ा में हमने तत्काल लेबर बढ़ा दी है और जहां पर आवश्यकता होगी निश्चित रूप से, आपकी तरह मुझे भी रात्रि को नींद नहीं आती, मैंने कहा गांव वालों का क्या हो रहा होगा इसलिए सरकार पूरी तरह से जागरुक है और कई जिले ऐसे हैं, जैसलमेर से पधारने वाले माननीय सदस्य ने कहा है कि हमारे यहां पर ज्यादा खराब स्थिति है। वहां पर हमने जैसलमेर में सात हजार की सीलिंग दी थी पहले केवल फरवरी के अन्दर एक हजार लोग लगे हैं। तो काम शुरू हो गये। जिला कलक्टर, जोधपुर की स्थिति मैं बताऊं। जितनी 15 हजार की हमने सीलिंग दी, 23 हजार के निर्देश जिला कलक्टर ने निकाल दिये पर 15 हजार की लेबर भी पूरी अगेज नहीं हुई है। तो जहां जहां पर आवश्यकता होगी निश्चित रूप से काम खोलने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। चाहे वह राहत विभाग से खुले चाहे किसी से खुले, चूंकि अल्टीमेटली ऐम है हमारा to provide employment to the sufferer.

अब माननीय ताम्बीजी का जो सुझाव आया है मैं निश्चित रूप से उस सुझाव के ऊपर विचार करूंगा कि अगर किसी पंचायत के पास में या स्कूल के पास जमीन है तो उनको कुआ खोदने का प्रस्ताव भी इसमें शामिल किया जाए। बाकी जहां तक दिशा-निर्देशों का सवाल है बहुत ही क्लियर है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप नया काम नहीं ले सकते। अगर किसी पंचायत में अधूरा काम ही नहीं है और लोगों को रोजगार देना है तो निश्चित रूप से नया काम लेना पड़ेगा तो इसलिए हम केवल यह कहें कि दिशा-निर्देशों में ऐसी कोई बात है, मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि कई जगहों पर किसी ग्राम पंचायत में अधूरा काम नहीं है तो नये काम भी शुरू हुए हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : Now reply is a repetition.

श्री नरपत सिंह राजवी : सभापति महोदय, दो प्रश्न मैंने पूछे थे। एक तो पेय-जल के लिए सात करोड़ रुपये जो आपने

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उपलब्ध कराये हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं ? दूसरा, चारा जहां पर आपने उपलब्ध कराया है क्या सभी जिलों के सर्वेक्षण आ गये हैं ? नहीं आये तो थोड़ा सा आप उस पर पुनर्विचार करें और तीसरा प्रश्न है रेगिस्तानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र के लिए जो आपने एक हजार की पापुलेशन का जो मापदण्ड रखा है क्या उससे आप संतुष्ट हैं ?

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, सात करोड़ रुपये पी.एच.ई.डी. ने कण्टिन्जेंसी प्लान बनाकर हमें दिया। सहायता विभाग ने उपलब्ध कराया यह और अगर ज्यादा डिमाण्ड है तो हम निश्चित रूप से, चूंकि यह खर्चा पी.एच.ई.डी. करती है, सहायता विभाग पैसा देता है।

दूसरा, आपका सवाल है चारे के लिए। अब चारे के लिए मैं आपको यही आश्वस्त कराना चाहूंगा कि चारे के लिए जिन-जिन जिला कलक्टर्स ने डिमाण्ड भेजी है, उनका काम हो गया है। दूसरा हम कलक्टर्स को पूछते रहते हैं कि आपके यहां चारे की आवश्यकता हो तो बताइये। तो कई जगह आवश्यकता नहीं है, जहां पर भी आवश्यकता आयेगी, निश्चित रूप से उसके ऊपर विचार किया जाएगा।

श्री सभापति : चर्चा समाप्त हुई, (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई। विधायी कार्य।

श्री लक्ष्मण सिंह (भीम) : पाइंट ऑफ इन्फारमेशन, पाइंट ऑफ इन्फारमेशन :

एक माननीय सदस्य : एक मिनट, एक मिनट।

श्री सभापति : What is that ?

एक माननीय सदस्य : एक प्रश्न है, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री नरपतसिंह राजवी : माननीय सभापति महोदय, इस बात पर कुछ तो जवाब आये। आप संतुष्ट हैं, मंत्रीजी हैं या नहीं हैं। मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि यह जो रेग्यूलेशन, इन्होंने डायरेक्शंस जारी किए हैं और एक हजार की आबादी के गांव को रोड से लिंक करने के निर्देश जारी किये हैं उस पर रिलीफ विभाग पैसा खर्च करेगा, फैमिन रिलीफ वर्क, उसमें आरम्भ होंगे। पी.डब्ल्यू.डी. का नहीं है, यह पी. डब्ल्यू.डी. का अडाप्ट किया है लेकिन जिन गांवों में हजार की पापूलेशन नहीं है तो कौनसे गांवों में सड़क बनेगी ? पहाड़ी क्षेत्र और रेगिस्तानी इलाके में इस तरह प्राब्लम फेस करेंगे, तो क्या आप उस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं ? नहीं चाहते हैं तो उस का कोई औचित्य होना चाहिए।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री सांवर लाल : मेरा सीधा सा निवेदन यह है कि....

श्री सभापति : निवेदन नहीं जवाब दे सकते हैं ...

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरे प्रश्न का जवाब नहीं....

श्री सांवर लाल : श्रमिक सीमा हम निर्धारित करते हैं, यह जो एक हजार

(श्री सांवरलाल)

पंचायत मुख्यालय का है वह प्राथमिकता में इसलिए रखा गया है कि पी.डब्ल्यू.डी. डिपार्टमेंट उनको डामर की बना दे। बाकी जहां पर आवश्यकता होगी, जहां पर नयी सड़क लेनी होगी उसमें तो आपत्ति कहां है। हमने प्राथमिकता लिखा है उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आप कर ही नहीं सकते इसके अलावा....

श्री नरपतसिंह राजवी : इसका यह मानें कि....

श्री सांवर लाल : हैं, क्या ?

श्री नरपत सिंह राजवी : इसमें यह मानें हम कि यह खुला है ?

श्री सांवर लाल : हां।

श्री नरपत सिंह राजवी : माननीय मंत्रीजी, मैं क्षमा चाहूंगा इतना ओपन न करें आप थोड़ा कह दें कि इसको रि-कंसीडर करेंगे।

श्री सांवर लाल : मेरा निवेदन है वह अभावग्रस्त क्षेत्रों के लिए है और वहां पर अगर कोई अधूरा काम नहीं है सड़क, हजार से कम की आबादी है तो बनेगी, इसको कौन रोक रहा है आपको।

श्री सभापति : विधायी कार्य। (व्यवधान) प्लीज।

सूचना

उदयपुर की इन्दिरा राजपुरोहित द्वारा आत्मदाह की घोषणा

श्री लक्ष्मण सिंह (भोम) : सभापति महोदय, मेरा पाइंट ऑफ इन्फार्मेशन।

श्री सभापति : What is that Sir ? बोलिये ना।

श्री रतनलाल ताम्बी : सभापति महोदय, मेरा जवाब नहीं आया।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, अभी-अभी मुझे डाक से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक महत्वपूर्ण बिन्दु मैंने उचित समझा कि यहां आपके सामने उठाऊं और सरकार के नालेज में लाऊं। राजस्थान में कल 10 तारीख को एक महिला आत्मदाह करने जा रही है और उस महिला ने.... (व्यवधान)

श्री सभापति : Hear it please

सब सुनिये, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सुनिये तो सही, सुनिये।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, मैं इस बात को सैंसेशनलाइज नहीं करना चाहता Prevention is better than cure.

इस पत्र के माध्यम से, जिसमें एक एप्लीकेशन है और एक पेम्फलेट है एक महिला ने याचिका की है। एक मां ने अपनी दर्द भरी पुकार हमारे सामने प्रस्तुत की है कि उसके पुत्र की हत्या दो माह पूर्व हो गयी थी और उसके पुत्र के नामजद हत्यारे थे।....

श्री सभापति : माननीय मेघवालजी नहीं हैं क्या ?

श्री लक्ष्मण सिंह : उसके बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। आपकी आज्ञा हो तो संक्षिप्त में इसको पढ़कर सुनाऊं....

श्री सभापति : नहीं, नहीं, बस अब आप भंवरलालजी को दे दें।

श्री लक्ष्मण सिंह : सभापति महोदय, लेकिन कल दस तारीख को आत्मदाह करने जा रही है राजस्थान की यह महिला, इसके लिए आप इस पर कम से कम, बाड़मेर के अन्दर करने जा रही है, उदयपुर की एक महिला है, संक्षिप्त में है आप इसको....

श्री सभापति : नहीं, नहीं, इसको आप इन्फार्मेशन हो गयी that is enough. On the point of information, it is enough.

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, समझ में नहीं आया सरकार के तो....

श्री सभापति : मैं समझा देता हूं इसमें आप माननीय भंवरलालजी व्यवस्था करें। (व्यवधान) प्लीज! Bhanwarlalji take notice of this information.

श्री लक्ष्मण सिंह : इसमें लिखा है कि दिनांक 10 मार्च को 11 बजकर 15 मिनट पर.... (व्यवधान)

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत (श्री माधोपुर): आप आश्वास्त कर दें कि इसको आत्मदाह नहीं करने दिया जाएगा और उसके हत्यारों की गिरफ्तारी हो जाएगी।....

श्री सभापति : Your duty was to inform.

श्री लक्ष्मण सिंह : Let me inform in totality. कम्पलीट तो करने दें सभापति महोदय, आप....

श्री सभापति : आप दे दीजिये मैंने आपको आसन की व्यवस्था दी है कि (व्यवधान) आप इसको भंवरलालजी को दे दें (व्यवधान)

श्री लक्ष्मण सिंह : अगर हमें कागज देना ही होगा।....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : सभापति महोदय, इतना आश्वस्त कर दीजिये, सरकार की तरफ से आप कर दें (व्यवधान) गिरफ्तारी हत्यारों की हो जाएगी....

श्री सभापति : मैं, माननीय लक्ष्मणसिंहजी, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं पाइंट ऑफ इनफार्मेशन की आपने मेरे से परमीशन मांगी। आपने यह इन्फार्म किया इस हाऊस को कि एक महिला कल आत्मदाह करने जा रही है और यह अत्यन्त आवश्यक है जिसका हाऊस नोटिस ले। मैंने आपको अलाऊ किया....

श्री लक्ष्मण सिंह : लेकिन यह डिटेल्स बतानी है सभापति महोदय, दो मिनट में कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। सभापति महोदय, अगर सब कागज हमें इन्हें यूं देने होते तो हम यहां पर क्यों आते....

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : कौनसी महिला कहां आत्मदाह करेगी इनके नोटिस तो आ जाए।

श्री सभापति : सारे कागज इनको दिला रहा हूं....

श्री लक्ष्मण सिंह : कल को यह आत्मदाह हो गया तो उसके लिए कौन रेसपोंसिबल होगा....

श्री सभापति : सरकार होगी, सरकार होगी Inspite of the intimation if no preventive action is taken, it will be the Government who will be responsible.

श्री लक्ष्मण सिंह : मैं यह एक्सपेक्ट नहीं करता कि सरकार जवाब दे। मैं यह जानता हूं कि इस वक्त तुरन्त सरकार कहीं से जवाब नहीं दे सकती है....

श्री सभापति : अब कारणों को....

श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन मुझे दो मिनट में अपनी बात तो कहने दीजिये कि कहां पर क्या हो रहा है, क्या लिखा है। सभापति महोदय, दो मिनट में अपनी बात मैं पढ़ देता हूं। इसमें लिखा है, आत्मदाह, आत्मदाह, दिनांक दस मार्च, 1994 प्रात: 11 बजकर 15 मिनट। महाशिवरात्रि गुरुवार। आसोतरा, जिला बाड़मेर सन्त खेतारामजी की समाधि के समक्ष। मेरे स्वर्गीय पुत्र संजय राजपुरोहित पुत्र श्री मोहनलाल राजपुरोहित की नामजद हत्यारों द्वारा पांच नवम्बर, 1993 को चावण्डा में ले जाकर हत्या कर दी गयी। नामजद हत्यारों के विरुद्ध धारा 302 का मुकदमा संख्या 136, दिनांक 11 दिसम्बर को पुलिस थाना झंवर जिला जोधपुर में दर्ज हुआ। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि धारा 302 लगाये 2 माह होने को आये लेकिन पुलिस द्वारा हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया गया। अत: मेरी मांग है कि 9 मार्च, 1994 की मध्य रात्रि तक नामजद हत्यारों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं किया, इन हत्यारों को समाज से बहिष्कृत नहीं किया तो मैं इन्दिरा राजपुरोहित दिनांक 10 मार्च, 1994 गुरुवार महाशिवरात्रि को प्रात: सवा ग्यारह बजे संत खेतारामजी की समाधि के समक्ष गांव आसोतरा जिला बाड़मेर में आत्मदाह कर लूंगी जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, न्यायाधीश महोदय, जिलाधीश महोदय एवं पुलिस प्रशासन व अखिल भारतीय राज पुरोहित समाज की होगी।

(15.00)

मेरे बाद मेरे परिवार का दूसरा आत्मदाह दिनांक 15-5-94 को होगा। इन्दिरा राजपुरोहित-3 व 16, हिरनमगरी, सेक्टर 5, प्रभातनगर, उदयपुर।

श्री सभापति : मैं चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्रीजी आ गये हैं, take notice of this intimation कि कोई महिला आत्मदाह करने जा रही है।

श्री कैलाश मेघवाल (गृह मंत्री) : मैं, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहूंगा कि उसकी तैयारी तो कर ली गयी है कि पक्का पता लगाया जाए। सारी जांच की जा रही है और 10 तारीख को ऐसी कोई अनहोनी घटना नहीं घटे इस बात की प्रशासन की पूरी तैयारी है और महिला को पूरी तरह से सन्तुष्ट करने की कोशिश की जा रही है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए क्या है ?

श्री सभापति : It is not a issue, you are taking, इसको और प्रोलांग न करें।

विधायी कार्य : विधेयक का पुरःस्थापन राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994

श्री नाथूसिंह (राज्य मंत्री, पंचायत राज) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक 1994 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए ?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गयी।

श्री नाथूसिंह : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान (संशोधन) विधेयक, 1994 को पुरः स्थापित करता हूं।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री सभापति : आय-व्ययक (बजट) 1994-95 पर सामान्य वाद-विवाद।

श्री रमाकान्त शर्मा।

श्री रमाकान्त शर्मा (थानागाजी) : सभापति महोदय, कल इस वाद-विवाद को प्रारम्भ करते हुए तारानगर से जो माननीय सदस्य आये हैं उन्होंने इस हाउस के द्वारा सारे के सारे राजस्थान को पूरी तरह से कन्फ्यूज करने का प्रयास किया है। उन्होंने यह कहा कि भारतवर्ष के बजट के अन्दर 5800 करोड़ रुपये का डेफिसिट था और यह डेफिसिट जी.डी.पी. का 7.2 प्रतिशत बनता था, तो पार्लियामेंट के अन्दर इस बात के लिए काफी आवाज उठी और उन्होंने उसे घटाकर 55 सौ करोड़ कर दिया और उस पर यह बात कही गयी कि यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि जी.डी.पी. का 6 प्रतिशत है। दुनिया भर में एक सिद्धान्त है कि बजट का जो घाटा है किसी भी मुल्क के अन्दर जी.डी.पी. के 3 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जी.डी.पी. का, सकल उत्पाद का बजट से बहुत सीधा सम्बन्ध है। यदि देश का बजट होता है, तो उसी के ऊपर आधारित होता है कि कितना घाटा है। वह घाटा ही अगली साल में जाकर सकल उत्पाद को आगे बढ़ावा देता है। क्योंकि घाटा जो है उसी से नोट छपते हैं और नोट छपते हैं तो घाटे का और सकल उत्पाद का आपस के अन्दर सम्बन्ध तो है ही परन्तु उसका सम्बन्ध मुद्रास्फीति से भी है। जब मुद्रास्फीति ज्यादा बढ़ने लगती है तो फिर वह घाटा, जो नोट छाप करके अपन आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना चाहते हैं वह गलत हो जाता है क्योंकि उससे कीमतें बढ़ जाती हैं। इसलिए कीमतें बढ़ने का, घाटे का, जी.डी.पी. का और मुद्रास्फीति का इन सबका आपस के अन्दर भारतवर्ष का जब बजट बनता है तो उससे सम्बन्ध रहता है। लेकिन राजस्थान के या किसी और राज्य के बजट के अन्दर इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य का बजट तो जो घाटा होता है, माननीय सदस्य ने कहा कि वहां तो देखिये 6 प्रतिशत जी.डी.पी. का है और यहां साढ़े नौ पर्सेण्ट है। अव्वल तो यहां जो घाटा है वह 206 करोड़ रुपया है। कुछ मिलाकर 206 करोड़ रुपया बजट का घाटा है। जी.डी.पी. अपने यहां का 8041 करोड़ रुपया है। 8041 करोड़ रुपये का

(श्री रमाकान्त शर्मा)

3 प्रतिशत के हिसाब से लगायें तो करीबन 2.6 करोड़ रुपया होता है। घाटा कुल मिलाकर 206 करोड़ रुपया है तो साढ़े नौ प्रतिशत कहां से बनेगा ? मैं पुन: आपसे कहना चाहूंगा कि राज्य के बजट के अन्दर जी.डी.पी. का घाटा से कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि यहां जी.डी.पी. घाटे पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।

दूसरी बात उन्होंने कही कि राजकोषीय घाटा 22.9 करोड़ रुपया है। और कहते हुए वह बोले कि इस बजट के अन्दर छिपाया गया है, इस बजट के अन्दर नहीं लिखा हुआ है 2229 करोड़ रुपया। फिर उसके साथ ही साथ उसी सांस के अन्दर वह बोल गये कि मैं जो कुछ बोल रहा हूं, जो आपने स्टेटिस्टिक्स दिये हैं उनसे ही बोल रहा हूं। वह कहां से बोल रहे थे ? मैंने तो सारी की सारी कम्पलीटली कोशिश की है ढूंढने की कि यह 2229 करोड़ का राजकोषीय घाटा कहां से है। राजस्थान के बजट के अन्दर, माननीय सभापति जी, ऐसा हिसाब नहीं है जैसा भारत सरकार के अन्दर है कि इतना घाटा है और नोट छाप लिए और काम खतम हो गया। यहां तो बराबर प्रतिवर्ष यदि पिछले साल के अन्दर 160 है तो अगली साल केरी फार्वर्ड होगा और केरीफार्वर्ड के अन्दर 206 भी हो सकता है, अगली साल के अन्दर 240 हो सकता है और फिर आगे बढ़कर 250 हो सकता है क्योंकि एक राज्य अपने घाटे के पैसे को अनकवर्ड नहीं छोड़ सकता है, वह किसी से ले नहीं सकता। यह भी गलत आस्था है, गलत भावना है या गलत समझ है लोगों की कि इसके ऋण के साथ एड-जस्टमेंट हो सकता है। ऋण का तो सारा का सारा हिसाब बजट के अन्दर दिया हुआ है कि ऋण कितना लिया और किस किस काम के अन्दर दिया और किसने लिया। यह जो घाटा है यह ऋण में एडजस्ट नहीं होता है किसी राज्य के अन्दर। यह जो घाटा है यह अपना इस प्रकार से कितना व्यय हो रहा है, कितनी अपनी आमदनी हो रही है उस आमदनी और व्यय के अन्दर जो घाटा रह जाता है वह दूसरे सालों के अन्दर आगे केरीफार्वर्ड होता है। तो यह जो सदन को इस तरह की बात बताई गयी कि यहां पर जी.डी.पी. का साढ़े नौ प्रतिशत है और यहां पर जो घाटा है बहुत ज्यादा घाटा है, ऐसी बात नहीं है बल्कि पुराने सालों में आपने देखा होगा और यदि आप 1990-91 का बजट देखें तो उस समय कांग्रेस ने कोई 200 करोड़ का घाटा छोड़ा था और इसमें चन्द महीनों के अन्दर वित्तीय अनुशासन कायम करके उस घाटे को कम किया गया था। परन्तु मैं खास तौर से कहना चाहता हूं तारानगर से आये हुए माननीय सदस्य को कि उन्होंने 2229.29 करोड़ का राज-कोषीय घाटा जो बताया, सम्भवत: प्रत्येक वर्ष के कुछ घाटे को जोड़ लिया होगा जो कि गलत जोड़ा है। यदि गलती से जोड़ भी लिया तो अर्थमेटिकली गलती तो वह नहीं करें। जी.डी.पी. का पर्सेण्टेज भी उनको चाहिए था। तो जितने सालों का 2229 करोड़ रुपया जोड़ा है उतने सालों का जी.डी.पी., सकल उत्पाद को भी जोड़ते....

(15.07)

(श्रीमती तारा भण्डारी, सभापति, पदासीन)

तो यह दशमलव के अन्दर आता। राजस्थान

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के अन्दर ·002 प्रतिशत के अन्दर आकर पहुंचना यह। तो यह 2229 का जो रेफ-रेन्स है यह बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला था, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

तीसरी बात, उन्होंने कम्पेयर कर दिया कि राजस्थान ने बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया और भारतवर्ष के कर्जे के बारे में अब हल्ला करते हैं। भारत सरकार जो कर्जा लेती है, माननीय सभापति महोदया, उसको हम अपनी जी–जान से वापस देते हैं। किस चीज के अन्दर? सोने के अन्दर। वहां डालर का री-पेमेंट होता है। तो डालर तो हमारे यहां पैदा नहीं होता हैं। डालर की बराबरी करने के लिए या तो हम सोना देंगे या फिर वह सामान देंगे जो सामान उनको चाहिए यहां से। और उनको क्या चाहिए? हमारी जो बनाई हुई वस्तुएं हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट है वह तो उनको चाहिए नहीं। तो वह हमारा रा-मैटीरियल लेंगे। हमारी रुई ले जाएंगे, हमारा चावल ले जाएंगे, हमारा चमड़ा ले जाएंगे और इस प्रकार को जो रा-मैटीरियल और धातू हैं वह ले जाएंगे। इस प्रकार का जो रा-मैटीरियल है वह सोना जैसी चीज है। उससे जहां हमारे यहां उत्पादन की बढ़ोतरी होती, आर्थिक व्यवस्था ठीक होती वह माल वहां पर चला जाता है। परन्तु यदि एक राज्य ऋण लेता है तो राज्य को इस प्रकार से सोने के अन्दर पे नहीं करना पड़ता है। राज्य को तो ऋण को ही वापस पे करना पड़ता है। ऋण एक प्रकार का किसी भी आदमी के लिए एक साधन है, राज्य के लिए भी साधन है इस-लिए ऋण लेने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ इतनी–सी बात है, जो मैंने पहले भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय कही थी जो ऋण लिया जाए उस ऋण को हमें ज्यादा से ज्यादा या सम्पूर्ण उत्पादन करने वाले जो इन्विस्टमेन्ट्स हैं उनके अन्दर व्यय करना चाहिए जिससे री-पेमेन्ट में दिक्कत नहीं पड़े। क्योंकि हमें तो पाई पाई वापस पे करनी पड़ती है। तो यह देखने की बात है और राजस्थान सरकार इतना अच्छा बजट बना रही है जिसके अन्दर सारा रीपेमेन्ट का प्रावधान है। हम डिफाल्टर कहीं पर हुए नहीं हैं, कहीं पर किसी ने हमारे ऊपर अंगुली उठाई नहीं है। ऐसी स्थिति के अन्दर यह हमारी क्षमता की बात है, यह हमारी क्रेडीबिलिटी की बात हैं जो पिछली सरकारें थीं वह अपनी क्रेडी-बिलिटी के आधार पर इतना ऋण नहीं ले सकीं क्योंकि उनकी न तो कन्ज्यूम करने की ताकत थी, न उनके पास इतने विचार थे, न उनके पास कोई योजना थी और न उनके पास कोई प्रोजेक्ट था। हमारे पास में बजट है उसमें प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे पास में जो योजनाएं हैं। यह सारी की सारी बातें राजस्थान सरकार के पास में हैं इसलिए जो ऋण लेने की बात है वह राजस्थान की अर्थ व्यवस्था को बहुत आगे ले जाएगी। इसकी जितनी भी हृदय से प्रशंसा की जाए वह कम है।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने डंकल प्रस्ताव के बारे में रिपीट कर दिया कि चीन ऐसा देश है जो इस डंकल प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने के लिए बड़ा आतुर हो रहा है, गैट में घुसने के लिए बड़ा आतुर हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं, चीन को तो छोड़िये, जापान तो उन 117 देशों

(श्री रमाकान्त शर्मा)

के अन्दर मैम्बर है और शुरू से ही मैम्बर है, जापान ने इस डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किये हैं और फिर भी मैम्बर है वह। ऐसी बात नहीं है, जैसा कल कहा जा रहा था कि गैट के मैम्बर हो जाएंगे तो आपको दस्तखत करने ही पड़ेंगे। जापान ने कहा है कि मैं तो जुलाई, 1995 के बाद सोचूंगा और उसने दस्तखत नहीं किये हैं। यह एक तथ्य है। अमेरिका जैसे मालदार देश ने उस प्रस्ताव में यह कह दिया है कि नहीं, अगले पांच वर्ष तक कोटा सिस्टम लागू रहेगा। जबकि सारे देशों के लिए कहा है कि आपस के व्यवसाय में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा परन्तु यह बात अमेरिका ने कही-नहीं, मेरे यहां तो इस बात में भेदभाव होगा। उसने क्वालीफाइंग क्लाज लगा दी। ऐसी कौनसी बात थी हमारी सरकार के लिए जिसके अन्दर इतनी खतरनाक चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया।

मैं इस सदन के सामने एक बात निवेदन करना चाहता हूं, बहुत लम्बे टाइम के बाद में नहीं, आप देखिये, चन्द वर्षों में भारतवर्ष की पार्लियामेंट में एक कानून बनेगा जिसके तहत आपको सीलिंग लॉ को खत्म करना पड़ेगा। यह डंकल प्रस्ताव का एक क्लाज है। सीलिंग ला जब आप खतम कर देंगे तो बाद में छोटे-छोटे किसानों का क्या बनेगा ? छोटे-छोटे किसानों से जमीन खरीदने बड़े-बड़े जो आदमी हैं, बिड़ला और टाटा और यूं ही समझ लीजिये कि जर्मनी, जापान और अमेरिका के लोग बाग आएंगे क्योंकि उनको भी जमीन खरीदने की इजाजत यहां पर मिल जाएगी। वे इन जमीनों को 25 हजार रुपये बीघा, 20 हजार रुपये बीघा, 40 हजार रुपये बीघा, 2 लाख रुपये बीघा और 5 लाख रुपये बीघा से ले लेंगे। एक-एक आदमी के पास अमेरिका में आठ-आठ हजार हैक्टेयर जमीन मौजूद है और वे हवाई जहाज से चक्कर लगाकर अपनी खेती करते हैं। इस प्रकार के सेठ-साहूकार, इस प्रकार के जमींदार, इस प्रकार के जागीरदार हमारी जमीन के मालिक इस डंकल प्रस्ताव के आधार पर बन जाएंगे और हमारे लाखों करोड़ों जो किसान हैं, जो 70 पर्सेण्ट किसान हैं वे सारे के सारे दिल्ली में कहीं न कहीं बोझा ढो रहे होंगे, रेलवे स्टेशन पर कुलीगिरी कर रहे होंगे।

मैं सारी बातों पर नहीं जाना चाहता क्योंकि मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद देते हुए डंकल प्रस्ताव की सारी बातें बता दी थीं परन्तु एक बात मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि डंकल प्रस्ताव का जो दूसरा हम पर बहुत बड़ा आघात होने वाला है, हमारी यूनीवर्सिटीज के अन्दर कृषि पर अनुसंधान समाप्त हो जाएगा क्योंकि अनुसंधान के आधार पर खाद-बीज यह सब बाहर से आने वाला है। उनका अनुसंधान बहुत आगे पहुंच चुका है, वे फ्री ही यहां पर बीज बांटेंगे तो उनके मुकाबले में हमारा जो बीज है कहां तक टिक सकेगा। इसलिए अनुसंधान भी कोई मतलब नहीं रखेगा बल्कि वह तो अनुसंधान पर पैसा जाया ही होगा, वह अनुसंधान कोई अर्थपूर्ण नहीं होगा।

एक बात तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कही कि नान-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर बढ़ता चला जा रहा है। यह भी एक अजीब सी बात कही है उन्होंने।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

नान-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर क्या है ? पांच वर्ष पहले जो डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर था, जो प्लान्ड बजट था वह पांच वर्ष के बाद में नान-प्लान में चला जाता है। तो डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर तो बढ़ेगा। जितना जितना प्लान बढ़ेगा उतना-उतना हर साल में, पांच साल में नॉन-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर बढ़ेगा। आज एजूकेशन और हैल्थ दोनों के दोनों नान-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर हैं। अब हम क्या सोच सकते हैं कि एजूकेशन भी नान डवलपमेंट चीज है। परन्तु क्लासीफिकेशन में यह नान-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर कहा जाता है। यह केवल मात्र बजट के अन्दर क्लासीफिकेशन्स हैं, डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर, नान-डवलपमेंटल एक्सपेंडीचर। अन्यथा तो जितना भी एक्सपेंडीचर बजट में आ जाता है वह सारा का सारा विकास से सम्बन्धित है। क्या आप कह सकते हैं, राजस्व विभाग को जो सारा का सारा खर्चा है वह सब नान प्लान में जाता है परन्तु राजस्व विभाग के कर्मचारियों के बिना क्या कोई डवलपमेंट का काम हो सकता है, इसलिए राजस्व विभाग पर खर्च होना नान-डवलपमेंटल एक्टीविटिज मान लिया जाए ? यह कोई सही चीज नहीं है। इसलिए यह जो बजट का क्लासीफिकेशन या अकाउण्ट हैड का क्लासीफिकेशन है, कैपीटल रेवेन्यू, डवलपमेंटल, नान-डवलपमेंटल इन सबका कोई सिग्नीफिकेंस नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेण्ट सिग्नीफिकेंस यह है कि इस हम बजट के द्वारा किस प्रकार से ग्रामीण विकास, शहरी विकास और ज्यादा से ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर और लोगों के लिए हम ज्यादा से ज्यादा किस प्रकार की इकानामिक एक्टीविटिज बना रहे हैं। वह मायने रखता है अन्यथा यह बिलकुल तकनीकी चीज है कि इसमें डवलपमेंटल कौनसा है, नान-डवलपमेंटल कौनसा है।

मैं, सभापति महोदया, एक बात और निवेदन करना चाहता हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी संघीय व्यवस्था है। इस संघीय व्यवस्था में बराबर का दर्जा होता है। बिहेवियर इस तरह का चल रहा है जिस तरह से यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है। परन्तु यूनिटरी गवर्नमेंट जितनी दुनिया में हैं वहां पर भी इस प्रकार का हस्तक्षेप या इस तरह का भेदभाव वहां की सैण्ट्रल गवर्नमेंट, केन्द्रीय सरकार नहीं करती है। मेरे पास उदाहरण तो बहुत हैं लेकिन दो-तीन उदाहरण देकर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ऐसा कौनसा प्रदेश है जहां पर एक गांव से दूसरे गांव बिजली ले जाने के लिए 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता है ? केरल नहीं है। ऐसा कौनसा प्रदेश है जहां पर 70-70 किलोमीटर, 80-80 किलोमीटर पानी की लाइनें ले जानी पड़ती हैं। इसी प्रकार से एक पंचायत हैडक्वार्टर से दूसरी पंचायत हैडक्वार्टर तक 10-10, 15-15 किलोमीटर सड़क देनी पड़ती है परन्तु इन सबका ध्यान नहीं करके भारत सरकार जब भी अपने फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पैसा देती है तो ज्यादा महाराष्ट्र को चला जाता है, ज्यादा केरल को चला जाता है और राजस्थान फिर पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता है, इस बात का जो ध्यान उनको देना चाहिए, नहीं दिया जाता है। हमारे यहां पर फेमिन में हर साल करीब करीब 60 से 65 प्रतिशत एरिया अफेक्टेड हो जाता है और फिर उसके बाद भी वे कहते

(श्री रमाकान्त शर्मा)

हैं कि हम निश्चित धनराशि 124 करोड़ रुपये देंगे, इसी में जो कुछ करना है करिये गा। हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। यह बात भारत सरकार को सोचनी चाहिए कि जितने ज्यादा अकाल पड़ते हैं वह राजस्थान में पड़ सकते हैं। अकाल केरल में नहीं पड़ते हैं, अकाल आन्ध्रप्रदेश में नहीं पड़ते हैं, अकाल यू.पी. में, महाराष्ट्र में नहीं पड़ते है। महाराष्ट्र में कुछ हिस्से में पड़ जाता है छोटा-मोटा तो भी इस तरह से नहीं पड़ता है। राजस्थान में प्रतिवर्ष ही अकाल पड़ रहा है। 81 से लेकर 91 तक के मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं जिसमें बताया गया है कि हर साल कितनी पापूलेशन अफेक्टेड होती है। कोई ख्याल नहीं करते इस बात का।

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे यहां मेजर मिनरल्स हैं। मेजर मिनरल्स में रायल्टी भी तय करते हैं। रूल्स में लिखा हुआ है कि हर तीसरे साल उनको रेट रिवाइज करनी चाहिए। पहले तो तीन साल का मतलब क्या है? इतनी डायनामिक इकानामी में तीन साल में तो कीमतें जाने कहां से कहां पहुंच जाएगी। तो इसलिए प्रतिवर्ष होना चाहिए। परन्तु तीन साल खत्म होने के बाद भी कई साल गुजर गये, रायल्टी नहीं बढ़ाते हैं। रायल्टी बढ़ाने से हमारी इनकम बढ़ जाएगी।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समय का भी तो ध्यान रखिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : सुनिये, सुनिये। माननीय सभापति महोदय, बहुत इम्पार्टेंट बात बता रहा हूं। मैं, चलिये भारत सरकार से राजस्थान सरकार पर आना चाहता हूं।

श्री परसादीलाल मीणा (लालसोट) : भैरों बाबा के गुणगान करो जो मंत्री बना दे!

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, बिलकुल बिलकुल। अब आपने कर दिया ना तो हो जाएगा काम।

माननीय सभापति महोदया, मैं यह कह रहा था यह मेरे पास भारत सरकार का बजट वर्बेटम मौजूद है और मैंने आज सवेरे दुबारा पढ़ा। पूरे बजट के अन्दर....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, अब अपनी सरकार की कहें।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं अपनी ही कह रहा था। पूरे बजट के अन्दर शब्द 'किसान' नहीं है। भारत सरकार के पूरे बजट में एक जगह पर भी 'किसान' शब्द नहीं है। परन्तु क्या है वहां पर ?

श्री हरिसिंह (महुआ) : माननीय सदस्य, अब तो आसन की व्यवस्था हो गयी।

श्री सभापति : आप सुनें तो सही वे कह क्या रहे हैं।

श्री रमाकान्त शर्मा : सुनिये, बहुत इम्पार्टेंट बात है। परन्तु उनके बजट में क्या है? उनके बजट में यह देखिये इण्डियन एक्सप्रेस में लिखा हुआ है कि रिलायंस इण्डस्ट्रीज को एक रात में एक हजार करोड़ रुपये का लाभ हो गया। (व्यवधान) हां जी, बजट में नहीं लिखा हुआ है। मैं बताता हूं बजट में क्या लिखा हुआ है। बजट में यह लिखा हुआ है, जो पहले मोडवेट कंपी-

(श्री रमाकान्त शर्मा)

टल गुड्स और स्पेयर पार्ट्स इम्पोर्ट होते थे उनके ऊपर एप्लाई नहीं किया जाता था अब उन्होंने कह दिया है कि इस पर एप्लाई किया जाएगा। इप्लाई करते ही कैपीटल गुड्स जो उन्होंने एम्पोर्ट किये हैं उसके ऊपर उनको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होगी इसलिए वह एक हजार करोड़ रुपये एक साथ और आठ सौ करोड़ का वे और एप्लाई कर रहे हैं। तो रिलायंस इण्डस्ट्रीज का बजट बनाया है भारत सरकार ने। हमारे यहां पर जो वित्त मंत्रीजी ने बजट बनाया है....

श्री हरिसिंह (महुआ) : इण्डियन एक्सप्रेस और रिलायंस के तो दुश्मनी है आपस में। इण्डियन एक्सप्रेस कुछ भी छाप दे, क्या आथेण्टिसिटी है ? उसकी आथेण्टिसिटी क्या है ? कुछ भी आथेण्टिसिटी नहीं है।

श्री कालूलाल गुर्जर : आपकी इनसे दुश्मनी नहीं है, हरिसिंह जी, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रमाकान्त शर्मा : यह तो सारे ही अखबारों में छपा है, मेरे पास कागज इण्डियन एक्सप्रेस का है आपको दिखाने के लिए। कल को आप पूछ बैठें कि आप कहां से ले आये एक हजार करोड़ रुपये की बात। बाकी तो सभी अखबारों में छपा है।

मैं निवेदन कर रहा था राजस्थान की बात। कल कहा गया कि राजस्थान का जो बजट है....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपस में बात नहीं करें।

श्री रमाकान्त शर्मा : सभी जगह यह कहा जाता है कि यह जो बजट है खास तौर से शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इस बजट में शिक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। परन्तु यदि आप तरीके से इस सारे बजट को पढ़ें तो जितना शिक्षा को महत्व है उतना ही कृषि और किसान को भी महत्व है। किसान का नाम भारत सरकार के बजट में नहीं है, राजस्थान सरकार के तो हर शब्द के बाद किसान को ही लाभ दिया गया है।

श्री हरिसिंह (महुआ) : चार आने पैसे देकर किसान को....

श्री रमाकान्त शर्मा : चार आने पैसे नहीं, आप सुन लीजिए, क्या-क्या है।

श्री हरिसिंह : 50 रुपये का फर्क कितना होगा एक पारिवारिक बजट पर साल भर में ? 50 रुपये की आप उसको रिलीफ देकर वाहवाही ले रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय सभापति महोदय, मैं यह बता रहा था कि जहां भारत सरकार के बजट में उन्होंने कहा है कि ग्रामीण विकास में इस वर्ष, जो आने वाला वर्ष है, पिछले वर्ष से 40 प्रतिशत की वृद्धि की है, बड़े मोटे-मोटे लफ्जों में छापा है, राजस्थान सरकार के बजट के अन्दर पिछले वर्ष से इस वर्ष 64.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गयी है ग्रामीण विकास के लिए। किसान के लिए यह बढ़ोतरी की गयी है। भारत सरकार ने तो कहीं नाम

(श्री रमाकान्त शर्मा)

ही नहीं लिया किसान का, जिस चीज के बारे में बहुत ज्यादा ट्रम्पेट बजा है, उससे कहीं ज्यादा राजस्थान सरकार ने 64.88 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : किसान पर तो बोझ डाला है भारत सरकार ने।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं आपको यह और बता देना चाहता हूं कि फसल उत्पादन में जो कि किसान का मामला है सीधे सीधे, जहां पिछले साल साढ़े सत्रह करोड़ का प्रावधान था इस साल 23.15 करोड़ रुपये का है। ये दो-चार बातें बताकर यह समझाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से शिक्षा को महत्व दिया गया है उसी प्रकार इसके अन्दर अनेक बातें हैं।

दूसरी बात बताना चाहता हूं कि जल-ग्रहण विकास योजना जिसके तहत सारा का सारा खेती का विकास होगा, किसान को बहुत ज्यादा लाभ होगा, पहले किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया था, भारत सरकार से जो पैसा आता था बस उसी के तहत नेशनल वाटर शैड प्रोग्राम चलता था, इस साल 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

मैं तकावी माफ, ग्रामीण हाट इन सब पर नहीं जाना चाहता परन्तु मैं एक बात महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि सरसों पर और चने पर जो सेल्स टैक्स कम किया गया है इन दोनों का यह तो प्रभाव पड़ेगा ही कि हमारी जो दाल मिलें हैं, हमारी जो आयल मिलें हैं और हमारी जो वेजीटेबल फैक्ट्रीज बन्द पड़ी हुई थीं या नहीं चल पा रही थीं या उनको दिक्कत पड़ रही थी वे सब तो दनादन चालू हो ही जाएंगी परन्तु उससे ज्यादा लाभ इस बात का होगा कि जो किसानों को पहले अपना उत्पादन इधर उधर राजस्थान के बाहर जाकर कहीं बेचना पड़ता था, उसको असुविधा होती थी अब वह खुले आम आराम से यहां बेच सकेगा। उसको उत्पादन में प्रोत्साहन मिलेगा। इस प्रोत्साहन के नाते जो सारे राष्ट्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है पर्टिकुलरली आयल सीड्स के लिए क्योंकि हम आयल इम्पोर्ट करते हैं बाहर के देशों से, उस उत्पादन में काफी सारी वृद्धि होगी।

श्री हरिसिंह (महुआ) : आपने यह बजट भाषण पढ़ा है क्या ?

श्री रमाकान्त शर्मा : आप बैठ जाइये, आपके समझ से बाहर की बात है।

श्री हरिसिंह : मेरी समझ से बाहर की बात है ?

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, बाहर की बात है।

श्री हरिसिंह : यह+++कहां से सीखे हो ?

श्री रमाकान्त शर्मा : विराजिये आप।

श्री हरिसिंह : आर यू कलक्टर ? हमारे आप कलक्टर हैं क्या ?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह क्या बात है ? आपस में इण्टरप्ट क्यों कर रहे हैं ?

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

Page No.141

श्री रमाकान्त शर्मा : यह क्या बात हुई ? यह क्या चीज है ? बीच में क्यों इण्टरप्ट कर रहे हैं आप लोग ?

श्री हरिसिंह : आपको+++बात करने की। +++आपको+++बात करने की।

श्री रमाकान्त शर्मा : क्या सिखायेंगे आप ?

श्री हरिसिंह : क्या, हैं क्या आप ? जब वे कह रहे हैं खुद....

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, तो आप बिराजिये। कोई जरूरी नहीं मैं आपकी हर बात का जवाब दूं।

श्री हरिसिंह ; आप डिक्टेटर हैं ? आपको+++है बात करने की।

श्री रमाकान्त शर्मा : नहीं, आपको जवाब देना आवश्यक नहीं है मेरे लिए। क्या बात हुई यह ?

श्री हरिसिंह : इनको+++आप। Who is he to teach me ?

श्री सभापति : आप बीच में इण्टरप्ट क्यों कर रहे हैं ? बिराजें। बीच में इण्टरप्ट नहीं करेंगे। सुन लीजिये पहले।

श्री रमाकान्त शर्मा : सबने देख लिया आपको+++

श्री हरिसिंह : +++ मैं बताऊंगा।

श्री रमाकान्त शर्मा : आप बताओगे ? अभी चलो न पहले। भाषण तो पीछे दे देंगे।

श्री परसादीलाल मीणा : आपकी पुरानी आदत पड़ी हुई है....(व्यवधान).... वह आदत छोड़ो आप।

श्री रमाकान्त शर्मा : तो यह क्या बात हुई, मैं बोल रहा हूं और इण्टरफियर कर रहे हैं ?

श्री परसादीलाल मीणा : आप जन-प्रतिनिधि हैं, माननीय सदस्य, आप कलक्टर की तरह बात करते हैं। आप कम से कम सदस्य बात कर रहे हैं तो....

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय परसादीलाल जी, मैं इण्टरफियरेंस पसन्द नहीं करता। आप अपनी बात कह देना।

श्री परसादीलाल मीणा : मैं यह कह रहा हूं, आप कलक्टर नहीं हैं, अब आप एम.एल.ए. हो।....(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री रमाकान्त शर्मा : यह क्या बात हुई, बीच के अन्दर इन्टरफियर कर रहे हैं ?

श्री हरिसिंह : यहां बैठने वाला हर माननीय सदस्य हर सब्जेक्ट का ज्ञाता है। मैं+++नहीं हूं।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं भी नहीं हूं।

श्री हरिसिंह : मैंने चारे की चोरी नहीं की। मेरे ऊपर आरोप नहीं है।

+++ शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रमाकान्त शर्मा : छोड़िये, क्या बात है। यदि+++चारे की चोरी की बात करना ....

श्री हरिसिंह : किसको ?

श्री रमाकान्त शर्मा : तुम लोगों को।

श्री हरिसिंह : क्यों+++चाहिए।

श्री रमाकान्त शर्मा : इसलिए+++ कि मैं रिटायरमेंट के बाद दो वर्ष तक लगातार तुम्हारे राज के अन्दर रहा हूं। .... (व्यवधान) मैं माननीय सभापति महोदया, आपसे निवेदन कर रहा था कि पीवीसी पाइप....

श्री दीपेन्द्रसिंह शेखावत (श्री माधोपुर): सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने माननीय सदस्य को+++कहा है, जरा स्पष्टीकरण तो करा दो। सदन के रिकार्ड पर आएगी यह बात।

श्री सभापति : नहीं, नहीं कहा। आप बिराजें।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : माननीय सदस्य+++साबित हो रहे हैं, आप स्पष्टीकरण तो करा दो। सदन के रिकार्ड पर आएगी।

श्री रमाकान्त शर्मा : मैं जरूर स्पष्टीकरण दे दूंगा यदि मुझे समय दिया जाएगा तो।

श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत : +++ कहा है अभी। क्यों हरिसिंह जी, आपने +++कहा है न ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन्होंने तो कहा है मैं+++नहीं हूं। इनको पता नहीं कैसे गलतफहमी हो गयी ?

श्री रमाकान्त शर्मा : माननीय सभापति महोदया, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि पीवीसी और प्लास्टिक पाइप केवल मात्र एग्रीकल्चर में काम आता है।

श्री सभापति : अब आप समाप्त करिये।

श्री रमाकान्त शर्मा : हां, अब समाप्त कर रहा हूं।

उन पर भी हटाया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि डीजल इंजन के साथ जो पम्प खरीदा करते थे किसान और उसमें कभी पम्प जल्दी खराब हो जाया करता था, कभी इंजन खराब हो जाया करता था तो उसको पूरा टैक्स देकर खरीदना पड़ता था। इसमें अब कह दिया गया है कि चाहे डीजल इंजन खरीदो, चाहे पम्प खरीदो, सेल्स टैक्स के अन्दर छूट वह–की–वह होगी। यह किसान के लिए एक बहुत लाभकारी बात है, बहुत फायदे की बात है चाहे वह ट्रैक्टर हो, ट्राली हो, टायर हो, ट्यूब हो। बहुत सारी बातों पर न जाकर मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो बजट बनाया है उस बजट का शिक्षा पर तो बहुत ज्यादा असर होगा ही परन्तु गांवों और गांवों के अन्दर किसानों को जो लाभ मिलेगा, किसानों को जो उत्पादन की प्रवृति मिलेगी उसके लिए वे सारे के सारे किसान वित्त मंत्रीजी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट

+++शब्द/अभिव्यक्ति अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री रमाकान्त शर्मा)

करना चाहते हैं। यह कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (चौमूं) : रमाकान्त जी कलक्टर रहे हैं, हरिसिंह जी, ध्यान से बात करना।

श्री परसादीलाल मीणा : हैं नहीं, थे।

श्री सभापति : श्री जगदीप धनखड़।

श्री जगदीप धनखड़ (किशनगढ़) : आदरणीय सभापति महोदया, कल जब बैंद जी ने 1994-95 के बजट को राजस्थान सरकार की आर्थिक अस्वस्थता का इंडीकेशन दिया तो घनश्याम तिवाड़ीजी ने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। इन्होंने जिम्मेदारी तो भारत सरकार पर टेप दी पर कहीं इस बात को डिस्प्यूट नहीं किया किया कि राजस्थान की इकानामिक हालत बहुत कमजोर है। रामनारायणजी ने कहा, इन्द्रजाल है। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि यह बजट न तो इन्द्रजाल है, न मायाजाल है, यह तो मकड़ी जाल है जिसमें राजस्थान की जनता फंसी हुई है. आप लोगों ने उसको फंसा दिया है।

एक माननीय सदस्य : आप भी फंस गये।

श्री जगदीप धनखड़ : राजस्थान की जनता का हिस्सा हूं।

मान्यवर, यह एक अस्वस्थ सरकार का अस्वस्थ बजट है। भ्रम पैदा करने की कोशिश की गयी है, सदन के साथ धोखा हुआ है, यह मैं आंकड़ों के आधार पर सदन के सामने साबित करूंगा। मान्यवर, यदि आप देखें तो एनुअल प्लान साइज 2450 करोड़ का है। प्लानिंग कमीशन के समक्ष आपने कहा है कि स्टेट ओण्ड रिसोर्सेज 1008 करोड़ 54 लाख के होंगे और प्रावधान किया कि 250 करोड़ बॉण्ड्स के जरिये राजस्थान सरकार पहली बार प्राप्त करेगी।

मैं पूछना चाहता हूं राजस्थान सरकार से, मुख्य मंत्रीजी से, जो वित्त मंत्री भी हैं, इस सदन को बजट के माध्यम से ऐसा क्यों नहीं बताया गया, बजट में इस चीज का हवाला क्यों नहीं है कि ये 250 करोड़ रुपये के बॉण्ड्स जारी होंगे इनकी क्या यूटिलिटी होगी, इन पर कितना ब्याज दिया जाएगा यह जान-बूझकर किया गया है। पूरे बजट मे आपको कहीं यह अन्दाजा नहीं मिलेगा कि राज्य को जो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने हैं, 1008 करोड़ 54 लाख रुपये, ये कहां से आएंगे। और यह बड़ा तरकीब से किया गया है। 250 करोड़ के बॉण्ड आप जारी करेंगे, साधारण ब्याज लगाये तो 40 करोड़ हर साल ब्याज का लगेगा और आपका 2450 करोड़ रुपया घटाकर 2410 करोड़ रह गया। बॉण्ड जारी करने में खर्चा आएगा 3-4 करोड़ वह कम कर दीजिये। और जानकारी प्राप्त की गयी हैं, मान्यवर, यद्यपि इसको इन्होंने पूरी तरह छिपाया है, 300 करोड़ स्माल सेविंग्स के, 415 करोड़ प्रोविडेंट फण्ड के, राज्य की क्या बैंकरप्ट हालत है, सामने जाहिर है। प्लान को किस बात पर सस्टेन कर रहे हैं। बॉण्ड हैं, लोन है, कर्जा है, प्रोविडेंट फण्ड हैं. इन सबको यदि सही तरीके से एनेलाइज करें तो पता चलेगा कि

(श्री जगदीप धनखड़)

मात्र यह मकड़ी जाल है, आंकड़ों का खेल है, विकास इस बजट से हो नहीं सकता और राज्य की हालत को इतना जर्जर कर दिया है जिसकी पूरी जिम्मेदारी सामने बैठे लोगों की है। मैं तो कहता हूं कि कोई भी सामने से बता दे कि 1008 करोड़ 54 लाख रुपये का विवरण क्या है। क्या यह जरूरी नहीं था कि इसका विवरण दिया जाए ? सदन को इस बात में क्यों कांफिडेंस में नहीं लिया गया है कि 250 करोड़ के जो बॉण्ड्स हैं वे किस नीति के तहत जारी होंगे, किस काम में आएंगे, उनमें कितना खर्चा होगा, उन पर क्या रिटर्न होगा। बिलकुल नहीं बताया गया।

मान्यवर, पावर के सम्बन्ध में एक बात कही गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस सदन में 1991 में कहा था कि राज्य के अन्दर 56 प्रतिशत पावर हम खुद जनरेट करते हैं, 46 प्रतिशत हम बाहर से लेते हैं। उपलब्ध के ऊपर उपलब्धि है, इस बार 50-50 प्रतिशत उन्होंने कर दिया है और आठवें प्लान के आखिर तक स्थिति बिलकुल उलटी हो जाएगी, जो 56 प्रतिशत पावर हम यहां पैदा करते थे वह हमें बाहर से लाना पड़ेगा। ऐसा क्यों ? ऐसा सरकार की नीतियों की वजह से हुआ है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ी जोरदार बात कही थी कि जब शिवचरण माथुर जांडलगढ़ में ही प्लान्ट नहीं लगा पाये तो राज्य का विकास क्या करेंगे पर धौलपुर के नाम पर चुप्पी खा गये। बरसिंहसर लिग्नाइट का मामला इतना खतरनाक है कि नेवेली लिग्नाइट से अपना मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग हुआ और वह आज भी कायम है। कुछ कारण थे जिनसे नेवेली लिग्नाइट एक बार बैक आउट हो गया। राज्य हित में आपको और हमें चाहिये था कि अपने उनको परस्युएड करें, केन्द्र सरकार पर दबाव डालें ताकि कम से कम एशिया में जिसके पास एक्सपर्टीज हैं, लिग्नाइट बेस्ड पावर जनरेशन के एक्सपर्टीज हैं वे इस काम में आगे आएं। जैसे-किसी बात का इन्तजार कर रहे थे, ज्यों ही यह बात हुई, प्रेस क्लब में घोषणा कर दी, कोलमेन एसोसियेट्स आस्ट्रेलिया से बातचीत हो रही है। बहुत जबरदस्त बात है। क्यों हो रही है ? क्या विश्व में उनकी ख्याति है ? वास्तविक स्थिति यह है कि कोलमेन एसोसियेट्स आस्ट्रेलिया खुद किसी तीसरी एजेन्सी की मदद लेकर पावर जनरेशन करेगा और उस पावर की कीमत पांच रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी। यह तो खैर दुबारा कभी बताऊंगा कि कोलमेन एसोसियेट्स आस्ट्रेलिया के अन्दर इतनी भारी दिलचस्पी के स्थानीय कारण क्या हैं। आज आप और हमारे चिन्तन का विषय है कि मुख्य मंत्रीजी को यह अधिकार किसने दिया। ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं जारी किया ? ग्लोबल टेंडर होता, विश्व में कांम्पीटिटिव सिचुएशन हमारे सामने आती परन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री भी हैं, कहते हुए चूकते नहीं हैं, बोले-मैं गुजरात गया, चिमनभाई पटेल ने बहुत विकास कर रखा है। तो वहां से कुछ सीखकर नहीं आये। हर मुख्य मंत्री आज के दिन यह काम कर रहा है, हजारों करोड़ रुपये बाहर से ला रहा है पर हमारे मुख्य मंत्रीजी इस मामले में पूरी तरह असफल हैं और कहते हैं कि केन्द्र सरकार ने स्थिति को गड़बड़ कर

(श्री जगदीप धनखड़)

दिया । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं, खास तौर से थानागाजी से आने वाले सदस्य को, डाक्टर मनमोहन सिंह को आप और हम आज के युग का चाणक्य कह सकते हैं। जून, 1991 में जब भारत का सोना बाहर गिरवी रखा था, अपने देश की क्या स्थिति थी ? आज उन्होंने बिलियन यू.एस. डालर्स जमा किये हैं। एक बिलियन यू.एस. डालर तब था हमारी फारेन करेंसी रिजर्व, उसको 13 गुणा किया है। 13 बिलियन यू.एस. डालर्स आज के दिन हमारा फारेन एक्सचेंज रिजर्व है। यह महज भारत सरकार की अच्छी नीतियों का परिणाम है। इस बजट में जो हमें कर्जा देना था वापस, वह समय से पहले 1.4 यू.एस. बिलियन डालर्स का हमने दिया है। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि हम इस बार कर्जा नहीं लेंगे और ऐसी स्थिति के अन्दर मुख्य मंत्रीजी कहते हैं अपने भाषण में, मुझे तो वास्तव में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र के बजट को इस तरीके से क्यों नहीं देखा, उन्होंने कहा–मुझे बड़ा धक्का लगा है, पिछला माह वित्त मंत्री के रूप में मेरे लिए निराशाजनक रहा। इसलिए रहा क्योंकि भारत सरकार का बजट बड़ा आशाजनक रहा। पूरी दुनिया मानती है कि प्रधान मंत्री नरसिम्हा राव की दाओस में जो मीटिंग हुई उससे पूर्व विश्व के जो भी उद्योगपति वहां पर आये, प्रभावित हुए। उन्होंने भारत को एक ग्राउण्ड माना कि भारत में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। पूरे यूरोप ने डाक्टर मनमोहन सिंह को श्रेष्ठ फाइनेंस मिनिस्टर का खिताब दिया। जब पूरी दुनिया आपकी तरफ आकर्षित होना चाहती है, पैसा लगाना चाहती है तो क्यों आप और हम इस मौके का फायदा नहीं उठाते। नरसिम्हा रावजी ने कुआं खोद दिया, कुएं में पानी कर दिया, आपको कुएं तक ले गये पर आप कह रहे हैं कि हम पीयेंगे नहीं। मैं तो शुद्ध आंकड़ों की बात कर रहा हूं।

चलो आपके आंकड़े देखिये। कृषि के मामले में आप कहते हैं और देखिये किसान हमारा आर्थिक ढांचा है, उस ढांचे को आप क्यों धराशाही करना चाहते हैं ? राजस्थान में गांवों की संख्या 37 हजार से कुछ ज्यादा है। ढाणियों को जोड़ दो तो करीब दुगुनी से ढाई गुनी हो जाएगी 3–3, 4–4 गांवों के ऊपर एक बिजली का कुआं देंगे आप और कहते हैं हम किसान की मदद कर रहे हैं। 25 हजार कुएं मात्र देंगे आप। कारण, किसान का दुःख–सुख आप नहीं समझ सकते। किसान का दुःख–सुख समझे तो कम से कम इस प्रकार की बात नहीं करते।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : किसान का दुःख तो आप ही समझते हो।

श्री जगदीप धनखड़ : घनश्यामजी, आपने 28 फरवरी को इस सदन के अन्दर भैरोंसिंहजी की राजनीतिक इच्छा को खत्म कर दिया। आपने कहा कि आबादी जो बढ़ती जा रही है उस पर नियंत्रण पाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। आपने बड़े जोशीले भाषण दिये। क्या नतीजा निकला ? बजट के अन्दर है कुछ ? बजट का देखिये आप पैरा 99, कितनी विकट समस्या है। हर विकास आबादी पर आधारित होता है पर यहां स्थिति यह है कि दो लाइन में राज्य में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के नियंत्रण हेतु 1994–95 में

(श्री जगदीप धनखड़)

आयोजना मद में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। न कोई स्कीम, न कोई इमेजिनेशन, न कोई इन्सेंटिव, न कोई योजना। आपके भाषण का क्या हुआ ? हां, राजनीतिक इच्छा शक्ति तो पता नहीं कहां नदारद हो गयी और विकास की गंगा आपकी सूखी पड़ गयी।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जोर–शोर से बात कहलवाई गयी रूरल हाउसिंग बोर्ड की और बजट में गायब। कहने का मतलब यह है कि जब कुछ करने का मौका आता है तो आप पीछे हट जाते हैं। सही मायने में क्या है कि कैपेसिटी है ही नहीं। सोच भी नहीं है। किसानों के बारे में कहा गया, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी यहां पर हैं नहीं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी ने 20 मार्च, 1990 को इस सदन में कहा था वह मैं आपको बताऊंगा। ऊर्जा मंत्रीजी ने 20 मार्च, 1990 को कहा, सभापति महोदया, किसान को ट्यूब वैल पर कनेक्शन लेना पड़ता है उसमें भ्रष्टाचार है। बिजली विभाग में किसानों को एग्रीकल्चर कनेक्शन बिना घूस दिये नहीं मिलता है। सात–सात, आठ–आठ सालों से कुओं के कनेक्शनों के लिए प्रार्थना–पत्र दिये हुए हैं लेकिन उद्योगपतियों को छह महीने में कनेक्शन मिल जाएंगे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, ऊर्जा मंत्री बने हैं और 4 गांवों और ढाणी को मिला कर एक बिजली का कनेक्शन कुएं पर देंगे। यह कितनी अनफॉरच्युनेट सिच्युएशन है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। किसान के हित की बात तो सोचेंगे कहां, ऊंची दुकान है और फीके पकवान हैं। मुख्य मंत्रीजी को चाहे जितना नचवा लें, मैं तो कह रहा हूं कि सवा दो घण्टे का अभिभाषण हो कि ढाई घण्टे का हो पर आश्वासन मिलेंगे खूब, आश्वासन देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं।

मान्यवर, व्यक्तिगत रूप से मुझे भारी पीड़ा हुई जब मैंने उनके भाषण के पैरा 26 को पढ़ा ...(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : पीड़ा वाला पढ़ ही क्यों रहे हैं आप ?

श्री जगदीप धनखड़ : पीड़ा मुझे इस बात की भी है कि आपको मंत्री नहीं बनाया जा रहा है और हमारे वरिष्ठ नेता श्री चन्दनमलजी की सिफारिश के बावजूद नहीं बनाया जा रहा है, यह बहुत ही गम्भीर मामला है।

श्री चन्दनमल बैद (तारानगर) : वह यह कह रहे हैं कि मेरी सिफारिश के बाद उनका केस खराब हो गया।

श्री जगदीप धनखड़ : लिखा है इन्होंने पैरा 26 में—

"सम्पूर्ण साक्षरता अभियान राज्य में वर्ष 1990 में प्रारम्भ किया गया था जिसके फलस्वरूप अजमेर जिले को उत्तर भारत का प्रथम साक्षर जिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है।"

मैंने आज मुख्य मंत्रीजी के समक्ष एक कागजों का पुलिन्दा दिया, मैं किशनगढ़ से जीतने के पश्चात् गांव–गांव, ढाणी–ढाणी गया हूं, मुझे नहीं पता था इस प्रकार की बात वह बजट में लिखेंगे। किसी पर 25 आदमियों का अंगूठा हो रहा है, किसी पर 20 आदमियों के अंगूठे हैं, कुछ के दस्तखत भी हैं....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (राज्य मंत्री, चिकित्सा) : एक ही आदमी के हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : अलग-अलग हैं, कम से कम 100 गांव और ढाणियां ऐसी हैं, उन्होंने दिये हैं। मैंने कहा, मान्यवर, यह कोई दिसम्बर के हैं, कोई जनवरी के हैं, आप इनको एग्जामिन करवाइये। कितनी बड़ी विडम्बना है कि जिस इलाके में कोई भी ढाणी पूर्ण रूप से साक्षर नहीं है वह पूरा जिला पूर्ण रूप से साक्षर कैसे हो गया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह अंगूठे फर्जी हैं।

श्रीमती कमला (बैराठ) : लगे हुए फर्जी हैं ?

श्री जगदीप धनखड़ : पर क्या है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी को तो राष्ट्रीय स्तर पर कहना था। मैं मानता हूं कि जो भी अधिकारी जिम्मेदार थे उन्होंने प्रयास किया पर पूर्ण रूप से साक्षर करना कोई आसान चीज नहीं है। कहां दरकार थी उनको इस बात की जांच कर करने की। मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि जब मैं इस प्रकार की बात कर रहा हूं कि किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र का कोई गांव और कोई ढाणी पूर्ण से साक्षर नहीं है इसके लिए कमेटी बनाकर जांच कर लें और मेरी बात गलत लगे तो मुझे इस सदन में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, मैं यहां तक जाता हूं। क्योंकि पूर्ण रूप से साक्षर करने के पश्चात् जिस इलाके का मैं प्रतिनिधित्व यहां करता हूं उसके साथ अन्याय हो रहा है, वहां पर आपने साक्षरता अभियान को ही छोड़ दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : वह आपके लिए छोड़ दिया है।

श्री जगदीप धनखड़ : उसमें समय लगेगा ऐसा लग रहा है। (व्यवधान).... नहीं, नहीं वैसे तो खैर बीच बीच में ठीक ही कार्य होते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को भैरोंसिंहजी तेवर दिखाते रहते हैं और निर्दलीयों को इस बात का क्रेडिट जाता है।

मैं श्री भैरोंसिंहजी और श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी जी को धन्यवाद दूंगा और मुझे लगता है कि कोई न कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का ज्यादा सिगरेट पीता है इसलिए उन्होंने सिगरेट पर टैक्स लगाया है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार (राज्य मंत्री, यातायात) : हम तो आपके पदचिन्हों पर चलते हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : ऐसा है, श्री रोहिताश्वजी, आप चलते थे कभी, अभी नहीं चल रहे हैं और इसका परिणाम अगले चुनाव में पता चलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपन तो दोनों हमसफर रहे हैं।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : आप चलते थे तो यह भी चलते थे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : श्री जगदीपजी, अपन तो हमसफर रहे हैं, ताऊ के पीछे चला करते थे।

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्री जी का न तो राजस्थान की....(व्यवधान)....

श्री घनश्याम तिवाड़ी : श्री धनखड़ साहब, एक मिनट। श्री रोहिताश्वजी, आप धनखड़ साहब को डिस्टर्ब न करें, अभी उनकी परिक्रमा पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी का न तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण है, सदन में जितना कमजोर नियंत्रण है वह सब देख चुके हैं और अफसरों का यह हाल है....(व्यवधान)....

श्री सभापति : आप पर तो पूरा है।

श्री जगदीप धनखड़ : मेरे पर तो ऐसा लगता है उनको....(व्यवधान)....

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : निर्दलीयों पर तो पूरा है।

श्री जगदीप धनखड़ : अफसरों को मुख्य मंत्रीजी ने फटकार लगाई। किस बात की? फटकार उन्होंने इस बात की लगाई कि मैंने तो कोई ओथ सेरेमनी के लिए कहा ही नहीं और आपने पूरी व्यवस्था कर दी राजभवन में। आप देखिये, किस तरह से सरकार चल रही है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से राजस्थान की अर्थव्यवस्था को बरबाद किया है और ऐसी स्थिति में बरबाद किया है। 1990 के अन्दर इस सदन में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही वह मैं आपको बताना चाहूंगा, यह बात है 23 मार्च, 1990 की। वैसे हर बार एक ही काम करते हैं कि Congress is the favourite weeping boy. जब भी कोई दिक्कत आती है, कांग्रेस को मारना चालू कर देते हैं बैठकर। कोई योजना नहीं बनाई-कांग्रेस ने, अगर आपने योजनाएं बनाकर योजनाओं का ढेर लगा दिया होता तो हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से, वर्ल्ड बैंक से या फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से पैसा राजस्थान की सहायता के लिए लेकर आते इसलिए अबकी बार हमने तय किया है कि 4 महीने में, यह बात है, मान्यवर, 23 मार्च, 1990 की, 4 महीने में इतने प्रोजेक्ट्स बनाकर, करोड़ों-अरबों रुपयों के प्रोजेक्ट्स बनाकर भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स को भेज दिए जाएं जिसके कारण किसी योजना के अभाव में राजस्थान की उपेक्षा नहीं की जा सके। अब कोई पूछे उनसे कि क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ और कहते हैं कि करोड़ों-अरबों रुपये वर्ल्ड बैंक और फाइनेंशियल इन्स्टीट्यूशन्स से ले आते। कहते हैं कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन पूरा है। बात लोकल की करेंगे और स्वदेशी की करेंगे और बात करेंगे हजारों-करोड़ों रुपये बाहर से लाने की, अरबों और खरबों रुपये लाने की और एक्चुअल रिजल्ट्स के मामले में निल। क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी बम्बई से आये और अधिकारियों ने बजट बनाकर दे दिया और उन्होंने पेश कर दिया और अखबारों में कह दिया कि 2 अधिकारियों ने किया है। रोज अधिका[illegible] नये आइडिया लायेंगे तो फिर एसेंट्रिक जी[illegible] यस कैटेगिरी हो जाएगी। आपको सब कुछ मिल गया उसके बावजूद भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं यह गम्भीर चिन्ता का विषय है जिस पर आज भी अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो मानकर चलिये कि राजस्थान के साथ और राजस्थान की जनता के साथ

(श्री जगदीप धनखड़)

इतना जबरदस्त विश्वासघात होगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां राजनैतिक इच्छा शक्ति होती है, महाराष्ट्र का उदाहरण ले लीजिये, एक साल में कांग्रेस सरकार ने वहां पर कितना पैसा लगाया है आप सोच नहीं सकते हैं, पर हमारे मुख्य मंत्रीजी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। माननीय सभापति महोदया, श्री बैदजी ने बड़े विस्तार से बताया, उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं पर कुछ बातें आप देखिये कि जो काम डवलपमेंट एक्टीविटी के लिए होने चाहिए थे वह नहीं हो रहे हैं और उसका एक उदाहरण यदि आप देखना चाहें तो वह बजट स्टडी के पेज 42 पर देखिये। इसमें जो आइटम नम्बर है इरिगेशन फ्लड कंट्रोल एण्ड एनर्जी, 1993-94 के रिवाइज्ड एस्टीमेट्स हैं 1427 करोड़ 90 लाख रुपये और आप जो करने जा रहे हैं 1306 करोड़ 44 लाख। क्यों? इसलिए कि आप आंकड़ों के जाल में कर दीजिये फिर भी चुनावी बजट कहकर, पता नहीं क्यों बार–बार चुनाव का डर लगता है आप लोगों को कि हर बार सस्ती लोकप्रियता के लिए कर रहे हैं....

श्री ललित किशोर चतुर्वेदी (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : लोकप्रिय तो मान लिया है ना, आपने।

श्री जगदीप धनखड़ : (व्यवधान) अजी साहब, आप तो काफी प्रसन्न हैं। मुख्य मंत्रीजी अस्वस्थ क्या हुए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग हो गये।

श्री कालीचरण सराफ : थारो नम्बर कोनी आवे। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : इस बजट में किसानों के मामले में किसी प्रकार का अन्दाजा नहीं दिया है और इसका आप अन्दाजा लगाइये, बजट स्टडी का पेज 119 है, शुगरकेन प्रोडक्शन कितना कम हो रहा है। इस बारे में कोई ध्यान नहीं दिया गया है। पहले शुगरकेन प्रोडक्शन था 11.29 लाख टन, जो इस बार 8.13 लाख टन हो गया है और इसका कोई कारण आप नहीं दे सकते। यह बताने की सख्त आवश्यकता है कि जब राजस्थान के अन्दर इस प्रकार के एग्रो इकानामी का इवोल्यूशन हो रहा है तो इस प्रकार की बात क्यों है? इसके लिए पूरे बजट में क्या दिशा निर्देश है? ऐसा नहीं है।

इसके अलावा देखिये, मान्यवर, पैरा 3.4 में, आयल सीड्स का रिकार्ड प्रोडक्शन है इस बार, आज तक इतना आयल सीड्स का प्रोडक्शन नहीं हुआ और आपके बजट में आयल सीड्स प्रोडक्शन बेस्ड डवलपमेंट का किसी प्रकार का कोई अन्दाज नहीं है। इसलिए नहीं है कि यह बजट किसान विरोधी है, इस बजट में किसानों का कोई चिन्तन नहीं है, इस बजट में किसानों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने की कोई योजना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जो वित्त मंत्री भी हैं, इनकी कार्य शैली ब्यूरोक्रेसी का पूरी तरह मोरल कम करने की है। माननीय मुख्य मंत्रीजी की कार्य योजना है कि बीच के टायर्स खत्म कर दीजिये। अपेक्स आपका होना चाहिये, नीचे आपका होना चाहिये, बीच को इर्रेलेवेन्ट कर दीजिये। इसकी कीमत राजस्थान की

(श्री जगदीप धनखड़)

जनता को देनी पड़ेगी। सब जानते हैं, You are proud of our bureaucracy. टेलेन्टेड आफिसर्स हैं, दिल्ली में उन्होंने नाम कमाया है पर यहां मुख्य मंत्रीजी उनको यूज नहीं करेंगे। एक प्राइवेट चेम्बर जैसा सिस्टम कर रखा है। मुझे बड़ा धक्का लगा, व्यक्तिगत अनुभव है, किसी कारणवश मुझे एस.एम.एस. अस्पताल जाना पड़ा, मुझे बड़ी हैरानी हुई, अस्पताल की व्यवस्था काफी सुदृढ़ नजर आयी, डाक्टर्स वहां थे, मशीनें काम कर रही थीं, तो मैंने कहा कि मंत्रीजी में भी मुख्य मंत्रीजी का विश्वास पूरा ही होना चाहिये, सबने कहा बड़े डायनामिक आदमी हैं, फिर पता चला कि राजस्थान के अन्दर कोरोनरी बाई पास हो रहा है और हैल्थ मिनिस्टर को पता ही नहीं। देखिये, कार्य शैली कितनी डिफेक्टिव है। राजस्थान के अन्दर इतनी जबरदस्त बात हो रही हो....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप सही तथ्य नहीं कह रहे हैं। मुझे मालूम था, उस दिन मैं यहां था नहीं, चित्तौड़गढ़ के दौरे पर था, वहां मुझे इत्तला भी की गयी थी पर मैं पहुंच नहीं सका। कम से कम आपने सदन में यह तो माना कि एस.एम.एस. अस्पताल में गुणात्मक सुधार है, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : राजस्थान के एस.एम.एस. में कोरोनरी बाई पास कब से हो रहा है ? यह कोइ पहला केस है क्या ? बड़े लम्बे अरसे से हो रहा है। साल-डेढ़ साल से हो रहा है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : पहले एंजोग्राफी होती थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं नहीं, देखिये पहले हुआ है बाई पास। दुबारा 14 तारीख को फिर हो रहा है।

श्री परसराम मदेरणा : यह पहले भी हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले वाल्व चेंज हुआ करते थे। बाई पास अभी हुआ है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा यह कहना है कि कोरोनरी बाई पास कीजिये, हैल्थ मिनिस्टर को बाईपास मत कीजिये। इन्होंने अपने मुख्य मंत्रीजी को बचाने के लिए बयान दे दिया होगा वरना मैं नहीं मान सकता कि इनको जानकारी होती और ये यहां नहीं होते। यदि ये वहां होते तो निश्चित रूप से बजट में लड़ाई लड़ते कि माननीय मुख्य मंत्रीजी, आपने एक करोड़ रुपये कैंसर के लिए देने की घोषणा की, बजट में क्यों प्रावधान नहीं है। जरूर कहते, पर आप ये नहीं इसलिए नहीं कह पाये। माननीय मुख्य मंत्रीजी से तो चालाकी से, होशियारी से, टैक्ट से और स्किल से स्पीकर महोदय ने अपना काम कराया, वे सजग नहीं होते तो उनको भी 5 करोड़ रुपया इस बार विधान सभा भवन के लिए नहीं मिलता बाई पास कर देते। उनको लगातार चकमा देते रहे पर इस बार वे थोड़े जागरुक रहे।

सभापति महोदया, इन मुख्य मंत्री के काल में जो घटनाएं हो रही हैं, विस्तार पूर्वक तो मैं नहीं कहूंगा पर सी.ए.जी. की रिपोर्ट को लेकर कुछ वर्षों पहले आपकी

(श्री जगदीप धनखड़)

पार्टी ने बड़ा हंगामा किया था और एक सी.ए.जी. आपकी पार्टी का सदस्य है, उस रिपोर्ट को देखिये, Report No. 2, for the year ended 31st March, 1992 अब इसमें देखिये, किस प्रकार का आपका आर्थिक नियंत्रण है।

"Rs. 113.17 crores were outstanding against 365 H.T. consumers each owing Rs. one lac or more at the end of March, 1992. Dues exceeding rupees one crore in each case were outstanding against 21 consumers aggregating Rs. 64.63 crores."

एक-एक करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है, किसानों को परेशान कर रहे हैं 1000-1000, 5000-5000 रुपये के लिए और 100 करोड़ रुपये से ज्यादा बकाया है। चलो, यह नहीं हैं। आगे देखिये, टैस्ट चैक कंडक्ट पर थोड़ा उसका है।

Test checking conducted during the year 1990-91....(व्यवधान)

नहीं नहीं, यह आपके समय का है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : यह बकाया कब से है ?

श्री जगदीप धनखड़ : आपको किसी ने रोका था क्या ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मान्यवर।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : Cases pending since many years.

श्री जगदीप धनखड़ : इसका मतलब 4 साल का समय आपके लिए वसूली के लिए उपयुक्त नहीं है।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कोर्ट से स्टे है।

श्री चन्दनमल बैद : आप वसूल कर लेते ना इसको, मना थोड़े ही किया था आपको।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : कोर्ट का स्टे है। (व्यवधान)

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी एडहॉक तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं। आगे देखिये, सी.ए.जी. की रिपोर्ट में कहा गया है,

"Direct supply energy was allowed to continue for the period from 50 days to 209 days. In two cases, as against the maximum permissible period of one month, ."

फिर आप देखिये, आप लोगों ने टाइम के ऊपर बैंक गारण्टी के मामले में काम नहीं किया। उन लोगों को फायदा हुआ और आर.एस.ई.बी. को नुकसान हुआ। आपने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहलवा दिया, आपके ऊर्जा मंत्री कह चुके हैं कि बिजली की दरें बढ़ेगी जबकि स्थिति यह है कि बिजली मण्डल अपना सैलेरी बिल नहीं दे पा रहा है। यह आपकी स्थिति है और, मान्यवर ध्यान रखिये, कब सुजान को ज्ञान आ जाए और अभी शशि दत्ता जी कह रही थीं कि हमारे साथ कितना

(श्री जगदीप धनखड़)

दुर्व्यवहार हो रहा है, मैं इस पूरे खिलवाड़ का....

श्री गुरजन्ट सिंह (उप मंत्री, सिंचाई) : आपके साथ सबके सब आते हैं। (व्यव-धान)....

श्री जगदीप धनखड़ : मेरा यह मानना है कि चूंकि बजट एक गम्भीर मामला है, बजट से राजस्थान के विकास की नींव डलती है, एक तो माननीय मुख्य मंत्रीजी काफी लम्बे समय मुख्य मंत्री रह चुके हैं, उनका तीसरा टर्न है और ऐसी स्थिति के अन्दर मुख्य मंत्री जी पर और उनके शीर्ष अधिकारियों के ऊपर एक सिद्धान्त लागू होता है, जिसका जिक्र यहां मैं करना चाहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, और लोग भी बोलने वाले हैं। आपने आधे घण्टे से ज्यादा ले लिया....

श्री जगदीप धनखड़ : एक मिनट का समय है।

श्री सभापति : आधे घण्टे से ज्यादा ले लिया, फिर आप लोग नहीं बोलेंगे क्या ?

श्री जगदीप धनखड़ : माननीय सभा-पति महोदया, एक प्रिंसिपल है....

श्री सभापति : आपका सबका समय इन्हें दे दें ?

एक माननीय सदस्य : हमारी सबकी तरफ से बोल रहे हैं।

श्री जगदीप धनखड़ : मैं बहुत कम समय लूंगा। I will tell just for a minute एक प्रिंसिपल है जिसको कहते हैं पीटर प्रिंसिपल, कोई आदमी बहुत लेवल आफ एफीशियेंसी पर आ जाता है, एडीशनल एस.पी. लेवल पर, सैक्रेटरी लेवल पर, जब वह आदमी ऊपर वाले पद पर जाता है तो in hierachy he rises to the level of his incompetence.

ऐसा राजस्थान के मुख्य मंत्री पर तीसरी बार हो रहा है कि अब वे अपनी लेवल आफ इनकाम्पीटेंस पर पहुंच गये हैं, ऐसी भावना उनके अधिकारियों की हो गयी है। यदि राजस्थान को विकास की ओर ले जाना है और विनाश से बचाना है, अंधकार में डूबने से बचाना है तो इन आंकड़ों के मायाजाल और मकड़ी जाल को छोड़ते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री को चाहिए, यह मेरा सुझाव है,

(16.00)

कि एक टास्क फोर्स कांस्टीट्यूट करें और वह टास्क फोर्स जेनुइनली इस बात को देखे कि कितना पैसा राज्य के लिए केन्द्र सरकार की अलग-अलग योजनाओं में आ सकता है, बाहर से आ सकता है और जो कुछ मोह उनको डवलप हो गया है चाहे कोलमेन एसोसियेट, आस्ट्रेलिया से हो, किसी भी कारण हो, यह मौका नहीं है कि उस पर इस समय विवेचना की जाए, उसको त्यागते हुए जो नियमसंगत कार्य है उसी को करना चाहिए।

धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार): माननीय सभापति महोदया, प्रदेश के मुख्य मंत्री, माननीय भैरोंसिहजी शेखावत ने वित्त मंत्री के रूप में जो बजट पेश किया है यह मात्र आय-व्यय का लेखा-जोखा नहीं है, प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को नयी दिशा देने का दस्तावेज है। इस बजट में प्रदेश की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति को नयी दिशा देने का प्रयास किया गया है। बजट प्रस्ताव में ग्रामीण विकास, शिक्षा का विस्तार, औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश, बिक्री कर की दरों में व्यावहारिक परिवर्तन, गरीबों के काम आने वाली वस्तुओं पर से कर मुक्ति निश्चित ही प्रदेश को आर्थिक विकास की गति पर ले जाएगी। आजादी के बाद कांग्रेसी शासन के दौरान जिस प्रकार से वित्तीय संसाधनों का केन्द्रीकरण हुआ वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। 1990 के पहले प्रदेश के कांग्रेसी मुख्य मंत्रियों की स्थिति, चाहे वह राजस्थान के मुख्य मंत्री हो, चाहे किसी अन्य प्रदेश के हों, + + + जैसी थी। दिल्ली में उनकी कोई आवाज नहीं थी। कोई भी मुख्य मंत्री यदि अपने प्रदेश के हित की बात करता तो उसको डांट कर भगा दिया जाता और उसको कहा जाता कि मुख्य मंत्री की कुर्सी पर रहना है या नहीं। यह कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों की स्थिति थी। परन्तु वक्त ने करवट ली। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस स्थिति का दृढ़ता से मुकाबला किया और इसी का परिणाम है कि जो 1989-90 में कांग्रेसी शासन के दौरान प्रदेश में 795 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना थी, 1994-95 में यह वार्षिक योजना 2450 करोड़ रुपये की हो गयी। यानि पिछले चार वर्षों में मुख्य मंत्रीजी के प्रयास से वार्षिक योजना में साढ़े तीन गुणा वृद्धि हुई।

माननीय सभापति महोदया, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, उन्होंने बजट प्रावधान में प्रदेश के शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने को प्राथमिकता दी है। प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर जो बजट प्रस्ताव पेश किये गये हैं उसमें 119 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। गांवों में 2313 प्राथमिक विद्यालय और शहरों की कच्ची बस्तियों में 50 प्राथमिक विद्यालय खोलने की घोषणा, 3646 प्राथमिक विद्यालयों, जिनमें एक अध्यापक है, दूसरे अध्यापक की व्यवस्था करने की घोषणा, एक हजार प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा, 90 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा, 138 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए फाउण्डेशन की स्थापना करने की घोषणा, आठवीं कक्षा तक की बच्चियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और पांचवीं तक के बच्चों को, लड़कों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा निश्चय ही प्रदेश के शैक्षणिक जगत में क्रांतिकारी कदम है। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि इससे प्रदेश का शैक्षणिक पिछड़ापन दूर होगा। महिला में साक्षरता की जो दर वर्तमान में 11 प्रतिशत है उसमें निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी; राज्य में

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री कालीचरण सराफ)

शिक्षा के प्रसार में तेजी से वृद्धि होगी, महिला शिक्षा के लिए अनुकूल वातावरण बनेगा, महिला शिक्षा का भी तेजी से विकास होगा।

माननीय सभापति महोदया, इतना ही नहीं, केवल शिक्षा के लिए ही बजट में प्रावधान नही है, कृषि उत्पादन किस प्रकार से बढ़ाया जाए, सिंचाई व विद्युत की उपलब्धता किस प्रकार से बढ़ायी जाए, 750 गांवों का विद्युतीकरण, 25 हजार कुओं पर बिजली के कनेक्शन, 1450 अतिरिक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, 40 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की घोषणा, 1991 की जनगणना के आधार पर एक हजार से ऊपर की जनसंख्या वाले गांवों को सन् दो हजार तक सड़क से जोड़े जाने की योजना ग्रामीण क्षेत्र में विकास की गंगा बहायेगी। इससे ग्रामीण जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, रोजगार के नये अवसर उपलब्ध होंगे, निश्चित रूप से बेरोजगारी की जो विकट समस्या हमारे प्रदेश के सामने है उससे भी निजात मिलेगी, उसका भी निराकरण होगा।

मेरे से पूर्व जगदीपजी बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि यह किसान विरोधी बजट है, यह गांव विरोधी बजट है। मैं पूछना चाहता हूं, तकाबी ऋण माफ करने की घोषणा जो की गयी है, एक लाख सत्यासी हजार गरीब किसान इससे लाभान्वित होंगे, अब यदि किसानों को लाभान्वित करने की योजना की घोषणा करना किसान विरोधी है तो उनकी बुद्धि पर मुझे तरस आता है।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : यह कुल किसानों का कितना प्रतिशत है? आपने एक लाख सत्यासी हजार किसानों की बात कर ली, कितना प्रतिशत है यह?

श्री कालीचरण सराफ : आप सुनते जाओ। ऐसा है कि 345 करोड़ रुपये के दस हजार तक के कर्जे भी शेखावत सरकार ने ही माफ किये थे। इससे 18 लाख किसान परिवार लाभान्वित हुए थे। बारानी भूमि का लगान भी शेखावत सरकार ने माफ किया है, आपने नहीं किया था।

श्री राजेन्द्र पारीक : ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है यह।

श्री कालीचरण सराफ : उससे भी किसान ही लाभान्वित हुए थे। सभापति महोदया, छोटे व सीमान्त किसानों का कुओं द्वारा सिंचित क्षेत्र का भी लगान माफ किया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि इससे किसान लाभान्वित होंगे या और कोई लाभान्वित होंगे। इस बजट में केवल किसानों का ही ध्यान नहीं रखा गया, किसान लाभान्वित हो, किसान को राहत मिले, इस बात का निश्चित रूप से इस बजट में प्राथमिकता के आधार पर ध्यान रखा गया है परन्तु इस बजट में राज्य में औद्योगीकरण किस प्रकार से हो, औद्योगिक दृष्टि से जो प्रदेश पिछड़ा हुआ है उसका विकास किस प्रकार से हो, उसके बारे में भी प्रावधान रखा गया है। बजट में स्थानीय और प्रवासी उद्योगपतियों को आकर्षित करने की कई योजनाएं क्रियान्वित करने का जिक्र किया गया है। दो हजार करोड़ रुपये का विनियोजन उद्योगों में हो सके, इस बात के लिए व्यवस्था की गयी है। दो हजार करोड़ रुपये का विनियोजन यदि उद्योगों में होगा तो निश्चित रूप से प्रदेश का औद्योगीकरण होगा, नये उद्योगों

(श्री कालीचरण सराफ)

की स्थापना होगी, उद्योगों में उत्पादन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी की समस्या का निराकरण होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं जयपुर से विधायक चुनकर आया हूं, कई सालों से भूमि नियमन की कार्यवाही रुकी पड़ी थी। कांग्रेसी सरकार ने बड़े-बड़े विज्ञापन देकर यह घोषणा की थी कि रूपान्तरण शुल्क जमा कराओ, हम भूमि का नियमन कर देंगे। 28 करोड़ रुपये जयपुर की जनता ने नियमन के, स्थानान्तरण शुल्क के जमा करवा दिये थे परन्तु 15-20 सालों से उनका नियमन नहीं किया गया। उनके साथ ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को, हमने चुनाव में वादा किया था जयपुर की जनता से, प्रदेश की शहरी जनता से कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गयी तो नियमों में संशोधन करके भूमि का नियमन कर दिया जाएगा और मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में घोषणा की कि नियमन के आदेश दे दिये गये हैं और जल्दी ही दो लाख परिवार तो केवल जयपुर शहर में लाभान्वित होंगे। पूरे प्रदेश में क्या पता, कितने लाख परिवारों को इससे फायदा होगा उनको आवास की सुविधा मिलेगी और उनके मकानों का नियमन होगा।

माननीय सभापति महोदया, मैं बधाई इस बात की भी देना चाहता हूं कि मालवीय नगर और दुर्गापुरा रेलवे क्रासिंग पर जिस प्रकार यातायात की अव्यवस्था रहती है, रेलवे के कारण काफी समय तक वहां क्रासिंग बंद रहता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है, बजट प्रस्ताव में यह भी घोषणा की गयी है कि वहां पर भूमिगत मार्ग बनाये जाएंगे। इससे निश्चित रूप से जयपुर शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। जयपुर शहर की सड़क, बिजली और सीवरेज के लिए आठ करोड़ रुपये का प्रावधान पहली बार बजट में किया गया है, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदया, लाटरी का व्यवसाय राजस्थान की सरकार मजबूरी में कर रही है, क्योंकि उसे रेवेन्यू प्राप्त होती है। परन्तु यह कोई अच्छा व्यवसाय नहीं है। मैं मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने उस बुराई को समझा और दो रुपये की जो लाटरी थी, जिससे गरीबों का शोषण होता था, उसको बन्द करने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है। यह निश्चित रूप से लाटरी व्यवसाय को बन्द करने की ओर एक उचित कदम है और धीरे-धीरे लाटरी व्यवसाय इससे राजस्थान में बन्द होगा और इससे लोगों का जिस प्रकार से शोषण हो रहा है उसमें निश्चित रूप से रुकावट आएगी।

माननीय सभापति महोदया, कई चीजों पर करों में छूट दी गयी है, कई चीजों को करों से बिलकुल मुक्त कर दिया गया है। माननीय धनखड़ साहब बोल रहे थे कि बजट किसान विरोधी है, अब ज्वार पर टैक्स खतम कर दिया गया, जौ पर टैक्स खत्म किया गया, बाजरे पर टैक्स खत्म किया गया, इससे किसको फायदा होगा? चने पर चार प्रतिशत टैक्स था वह ढाई प्रतिशत कर दिया, इससे किसको फायदा होगा? मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी के इस

(श्री कालीचरण सराफ)

सिद्धान्त से सहमति व्यक्त करता हूं कि जितने ज्यादा कम होंगे उतनी राजस्व की वसूली ज्यादा होगी और इन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि पहले 1072 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति करों के माध्यम से होती थी और इस वर्ष यह 1976 करोड़ रुपये होगी। 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है करों में। चार साल में एक नये पैसे का टैक्स नहीं लगाया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, और कमी की, उसके बाद भी 84 प्रतिशत राजस्व वसूली में वृद्धि हुई है। तो यह इस बात की ताईद करता है कि जितने टैक्स कम होंगे, जितने कम पर्सेण्टेज में टैक्स होगा उतनी ज्यादा राजस्व की वसूली बढ़ेगी। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को।

श्री परसराम मदेरणा (नेता, प्रतिपक्ष) : ट्रेण्ड इन्क्रीज हरेक बजट के प्रोजेक्शन में दी जाती है, वह 15 प्रतिशत है। 1962 में यह टैक्स लगा था और 14 करोड़ की आमदनी थी, मैं जब डिप्टी मिनिस्टर था, उसके बाद में बढ़ा है। तो आप ट्रेण्ड देख लीजिये, 15 प्रतिशत का ट्रेण्ड इन्क्रीज हुआ है इसका।

श्री कालीचरण सराफ : नहीं-नहीं, 1072 करोड़ रुपये की राजस्व वसूली थी या नहीं, अब वह 1976 करोड रुपये हो गयी। इसमें 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

श्री परसराम मदेरणा : हां, इसका तो ट्रेण्ड इन्क्रीज ही हो गया। ट्रेण्ड इन्क्रीज एण्ड इन्फ्लेशन दोनों को पुट-टुगेदर करके देखिये आप। रुपये की वेल्यू क्या रही है ?

श्री कालीचरण सराफ : माननीय सभापति महोदया, मदेरणा साहब बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनसे उलझना नहीं चाहता और न मुझ में इतना ज्ञान है, पर मैं जो बात कह रहा हूं उसको जरा ध्यान से सुनिये।

माननीय सभापति महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ज्वार पर टैक्स कम कर दिया, टैक्स खतम कर दिया, मक्का पर कर दिया पर गेहूं को छोड़ दिया। अब गेहूं पर 4 प्रतिशत टैक्स लगता है और 4 प्रतिशत इससे जो मैदा और आटा बनता है उस पर लगता है और 1.6 प्रतिशत यह मण्डी टैक्स लगता है, यानि रोलर फ्लोर मिल में मैदा या आटा बनकर जब तैयार माल आता है तो उस पर 9.6 प्रतिशत टैक्स बढ़ जाता है यानि कीमत बढ़ जाती है। दिल्ली में बिल्कुल टैक्स नहीं है, पंजाब में टैक्स नहीं है, गुजरात में टैक्स नहीं है। तो यहां जितना भी गेहूं पैदा होता है उसका अधिकांश भाग क्योंकि वहां टैक्स नहीं है, वहां की मिलों में सस्ता मैदा बन सकता है इसलिए वहां चला जाता है। आज हमारे यहां 14 रोलर फ्लोर मिले हैं पर वह केवल 40 प्रतिशत उत्पादन कर सकती हैं, केवल 40 प्रतिशत उत्पादन वहां जितनी कैपेसिटी है उसका होता है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से मोटे अनाज पर इन्होंने टैक्स में छूट दी है, यदि गेहूं पर भी उनकी कृपा हो जाए तो यहां जो रोलर फ्लोर मिले खस्ता हालत में चल रही हैं उनमें उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और

(श्री कालीचरण सराफ)

रोजगार बढ़ेगा तो निश्चित रूप से प्रदेश में बहबूदी आएगी।

माननीय सभापति महोदया, एक घोषणा इन्होंने और की है, 100 रुपये तक के रेडीमेड के कपड़ों पर करों से छूट दी गयी है। रेडीमेड कपड़ों पर तो छूट दे दी पर होजरी पर नहीं दी। होजरी भी रेडीमेड कपड़ों के समान ही हैं। एक्रेलिक से जो कपड़ा बनता है 100 रुपये तक का ऊनी कपड़ा जो बनता है 100 रुपये तक का, माननीय सभापति महोदया, मैं यह मांग भी करना चाहूंगा और यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से रेडीमेड कपड़ों पर उन्होंने छूट दी है उसी प्रकार से होजरी से बने हुए कपड़ों, ऊनी कपड़ों और नायलान के कपड़ों पर भी निश्चित रूप से छूट दी जानी चाहिए।

माननीय सभापति महोदया, कार, जीप, भारी वाहन पर टैक्स चार प्रतिशत कर दिया गया है, दुपहिया वाहनों पर टैक्स 6 प्रतिशत कर दिया गया है और यह कहा गया है कि यह इसलिए किया गया है कि पड़ोसी राज्यों में टैक्स कम था, लोगबाग बाहर से वाहन खरीद कर लाते थे और यहां रेवेन्यू प्राप्त नहीं होती थी। यह बात बिलकुल सही है कि स्कूटर पर टैक्स कम किया बहुत अच्छा किया, कार पर किया बहुत अच्छा किया, जीप पर किया बहुत अच्छा किया परन्तु साइकिल छोड़ दी। साइकिल गरीबों की सवारी है, पैट्रोल भी नहीं लगता इसमें। जो साइकिल के पुर्जे हैं उन पर 10-12 प्रतिशत टैक्स है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह कहना चाहूंगा, जब वह बजट पर बहस का जवाब दें उस समय साइकिल पर भी टैक्स में राहत दिये जाने की घोषणा निश्चित रूप से करें।

माननीय सभापति महोदया, मैं बधाई देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने व्यापारियों के लिए ग्रीन चैनल ऑफ कम्पाउण्ड लेबी योजना लागू की है। पर अभी केवल यह ईंट उद्योग में लागू की गयी है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि सभी प्रकार की चीजों पर, सभी प्रकार के उद्योगों पर यह योजना लागू कर दें तो जो 340 करोड़ रुपये का आपका अपूरित घाटा है वह केवल इसी से पूरा हो जाएग। इसलिए यह जो योजना लागू की है, अन्य उद्योगों पर भी लागू हो, यह मैं कहना चाहूंगा।

मैं ज्यादा लम्बा भाषण नहीं देना चाहता, केवल अन्त में यही कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह अभूतपूर्व है, ऐतिहासिक है, शिक्षा के प्रति समर्पित है, ग्रामीण विकास को नयी दिशा देने वाला बजट है, औद्योगीकीकरण में सहायता देने वाला बजट है, गरीबों को राहत देने वाला बजट है, रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिले, इस बात की व्यवस्था करने वाला बजट है, इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी, को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री परसराम मदेरणा : साइकिल पर चलने वालों को राहत नहीं देने वाला बजट है।

श्री सभापति : श्री रतनलालजी ताम्बी।

श्री रतनलाल ताम्बी (जहाजपुर) : माननीय सभापति महोदया, राजस्थान का बजट जो प्रस्तुत हुआ है उस पर हम विचार-विमर्श कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश का बजट सरकार की इच्छा शक्ति, उसके क्रिया-कलाप और उसकी रीति-नीति को प्रकट करता है। उस प्रदेश में किस प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम होंगे, इसको भी इंगित करता है। इस सारे बजट पर हम एक विहंगम दृष्टि डालें, तो आशा-निराशा के बीच झूलता हुआ यह बजट है। केन्द्रीय सहायताओं के आधार पर और कई योजनाओं के आधार पर यह बजट बना है। इसमें जिस प्रकार की दिशा और दृष्टि होनी चाहिए, वह समाविष्ट नहीं है, फिर भी मैं यह मानता हूं कि पिछले बजट के मुकाबले आपने कुछ इसमें सोच-चिन्तन किया। एक सक्षम और सूझ-बूझ वाले मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपने कुछ अधिकारियों से काफी विचार-विमर्श करके इस बार जो बजट तैयार किया है उसमें ऐसा एहसास जरूर दिया कि पिछले वर्षों में आपने बजट बनाने में कई विसंगतियां रखीं। कई छोटे-मोटे लोगों को इस परिधि में लिया। उनको आपने कर से मुक्त जरूर किया है और 15 पृष्ठ से अधिक आपने इसमें विवेचना करने के बाद 15 करोड़ की यहां छूट दी है उसका तो मैं स्वागत करता हूं, पर साथ में आपने 10 करोड़ रुपया बिजली उपभोक्ताओं पर लगा कर उसका समावेश किया है, मैं समझता हूं कि वह उचित नहीं था आज के हालातों में।

जहां सिगरेट पर आपने पांच करोड़ रुपया लगाया है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं। इस तरह के टैक्स आप बढ़ायें और बढ़ाने के साथ छोटे लोगों पर अभी भी कई तरह के टैक्सेज हैं उस बारे में आपको फिर से चिन्तन करने की आवश्यकता है।

आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में चुंगी समाप्ति की ओर बिक्री कर समाप्ति की घोषणा भी की थी। इस मामले में आपने चिन्तन नहीं किया या घोषणा से मुकर गये, यह मैं नहीं कह सकता, दोनों मामलों में ध्यान देने की जहां बहुत आवश्यकता थी उस पर आपने ध्यान नहीं दिया।

मैं इस मौके पर आपने ज्वार, बाजरा इत्यादि पर जो छूट दी है, उसका स्वागत करता हूं, इसके साथ ही सुझाव भी देना चाहता हूं। आज भी पंजाब में चाय पर शायद एक या दो प्रतिशत बिक्री कर है, राजस्थान में 8-10 प्रतिशत के आस-पास है। काली मिर्च, लौंग ऐसे छोटे-छोटे आइटम हैं जिन पर आपने 10-10 प्रतिशत बिक्री कर लगा रखा है। मेरा सुझाव है कि इसका यदि आप परीक्षण करेंगे तो आपकी आय अधिक बढ़ सकती है। लोगों पर जो टैक्स की मार अनावश्यक पड़ती है, हिसाब-किताब में गड़बड़ होने और चोरी होने की जो गुंजाइश बढ़ी हुई है उस दृष्टि से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में 14 के आपने 10 स्लेब किये वह ठीक किया पर मैं इसके साथ एक सुझाव देना चाहता हूं कि बिक्री कर आप दो प्रतिशत के आस-पास सभी जगह एक तरह का कर दें तो निश्चित रूप से आपकी आय बढ़ेगी और बहुत बड़ी जो करवंचना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

हो रही है वह राजस्थान में समाप्त हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है।

मैं इस मौके पर कुछ बातें निवेदन करना चाहूंगा जिन पर आपको गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। सत्य और चौंकाने वाले तथ्यों को भी आपको मानना चाहिए। मोटे तौर से हर बजट में प्रति व्यक्ति आय में जहां बढ़ोतरी होनी चाहिए वहां राजस्थान में 8.91 प्रतिशत आय कम होना और गत वर्ष के मुकाबले 6.33 प्रतिशत कम होना चिन्ता का विषय है। प्रति व्यक्ति 3139 रुपया कर्जा है सकल उत्पादन का प्रदेश पर और 59 प्रतिशत ऋण चार वर्ष में बढ़ना, 86 प्रतिशत कर्जा बढ़ना ऐसे कुछ मामले हैं जो, मैं समझता हूं, इस बजट में गम्भीर चिन्तन के विषय हैं। राजस्थान में यदि यही स्थिति चलती रही तो आखिर राजस्थान डूबेगा। इस तरह के कर्जे की स्थिति चलेगी, प्रति व्यक्ति आय घट रही है, राजस्थान की आय इसमें घटी है यह भी एक गम्भीर चिन्ता का विषय है। अविकास का व्यय, खर्चा जहां 19 लाख 9 हजार 334.89 है यह आगामी वर्ष में बढ़ कर 22 लाख 60 हजार 316.73 होगा, यह भी हमारे लिए एक चिन्ता का विषय है। मैं समझता हूं इन सब मामलों पर जब हम गम्भीरता से चिन्तन करते हैं तो राजस्थान का आर्थिक दृष्टि से जिस तरह का बजट बनना चाहिए उसमें भी कई 'विसंगतियां हैं। उसको इस बजट में पूरे तौर से देखा नहीं गया और देखने की बड़ी आवश्यकता है।

आपने प्रगति और विकास की बात कही। आप आंकड़ों से सन्तुष्ट हो जाएं पर राजस्थान का जन-मानस इस बात से सन्तुष्ट नहीं हो सकता। 1993-94 में जहां सिंचाई पर आपने 76 हजार 603.53 लाख की व्यवस्था की थी वहां 1994-95 में 60 हजार 574.88 का आपने प्रावधान किया मैं समझता हूं, सिंचाई जैसी योजना किसान के जीवन और मरण का प्रश्न है। अभी अलवर से आने वाले माननीय सदस्य बहुत जोर-शोर से कह रहे थे कि भारत सरकार ने किसानों के लिए कुछ नहीं सोचा। भारत सरकार ने किसानों के लिए क्या सोचा, क्या नहीं सोचा मगर आप तो सोचें और सोचने के साथ एक निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके बजट भाषण में पृष्ठ 15 पर पैरा 53 में कृषि के बारे में दिया गया है कि भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं पर एक करोड़ 57 लाख रुपये का प्रावधान रखा था, इस 1993-94 में, अगले वर्ष के लिए 42 करोड़ 44 लाख रुपये का प्रावधान रखा है। इसमें 25 करोड़ की सब्सिडी का भी प्रावधान है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भारत सरकार ने राजस्थान को कृषि विकास के लिए केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं में पहले की अपेक्षा इतनी बड़ी राशि, एक करोड़ 57 लाख की जगह 42 करोड़ 44 लाख का प्रावधान करना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है।

पशुपालन में जहां 1993-94 में 5703.49 था वहां इस बार 5696.82 का रखना, मैं समझता हूं, किसान और पशुपालकों के लिए एक अच्छा कदम नहीं माना जा सकता है। जहां पशु की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां बीमारी की

(श्री रतनलाल ताम्बी)

रोकथाम की व्यवस्था नहीं हो, इस साल आपने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन की दृष्टि से औषधालय और चिकित्सालय का कोई प्रावधान नहीं रखा, मैं समझता हूं आपका यह निर्णय भी कोई अच्छी बात नहीं है।

इसके साथ-साथ, खाद्य उत्पादन की दृष्टि से भी निवेदन करना चाहूंगा। जहां 113.97 लाख टन का 1993-94 में उत्पादन था वहां पर अगले वर्ष का आपका एस्टीमेट 83.13 लाख टन होना अपने आप में काफी गम्भीर विषय है। तिलहन के उत्पादन में 587.33 टन जहां पर पिछले वर्ष था, वहां 1994-95 में 526 टन का उत्पादन होना, यह कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर आज गम्भीरता से देखने की आवश्यकता है। यही स्थिति आपके गन्ने के उत्पादन की है। यही स्थिति आपके सीमेण्ट उत्पादन की है, सीमेण्ट के उत्पादन में भी गिरावट हो रही है। आखिर राजस्थान में प्रगति और विकास का हम दावा करना चाहते हैं, वहां पर यदि कृषि उत्पादन और खाद्यान्न और तिलहन का उत्पादन कम होगा, गन्ने का उत्पादन कम होगा तो, मैं समझता हूं, यह बात उचित नहीं होगी।

आज भी बिक्री कर के बारे में कई विसंगतियां हैं। मैं समझता हूं, चीनी पर आपका कोई बिक्री कर नहीं है।

श्री सभापति : वह तो केन्द्रीय सरकार ही बढ़ा रही है।

श्री रतनलाल ताम्बी : तो आप राजस्थान में भी इसको सोचें। खनिज दोहन के मामले में राजस्थान में विपुल सम्पदा है उसके बावजूद भी आपने कोई स्पष्ट नीति निर्धारित नहीं की। खनिज से राजस्थान की काफी सम्पदा बढ़ सकती है उस दृष्टि से भी आपको ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।

ग्रामीण विकास के लिए आपने काफी सोचा है। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। 64 प्रतिशत आपने रखा है। इसके साथ ही योजना और कार्यक्रम जो आपके हैं वह सब दिशाहीन हैं। उन कार्यक्रमों को सुनियोजित करने की आवश्यकता है।

श्री सभापति : आप तो बहुत राजी हो रहे थे बजट सुनकर।

श्री रतनलाल ताम्बी : आप सुनिये, तकलीफ क्या है।

उन कार्यक्रमों को आप इस ढंग से नियोजित कीजिये कि उसमें रोजगार मूलक कार्यक्रम हों। लोगों को रोजगार सुलभ हो और इसका सही तरह से उपयोग हो, तो राजस्थान के हित में यह बहुत बड़ा कदम होगा।

मैं इसके साथ पेयजल के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 1993-94 में 9261.88 लाख का प्रोविजन था वहां पर 1994-95 में, जब समस्या गम्भीर है, 8744.88 का प्रावधान रख कर के राजस्थान की जल समस्या के प्रति आप कितने गम्भीर हैं, यह चिन्तन आप प्रकट कर रहे हैं। मैं समझता हूं इसमें भी पर्याप्त प्रावधान रखने की आवश्यकता है। फ्लोराइड से राजस्थान में काफी बड़ी

(श्री रतनलाल ताम्बी)

तादाद में जनता प्रभावित है और आधा से अधिक राजस्थान फ्लोराइड से प्रभावित है वहां इस तरह की व्यवस्था न हो, यह एक दुर्भाग्य का विषय होगा। मैं समझता हूं कि इस दिशा में आपका ध्यान जाएगा।

आदिम जनजाति के क्षेत्रों में आपकी योजनाओं और केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं के बीच में कई प्रकार की विसंगतियां हैं। माडा योजना में और टाडा योजना में भी बड़ा अन्तर है। पचास प्रतिशत से अधिक जो माडा क्षेत्र के निवासी हैं उनके अलग कार्यक्रम हैं, अलग नीति है। अगर उनके लिये अलग नीति है तो मैं समझता हूं इन कार्यक्रमों के माध्यम से आप इनको ठीक ढंग से दिशा निर्देश दें और योजनाओं की विसंगतियां दूर करें ताकि आने वाले समय में काफी ज्यादा काम उन लोगों के हित में हो सके।

मैं इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमारे यहाँ चालीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घण्टी)

अभी बहुत टाइम बाकी है।

श्री सभापति : दस मिनट हो गये।

श्री रतनलाल ताम्बी : आधा घण्टा बोल सकता हूं इतनी गुंजाइश है, हमारी पार्टी में। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पक्ष और विपक्ष का तो हमेशा ध्यान रखते हो, मगर निष्पक्ष का ध्यान नहीं रखते हो। हम लोग निष्पक्ष हैं इसलिए हमारा ध्यान नहीं रखते हो।

मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि राजस्थान में जहां पर जनसंख्या की वृद्धि हुई है उसके बाद चालीस प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान हैं। न आप एडपोस्ट खोलना चाहते हैं, न सब-सेन्टर खोलना चाहते हैं और हमारे पीला दुपट्टा पहन कर आये हैं माननीय मंत्री महोदय, इनकी कृपा दृष्टि बहुत रही तो 1989–90 में हमारे जिले में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये, उन्होंने आठ महीने बाद नये तो नहीं खोले, उलटे उन सबको बन्द कर दिया और आदेश निरस्त कर दिये।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : फाइनेंशियल सेंक्शन ही नहीं थी।

श्री रतनलाल ताम्बी : मेरी अर्ज तो सुन लो। सभापति महोदया, 1989–90 में फाइनेंशियल सेंक्शन नहीं थी, वह चालू होने थे। 1990–91 में, 1991–92, 1992–93, 1993–94 और 1994–95 में, जो अब चालू होगा उन सबमें फाइनेंशियल सेंक्शन उनकी नहीं हो सकती।

श्री ललितकिशोर चतुर्वेदी : क्राइटेरिया से ज्यादा थे।

श्री रतनलाल ताम्बी : अब आप क्या कहने लग गये। कभी क्या कहते हैं, कभी क्या कहते हैं। माननीय मंत्री महोदय, अगर इन्हीं बातों पर राजस्थान का प्रशासन चलता है और योजनाओं का निश्चय किया जाता है तो क्राइटेरिया से अधिक स्कूल, औषधालय, डिस्पेंसरीज और सड़कें कोटा डिविजन में कैसे खुल जातीं, हाड़ौती में ? उसके आंकड़े भी मैं ला दूंगा कभी।

(श्री रतनलाल ताम्बी)

इसलिए यह आधार नहीं है। कभी तो आप क्राइटेरिया बता देते हैं, कभी वित्तीय प्रावधान नहीं होने की बात कर देते हैं। मैं सोचता हूं ऐसे मामलों में मानवीय दृष्टिकोण से सोचें। यह राजनीति से ऊपर निर्णय होना चाहिये और जहां-जहां असन्तुलन है वह दूर हो, तब जाकर राजस्थान की जनता को न्याय मिलेगा। इसलिये मेहरबानी करके आप कृपा करके इस मामले में थोड़ी सहृदयता रखिये और विशाल हृदय रख कर राजस्थान के बारे में सोचिये ताकि हालत ठीक बने।

अकाल की स्थिति के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 22,800 और कितने गांव आपने घोषित किये। राजस्थान के जो आपने आंकड़े बताये थे एक लाख तीन हजार के आसपास मजदूर आपने अभी तक स्वीकृत किये हैं और अन्य योजनाओं की भी आप बात कर रहे हैं। अनंग कुमार जैन साहब की योजना को भी उसमें जोड़ रहे हैं, और दूसरी योजना को भी जोड़ कर इतना रोजगार दे रहे हैं। भारत सरकार पैसा देती है, नियमित रूप से योजना चलती है उसको अकाल के साथ जोड़ कर राजस्थान की जनता के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं जितने मजदूर राजस्थान में लग रहे हैं इससे अधिक पहले भीलवाड़ा जिले में एक महीने में बराबर काम करते थे। 1 लाख 33 हजार मजदूर पूरे राजस्थान में आपने लगा रखे हैं जबकि भीलवाड़ा जिले में 1 लाख 60 हजार मजदूरों के आंकड़े आप पहले देख लें। मार्च के महीने में 50-60 हजार मजदूर लगते थे वहां आपने 25 हजार मजदूर लगा रखे हैं। मैं कहता हूं, भीलवाड़ा जिले की 13 लाख जनता इस अकाल से प्रभावित है वहां पर 30 हजार मजदूर करीब हैं उनमें से किसको काम मिले किसको नहीं मिले, प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग आते हैं अधिकारियों और जन-प्रतिनिधियों को इस मामले में तंग कर रहे हैं, इसलिए मैं आपकी मार्फत राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं पिछले आंकड़े देख लें और प्रभावित जनसंख्या के औसत से आप आंक लें। अभी आप कह रहे थे हमारे पास बहुत पैसा है, अकाल राहत के लिए खर्च करने को तैयार बैठे है, मजदूर आ नहीं रहे हैं। कहां नहीं आ रहे हैं? मैं चुनौतीपूर्वक कहना चाहता हूं, आप भीलवाड़ा जिले के आंकड़े देख लें, वहां पर मजदूर काफी आ रहे हैं मगर आप काम नहीं दे पा रहे हैं, मजदूर वापस लौट रहे है, मस्टररोल पर उनको रखने के लिये जगह नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसको गम्भीरता से लें। 12-13 लाख जनता जो वहां प्रभावित है उसको पूरे तौर से आप काम दें, इस तरह का मेरा आपसे आग्रह है।

मैं सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रीजी, आप बात तो बहुत बढ़ बढ़ कर कर रहे हो। प्रगति और विकास की बात करना चाहते हैं। कभी 1971 की जनसंख्या को ले आते हैं, कभी 1981 की ले आते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप 10-20 साल पीछे मत चलो, आगे चलना सीखो, 1991 की जनसंख्या को आधार बनाओ जिसके आपके सामने आंकड़े आ गये। इसके आधार पर आप सड़कों का निर्धारण कीजिये ताकि सड़कें बनें। अभी मंत्री महोदय

(श्री रतनलाल ताम्बी)

आप फिर मेरे से कहेंगे कि आप ऐसी बात कर रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि 7 हजार के करीब आप पंचायत जोड़ने का दावा करते हैं। मंत्री महोदय, मेरे क्षेत्र की 10 सड़कें मैं आपको दिखा सकता हूं, आपके रिकार्ड में पंचायतें दर्ज हैं परन्तु बरसात में पुलियाएं नहीं हैं, आप पहुंच ही नहीं सकते। वह डामर की नहीं हैं। फेयर वेदर रोड हैं, अकाल की टूटी फूटी सड़कें हैं। आप गिनती गिना दो, ऐसे नहीं मानी जा सकतीं। अगर यही प्रगति आपकी निर्धारित है तो बहुत गलत है। डामर की सड़क से जुड़ी हुई पंचायत को इस सीमा में मानी जाए अन्यथा आप उसको बिना जुड़ी मानें यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री परसराम मदेरणा : क्राइटेरिया बदलने की सोच रहे हैं क्या? क्राइटेरिया कोई वेद में लिखा हुआ है कि गीता में लिखा हुआ है, किसी उपनिषद में लिखा है। जुवां कुछ और कहती है नजर कुछ और कहती है, ऐसे इन्सान के किरदार से डर लगता है।

श्री रतन लाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, आपने यह प्रोग्राम दिया 1994–95 में 100 पंचायतों को जोड़ेंगे। अब आपको दो हजार पंचायतें जोड़नी हैं। फिर आप आगे कहते हैं कि सन् 2000 तक सबको जोड़ देंगे। तो आप 1900 पंचायतों को दो साल में और जोड़ देंगे? जादू का डंडा चलेगा या मुंगेरी लाल के सपने आपके? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप योजना वह बनाइये जो व्यावहारिक दृष्टि से ठीक हो और राजस्थान में 100 पंचायतों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है। आपको प्रतिवर्ष टर्न वाइज पांच सौ और छः सौ पंचायतें जोड़ने का कार्यक्रम बना कर चलना चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

मैं अब विद्युत उत्पादन के मामले में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान का विकास विद्युत के बिना हो नहीं सकता और बहुत बड़ा अवरोध विकास का विद्युत के कारण है। अब तक जो मैंने समझा और पढ़ा है उससे मुझे ऐसा लगता है कि नया आधारभूत ढांचा आपका खड़ा करने की मुझे कुछ मंशा नहीं लग रही है। जो योजनाएं पहले थीं उसके आधार पर बिजली का उत्पादन और बाहर के प्रदेश आपको बिजली दें इससे राजस्थान का आप प्रबन्ध चलाना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान में बिजली का जो लाइन लासेज है वह हर वर्ष बढ़ता जा रहा है। लगभग 25 प्रतिशत के आस पास लाइन लासेज को आप ठीक कर लें तो राजस्थान की बिजली की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है और इस दृष्टि से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कई ट्रान्सफार्मर ओवर लोडेड हैं वहां आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। जहां 33 के.वी. स्टेशन बनने हैं वहां आपका ध्यान नहीं है। लाइनें खींचते हैं वहां आपका ध्यान नहीं है। किसान परेशान हैं, बिजली की मोटरें जल रही है और लाखों रुपये प्रतिवर्ष किसान अपने भाग्य के भरोसे आपको गाली देकर बरदाश्त कर रहा है। इस मामले में आप ध्यान देंगे, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं एक बात के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं धन्यवाद इसलिए देना

(श्री रतनलाल ताम्बी)

चाहता हूं कि पिछली सरकार और आपकी सरकार ने विकलांगों के बारे में हमेशा कुछ न कुछ रोड़ेबाजी पैदा की है। वहां की जो संस्थाएं थीं, विद्यालय थे उनको अनुदान नहीं दिया जाता था और कई वर्षों तक उनके साथ अन्याय किया जाता था। इस बार आपने यह अच्छा प्रावधान किया। विकलांग शिक्षा पर प्रथम वर्ष में ही एक करोड़ रुपया बिना अनुदान सूची में आये हुए उपलब्ध करा देंगे, यह अच्छा निर्णय किया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। मैं इसके साथ यह भी सुझाव देना चाहता हूं कि विकलांग शिक्षा के मामले में जो संस्थाएं काम करती हैं, वह मानव कल्याण का काम जो सरकार नहीं कर सकती, यह काम वह लोग करते हैं, उनके मामले में आपका ध्यान गया, पाठ्यक्रम उनका निर्धारित नहीं है, आपका शैक्षणिक अनुदान का जो विधेयक है उस परिधि में आपने लाकर उनके सामने कई संकट पैदा कर दिये हैं, मेरा निवेदन यह है कि शिक्षा विधेयक में वह संस्थाएं नहीं आती हैं आप अगर गम्भीरता से पढ़ेंगे, उसमें नहीं आती हैं इसके लिये अलग से विधेयक, अलग से नियम, अलग से प्रक्रिया आदि की व्यवस्था आप करेंगे तो निश्चित रूप से विकलांगों के प्रति एक अच्छी सेवा होगी, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं इस मौके पर आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में शिक्षा की बात आप बहुत बढ़-चढ़ करके कर रहे हैं। मुझे इसमें कोई तकलीफ नहीं। शिक्षा के प्रसार के बारे में आपने इसमें काफी अच्छे प्रावधान रखे हैं इसके लिये तो मैं धन्यवाद देता हूं अगर राजस्थान में जो शिक्षा का प्रतिशत, साक्षरता की स्थिति है उसके आधार पर 1989-90 में सरकार ने जो स्कूल खोले, यहां पर शिक्षा केन्द्र इतने खोले उनके मुकाबले आपने 2300 के आस पास प्राइमरी स्कूल खोले हैं, उसके बाद कितने रेवेन्यू विलेज बन गये, कितनी जनसंख्या बढ़ गयी, तो इसलिए मैं समझता हूं, आप इस बात का निर्णय करें कि राजस्थान में एक भी राजस्व गांव ऐसा नहीं होगा जहां कम से कम प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध नहीं होगी। इसमें क्यों नहीं सीमा बांधते आप ? क्यों इसमें कम जनसंख्या के आधार पर राजस्थान की जनता को शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं ? एक तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं। दूसरा मैं इस बात का भी स्वागत करना चाहता हूं कि आपने इस बात की गारंटी दी है कि राजस्थान में कोई पंचायत हैड क्वाटर बिना मिडिल स्कूल के नहीं रहेगा। आपने यह काम बहुत अच्छा किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, साथ में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक हजार की जनसंख्या के आधार पर जितने भी गांव हैं उनमें आप उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलें। शिक्षा को जब आप इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं तो उस दृष्टि से वह आधार आप बनायें। प्रत्येक पंचायत समित हैड क्वार्टर पर कोई भी ऐसा हैड क्वार्टर नहीं रहना चाहिए जहां कन्याओं के लिए सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल ना हो। यह व्यवस्था आप निश्चित रूप से करेंगे, यह मैं मान कर चलता हूं। अभी आपने जो सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान रखा, मैं समझता हूं ऊंट के मुंह में जीरा है। एक-एक कांस्टीट्यूएंसी में पांच-पांच, सात-सात सैकण्डरी स्कूल की जहां मांग होती है वहां राजस्थान की दो सौ कांस्टीट्यूएंसी में दो सौ सैकण्डरी स्कूल

(श्री रतनलाल ताम्बी)

भी नहीं खोलेंगे तो क्या शिक्षा का प्रसार हो पायेगा जबकि इसमें काफी बड़ी आवश्यकता है। इस आधार पर मेरा आपसे निवेदन है कि कुछ मामलों में आप पुनर्विचार करें, निश्चित रूप से राजस्थान के विकास की दिशा में यदि आपकी निष्ठा और मंशा है तो उसमें बहुत बड़ी बातें होगी।

मैं इस मौके पर अपनी चन्द बातें कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आपने पंचायती राज के बार में भी इसमें खास जिक्र नहीं किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, पंचायती राज बिल आने वाला है, और लोग भी बोलना चाहते हैं।

श्री रतनलाल ताम्बी : वह अलग मामला है, बिल में तो कानूनी बातें आ जाएंगी।

श्री परसराम मदेरणा : उसमें क्या डिवोल्यूशन आफ रिसोर्सेज करेगा इसका रिफलेक्शन बजट में होना चाहिए था।

श्री रतनलाल ताम्बी : मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, आपने पिछली बार पंचायतों का जो पुनर्गठन किया उसमें आपने आधार जो दिये, जो मापदण्ड आपने दिये उसके आधार पर राजस्थान में पंचायतें गठित नहीं हुई हैं। आप इस बात का विश्लेषण और समीक्षा करवा लें। राजस्थान में केवल आपकी 2 हजार कुछ पंचायतें बढ़ी हैं पुनर्गठन में। उनमें से ऐसे जिले हैं, भीलवाड़ा जिला जैसा बड़ा जिला जो राजस्थान में 14-15 लाख की जनसंख्या का जिला है वहां पर 37 पंचायतें बढ़ी हैं। भीलवाड़ा से छोटे जिले जहां की जनसंख्या 7-8 लाख है वहां डेढ़ सौ, दो सौ पंचायतें बढ़ी हैं। तो आपका जनसंख्या का मापदण्ड नहीं रहा। आपने 1981 की जनसंख्या को आधार बनाया उसके बाद कई गांव बन गये और वह गांव अमुक पंचायत के पास है उसमें नहीं मिला करके वर्तमान पंचायत से दूर रह गया। आपने पंचायतों का पुनर्गठन केवल अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया। जिन लोगों ने एतराज किये, जिन्होंने जगह जगह इसके लिए आवेदन पत्र, ज्ञापन दिये उस आधार को नहीं देखा गया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो स्वर्गीय राजीव गांधी की अच्छी कल्पना थी जिसके आधार पर ग्राम स्वराज्य हो जाए, गांव के लोगों को शासन सौंप दिया जाए उस योजना को साकार करने के लिए आप पंचायतों का पुनर्गठन सही दिशा में जनसंख्या के आधार पर करके उस गांव को निकट से निकट जहां जनता चाहती है, वहां मिलायें। जोर जबरन से किसी गांव को कहां मिला दिया। दूसरी पंचायतों के गांव बीच में गये और उस गांव को छोड़ करके तीसरी पंचायत में जाना पड़े, यह सही नहीं है। जहां पर प्राइमरी स्कूल हैडक्वार्टर पर हैं वहां बड़े-बड़े गांवों को जाकर मिला दिया, जहां पोलिंग स्टेशन तक नहीं हैं वहां पंचायतें स्थापित करके बीच के गांव को छोड़कर दूर के गांव को लाकर उसमें मिला दिया, इतना बड़ा अन्याय हुआ। आज राजस्थान के उच्च न्यायालय में बड़ी तादाद में इसकी रिट करनी पड़ी लोगों को और मुकदमेबाजी हो रही है इसलिए मैं समझता हूं कि आपने भी इसमें ध्यान नहीं दिया। आपने अधिकारियों के भरोसे छोड़ दिया। जहां जिस तरह भी अधिकारी चाहते थे

(श्री रतनलाल ताम्बी)

उस आधार पर पंचायती राज गठित हो गया। मैं समझता हूं, इस बारे में आप फिर देखेंगे और पंचायतों का सही पुनर्गठन होगा। यह बार-बार नहीं होता। 1951 की जनसंख्या पर पहले पंचायतें गठित हैं और अब 1991 की जनसंख्या आपके समक्ष आ चुकी है उसके बाद सैंकड़ों नये गांव बन चुके हैं, इन सब हालातों को देख कर इनकी समीक्षा हो, रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य प्रत्येक जिले में नियुक्त किया जाए और वहीं के जन प्रतिनिधियों के आधार पर सारी समीक्षा वापस करके सही ढंग से पुनर्गठन हो। चुनाव तो अक्टूबर–नवम्बर से पहले होने नहीं, यह साफ बात है।

श्री सभापति : आप नहीं चाहते क्या ?

श्री रतनलाल ताम्बी : इसके आधार पर पहले समय आपके पास है आप इसके बारे में देखेंगे।

(समय-समाप्ति–सूचक घण्टी)

इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूं जो आपने अच्छी बातें कहीं मैंने उनका स्वागत किया, मैंने कुछ सुझाव भी दिये और कुछ बातें जो मुझे अच्छी नहीं लगीं, जो आपके बजट में बहुत बड़ी विसंगतियां और कमियां हैं। राजस्थान की जनता की भावनाओं के खिलाफ जो बातें हैं उन सबकी समीक्षा आप करेंगे और माननीय मुख्य मंत्रीजी जब उत्तर दें इन सब बातों को नजरन्दाज नहीं करेंगे। इसी आधार पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

जय हिन्द।

श्री सभापति : श्री राधेश्याम !

श्री राधेश्याम (गंगानगर) : सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट हाउस में रखा है मेरे ख्याल से सिवाय एक असत्य के पुलिन्दे के अलावा कुछ नहीं है। असत्य आंकड़े, असत्य बातें, फलां स्कीम में सैन्ट्रल गवर्नमेंट से इतने करोड़ रुपये आ रहे हैं, फलां में इतने आ रहे हैं, हर जगह इस बात का जिक्र किया गया है। कोई भी ऐसी योजना हमारे पास नहीं है जिसमें हमारी सरकार क्या कर रही है, यह दर्शाया गया हो।

आप शिक्षा की बात करते हैं, बड़ी लम्बी-चौड़ी डींग हांकते हैं। छह हजार स्कूल बन्द करके केवल 2300 या 2500 स्कूल खोल देना, यह कोई राजस्थान में नया इतिहास आपने नहीं बनाया। आपने महिला शिक्षा की बात की। केवल 11 प्रतिशत साक्षर हैं। जब आपको यह मालूम है कि इतनी महिला शिक्षा में कमी है तो आप सैकण्डरी तक फ्री शिक्षा कीजिये और उसमें पाठ्य–पुस्तकें भी फ्री दीजिये, गरीब और हरिजनों को भी फ्री दीजिये। इस तरह से सैकेण्डरी तक शिक्षा फ्री होनी चाहिए।

आप बिजली की बात करते हैं, बिजली आपके पास है नहीं। अभी मेरे से पूर्व कालीचरणजी फरमा रहे थे कि हमारे वहां बहुत उद्योग लग जाएंगे, दो हजार करोड़ रुपये का पूंजी निवेश होगा। लेकिन वह कैसे होगा ? बिजली आपके पास 12 घण्टे तक है नहीं, कहां से करोगे ? और कह रहे थे कि जो भी मुख्य मंत्री पहले कांग्रेस के बने उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वह सेन्टर गवर्नमेंट से डरते थे, जब जाते थे तो

(श्री राधेश्याम)

वह लताड़ देते थे। बड़ी अजीब बात है। यह राजस्थान कैनाल और यह इतनी बिजली जो आज आपके पास है, आपने तो एक यूनिट भी पैदा नहीं किया, यह उन मुख्य मंत्रियों की ओर उस भारत सरकार की कृपा पर बैठे हो आप। आज जो कुछ भी यहां हुआ है वह केवल भारत सरकार की कृपा से हुआ है। और कांग्रेस की कृपा से हुआ है। यह बात कह देना, लच्छेदार भाषण दे दिया और कुछ थोड़ी-सी दस करोड़, बारह करोड़ की छूट देकर उससे ज्यादा या उसके बराबर टैक्स लगा कर आप वाहवाही लूटना चाहते हैं। आपको बहुत अच्छे सुझाव दिये थे चन्दनमलजी ने। अगर वास्तव में आप कांग्रेस के कहने से चलें, क्योंकि अभी आप नये हैं चाहे तीन बार बन गये फिर भी आपने इतना प्रयास नहीं किया है, आप उस तरह के कार्य नहीं कर सकते, देश के प्रति किस तरह जागरुक होना चाहिए। आप सिर्फ राम मन्दिर की बात जरूर कर सकते हो लेकिन देश की जनता और गरीब जनता की बात आपके पास नहीं है।

आप विद्युतीकरण की बात और इण्डस्ट्री की बात करते हैं। कैसे करोगे आप इण्डस्ट्री का विकास जब आपके पास बिजली नहीं है। एक यूनिट तो आपने बिजली पैदा नहीं की और आप इण्डस्ट्री के विकास की बहुत बड़ी डींग हांक रहे हैं यहां और बात कर रहे हैं सिंचाई की। सिंचाई के लिए पानी का कहीं भी इसमें जिक्र है क्या कि पानी कहां से आएगा? राजस्थान कैनाल आपकी 18,500 क्यूसेक पानी की है, कहां से पानी लाओगे? इस तरह की जो बात आपने हाउस में कही कि सैण्ट्रल गवर्नमेंट से बात करेंगे, पंजाब गवर्नमेंट से बात करेंगे या और जहां पानी के स्रोत हैं उनसे हम बात करेंगे और किसानों को पानी दिलवायेंगे, आज एक-एक बूंद के लिए किसान तरस रहा है और आपने केवल आंकड़े दे दिये। आपने गंग कैनाल की बात की। 110 करोड़ रुपये 1990 में आपने तय किये थे। मैन गंग कैनाल जगह-जगह से टूटी पड़ी है और उसका न जाने किस वक्त बिलकुल बंटाढार हो जाएगा। आपने इस बजट में जिक्र ही नहीं किया, गंग कैनाल के लिए 110 करोड़ जो थे वह कहां गये और कब लगायेंगे इसका कोई जिक्र इस बजट में नहीं है।

आप किसानों की बात करते हैं। डीजल पर चुंगी आपकी कम है। दूसरे राज्य पंजाब, हरियाणा और गुजरात हैं उनसे दो रुपये प्रति लीटर पर ज्यादा यहां हमें देना पड़ता है। अगर आप वह दो रुपये प्रति लीटर कम कर दें तो किसान को राहत मिलती तब तो आप कह सकते थे कि यह किसानों की सरकार है।

कृषि के मामले में बहुत सारा पैसा सैण्ट्रल गवर्नमेंट ने आपको दिया था। आप विकास की बात करते हैं, हमारे यहां गंगानगर में जो कृषि उपज मण्डी है उसमें दो साल से बनी हुई 50 दुकानें पड़ी हैं, लोग बार बार दुकानें मांग रहे हैं, करोड़ों रुपये का घाटा जा रहा है गवर्नमेंट को लेकिन दुकान का अलाटमेण्ट नहीं हो रहा। बड़ी अजीब-सी पॉलिसी है। जो माल खरीदने वाले, बीस-बीस करोड़ रुपये की सेल करने वाले हैं उनके नम्बर हैं 50 और जो दलाल हैं उनके नम्बर हैं 90 तो इसका मतलब

(श्री राधेश्याम)

है जो किसान का माल खरीदता है उसको तो कोई फायदा नहीं है, उसको तो सारी जिन्दगी दुकान मिल ही नहीं सकती। इसके अलावा पशुओं के लिए मण्डियों में ठहरने के लिए कोई जगह नहीं है कोई शेड नहीं हैं। किसानों के लिए रेस्ट हाउस बने हुए हैं लेकिन उसमें अधिकारी रहते हैं। किसान का कहीं जिक्र ही नहीं है। वह बेचारा मारा मारा सड़कों पर फिरता है और सोचता है कोई दरख्त हो तो उसके नीचे बैठ जाऊं। बात करते हैं किसान की, मक्का पर छोड़ दिया, ग्वार पर छोड़ दिया। भाई, वह टैक्स तो कौन देता था? वह टैक्स बिजनेसमैन देते थे, वह टैक्स खुद किसान को नहीं लगता था। छोड़ दिया, आपने अच्छा किया, चलो यह तो बढ़िया बात है लेकिन कुछ इस तरह की आप बात करते हैं जिससे यह पता लगता है।

अभी मुख्य मंत्री महोदय यहां नहीं हैं, गंगानगर से जब चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कहीं थीं। गंगानगर को मैं पैरिस बना दूंगा, सारी गंगानगर की सड़कें मास्टर प्लान के तहत पेवर सड़कें बन जाएंगी, वाटर वर्क्स की पाइप लाइन दोनों तरफ से चलेगी और आपका रेल्वे का फाटक 10 घण्टे तक बंद रहता है यह मेरे मुख्य मंत्री बनते ही फौरन भूमिगत बन जाएगा। वह जयपुर में तो घोषणा कर दी, आज गंगानगर की गलियों में आप, सभापति महोदया खुद जाकर मौका देखें तो आपको मालूम हो एक-एक फीट गंदा पानी सड़कों के ऊपर चल रहा है और उनकी कोई इस तरह की योजना इसके अन्दर नहीं दी गयी जबकि आपने यह वादा किया था कि मैं इसके लिए काफी सारा पैसा रखूंगा और आपकी यह समस्या दूर करेंगे। इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। कन्वर्शन के लिए बस्तियों में आप गये और लोगों ने आपको कहा कि यह जमीन हमारी है, हम बस गये गवर्नमेंट ने जब हमें जमीन नहीं दी, प्लाट्स नहीं दिये। बहुत गरीब, हरिजन और छोटे वर्ग के लोग जो सेतिया कॉलोनी, प्रेम नगर, भारत कॉलोनी, चावला कालोनी, नागपाल कॉलोनी और इस तरह की कई कालोनियों में हैं जिसके अन्दर किसी तरह की कोई व्यवस्था न पेयजल की है, न सड़क की है न नालियों की है। लाखों की तादाद में जनता उसमें रहती है, उनसे वादा किया गया था कि आप से दो रुपये गज जमा कर आपका फौरन कन्वर्शन कर दिया जाएगा, उसका बजट में कहीं जिक्र नहीं है। गंगानगर की जनता को 1990 में आपने यह कहा था कि हॉस्पिटल की बिल्डिंग अगर गंगानगर की जनता बना कर दे तो गंगानगर हास्पिटल की जितने भी एक्स-रे मशीनें या केयर यूनिट है उसका सारा का सारा काम हो जाएगा। कहने को ए-क्लास हॉस्पिटल है लेकिन वह बूचड़खाने से कम नहीं है। हॉस्पिटल के जिस भवन के लिए ढाई करोड़ रुपया गंगानगर की जनता ने इकट्ठा किया, अभी हमारे कृषि मंत्रीजी भी वहां मौजूद नहीं हैं, पधारे थे, उन्होंने कहा था-डेढ करोड़ रुपया तो हम आपको दिलवायेंगे इस बिल्डिंग के लिए और जनवरी के अन्दर चीफ मिनिस्टर को लाकर उसका उद्घाटन करायेंगे, उस हॉस्पिटल का कहीं इस बजट में जिक्र ही नहीं है। पोलीटैक्निक कॉलेज खोला है वह तो ठीक है लेकिन राजस्थान एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी की बात की थी कि गंगानगर में राजस्थान एग्रीकल्चर

(श्री राधेश्याम)

यूनीवर्सिटी होगी, वह कहां है ? आपने जिक्र किया था मेडिकल कॉलेज का।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक बार आप ठहर जाएं।

श्री घासीराम यादव : सभापति महोदया बोलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री सभापति : बोलने देंगे, एक सरकारी कार्य बीच में आ गया।

सरकारी मुख्य सचेतक श्री महावीर प्रसाद जैन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उप-स्थापन करेंगे। वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : माननीय सभापति महोदया, मैं कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं। प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :—

कार्य सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 9 मार्च, 1994 को मध्याह्न पश्चात् 2.30 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने अपने तृतीय प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए सदन में दिनांक 16 मार्च, 1994 से 31 मार्च, 1994 तक सदन में विचारार्थ लिए जाने वाले कार्य का नियतन निम्न प्रकार किया :—

श्री विष्णु मोदी (पुष्कर) : 14 मार्च या 15 मार्च....(व्यवधान)

श्री सभापति : 14 की छुट्टी है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : 15 से 31 ही तो। (व्यवधान)

श्री परसराम मदेरणा (नेता प्रतिपक्ष) : 14 मार्च लिखा हुआ है कि 15 मार्च लिखा हुआ है ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 16 बोला है मैंने। 16 मार्च, 1994 से 31 मार्च।

श्री विष्णु मोदी : 15 मार्च तक ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : 15 मार्च तक का प्रतिवेदन पहले प्रस्तुत कर दिया गया है। अब 16 मार्च से 31 मार्च तक का है। (व्यवधान)

बुधवार दिनांक 16 मार्च, 1994	आय-व्ययक (बजट) वर्ष 1994–95 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
गुरुवार, दिनांक 17 मार्च, 1994 शुक्रवार, दिनांक 18 मार्च, 1994 शनिवार, दिनांक 19 मार्च, 1994	आय-व्ययक वर्ष 1994–95 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण।

Page No.170

(श्री महावीर प्रसाद जैन)

रविवार, दिनांक 20 मार्च, 1994	बैठक नहीं होगी
सोमवार, दिनांक 21 मार्च, 1994 मंगलवार, दिनांक 22 मार्च, 1994 बुधवार, दिनांक 23 मार्च, 1994 गुरुवार, दिनांक 24 मार्च, 1994 शुक्रवार, दिनांक 25 मार्च, 1994	आय–व्ययक वर्ष 1994–95 की अनुदानों की मांगों पर विचार एवं उनका पारण ।

1– आय–व्ययक (बजट) वर्ष 1994–95 से सम्बन्धित अनुदान की शेष मांगें मुखबंद का प्रयोग किया जाकर दिनांक 25 मार्च, 1994 को सदन द्वारा पारित की जाएंगी ।

2– दिनांक 21 मार्च, 1994 को सदन में उपस्थापित की जाने वाली अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 1993–94 दिनांक 25 मार्च, 1994 को सदन द्वारा पारित की जाएंगी । विचारार्थ ली जाने वाली मांग से अतिरिक्त शेष मांगें इसी दिन मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित की जाएंगी ।

शनिवार, दिनांक 26 मार्च, 1994 रविवार, दिनांक 27 मार्च, 1994	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार, दिनांक 28 मार्च, 1994 मंगलवार, दिनांक 29 मार्च, 1994	1– राजस्थान विनियोग (संख्या–3) विधेयक, 1994, एवं 2– राजस्थान विनियोग (संख्या–4) विधेयक, 1994 –पर विचार एवं पारण ।
बुधवार, दिनांक 30 मार्च, 1994 गुरूवार, दिनांक 31 मार्च, 1994	शासकीय विधायी कार्य ।

माननीय सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चतुर्थ प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर अपनी सह-मति प्रदान की गयी।

श्री विष्णु मोदी : एक दिन नहीं होगा। नहीं, मैं जानकारी करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय ने बताया था कि दो फाइडे प्राइवेट मैम्बर्स बिल के लिए रखे जाएंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कार्य सलाह-कार समिति की जो बैठक हुई है उसमें यही कार्यक्रम तय हुआ है और जो प्राइवेट मैम्बर्स बिल है उसके लिए भी विचार हुआ है, वो आगे लिया जाएगा।

श्री विष्णु मोदी : वो मार्च में नहीं ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, मार्च में नहीं ले रहे।

आय-व्ययक पर सामान्य वाद विवाद

श्री राधेश्याम : मैं ड्रेनेज की बात कर रहा था कि चीफ मिनिस्टर महोदय जब चुनाव लड़ रहे थे तो यह भी घोषणा की गयी थी कि गंगानगर का 10 करोड़ रुपये का प्लान बनाकर वहां की अण्डर ग्राउण्ड ड्रेनेज की जो स्कीम है वह लागू की जाएगी, उसका जिक्र भी सही नहीं किया गया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप सम्पूर्ण करें।

श्री राधेश्याम : इन्दिरा गांधी कैनाल की बात तो बहुत लम्बी–चौड़ी कही लेकिन उसके अन्दर जो आठ-आठ फीट सिल्ट जमा हुई है उसका कोई जिक्र यहां नहीं किया गया कि उसको निकाला जाएगा या नहीं निकाला जाएगा। उसके लिए भी कोई प्रावधान इसमें मुझे दिखाई नहीं दिया, हो सकता है कोई रखा हुआ हो।

इसके साथ-साथ मैं आपसे प्रार्थना कर रहा था कि हनुमानगढ़ को जिला घोषित किया है यह तो बड़ी खुशी की बात है लेकिन एक निवेदन है कि कौनसे फाइ-नेन्स ईयर में किया है, कौन-कौनसी तह-सीलें उसमें जाएंगी ? मुझे यह लगता है केवल यह घोषणा मात्र है, जिला–जुला बनने वाला नहीं है क्योंकि सूरतगढ़ के लोग आ जाएंगे, जब तहसीलों का बटवारा करोगे तो तहसीलों के लोग आ जाएंगे।

श्री सभापति : नहीं आएंगे तो आप बुला लोगे क्या ?

श्री राधेश्याम : एजीटेशन हो जाएगा और आप यह कह दोगे, बिलकुल थोथी घोषणा है, कहीं बजट में एक पैसा आपने रखा नहीं है, बजट में, फाइनेन्स ईयर की बात नहीं कही। आपने यह दर्शाया है कि अगले वर्ष; अगला वर्ष किसको मानें ? अगले वर्ष आप रहोगे कि नहीं रहोगे, कौन होगा, कौन करेगा, इस बात का कुछ पता नहीं है। कल बड़ी तारीफ कर रहे थे; हमारे तिवाड़ी जी बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि मुकद्दर के सिकन्दर हैं। मुकद्दर का सिकन्दर पिक्चर शायद इन्होंने देखी होगी, उसका ही वर्णन किया है यहां। उसके बाद में जब पिक्चर का एंड होता है ना तो मुकद्दर के सिकन्दर का क्या हाल होता है वो शायद आपने नहीं देखा। वो भी आप जरूर देखना। अगर मुकद्दर का सिकन्दर होते तो गंगानगर की जनता के

Page No.172

(श्रीः राधेश्याम)

दिल में छा जाते, तीसरे नम्बर पर रहे हैं श्रीमान् जी, यह आपकी जानकारी के लिए कह रहा हूं। इसके साथ-साथ कभी तो मोहनी रूप में यहां व्याख्यान होता है। यह जरूर है कि + + + बोलने वालों में जितनी मास्टरी उनकी है, मेरे ख्याल में हिन्दुस्तान में पहला नम्बर उनका हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उसकी मैं भी तारीफ करता हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, + + + ये असंसदीय है।

श्री राधेश्याम : असत्य शब्द मैं इस्ते-माल कर रहा हूं। असत्य कहने का सबसे बड़ा तरीका है, बहुत सुन्दर ढंग से हर सत्य को पेश करते हैं।

श्री सभापति : देखिये, आप सच पर तो विश्वास करते नहीं हैं इसलिए असत्य पसन्द करते हैं।

श्री घासीराम यादव : असंसदीय नहीं है + + + कहना। लोग यह कहते हैं क्या फलां आदमी भैरोंसिंह जी से भी ज्यादा + + + है। यह मिसाल है। आप असंस-दीय कैसे कहते हो, उसको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यादव साहब को खुद को ही पता नहीं है।

श्री राधेश्याम : मैं यह जिक्र कर रहा था, यह एक ऐसी थोथी घोषणा....

श्री सभापति : अब आप कन्क्लूड करें तो ठीक है।

श्री राधेश्याम : थोथी घोषणाएं हैं जी। क्योंकि लिफ्ट कैनाल योजना में जो खाले हैं उनके ऊपर पैसा जरूर माफ कर दिया और बाकी कहां गया ? बाकी पैसा कौन माफ करेगा ? यह तो लोगों को आपने भ्रम में डाला है कि जितनी खाले के पैसे थे वो सब माफ हो गये। सब माफ नहीं हुए, केवल जो लिफ्ट योजना है उसके ऊपर इन्होंने माफ किया है। दूसरे पर भी घोषणा करें कि दूसरे खाले जो हैं उन पर क्या आप विचार रखते हैं, उन पर भी आप माफ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका भी कोई संकेत इसके अन्दर नहीं दिया गया है। कृपया जब आपका भाषण होगा तो आप स्पष्टीकरण करें।

इसी तरह जो तकाबी माफ कर दी, कर्जे माफ कर दिये तो, भाई, तीन साल के अन्दर तो कोर्ट भी माफ कर देता है। कोर्ट में केस ही नहीं हो सकता। 25 साल की तकावी आज माफ करके वाहवाही लूटना चाहते हैं तो यह वाहवाही कैसे मिलेगी। मैं तो केवल आपसे प्रार्थना....

श्री परसराम मदेरणा : 40–42 साल पहले की है।

श्री राधेश्याम : तो बोलो 40 साल पहले की तकाबी है।

श्री परसराम मदेरणा : 1952–53 की तकाबी है यह।

श्री राधेश्याम : उसको माफ करते हुए आप अपना 340 करोड़ के घाटे का बजट देकर हाथ ऊंचे करके कहते हो कि हमने बड़ा तीर मार लिया। बड़ी अजीब

+ + + शब्द अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अपलोपित किये गये।

(श्री राधेश्याम)

विडम्बना है, कमाल की बात है। फिर भी हमारे इधर के साथी खुश होते हैं। आप जब अपनी अपनी कांस्टीट्यूएंसी में जाएंगे; मेरे मित्रों, जब आपसे लोग पूछेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। केवल मंत्री बन जाना या चीफ मिनिस्टर बन जाना ही कुछ नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

आप लोगों की सेवा करने के लिए यहां आए हैं तो सेवा का तो कोई काम ही नही है यहां; केवल वह क्या कहते हैं असत्य है, असत्य जितना कहलाना है वो आप कहला लो। इसमें सत्य की बात कोई भी नहीं है।....(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन की बैठक 15 मार्च, 1994 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.00 बजे मंगलवार, 15 मार्च, 1994 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट–1

तारांकित प्रश्न संख्या 275 की तालिका

प्रसारण एवं वितरण में छीजत का तुलनात्मक विवरण—

राज्य विद्युत मण्डल	1987–88	1988–89	1989–90	1990–91	1991–92
					अवधि
1. राजस्थान	20.90	21.61	22.17	22.94	22.54※
2. हरियाणा	25.54	24.95	20.19	26.40	24.50
3. पंजाब	18.86	17.07	18.00	19.00	10.00
4. उत्तर प्रदेश	26.83	26.45	26.10	26.10	25.00
5. गुजरात	21.57	19.73	19.50	22.10	21.70
6. मध्य प्रदेश	21.97	20.34	19.48	24.20	23.20
7. महाराष्ट्र	14.32	15.71	17.60	15.50	15.50
8. आंध्र प्रदेश	20.20	19.01	20.31	19.90	19.30
9. कर्नाटक	21.99	20.50	20.00	19.00	19.30
10. केरल	29.77	25.67	22.00	22.00	21.00
11. तमिलनाडू	18.44	18.50	18.46	18.40	18.40
12. बिहार	21.64	22.23	21.50	21.00	22.00
13. उडीसा	24.95	24.50	23.99	24.00	23.00
14. वैस्ट बंगाल	23.45	23.44	21.58	22.00	21.50
आल इण्डिया	22.40	21.61	22.99	21.80	21.30

※सामयिकी

परिशष्ट–2

तारांकित प्रश्न संख्या 277 का विवरण

माह अप्रेल, 93 से माह जनवरी, 94 तक प्राप्त एवं निस्तारित बीमा एवं जी.पी.एफ. मामलों का विवरण :—

दावे की प्रकृति	पूर्व शेष	प्राप्त	योग	निस्तारण	शेष
(1) परिपक्वता स्वत्व	547	7101	7648	7086	562
(2) मृत्यु स्वत्व	128	1445	1573	1451	122
(3) अभ्यर्पण स्वत्व	76	1129	1205	1118	87
(4) पी.एफ. दावे	437	8804	9241	8657	584
	1188	18479	19667	18312	1355 93%

जिलेवार बकाया मामलों की सूची

क्र.सं.	जिला कार्यालय	परि. स्वत्व	मृत्यु स्वत्व	अभ्यर्पण स्वत्व	प्रा.निधि स्वत्व
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	2	5	—	—
2.	ब्यावर	—	—	—	—
3.	अलवर	50	10	—	6
4.	भरतपुर	1	—	—	1
5.	धौलपुर	11	1	4	21
6.	जयपुर	122	5	4	333
7.	सचिवालय	135	11	3	67
8.	दौसा	13	8	—	8
9.	झुन्झुनू	—	—	—	5
10.	स. माधोपुर	2	—	—	—
11.	करौली	—	2	—	—
12.	सीकर	7	5	1	56
13.	टोंक	1	1	1	—

1	2	3	4	5	6
14.	बांसवाड़ा	3	—	—	—
15.	भीलवाड़ा	—	—	—	—
16.	चित्तौड़गढ़	14	21	19	—
17.	डूंगरपुर	7	—	—	—
18.	उदयपुर	55	10	5	6
19.	राजसमन्द	14	2	2	10
20.	बाड़मेर	—	—	—	—
21.	जैसलमेर	—	—	—	—
22.	जालौर	3	3	1	1
23.	जोधपुर (शहर)	6	7	4	—
24.	जोधपुर (ग्रा.)	3	—	—	2
25.	नागौर	—	—	—	—
26.	पाली	6	—	7	—
27.	सिरोही	9	3	—	20
28.	बीकानेर	6	—	3	—
29.	चूरू	4	1	3	6
30.	श्रीगंगानगर	—	1	—	5
31.	हनुमानगढ़	1	—	—	—
32.	बूंदी	16	10	5	1
33.	झालावाड़	45	5	14	7
34.	कोटा	21	7	8	20
35.	बारां	5	4	3	9
	योग:–	562	122	87	584

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर)

राज्य लाटरी से पनपा जुए एवं सट्टे का व्यवसाय

285. **श्री ग्रार.पी. शर्मा** (भरतपुर) : क्या राज्य लाटरी एवं ग्रल्प बचत राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार की जानकारी में है कि राज्य में लाटरी के व्यवसाय में जुए व सट्टे का व्यवसाय भी खुले ग्राम सड़कों पर चल रहा है ?

(2) क्या खुले ग्राम सड़कों पर चल रहा लाटरी का धन्धा कानूनन सही है ? यदि नहीं, तो इस धन्धे को चलवाने में कौन-कौन दोषी हैं ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि लाटरी के इस धन्धे से ग्राम नागरिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ? यहां तक कि कुछ लोगों ने भारी नुकसान खाकर ग्रपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस धंधे को समाप्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है कि राज्य में लाटरी के व्यवसाय में जुग्रा ग्रौर सटटा खुले ग्राम सड़कों पर चल रहा है।

(2) राजस्थान राज्य लाटरी का व्यवसाय पूर्णतया कानून सम्मत है, ग्रत: उसे चलाने में किसी के दोषी होने का प्रश्न नहीं उठता। प्राइवेट लाटरियों का धन्धा राज्य में जुलाई, 1992 से पूर्णतया प्रतिबन्धित किया जा चुका है।

(3) जी नहीं।

(राज्य लाटरी परियोजना की संरचना में परिवर्तन विचाराधीन हैं।)

उचित मूल्य की नयी दुकानें

286. **श्री परसराम मदेरणा** (गुढ़ामालानी) : क्या खाद्य एवं नागरिक ग्रापूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उचित मूल्य की नयी दुकानें खोलने पर रोक लगा रखी है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

(3) वर्तमान में बाड़मेर जिले में उचित मूल्य की कितनी दुकानें संचालित की जा रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) जी, हां। वर्ष 93-94 के लिए 350 नवीन उचित मूल्य की दुकानें खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरुद्ध 435 उचित मूल्य की दुकानें खोली जाकर लक्ष्य पूरा कर लिया गया है।

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री)

(3) वर्तमान में बाडमेर जिले में 649 उचित मूल्य की दुकानें संचालित है। संचालित उचित मूल्य की दुकानों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सुविधा वाहनों की कान्ट्रेक्ट कैरिज योजना

287. **श्री रामस्वरूप मीणा** (टोडाभीम) :क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार राजस्थान में राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सुविधा वाहनों की कान्ट्रेक्ट कैरिज योजना हटाने का इरादा रखती है?

(2) क्या सरकार राजस्थान टैक्सेशन अमेन्डमेन्ट एक्ट, 1990 को पुन: गुजरात राज्य की तरह लागू करने का इरादा रखती है।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

पंचायत समिति लालसोट के विद्युतीकृत ग्राम

288. **श्री परसादी लाल मीणा** (लालसोट) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पंचायत समिति लालसोट में कितने गांवों को विद्युतीकृत कर दिया गया है तथा कितने गांव शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अस्वीकृत गांवों का विद्युतीकरण करने के लिए कोई योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो पंचायत समिति लालसोट के शेष गांवों का विद्युतीकरण कब तक करने का सरकार विचार रखती है?

उत्तर

(1) पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा के कुल 276 ग्रामों में से 171 ग्रामों का अब तक विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा 105 ग्राम विद्युतीकरण हेतु शेष है सूची "अ व ब" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति लालसोट, जिला दौसा के शेष रहे 105 अविद्युतीकृत ग्रामों में से पंचायत समिति लालसोट को वर्तमान में चल रही ओ बी. (आर) श्रेणी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 66 ग्राम विद्युतीकरण हेतु स्वीकृत हैं, जिनका विद्युतीकरण आगामी वर्षों में योजना में आवंटित लक्ष्यों एवं धनराशि के अनुरूप किया जा सकेगा। पंचायत समिति लालसोट के शेष 39 ग्राम अभी तक विद्युतीकरण हेतु किसी भी योजना में स्वीकृत नहीं हैं। इन ग्रामों के विद्युतीकरण के बारे में अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना सम्भव नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गयी।)

विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के पंचायत मुख्यालय को सड़कों से जोड़ना

289. **श्री जगदीप धनखड़** (किशनगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र की कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों को सड़क से जोड़ दिया गया है तथा कितने शेष हैं और इनको कब तक जोड़ देने की सरकार की मंशा है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 38 पंचायत मुख्यालय विभिन्न प्रकार की सड़कों से जुड़े हुए हैं तथा कोई भी पंचायत मुख्यालय सड़क से जोड़ना शेष नहीं है। विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

क्र.सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	वर्ष 1971 के आधार पर जनगणना	सड़क की किस्म जिससे जुड़ा हुआ है।
1.	2	3	4
1.	टिकावड़ा	951	डामर
2.	पाटन	888	डामर
3.	तिलोरा	1093	डामर
4.	खातोलो	992	डामर
5.	कोटरी	878	डामर
6.	थल	347	डामर
7.	पिगलोद	1182	डामर
8.	नोसल	1064	डामर
9.	पनेर	1283	डामर
10.	सलेमाबाद	1416	डामर
11.	खरखेड़ी	3167	डामर
12.	रूपनगढ़	4723	डामर
13.	सुरसुरा	2638	डामर
14.	तिलोनिया	1630	डामर
15.	कुचील	2386	डामर
16.	हरमाड़ा	3155	डामर
17.	बांदरसिन्दरी	2501	डामर
18.	बरणा	2560	डामर
19.	रलावता	1808	डामर

1	2	3	4
20.	डीडवाड़ा	1734	डामर
21.	जाजोता	1511	डामर
22.	बदून	1750	डामर
23.	भोगादीत	1060	डामर
24.	सिरोज	1203	डामर
25.	कटसुरा	2294	डामर
26.	अंराई	3278	डामर
27.	अमरपुरा	514	मेटल
28.	नवा	675	ग्रेवल
29.	बुहारू	885	ग्रेवल
30.	सिनोदिया	1353	ग्रेवल
31.	नलू	1004	ग्रेवल
32.	सरगांव	1064	ग्रेवल
33.	त्योद	1588	ग्रेवल
34.	काढ़ा	430	ग्रेवल
35.	मालियों की बाड़ी		ग्रेवल
36.	कालानाडा	444	ग्रेवल
37.	देवपुरी	963	ग्रेवल
38.	भाम्भोलाव	1375	ग्रेवल

नोट:–जिन पंचायत मुख्यालयों की जनसंख्या सन् 1971 की जनगणना के अनुसार 1000 से ज्यादा है, को आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

आश्रम भवन कल्याणपुरा (खैरवाड़ा)

290. **श्री दयाराम परमार** (खैरवाड़ा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुरा में एक आश्रम भवन का निर्माण किया गया है ? यदि हां, तो किस विभाग ने कब निर्माण करवाया था और उसका औचित्य क्या है ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भवन का उपयोग करने के लिए कोई भी विभाग तैयार नहीं ? यदि नहीं, तो वह भवन किस विभाग के उपयोग में आयेगा और कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह सही नहीं है कि

(जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री)

खैरवाड़ा तहसील क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में एक आश्रम भवन का निर्माण किया गया। वास्तविकता यह है कि बढ़िया शिक्षा योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग में मद 477 केपिटल आउट ले आफ ऐजुकेशन, आर्ट एण्ड कल्चर के अन्तर्गत राज्य योजना से एक छात्रावास का निर्माण शिक्षा विभाग द्वारा 87-88 में किया गया।

बढ़िया शिक्षा के अन्तर्गत बच्चों को रिहायशी सुविधा देने के उद्देश्य से यह निर्माण कराया गया।

(2) जी नहीं। वर्तमान में यह छात्रावास शिक्षा विभाग के अधीन राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर की देख रेख में है।

पैट्रोलियम पदार्थ कण्ट्रोल आर्डर से गैस उपभोक्ताओं को संरक्षण

291. **श्री गोविन्द सिंह गुर्जर** (नसीराबाद) : क्या खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पैट्रोलियम पदार्थ कण्ट्रोल आर्डर पुन: जारी हो जाने के पश्चात् राज्य सरकार को गैस उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए व उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिये क्या अधिकार हैं।

(2) क्या इस प्रकार के अधिकारों के अभाव में राज्य सरकार गैस ऐजेन्सियों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करने में सक्षम नहीं जबकि उपभोक्ताओं को संरक्षण देने का दायित्व राज्य सरकार पर है ?

(3) क्या राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई वैकल्पिक कन्ट्रोल बोर्ड अथवा नियम बनाने की कार्यवाही विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान पैट्रोलियम उत्पाद (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1990 पुन: जारी हो जाने के पश्चात पैट्रोलियम पदार्थ उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए व उनकी शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए पैट्रोलियम पदार्थ डीलर्स की जांच, प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण के अधिकार राज्य सरकार को प्रदत्त हैं।

(2) राज्य सरकार को अधिकार प्राप्त है। अत: गैस एजेन्सियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए सक्षम नहीं होने का प्रश्न नहीं उठता।

(3) गैस एजेन्सियों के सम्बन्ध में वैकल्पिक कन्ट्रोल बोर्ड अथवा नियम बनाने का कोई मामला राज्य सरकार के विचाराधीन नहीं है क्योंकि राज्य सरकार का प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में बतायेनुसार पहले से ही अधिकार है।

राजसमन्द से जयपुर एवं जोधपुर बस सेवा

292. **श्री शांतिलाल खोईवाल** (राजसमन्द) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार राजसमन्द जिला मुख्यालय से जयपुर एवं जोधपुर के लिये राजस्थान राज्य परिवहन निगम की बस सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों और यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

जी नहीं, क्योंकि राजसमन्द जिला मुख्यालय होकर उदयपुर से जयपुर एवं जोधपुर के लिये यात्री उपलब्धता के अनु–रूप निगम द्वारा पर्याप्त बस सेवाएं संचालित की जा रही है। राजसमंद जिला मुख्यालय से जयपुर एवं जोधपुर के लिये पर्याप्त मात्रा में सीधा यात्री भार उपलब्ध नहीं होता है। अतः पृथक से सीधी बस सेवा का संचालन अनार्थिक रहने की आशंका है।

टाडा एक्ट के अन्तर्गत नजरबन्द कैदी

293. श्री तैयब हुसैन (कामां) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में टाडा एक्ट प्रथम बार कब और किन किन परिस्थितियों में लगाया गया तथा इसके तहत कितने व्यक्ति नजरबन्द हैं ?

(2) क्या इन सभी का टाडा एक्ट की परिधि में मुकदमा चलाया जाना उचित पाया गया ?

(3) यदि नहीं, तो क्या उन सभी व्यक्तियों को सरकार छोड़ने का विचार रखती है, जिनसे आज तक कोई अवैध बरामदगी नहीं हो पाई है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में टाडा एक्ट प्रथम बार दिनांक 24.5.85 को लागू किया गया है। आतंकवादियों की गतिविधियां, जो पहले पंजाब एवं चन्डीगढ़ तक ही सीमित थी धीरे-धीरे दिल्ली, हरियाणा, उत्तरप्रदेश एवं राजस्थान में फैल गयी। इन राज्यों की भोली भोली जनता को गम्भीर चोटे पहुंचाई गई तथा कई लोगों की हत्या की गई। उनके द्वारा ट्रेनों, बसों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बम विस्फोट कर जनता में डर पैदा किया गया तथा साम्प्रदायिक शान्ति भंग करने का प्रयास किया गया। ऐसी स्थिति में आतंकवादियों व विध्वंशकारियों क्रियाकलापों को रोकने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा टाडा एक्ट बनाया जो कि राजस्थान राज्य पर भी लागू किया गया।

दिनांक 31–12–93 को टाडा एक्ट के अधीन राजस्थान में 211 अभियुक्त बन्द थे, जिनमें से 18 जेर तफतीश विचाराधीन है। दिनांक 1–1–1994 से 15–2–94 तक 8 व्यक्ति पेरोल पर छोड़े गये हैं। अब 203 बन्दी जेल में बन्द है।

(2) जी हां।

(3) टाडा अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध व्यक्तियों के प्रकरणों का पुनर्निरीक्षण (रिव्यू) किया जा रहा है। प्रत्येक केस की समग्र परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जावेगा।

विधान सभा क्षेत्र मण्डावा के ग्रामों का विद्युतीकरण

294. श्री राम नारायण चौधरी (मण्डावा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा में

(श्री रामनारायण चौधरी)

कितने ग्राम ऐसे हैं जिनका अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि वर्ष 1984 में विद्युत मण्डल ने एक आर ई सी. स्कीम बनाकर अलसीसर पंचायत समिति का विद्युतीकरण तीन वर्ष में करने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो अलसीसर में अब कितने गांव विद्युतीकरण होना बाकी हैं तथा उनका विद्युतीकरण कब तक कर दिया जावेगा ?

(3) क्या ग्राम झटावा कला पंचायत समिति अलसीसर का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम में खराब ट्रांसफार्मर लगा होने के कारण अब तक कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक ग्रामवासियों को कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मण्डावा जिला झुंझुनू के सभी ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(2) जी हां, पंचायत समिति अलसीसर की एक एस.यू.डी. श्रेणी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 55 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1984-85 में स्वीकृत करवाई गई थी। इस योजना का कार्यकाल पांच वर्ष का था। इस योजना में स्वीकृत सभी ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है तथा कोई भी ग्राम विद्युतिकरण हेतु शेष नहीं है।

(3) ग्राम इटावा कलां कोड नं. 4/1/30 पंचायत समिति अलसीसर दिसम्बर, 1189 में विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

(4) जी नहीं, पंचायत समिति अलसीसर के ग्राम इटावा ऊंकलां में लगा हुआ ट्रान्सफार्मर सही है। घरेलू कनेक्शन चाहने हेतु आवेदन पत्रों पर विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है।

विजयनगर (श्रीगंगानगर) में कालेज की स्थापना

295. **श्री अमरचन्द मिड्ढा** (सूरतगढ) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि पिछले 40 वर्षों में सरकार द्वारा श्री विजयनगर (गंगानगर) में कालेज की स्थापना हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया ? यदि हां, तो शिक्षा के इस पिछड़े क्षेत्र के विकास हेतु सरकार कालेज खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

किसी स्थान पर महाविद्यालय खोलने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार निर्धारित मानदण्डों एवं स्थान विशेष के गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेती है। वर्ष 1992 में श्री विजयनगर (गंगानगर) में महाविद्यालय खोलने की मांग प्राप्त हुई थी किन्तु मानदण्डों के अन्तर्गत न आने के कारण यहां महाविद्यालय खोलना सम्भव नहीं है।

वित्तीय वर्ष 1993-94 में नये महाविद्यालय खोलने हेतु कोई बजट प्रावधान नहीं है।

जनजाति विकास विभाग उदयपुर के अधीन प्रशिक्षण संस्थान

296. श्री महावीर भगोरा (गोगुन्दा) : क्या जन जाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) जन जाति विकास विभाग, उदयपुर के अधीन क्या कोई प्रशिक्षण संस्थान है ? यदि हां, तो उस संस्थान द्वारा किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है ?

(2) क्या यह संस्थान जन जाति के शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देने का कार्य भी करता है ?

(3) क्या इस प्रयोजन हेतु कोई छात्रावास भी बना हुआ है ? यदि हां, तो उसका क्या उपयोग हो रहा है ?

(4) क्या जन जाति विभाग जन जाति के शिक्षित बेरोजगारों के प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश हेतु नियमित कोचिंग/प्रशिक्षण कोर्स चलाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । जनजाति विकास विभाग, उदयपुर के अधीन मा. ला. वर्मा. आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर कार्यरत है । इस प्रशिक्षण संस्थान द्वारा दो प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं :–

(I) जनजाति विकास के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न अधिकारियों, कर्मचारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।

(II) जनजाति के शिक्षित युवकों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु दिया जाने वाला पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण ।

(2) जी हां । यह संस्थान जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण देने का कार्य करता है ।

(3) जी हां । प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ संस्थान में एक प्रशिक्षण भवन/छात्रावास भी बना हुआ है, जिसमें पाठ्यक्रम में भाग लेने वाले जनजाति के अभ्यार्थियों को निःशुल्क आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाती है । वर्तमान में इस संस्थान के छात्रावास में कम्प्यूटर्स प्रशिक्षण अभ्यार्थी एवं कनिष्ठ लिपिक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण से संबधित जनजाति के अभ्यार्थी इसका उपयोग कर रहे हैं ।

(4) विभाग के अधीन कार्यरत मा. ला. वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर जनजाति के शिक्षित बेरोजगारों को प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश हेतु एक नियमित पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने का विचार रखता है । इस वर्ष भी इस परीक्षा के तीन/चार माह पूर्व यह प्रशिक्षण प्रारम्भ करने की इस संस्थान की योजना है ।

उद्योगों में बकाया

297. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

वर्तमान में राज्य में कितनी विद्युत राशि उद्योगों में शेष है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें ।

Page No.185

उत्तर

राज्य में 31-3-1993 तक उद्योगों में (लघु मध्यम एवं वृहत्त श्रेणी) पर मण्डल बकाया राशि 12,003.19 लाख रुपये तथा विद्युत कर 1,113.36 लाख रुपये बकाया हैं। वृत्तवार सूची तालिका "अ" में सदन के पटल पर रख दी गई है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल

उद्योगों में 31-3-93 तक बकाया राशि का वृत्तवार विवरण

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	वृत्त	लघु उद्योग मण्डल राशि	लघु उद्योग विद्युत शुल्क	मध्यम उद्योग मण्डल राशि	मध्यम उद्योग विद्युत शुल्क	उच्च तापीय उद्योग मण्डल राशि	उच्च तापीय उद्योग विद्युत शुल्क
1.	अजमेर	29.41	1.12	13.46	0.67	353.33	4.93
2	अलवर	81.38	3.19	80.87	1.07	1737.92	374.61
3.	भरतपुर	97.26	2.91	38.70	1.81	78 05	0.16
4.	बीकानेर	50.72	2.06	63.49	1.11	376.08	2.54
5.	भीलवाड़ा	32.40	1.00	20.63	0.51	333.31	62.24
6.	हनुमानगढ़	73.76	2.52	48.28	4.71	279.43	1.07
7.	जयपुर नगर	14.01	0.44	8.28	2.80	803.83	31.96
8.	जयपुर जिला	88.49	2.35	34.25	0.96	171.68	0.25
9.	झुंझुनु	90.43	4.58	6.05	0.22	10.07	0.01
10.	जोधपुर नगर	49.20	1.77	1.07	3.23]	426.43	22.48
11.	जोधपुर जिला	56.53	2.04	22.72	2.01]		
12.	झालावाड़	58.22	2.87	3.95	0.16	40.34	0.04
13.	कोटा	90.74	3.77	29.33	1.43	3138.11	194.57
14.	नागौर	137.49	6.63	70.46	1.65	73.89	1.05
15.	पाली	34.95	1.03	19.99	1.82	319.30	179.00
16.	सीकर	137.64	3.31	15.32	0.73	29.60	6.31
17.	सवाई माधोपुर	69.49	2.25	9.67	0.53	1171.83	18.64
18.	उदयपुर	126.77	3.83	27.54	41.84	828.88	98.57
	कुल योग	1318.89	47.67	512.22	67.26	10172.08	998.43

नोट:-पूर्व प्रश्न संख्या 13 का उत्तर देते समय कुछ वृतों की मध्यम श्रेणी के उद्योगों की विद्युत शुल्क की राशि के आंकड़े उपलब्ध नहीं होने के कारण उसमें सम्मिलित नहीं किये जा सके थे, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों सूचनाओं में अन्तर है। अब वे आंकड़े प्राप्त कर इस विवरण में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

भिवाड़ी-करौली हाइवे

298. श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भिवाडी से करौली तक स्टेट हाईवे को चौड़ा करने का ठेका दिया गया है ? यदि हां, तो कब एवं किस ठेकेदार को ?

(2) इस सड़क निर्माण के ठेकेदार के साथ किये गये समझौते की क्या-क्या शर्तें हैं ? शर्तों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) यह ठेका बी.एस.आर. की सामान्य स्वीकृत दरों से कितने प्रतिशत उच्च दरों पर स्वीकार किया गया है ? बी.एस.आर. की निर्धारित दरें क्या थी तथा गिट्टी (पत्थर) मौरम एवं मिट्टी के कार्य की क्या दरें स्वीकार की गई ?

(4) जंगल क्लियरेंस के लिये कितनी राशि स्वीकृत है ? कितने रुपये का किस दर से भुगतान कर दिया गया है ?

(5) क्या यह सही है कि ठेकेदार को मशीनें खरीदने के लिये अग्रिम भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कितनी राशि का एवं कब ?

उत्तर

(1) जी हां। भिवाड़ी से करौली तक स्टेट हाइवे को चौड़ा एवं सुदृढ़ीकरण हेतु मैसर्स सिमको इन्टरनेशनल, देहली को कार्य दिनांक 7.12.91 को आवंटित किया गया।

(2) इस सड़क के निर्माण हेतु ठेकेदार के साथ की गई शर्तों का विवरण टेण्डर डाक्यूमेंट के वोल्यूम एक, दो व तीन में अंकित है जिनकी प्रतियां संलग्न है।

(3) विश्व बैंक शर्तों के अनुसार निविदायें "आइटम रेट" के आधार पर आमन्त्रित की गई थी। बी.एस.आर. के आधार पर निविदायें आमन्त्रित की पद्धति नहीं अपनाई गई थी:-

वोल्यूम तृतीय का आइटम सं.

2.02 (1) मिट्टी का कार्य 95% डेंसिटी 38/- रु. प्रति सी.यू.एम.

2.03 (2) मिट्टी का कार्य 100% डेंसिटी 45/- रु. प्रति सी.यू.एम.

3.02 (3) डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-I 494/-रु. प्रति. सी.यू.एम.

3.03 (4) डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-II 459/-रु. प्रति सी.यू.एम.

3.04 (5) डब्ल्यू.बी.एम. ग्रेड-III 508/-रु. प्रति सी.यू.एम.

उक्त अंकित समस्त दरों का संवेदक द्वारा 6 प्रतिशत की रिबेट दी गई है।

Page No.187

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(4) टेण्डर डाक्यूमेंट वोल्यूम तीन के आइटम नं. 1.01 के अनुसार 26,61,028 वर्ग मीटर में जंगल क्लियरेंस का दर 3/– रु. प्रतिवर्ग मीटर से 79,83,084/- रु. का प्रावधान है एवं अब तक 26,39,–937.43 वर्ग मीटर क्षेत्र में जंगल क्लियरेंस का कार्य दर 3/- रु. से 79,19,182.-29 रु. का भुगतान किया जा चुका है।

(5) जी हां, ठेकेदार को मशीनें खरीदने के लिये ठेके की शर्तों के अनुसार भिन्न भिन्न समय में मशीनरी एडवांस का तादादी रु. 3,71, 30,000/- का भुगतान किया है। सूची संलग्न है।

मशीनें खरीदने हेतु अग्रिम राशि के भुगतान का विवरण

क्रमांक	वाऊचर संख्या	दिनांक	राशि
1.	4	4.12.92	1,31,89,780/-
2.	43	2.2.93	41,24,029/-
3.	63	27.2.93	19,39,127/-
4.	33	29.3.93	29,50,000/-
5.	4	6.4.93	16,42,407/-
6.	39	20.5.93	51,27,592/-
7.	38	28.10.93	36,02,407/-
8.	18	14.12.93	45,54,658/-
			3,71,30,000/-

वर्षा में काली सिंध नदी में पानी के कारण बस संचालन में व्यवधान

299. **श्री भरत सिंह (खानपुर)** : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि वर्षा ऋतु में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसें कोटा–बारां मार्ग पर काली सिंध नदी में पानी आ जाने के कारण कोटा से बारां तक नहीं चलती हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार कोटा से सांगोद की सभी बसें वर्षा ऋतु में सांगोद तक नहीं जा पाती हैं ?

(3) क्या विभाग सांगोद व बारां के लिये नहर पर होकर जाने वाले विकल्प मार्ग से बसें चलाता है ? यदि हां, तो कितनी ?

उत्तर

(1) जी हां, तथापि विशेष परिस्थितियों

(यातायात राज्य मंत्री)

में आवश्यकतानुसार वैकल्पिक मार्ग वाया केनाल होकर कुछ बसें कोटा से बांरा तक चलाई जाती हैं।

(2) जी हां।

(3) जी हां, केवल कोटा से बांरा के मध्य विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता-नुसार वाया केनाल होकर कुछ बसें चलाई जाती हैं जिनकी संख्या औसतन 4 वाहनें प्रतिदिन हैं लेकिन कोटा-सांगोद मार्ग पर वर्षाकाल में कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं होने के कारण कोटा से आजादपुरा तक ही बसें चलाई जाती हैं।

थाना बिजौलिया के अन्तर्गत चोरी-लूट के दर्ज प्रकरण

300. **श्री बद्रीप्रसाद गुरूजी** (माण्डल-गढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बिजौलियां थाने के अन्तर्गत विगत 5 वर्षों में कितनी चोरी व लूट की वार-दातें हुई तथा कितने प्रकरण थाने में दर्ज हुए ?

(2) क्या कपड़े की दुकानों में हुई चोरियों की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई ? यदि हां, तो इसमें से कितनी चोरियों की बरामदगी हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार इस संबंध में क्या प्रयास कर रही है ?

उत्तर

(1) थाना बिजौलियां जिला भील-वाड़ा में विगत पांच वर्षों में 70 अपराध चोरी के एवं 20 अपराध लूट के पंजीबद्ध हुए।

(2) कपड़े की दुकानों में हुई चोरियों के सम्बन्ध में 7 अपराध पंजीबद्ध किये गये हैं। अपराध संख्या 128/90 धारा, 380 भा.दं.सं. में चोरी गई एक हजार रुपये की नगद राशि बरामद की गई। शेष 6 चोरी के अपराधों में मुल्जिमों तथा माल का पता नहीं मिलने के कारण अन्तिम प्रतिवेदन बसीगे अदम पता माल मुलजिमान में दिये जा चुके हैं।

केन्द्रीय सड़क निधि से प्रदेश को आवंटित राशि

301. **श्री शांतिकुमार धारीवाल** (हिण्डोली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) केन्द्रीय सड़क निधि से प्रदेश को धन आवंटन करने के सम्बन्ध में क्या दिशा-निर्देश या मानदण्ड हैं ?

(2) इस निधि से वर्ष 1990-91, 91-92 एवं 92-93 में कितनी राशि प्रदेश को प्राप्त हुई है तथा कहां-कहां खर्च की गई है ?

उत्तर

(1) केन्द्रीय सड़क निधि पेट्रोल एवं डीजल की दर पर 5% लेवी से बनाया गया है। राज्य सरकार को उस राज्य में खर्च हुए पेट्रोल एवं डीजल से प्राप्त 5% लेवी की राशि का 64% प्राप्त होना है।

(2)

वर्ष	राशि प्राप्त हुई	राशि खर्च हुई
1990-91	207.00	505.35

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

1991-92	—	598.32
1992-93	25.00	449.53

केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 59 सड़कों एवं 6 पुलों पर ही यह राशि खर्च हुई है। स्वीकृतियों के अनुसार प्रावधान भारत सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

निगम को हो रहे घाटे की आपूर्ति के उपाय

302. **श्री रामनारायण** (नैनवां) : क्या यातायात राज्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम घाटे में चल रहा है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे हैं ?

(2) अब तक उक्त निगम को कुल कितना घाटा हो चुका है तथा घाटे से उबारने के लिए क्या-क्या उपाय किये जा रहे हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या निगम ने घाटे को कम करने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर अपने कर्मचारियों को हटाकर निजी व्यक्तियों को कमीशन पर बुकिंग का कार्य करने के लिए अधिकृत किया है ? यदि हां, तो इस बाबत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है तथा इसका क्या प्रभाव पड़ा है ? ऐसे बुकिंग स्टेशनों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रक्रिया अपनाये बिना नियुक्त किए गए बुकिंग एजेन्टों को हटाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, निगम संकलित घाटे में है, परन्तु वर्तमान में निगम लाभ में चल रहा है।

(2) 31 मार्च, 1993 तक निगम का संचित घाटा 2944.47 लाख रुपये था

निगम को घाटे से उबारने के लिये किये गये उपायों का विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(3) जी हां। यात्रियों में बुकिंग घरों से टिकिट लेकर बस में बैठने की प्रवृत्ति का विकास करने अथा परिचालकों के स्तर से यात्रियों को टिकिट जारी करने की प्रक्रिया को सीमित करने की दृष्टि से निगम द्वारा ऐसे स्थानों पर बुकिंग ऐजेन्ट लगाने का निर्णय लिया गया है जिन स्थानों पर निगम के स्वयं के बुकिंग घर स्थापित नहीं हैं। बाबत निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है :-

क-आगार स्तर पर एक कमेटी गठित की हुई है जिसके द्वारा बुकिंग एजेन्सी दिये जाने/समाप्त किये जाने का निर्णय लिया जाता है।

ख-बुकिंग ऐजेन्सी दिये जाने हेतु मृतक निगम कर्मचारियों के आश्रित, विद्यमान स्टालधारी, सेकेन्ड्री अथवा उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यताधारी व्यक्ति, सेवा निवृत राज्य कर्मचारी, भूतपूर्व सैनिक तथा स्थानीय दुकादार आदि श्रेणी के व्यक्तियों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान हैं।

ग-बुकिंग एजेन्सी दिये जाने हेतु आयु का कोई मापदण्ड नहीं रखा गया है परन्तु किसी अव्यस्क व्यक्ति को बुकिंग ऐजेंसी नहीं

(यातायात राज्य मन्त्री)

दी जाती है। इसी प्रकार निगम सेवा से अथवा अन्य किसी संस्थान से मोअत्तिल/सेवा पृथक कर्मचारी को भी बुकिंग एजेन्सी नहीं दी जाती है।

घ-किसी एक व्यक्ति को एक स्थान से अधिक स्थान के लिये बुकिंग ऐजेन्सी आवंटित नहीं की जाती है। प्रारम्भ में बुकिंग ऐजेन्सी का आवंटन एक वर्ष के लिये किया जाता है और समय-समय पर इसकी समीक्षा कर अवधि में वृद्धि किये जाने का समाप्त किये जाने का अधिकार निगम को है।

ङ-जिन स्थानों पर 10 या 10 से कम बसों का आवागमन है, ऐसे स्थानों पर कार्यरत बुकिंग ऐजेन्टों को कुल टिकिट विक्रय राशि की 10 प्रतिशत राशि कमीशन के रूप में दी जाती है तथा जिन स्थानों पर 10 से अधिक वाहनों का आवागमन है, वहां पर कार्यरत बुकिंग ऐजेन्टों को कुल टिकिट विक्रय राशि की 8 प्रतिशत तक राशि कमीशन के रूप में दी जाती है, परन्तु ऐसे कमीशन की राशि माह में पांच हजार (5000 00) रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिये। ऐसे स्थान पर निगम का बुकिंग घर स्थापित किये जाने की व्यवस्था है।

उक्त प्रक्रियानुसार विभिन्न स्थानों पर बुकिंग ऐजेन्ट लगाये जाने से यात्री टिकटों की बिक्री में वृद्धि हुई है तथा यात्रियों में टिकिट लेकर वाहन में बैठने की प्रवृत्ति का विकास हुआ है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव निगम की आय में हुई वृद्धि पर पड़ा है। वर्तमान में जिन स्थानों पर बुकिंग ऐजेन्ट लगाये हुये हैं उनकी सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-2)

(4) जी हां। निगम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाये बिना बुकिंग ऐजेन्ट नियुक्त करने बाबत कोई परिवाद प्राप्त होने या ऐसा प्रकरण ध्यान में लाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

(विवरण एवं सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखे गये)

बीकानेर एवं लूणकरणसर के लाइसेन्सी हथियारों का नवीनीकरण

303. **श्री भीमसेन चौधरी** (लूणकरणसर) क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) बीकानेर एवं लूणकरणसर तहसीलों के नागरिकों के कितने हथियार लाइसेंस नवीनीकरण हेतु कब से लम्बित हैं?

(2) इनमें से कितने नागरिकों के विरुद्ध थाना पुलिस छतरगढ़ खाजुवाला व पूगल में प्रकरण चला रखे हैं एवं क्यों?

उत्तर

(1) तहसील बीकानेर के नागरिकों के वर्ष 1993 के 18 एवं वर्ष 1994 के 13 लाईसेन्स एवं तहसील लूणकरणसर के नागरिकों के वर्ष 1993 के 10 एवं वर्ष 1994 के 5 शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण हेतु जिलाधीश कार्यालय में लम्बित हैं। अनुज्ञापत्रवार लम्बित रहने की सूचना संलग्न (परिशिष्ट-अ) है।

(2) उपरोक्त नवीनीकरण हेतु अंकित किसी भी प्रकरण के संबन्ध में कोई कार्यवाही थाना छतरगढ, खाजूवाला व पूगल में लम्बित नहीं है और न कोई अभियोग किसी के विरुद्ध पंजीबद्ध किया गया है।

बीकानेर एवं लूणकरणसर की तहसीलों के नागरिकों के हथियार लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु निम्न अंकित दिनांक से लम्बित हैं :—

क्र.सं.	नाम शस्त्र अनुज्ञापत्र धारक	शस्त्र अनुज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र की प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रस्तुति दिनांक
1	2	3
तहसील बीकानेर–1993		
1.	श्री शंकर लाल पुत्र श्री तारूराम छतरगढ़	4–8–93
2.	श्री गणेश सिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, बीकानेर	26–8–93
3.	श्री हकीम खां पुत्र श्री जागीर खां, छतरगढ़	7–10–93
4.	श्री रामचन्द्र पुत्र श्री प्रभुराम, बीकानेर	16–11–93
5.	श्री ताजू खां पुत्र श्री यारू खां, छतरगढ़	7–12–93
6.	श्री हुसैन खां पुत्र श्री गन्नी खां, देशनोक	16–12–93
7.	श्री अमीर खां पुत्र श्री खानू खां, छतरगढ़	17–12–93
8.	श्री प्रभुदास पुत्र श्री गुरदीता राम, बीकानेर	20–12–93
9.	श्री बंशीलाल पुत्र श्री घोकलराम, बीकानेर	20–12–93
10.	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री हनुमान सिंह, बीकानेर	20–12–93
11.	श्री अनिल कुमार पुत्र श्री के.एम. रामपुरिया,	24–12–93
12.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवर लाल, बीकानेर	24–12–93
13.	श्री शांतिलाल पुत्र श्री शिखर चन्द्र, बीकानेर	24–12–93
14.	श्री मांगे पुत्र श्री राजे खां, छतरगढ़	28–12–93
15.	श्री शान्तिलाल पुत्र श्री शिखरचन्द्र, बीकानेर	29–12–93
16.	श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री भंवर लाल, बीकानेर	29–12–93
17.	श्री नथू खां पुत्र श्री अमर खां, पूगल	30–12–93
18.	श्री भरतसिंह पुत्र श्री मेघ सिंह, छतरगढ़	30–12–93
तहसील बीकानेर–1994		
1.	श्री कुम्भसिंह पुत्र श्री पन्नेसिंह, बीकानेर	1.1.94
2.	श्री राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री नारायण सिंह, बीकानेर	3.1.94
3.	श्री नारायण पुत्र श्री रूपाराम, जामसर	3.1.94
4.	श्री मोहम्मद बक्स पुत्र श्री कादर बक्स, पूंगल	6.1.94
5.	श्री मुखराज पुत्र श्री हजारी राम, छतरगढ़	14.1.94

1	2	3
	तहसील बीकानेर—1994	
6.	श्री नत्थु पुत्र श्री जोराराम, बीकानेर	17.1.94
7.	श्री हाकम अली पुत्र श्री इमामू खां, पूंगल	25.1.84
8	श्री नाजर पुत्र श्री अमरदीन पूंगल	25.1.94
9.	श्री नाजू पुत्र श्री जेरू खां, छतरगढ़	25.1.94
10.	श्री आनन्द पुत्र श्री सामन्तसिंह, बीकानेर	29.1.94
11.	श्री हुकमसिंह पुत्र श्री आनन्दसिंह बीकानेर	29.1.94
12.	श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री तारासिंह, बीकानेर	9.2.94
13.	श्री हसन खां पुत्र श्री करीम खां, बीकानेर	9.2.94
	तहसील लूणकरणसर—1993	
1.	श्री खिराजराम पुत्र श्री कालूराम कालोलाई	16.8.93
2.	श्री भागीरथ जाट पुत्र श्री श्योकरण, लूणकरणसर	1.11.93
3.	श्री अलायार खां पुत्र श्री ममदेखां सढोलाई	7.12.93
4.	श्री अनरू खां पुत्र श्री अलेखां, केला	14. 12.93
5.	श्री किशनाराम पुत्र श्री जग्गीराम, लूणकरणसर	17.12.93
6	श्री बहादर खां पुत्र श्री कालू, लूणकरणसर	30.12.93
7.	श्री कालू खां पुत्र श्री मुले खां, महाजन	20.12.93
8.	श्री लाभूराम पुत्र श्री टिक्कूराम, लूणकरणसर	27.12.93
9.	श्री सोनेखां पुत्र श्री अल्लाबक्स, लूणकरणसर	31.12.93
10.	श्री ऊदाराम पुत्र पसाराम, लूणकरणसर	31.12.93
	तहसील लूणकरणसर—1994	
1.	श्री चतरराम पुत्र श्री भैराराम महाजन	5.1.94
2.	श्री केसूदास पुत्र श्री हनुमानदास, लूणकरणसर	22.1.94
3.	श्री मुगनसिंह पुत्र श्री कुम्भ सिंह लूणकरणसर	3.2.94
4.	श्री कुशलाराम पुत्र श्री लखूराम, लूणकरणसर	3.2.94
5.	श्री गोपालराम पुत्र श्री चिमनाराम महाजन	15.2.94

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में लघु पन बिजली घरों का निर्माण

304. **श्री रेवतराम पंवार** (नोखा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर पर किस-किस स्थान पर लघु पन बिजली घरों का निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है ?

(2) उपरोक्त सं. 1 में से किन इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, किन इकाइयों पर निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा किन इकाइयों का निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है ?

(3) उपरोक्त प्रकार की पन बिजली परियोजना में जिन इकाइयों का निर्माण कार्य अभी आरंभ नहीं हुआ है उनको शीघ्र आरंभ एवं पूर्ण कराये जाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

(4) उपरोक्त पन बिजली परियोजना की इकाइयों से कितने वाट विद्युत् उत्पन्न होगी तथा बीकानेर जिले के लिए कितनी वाट विद्युत् ऊर्जा उपलब्ध रहेगी ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में इन्दिरा गांधी नहर की शाखाओं पर निम्न स्वीकृत लघु पन विद्युत गृहों का निर्माण प्रस्तावित है :—

क्र. सं.	लघुपन विद्युत गृह का नाम	नहर की शाखा का नाम जिन पर प्रस्तावित है।	स्थापना क्षमता (मे वा. में)
1.	चारणवाला	चारणवाला शाखा	1×1.2 (संशोधित)
2.	पूगल–प्रथम	पूगल शाखा	1×1.5
3.	पूगल–द्वितीय	,,	1×0.65
4.	बिरसलपुर प्रथम	बिरसलपुर शाखा	1×0.535

(2) उपरोक्त में से विभिन्न परियोजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :—

(अ) विद्युत गृह जिनका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है :—

(i) चारणवाला (1×1.2 मेगावाट)

(ii) पूगल द्वितीय (1×0.65 वाट)

(ब) विद्युत गृह जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है :—

(i) पूगल प्रथम (1×1.5 मेगावाट)

(ii) बिरसलपुर प्रथम (1×0.535 मेगावाट)

(3) उपरोक्त सभी विद्युत गृहों पर निर्माण कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है।

(4) उपरोक्त पन विद्युत गृहों की योजनाओं से नहरों की शाखा में पानी की उपलब्धता के अनुसार प्रस्तावित वार्षिक उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत गृह का नाम	वार्षिक विद्युत उत्पादन (लाख यूनिटों में)
चारणवाला (1 × 1200 किलोवाट)	71.23
पूगल प्रथम (1 × 1500 कि.वा.)	77.26
पूगल द्वितीय (1 × 650 कि.वा.)	35.33
बिरसलपुर प्रथम (1 × 535 कि.वा.)	25.27

इन विद्युत गृहों से उत्पादित समस्त विद्युत ऊर्जा को विद्युत गृह के समीपवर्ती उपलब्ध बिजली की लाइनों में जोड़ा जाता है जिससे उस क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता में वृद्धि होगी।

राज्य की ऊर्जा समस्या में सुधार हेतु दीर्घकालीन योजना

305. **श्री रामेश्वर लाल भाटी** (सुजानगढ़) एवं **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (चौमूं): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि माह जनवरी, 1994 में विश्व बैंक के अधिकारियों ने सरकार को उपभोक्ताओं से बिजली की अधिक दरें वसूल किये जाने का सुझाव दिया है ?

(2) क्या सरकार इस बात से सहमत है ?

(3) क्या विश्व बैंक के सलाहकारों ने विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार कर पारेषण क्षति को कम करने का सुझाव दिया है ?

(4) सरकार की राजस्थान की ऊर्जा समस्या के बारे में दीर्घकालीन सुधार के बारे में क्या योजना है ?

उत्तर

(1) दिनांक 23.1.1994 को विश्व बैंक भारत सरकार के आर्थिक मामलात व राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के अधिकारियों की राज्य सरकार के साथ बैठक हुई थी। बैठक में राज्य में विद्युत की कमी को कम करने से लघुकालीन व दीर्घकालीन उपायों, विद्युत मण्डल के सुदृढीकरण व विद्युत क्षेत्र में निजी एवं संयुक्त क्षेत्र के योगदान की सम्भावनाओं पर विचार–विमर्श हुआ था। आम राय यह थी कि चूंकि राजस्थान राज्य को लम्बे समय तक विद्युत आयात पर निर्भर रहना पड़ेगा अतः विद्युत क्रय के लिए विद्युत मण्डल को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना आवश्यक है। विश्व बैंक के माध्यम से विद्युत मण्डल के आर्थिक सुदृढ़ीकरण व प्रशासनिक सुधार, विद्युत व्यवस्था में निजी एवं संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी आदि पर विश्व बैंक की सहायता से एक अध्ययन करने पर भी विचार–विमर्श हुआ था। विश्व बैंक ने तो आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए ही कहा था परन्तु केन्द्र सरकार, पावर फाइनेन्स कार्पोरेशन एवं अन्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा बिजली की अधिक दरें लिये जाने हेतु सुझाव अवश्य दिया गया है ताकि मण्डल वर्तमान स्थिति से उबर सके तथा नवीन योजनाओं हेतु ऋण प्राप्त कर सके।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) अध्ययन कराने का प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(3) प्रश्न के भाग–1 में उत्तर दिया जा चुका है। पारेषण क्षति को कम करने का बिन्दु आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं प्रशासनिक सुधार में ही सम्मिलित है।

(4) राज्य सरकार राजस्थान की ऊर्जा समस्या से निपटने के लिए प्रयत्नशील है तथा इसके दीर्घकालीन सुधारों के तहत विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार कर पारेषण क्षति को कम करने, विद्युत ऊर्जा संरक्षण एवं विद्युत चोरी को रोकने की योजना है।

गेण्डोली–माण्डपुर–जैतपुर सड़क निर्माण

306. श्री ओमप्रकाश शर्मा (बूंदी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या सरकार गेण्डोली जिला बून्दी से माण्डपुर होती हुई जैतपुर तक सीधी सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक निर्माण कार्य करा दिया जायेगा?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त सड़क बनाने से लाखेरी के पाटन, कापरेन आदि गांवों के लोगों को लगभग 30 किलो मीटर का रास्ता कम तय करना पड़ेगा? यदि हां, तो क्या सर्वे करवा लिया गया है? यदि नहीं, तो कब तक सर्वे करवा लिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्त सड़क बनने से लाखेरी की ओर के गांवों के लिये लगभग 19 किलो–मीटर का रास्ता कम तय करना पड़ेगा। इस मार्ग का फिलहाल कोई सर्वे नहीं किया गया तथा अभी सर्वे करना विचाराधीन भी नहीं है।

Page No.196

परिशिष्ट–4

तारांकित प्रश्न संख्या 280 का विवरण

जयपुर से कानोड वाया अजमेर–भीलवाड़ा-कारोई–पहुंना–राश्मी–मात्रकुण्डिया-गिलूण्ड–धमाना–कपासन–भोपालसागर–आकोला–कीर की चौकी–भिण्डर मार्ग पर संचालित सेवा को संचालन अवधि में उपलब्धि हुये औसत यात्रीभार एव आय प्रति कि.मी. का विवरण ।

क्र.सं.	संचालन अवधि	औसत यात्रीभार (प्रतिशत में)	औसत आय प्रति कि.मी. (रुपयो में)
1.	जनवरी, 89	43½	3.26
2.	फरवरी, 89	57	3.73
3.	मार्च, 89	49½	3.56
4.	अप्रेल, 89	33	2.46
5.	जुलाई, 89	37	3.03
6.	अगस्त, 89	62	4.98
7.	सितम्बर, 89	68	5.29
8.	अक्टूबर, 89	67	5.25
		52%	3.95 रु.

परिशिष्ट–5

अतारांकित प्रश्न संख्या 354 का विवरण

जोधपुर जिले में अपराधों की सूची

गृह भेदन (नकबजनी)

वर्ष	दर्ज मुकदमें	चालान	एफ.आर. अदमवकू	एफ.आर. अदमपता	अदम सबूत	अदम तफ्तीश 157बी	पुलिस पेंडिंग तफ्तीश	चोरी गया माल	बरामद माल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1989	242	107	16	119	–	–	–	1623724	698416
1990	244	77	28	139	–	–	–	2123516	1172342
1991	313	110	18	185	–	–	–	3110204	932389
1992	447	125	35	286	1	–	–	4622203	937049
1993	360	120	19	214	–	–	7	4922954	1278839

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				साधारण चोरी					
1989	512	191	70	250	1	–	–	95528841	1276492
1990	495	143	78	271	1	2	–	3136019	2355728
1991	547	170	67	309	1	–	–	4050450	2875418
1992	792	186	103	501	–	2	–	5906041	3415282
1993	789	179	87	511	1	–	11	6591102	3884005
योग:–	4741	1408	521	2785	5	4	18	131615064	18825960

परिशिष्ट–6

तारांकित प्रश्न संख्या 355 की सूची

विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर में नियुक्त प्रयोगशाला सहायकों की सूची :—

क्र.सं.	नाम	शैक्षणिक योग्यता	जन्म तिथि
	2	3	4
सामान्य :			
1–	श्री केसरी नन्दन	1. बी.एस.सी. (प्रथम श्रेणी) 2. बेसिक कोर्स इन कम्प्यूटर	14.9.1972
2–	श्रीमति मधु झा	1. बी.एस.सी. (द्वितीय श्रेणी) 2. डिप्लोमा इन फार्मेसी 3. रसायन का अनुभव	12.10.1958
3–	श्री निर्मल सिंह नरूका	1. बी.एस.सी. 2. प्रोफेशनल कोर्स ऑफ मैकेनिक इन इलेक्ट्रीकल/इलेक्ट्रोनिक्स गुडस 3. एक्सपीरियेन्स इन रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रोनिक एण्ड अदर इन्स्ट्रूमेंटस	1.1.1964
4–	श्री राकेश शर्मा	1. बी.ई. (कैमीकल) फ्रोम आई.आई.टी. देहली।	25.10.1968
5–	श्री मुकेश बाबू गोयल	1. बी ई. (सिविल) एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज, जोधपुर।	20.11.1968
6–	श्री रामनरेश गुप्ता	1. बी.ई. (सिविल) इंजिनियरिंग कॉलेज कोटा, यूनिवर्सिटी आफ राज.।	27.4.1967
अनुसूचित जाति :			
7–	श्री नरेन्द्र कुमार मौर्या	1. बी.एस सी. (द्वितीय श्रेणी) डिप्लोमा इन कम्प्यूटर मैनेजमेंट	18.8.1968

Page No.200

1	2	3	4
एक्स सर्विस मेन :			
8 -	श्री भंवर सिंह	1. ग्रेज्यूएट (सर्टिफिकेट फ्रोम इंडियन नेवी) भारत सरकार। 2. कोर्स इन मैकेनिकल इंजिनियरिंग एम.ई. (प्रोफेशनल) 3. इंडियन नेवी से सेवा निवृत	2.2.1958
अनुसूचित जनजाति :			
9–	श्री सुरेन्द्र चन्द्र मीणा	1. बी.एस.सी.	22.2.1971
10–	श्री लेखराज मीणा	2. सीनियर हायर सैकेण्ड्री स्टूडेन्ट ऑफ बी.ई. एट एम.बी.एम. इंजिनियरिंग कालेज, जोधपुर।	15.6.1973

नोट:— क्रम सं. 9 व 10 पर अंकित अनुसूचित जनजाति के प्रयोगशाला सहायकों ने अभी ड्यूटी ज्वाइन नहीं की है।

परिशिष्ट–7

अतारांकित प्रश्न संख्या 359 का विवरण

(क) उच्च शिक्षा के गुणात्मक सुधार एवं आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1996 घोषित की थी जिसके अन्तर्गत 1992 में लोकसभा द्वारा अनुमोदित कर एक संशोधित कार्य योजना 1992 जारी की गयी थी। उसके आधार पर राज्य सरकार से राज्य स्तर पर लागू किये जाने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है।

(ख) नई शिक्षा नीति 1986 के अनुरूप परिवर्तित पाठ्यक्रमानुसार विज्ञान संकाय (विज्ञान विषय), गृह विज्ञान, भूगोल एवं अन्य व्यावसायिक विषय के विषयों के लिए प्रायोगिक कार्य हेतु नये उपकरण क्रय करने हेतु कालेज शिक्षा की वार्षिक योजना 1992–93 में एक योजना प्रारम्भ की गई जिसके अन्तर्गत इस कार्य के लिए 1992–93 में 28.44 लाख रुपये तथा 1993–94 में 35.44 लाख रुपये का प्रावधान किया गया।

(ग) राज्य के राजकीय महाविद्यालयों में विज्ञान विषयों की शिक्षा के अध्ययन अध्यापन के स्तर में सुधार करने हेतु भौतिक शास्त्र एवं रसायन शास्त्र विषयों के लिए विशेष रूप से प्रगति आंकलन के लिए कालेज शिक्षा निदेशालय स्तर पर एक कार्य दल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया है जो शीघ्र ही कार्यकलापों का आयोजन विभिन्न महाविद्यालयों में करेगा।

(घ) व्याख्याताओं के गुणात्मक सुधार हेतु निदेशालय द्वारा वर्ष 1993–94 में 404 व्याख्याताओं को रेफ्रेसर कोर्स एवं 182 व्याख्याताओं को ओरिएन्टेशन कोर्स हेतु मनोनीत किये गये।

(ङ) आठवीं योजना के लिए स्वीकृत 342 शिक्षक अध्यतावृति पदों में से 98 पदों के लिए शिक्षकों का शोध कार्य करने एवं एम. फिल. करने हेतु चयन कर विभिन्न शोध केन्द्रों पर भेजा गया।

परिशिष्ट–8

अतारांकित प्रश्न संख्या 360 की सूची

विधान सभा क्षेत्र खण्डेला के सड़क से नहीं जुड़े हुये पंचायत मुख्यालयों की सूची

क्र सं.	पंचायत मुख्यालय का नाम	जनसंख्या आधार 1971
1.	बरसिंहपुरा	1143
2.	पनिहारवास	805
3.	सवाईपुरा	743
4.	सुजाना	592
5.	कासरड़ा	746
6.	मलिकपुर	1314
7.	भगेगा	1245
8.	बासड़ो खुर्द	306

परिशिष्ट 9

अतारांकित प्रश्न संख्या 364 का विवरण

राजस्व सब डिविजन परबतसर के विभिन्न विधान सभा क्षेत्रों में वर्ष 1993–94 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत सड़कों के निर्माण हेतु निर्धारित प्रावधान एवं उसके तहत माह जनवरी, 1994 तक दिये गये व्यय का विवरण

क्र. सं	विधान सभा क्षेत्र	योजना का नाम	कार्य का नाम	वर्ष 1993–94 हेतु प्रावधान (लाखों में)	माह जनवरी–1994 तक व्यय (लाखों में)	विशेष विवरण
1.	परबतसर	मद 5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत सड़कों के निर्माण	परबतसर से बिदियात रोड का निर्माण कार्य	5.00	12.75	कार्य पूर्ण
2.	परबतसर	वही	भंकरी से कुराडा रोड का निर्माण	5.00	0.33	कार्य प्रगति पर है
			योग	10.00	13.08	
3.	परबतसर	30 जिला 30 काम योजना के तहत सड़को का निर्माण कार्य	भेंकरी से गूलर रोड	5.00	0.07	कार्य प्रगति पर है
			योग	5.00	0.07	

1	2	3	4	5	6	7
4. मकराना	मद 5054 के तहत सड़क का निर्माण		मामड़ोली निम्बड़ी बिल्लू	3.00	—	पूर्व में ठेकेदार को कार्य आवंटित किया गया था उसके द्वारा कार्य नहीं हुए जाने के कारण अनुबंधों की शर्तों के अनुसार कार्य रिवाईन कर अन्य ठेकेदार को आवंटित किया गया जो प्रगति पर है।
5. मकराना	— वही —		भादवा से निम्बड़ी	2.50	0.03	वही
6. मकराना	— वही —		मोरावड़ से भिचावा रोड	5.00	0.69	कार्य प्रगति पर है।
7. मकराना	— वही —		रूपपुरा से बूडसू रोड	10.00	2.53	कार्य प्रगति पर है।
8. मकराना	— वही —		राणासर से रसाल रोड	5.00	0.76	
			योग	25.50	4.01	
9. मकराना	30 जिला 30 काम योजना के तहत सड़कों का निर्माण कार्य		कल्याणपुरा से राजालिया रोड	2.00	—	कार्य प्रगति पर है।
10. मकराना	— वही —		मकराना से बूडस रोड	3.15	—	कार्य प्रगति पर है।
			योग	5.15	—	

1 2	3	4	5	6	7
11. नावां	मद 5054 न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य	सम्पर्क सड़क लिचाणा का निर्माण	5.00	8.13	कार्य प्रगति पर है।
12. नावां	— वही —	सौलाया से माण्डा रोड का निर्माण	5.00	2.37	— वही —
13. नावां	— वही —	लालास से टोडास रोड का निर्माण	5.00	2.65	— वही —
14. नावां	— वही —	चितावा से नालोट रोड का निर्माण	5.00	3.34	— वही —
		योग	20.00	16.49	
15. नावां	30 जिला 33 काम योजना के तहत सड़कों का निर्माण	छोड़ास से लालास रोड का निर्माण	5.00	—	कार्य प्रगति पर है।
16. नावां	— वही —	सम्पर्क सड़क गुढासाल्ट का निर्माण	3.00		— वही —
		योग	8.00	—	

परिशिष्ट–10

अतारांकित प्रश्न संख्या 369 का विवरण

पुष्कर क्षेत्र के आस पास कराये गये वृक्षारोपण की सूचना

क.सं.	वर्ष	कार्यस्थल का नाम	क्षेत्रफल है. में	रोपित पौधों की संख्या	व्यय की गई राशि लाख रुपयों में 88-89	89-90	90-91	91-92	92-93	93-94 जन. 94	योग	जीवित पौधों की संख्या	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	89–90	सावित्री	42	46000	1.00	0.90	0.33	0.06	0.20	—	2.49	23000	50
			योग:–	46000	1.00	0.90	0.33	0.06	0.20	—	2.49	23000	
2.	90–91	सावित्री	40	44000	—	0.62	1.20	0.45	0.19	0.17	2.63	17600	40
3.	90–91	नागपहाड़	50	20000	—	2.51	0.15	0.30	0.20	0.08	3.24	8000	40
			योग:–	64000	—	3.13	1.35	0.75	0.39	0.25	5.87	25600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	91–92	सावित्री	25	37491	—	—	0.70	1.48	0.21	0.16	2.55	9372	25
5.	91–92	गडुम्बा	25	8540	—	—	0.53	0.52	0.07	0.04	1.16	2135	25
			योग:–	46031	—	—	1.23	2.00	0.28	0.20	3.71	11507	
6.	92–93	खरेकड़ी	50	40000	—	—	—	1.65	1.06	0.28	2.99	36000	90
7.	92–93	हूोकरा	50	40000	—	—	—	1.19	1.36	0.49	3.04	20000	50
8.	92–93	पुष्कर क्षेत्र	—	10000	—	—	—	—	8.66	1.21	9.87	7000	70
			योग:–	90000	—	—	—	2.84	11.08	1.98	15.90	63000	
9.	93–94	माकड़वाली	40	16000	—	—	—	—	0.80	0.83	1.63	9600	60
10.	93–94	होकरा	60	40000	—	—	—	—	1.21	1.37	2.58	32000	80
		गडुम्बा	20	5000	—	—	—	—	—	0.47	0.47	2000	40
11.	93–94	स्काउट कैम्पस	73	23630	—	—	—	—	—	2.39	2.39	18904	80
		वृक्षारोपण नागपहाड़-II	176	8800	—	—	—	—	—	2.31	2.31	4400	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		नाथा का डामडा	64	6800	—	—	—	—	—	1.42	1.42	2720	40
		सावित्री-केचोन	65	11960	—	—	—	—	—	1.55	1.55	7176	60
		पार्ट I "—"											
		पार्ट II "—"	105	12153	—	—	—	—	—	1.20	1.20	11545	95
		लीला सेवड़ी	69	—	—	—	—	—	—	0.39	0.39	—	
		खेरकड़ी फीडर											
		नाग पहाड़	5	—	—	—	—	—	—	0.54	0.54	—	
		बालाजी घाटी	37	—	—	—	—	—	—	0.80	0.80	—	
		पुष्कर नगर सौन्दर्यकरण	—	268	—	—	—	—	—	0.97	0.97	215	80
		योग:-		124611	—	—	—	—	2.01	14.24	16.25	88560	
				370642	1.00	4.03	2.91	5.65	13.96	16.67	44.22	211667	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89	नागपहाड आरडीएफ	42	29400	0.70	1.24	0.21	0.07	0.15	0.11	2.48	20000	68
	93	होकरा आरबीएच	50	55000	—	—	—	—	2.03	2.05	4.08	50000	90
	93	गनहेड़ा ईंधन कक्षा	15	16500	—	—	—	—	.74	0.66	1.40	15000	90
		योग:–		100900	0.70	1.24	0.21	0.07	2.92	2.82	7.96	85000	

लगाये गये वृक्षों से प्राप्त लाभों की सूची

1. मरूस्थल के प्रसार पर नियंत्रण।
2. पुष्कर सरोवर में बहकर आने वाली बालू रेत पर नियंत्रण।
3. भूमि संरक्षण।
4. परिभ्रांषित वनों का पुर्नरुद्धार।
5. वृक्ष विहीन पहाड़ियों पर वनारोपण।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जलाऊ लकड़ी एवं ईंधन की उपलब्धता में वृद्धि।
7. पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण।
8. तीर्थ स्थल पुष्कर की रमणीकता में वृद्धि।
9. स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार।

परिशिष्ट-11

अतारांकित प्रश्न संख्या 383 की सूची

पंचायत समिति कोटडा में विद्युत आपूर्ति हेतु खम्बे खड़े गांवों की सूची:-

क्र.सं.	गांव का नाम	कोड नम्बर	विद्युतीकरण तिथि
1	2	3	4
1.	गाधी सरना	20.12.235	25.3.80
2.	उपला थला	240	,,
3.	रनोरा	160	15.3.81
4.	महुला	159	,,
5.	अजनी	177	,,
6.	झांझर	178	,,
7.	छापर	184	,,
8.	नयावास सेरा	183	,,
9.	पालेसर	216	31.3.81
10.	गोर	206	,,
11.	कुण्डाला	251	,,
12.	अर्जुनसुरा	247	,,
13.	खांखरिया	256	,,
14.	गोदुलवाडा	259	,,
15.	बेराकटार	231	31.3.82
16.	बरला	223	,,
17.	सोन्दराज	233	,,
18.	सुबरी की नाल	222	,,
19.	बारछा	224	,,
20.	अन्टालियाँ	213	31.10.82
21.	सरली	215	,,
22.	अरीवारा	211	30.11.82

1	2	3	4
23.	मलदर खुर्द	209	30.11.82
24.	नाल डिगावेणी	208	7.3.83
25.	चाप अन्टालियाँ	210	"
26.	कन्थारियाँ	20.12.199	7.3.83
27.	चानोलन	205	"
28.	नायर	200	"
29.	टेन्डला	194	"
30.	जुना पादर	195	"
31.	पुनावली	196	"
32.	चाक सेन्डमारिया	226	"
33.	सवन का बयारा	275	31.3.83
34.	गुडा	275	"
35.	पीखली	278	"
36.	मेरी	283	"
37.	नाकोसा	286	"
38.	चारिया	277	"
39.	गोडा मेरी	282	"
40.	परलई	171	फरवरी, 85
41.	पाडली	174	जनवरी, 85
42.	कुटारमारियाँ	173	"
43.	लूंक	270	मार्च, 85
44.	वली चारनी	272	"
45.	मण्डावल	176	31.1.81
46.	मोरछुछा	290	31.1.86
47.	नयावास	81	31.3.81
48.	खेड़ा	107	20.11.82
49.	लोरो का वास	86	

कुल 49

Page No.213

निम्न गांवों में बिजली के खम्बे खड़े हुये हैं लेकिन इन गांवों को विद्युतीकृत घोषित नहीं किया गया है ।

50. पावटी कलां
51. सेमला थल
52. मालवा का चौरा
53. काली बोर
54. बेकरिया
55 गोगरुद

परिशिष्ट--12

अतारांकित प्रश्न संख्या 389 का विवरण

मुरलीपुरा से मालवीय नगर वाया अम्बाबाड़ी नया खेड़ा वाहन संचालन

क्र.सं.	मुरलीपुरा से प्रस्थान समय	मालवीय नगर आगमन	मालवीय नगर से प्रस्थान	मुरलीपुरा आगमन
1.	6.05 अ.गे.प्र.	6.35	5.45 अ.गे.प्र.	6.35
2.	6.15	7.35	6.15	7.35
3.	6.45	8.05	6.45	8.05
4.	7.45	9.05	7.45	9.05
5.	8.15	9.35	8.15	9.35
6.	9.15	10.35	9.15	10.35
7.	9.45	11.05	9.45	11.05
8.	10.45	12.05	10.45	12.05
9.	11.15	12.35	11.15	12.35
10.	12.15	13.35	12.15	13.35
11.	12.40	14.05	12.45	14.05
12.	13.40	15.05	13.45	15.05
13.	14.15	15.35	14.15	15.35
14.	15.15	16.35	15.15	16.35
15.	15.45	17.05	15.45	17.05
16.	16.45	18.05	16.45	18.05
17.	17.15	18.35	17.15	18.35
18.	18.15	19.35	18.15	19.35
19.	18.45	20.05	18.45	20.05
20.	19.45	21.05	19.45	21.05
21.	20.15	21.35	20.15	21.35
22	21.15	22.05	21.15	21.45
		अजमेरी गेट तक		अजमेरी गेट तक

परिशिष्ट–13

अतारांकित प्रश्न संख्या 391 का विवरण

उदयपुर केन्द्रीय बस स्टेण्ड से गुजरात राज्य की ओर प्रस्थान करने वाली राजस्थान परिवहन निगम एवं गुजरात परिवहन निगम की बसों की समय सारिणी

क्र. सं.	निगम का नाम	कहां से	कहां को	उदयपुर से प्रस्थान समय	गन्तव्य स्थान पर आगमन	श्रेणी
1.	गुज. परि. निगम	उदयपुर	अहमदाबाद	0500	1100	द्रुतगामी
2.	राज. परि. निगम	अजमेर	अहमदाबाद	0600	1200	द्रुतगामी
3.	गुज. परि. निगम	उदयपुर	अहमदाबाद	0700	1300	सुविधा वा.
4.	राज. परि. निगम	जयपुर	अहमदाबाद	0745	1345	द्रुतगामी
5.	गुज. परि. निगम	नडियाद	अहमदाबाद	0815	1615	द्रुतगामी
6.	राज. परि. निगम	उदयपुर	अहमदाबाद	0930	1530	द्रुतगामी
7.	राज. परि. निगम	सेवन्त्री	अहमदाबाद	1030	1630	द्रुतगामी
8.	राज. परि. निगम	आमेट	अहमदाबाद	1015	1745	द्रुतगामी
9.	गुज. परि. निगम	नाथद्वारा	बडोदा	1045	1815	द्रुतगामी
10.	राज. परि. निगम	चित्तौड़	अहमदाबाद	1145	1745	द्रुतगामी
11.	राज. परि. निगम	भीलवाड़ा	अहमदाबाद	1230	1830	द्रुतगामी
12.	गुज. परि. निगम	अजमेर	हिम्मतनगर	1230	1630	द्रुतगामी
13.	गुज. परि. निगम	उदयपुर	अहमदाबाद	1400	2000	द्रुतगामी
14.	गुज. परि. निगम	नाथद्वारा	अहमदाबाद	1445	2045	द्रुतगामी
15.	राज. परि. निगम	आमेट	अहमदाबाद	1515	2115	द्रुतगामी
16.	गुज. परि. निगम	नाथद्वारा	सूरत	1615	0415	द्रुतगामी

1	2	3	4	5	6	7
17.	गुज. परि. निगम	नाथद्वारा	अहमदाबाद	1800	2400	द्रुतगामी
18.	राज. परि. निगम	भीलवाड़ा	सूरत	1800	0600	द्रुतगामी
19.	राज. परि. निगम	सायरा	सूरत	1900	0703	द्रुतगामी
20.	राज. परि. निगम	ब्यावर	बड़ौदा	2030	0400	द्रुतगामी
21.	राज. परि. निगम	चित्तौड़	अहमदाबाद	2130	0330	द्रुतगामी
22.	राज. परि. निगम	देवगढ़	अहमदाबाद	2230	0430	द्रुतगामी
33.	राज. परि. निगम	ब्यावर	अहमदाबाद	2330	0530	द्रुतगामी

परिशिष्ट–14

अतारांकित प्रश्न संख्या 396 की सूची

सीडा प्रोजेक्ट के माध्यम से डूंगरपुर जिले में बंजर, पड़त एवं कृषि भूमि पर चलाये जा रहे गांवों की तहसील एवं पंचायत समितिवार सूची :—

क्र. सं. तहसील	पंचायत समिति	गांव	
1. डूंगरपुर	डूंगरपुर	1. दामड़ी	2. बांदी घाटी
		3. नया गांव उपला	4. नया गांव निचला
		5. तलैया	6. राजगढ़ी
		7. डोजा	8. घोडया
		9. भोजातो का ओढ़ा	10. सेमलघाटी
		11. कालूगामड़ा	12. बिकासोर
		13. वागदरी	14. तोरणिया
		15. कलारिया	16. सडली
		17. ओडवाड़िया	18. वेरणिया
		19. पाडला चौबिसा	20. घावड़ी
		21. मसानिया	22. घटाऊ
		23. लोलकपुर	24. सेलज
		25. बईयोड़ा	26. बंदड़ा
		27. कंडारी "अ"	28. कंडारी "ब"
		29. बलोता	30. लिमड़ी कडवाला
		31. सत्तु	32. रघुनाथपुरा
		33. नया तालाब	34. देवकी
2. डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	1. गामड़ी पाल	2. गामड़ी खास
		3. शिशोद	4. सचिया
		5. मेहुणा	6. घडमाला
		7. बोर तालाब	8. गलन्दर
		9. जालुकुआ	10. कापड़वेल

Page No.218

क्र. सं. तहसील	पंचायत समिति	गांव	
डूंगरपुर	बिछीवाड़ा	11. लक्ष्मणपुरा	12. वेड
		13. बरोठी	14. भिभवा
		15. वीरपुर	16. शरम
		17. नारेली	18. कानपुर
		19. वाटडा	20. मणीपुर
		21. भरतपुर	22. नला
		23. कोडिया गुणा	24. गरदूना
		25. बलवाड़ा	26. पाटडी
		27. घमलात फला	

परिशिष्ट–15

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री राजेन्द्र गहलोत (सरदारपुरा)

बिलाड़ा सीमेंट फैक्ट्री, पिचियाक को विद्युत कनेक्शन में अनियमितता की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

महोदय,

मैं राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत सदन व सरकार के समक्ष निम्न लोक महत्व के तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूं।

40 एल.पी.सी.डी. योजना जो त्वरित ग्रामीण कार्यक्रम में स्वीकृत है उसमें व्यापारिक एवं औद्योगिक प्रावधान नहीं होता है फिर भी कनेक्शन दे दिया गया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते समय फैक्ट्री की दूरी मैन लाइन से 250 फीट बताई गई है परन्तु वह वास्तव में 1729 फीट है जो स्वयं अधिशाषी अभियन्ता ने अपने पत्रांक 6093/16.2.94 द्वारा स्वीकार किया है। 3" की लाइन फैक्ट्री तक एक कनेक्शन के लिये बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी वित्तीय स्वीकृति के लगाई गई। बंद प्लक न करके बॉल लगाया गया। 6 माह तक बिल जारी नहीं किया गया व राजकीय नियमों की अवहेलना करते हुए राजकीय मीटर दिया गया। इस प्रकार कई अनियमितताएं की जा रही हैं, जिनकी ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

जिला कलक्टर जोधपुर ने अपने कार्यालय पत्रांक 437 दिनांक 1.2.94 द्वारा उस पर टिप्पणी मांगी गई है परन्तु वो आज दिनांक तक नहीं भेजी गई है। 14.2.94 को जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें यह बताया गया है कि आज दिनांक तक भी 1/2" का बंद यह साइट पर पाया गया उससे यह सिद्ध होता है कि विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से 3" की पीट वाल को हटा दिया तथा उसे बंद करा दिया गया परन्तु फैक्ट्री वाले पानी लगातार लेते रहे इसलिये स्टोपर लगाकर पानी लेने की सुविधा एक माह बाद भी चालू रखी गई।

आज दिनांक तक तीनों रिपोर्टों तक निर्णय क्यों नहीं हुआ, दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही क्यों नहीं हुई। इस रहस्यमय गुत्थी को निपटाने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अविलम्ब ही कार्यवाही कराने की व्यवस्था कराई जाय।

उपरोक्त मुद्दों के आधार पर लोक महत्व के तथ्यों पर सदन में चर्चा की अनुमति प्रदान कर अनुग्रहित करावें।

———

शुद्धि-पत्र

क्रम संख्या	स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1.	1	12	महेन्द्र मीणा	श्री महेन्द्र मीणा
2.	143	22	श्रीतती	श्रीमती
3.	216	3	श्र	श्री